राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 6

शुक्रवार,

18 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। सबको प्रणाम।

प्रश्नकाल। श्री कैलाश चौधरी।

प्रबोधकों की स्थानान्तरण नीति

72. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रबोधकों के स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रबोधकों का स्थानान्तरण जिले से जिले में ही करने हेतु नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) जी हां। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति निर्धारण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति में प्रबोधकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में भी आवश्यक प्रावधान किये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, क्षमा करें। एक इसी तरह का सवाल है 82 नम्बर का, कृपया इसका भी आप जवाब दे दें। जसवन्त सिंहजी का प्रश्न है 82 नम्बर का, वही प्रबोधकों के बारे में ही है। इसलिए मैंने दोनों क्लब कर दिये हैं।

अलवर जिले में चयनित प्रबोधकों को नियुक्ति

82. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रबोधक भर्ती 2008 में अलवर जिले में किस-किस वर्ग (एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. एवं सामान्य) के प्रबोधक चयनित हुए? वर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भर्ती में चयनित समस्त प्रबोधकों को नियुक्ति दे दी गई है? यदि नहीं, तो किस-किस वर्ग के कितने-कितने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाना शेष है?

(3) क्या यह सही है कि प्रबोधक भर्ती 2008 में चयनित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं? यदि हां, तो माननीय न्यायालय ने किस-किस अभ्यर्थी को नियुक्ति के योग्य माना एवं सरकार द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना में किस-किस को कब-कब नियुक्ति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) प्रबोधक भर्ती 2008 में चयनित (साक्षात्कार में उपस्थित) अभ्यर्थियों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:-

एस.सी.	एस.टी.	ओ बी सी	सामान्य	योग
95	80	589	867	1,631

(2) जी नहीं। नियुक्ति से शेष रहे आशार्थी निम्न प्रकार हैं:-

एस.सी.	एस.टी.	ओ बी सी	सामान्य	योग
31	21	308	236	596

(3) जी हां। अलवर जिले में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में दी गई नियुक्तियों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:-

एस.सी.	एस.टी.	ओ बी सी	सामान्य	योग
34	32	44	3	113

नियुक्तियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री कैलाश चौधरी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा उत्तर दिला दिया पहले।

श्री अध्यक्ष: नहीं, उत्तर दिलवा दिया, लेकिन इसके बाद आपका पूरक प्रश्न होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह उत्तर ही मेरा दिया है।

श्री अध्यक्ष: पहले कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): ऐसी हमारी जो बहनें हैं, जो प्रबोधक लगने के बाद में, जैसे वह पीहर में थी तब उसकी नौकरी लग गयी और लगने के बाद जब वह ससुराल गये सात-आठ साल हो गये, उसके बाद भी उनका पदस्थापन वहां पीहर में ही है। उनका स्थानान्तरण हो नहीं रहा है। तो इसके लिए मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया कि अगली शिक्षाकर्मी/शिक्षकों की और जो कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति बनेगी, उसके अन्दर हमको आश्वासन दिया है कि उनके अन्दर इनकी स्थानान्तरण नीति बन जायेगी, इसके लिए मैं मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। जसवन्त यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी, 2008 के बाद पिछली सरकार के समय में प्रबोधकों की भर्ती हुई थी। उसमें कुछ अभ्यर्थी जो पात्रता रखते थे, वे वंचित रह गये। वे सिविल न्यायालय के अन्दर, हाई कोर्ट के अन्दर चले गये और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो पात्रता रखते हैं, जिन्होंने हमारे यहां पिटिशन डाल रखी है, उनको नियुक्ति दे दी जाये। शपथ पत्र दिया सरकार ने कि जो भी पात्रता रखते हैं, हम उनको नियुक्तियां दे देंगे। लेकिन हुआ क्या उसमें कि न्यायालय ने यह जवाब देने के बाद जो लोग पात्रता रखते थे, उनका केवल एक पार्टी आधारित चयन कर दिया, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण मेरे पास है। कुछ लोगों को, जो पार्टी सम्बन्धित नहीं थे, उनको रोक दिया गया और जो दूसरे लोग थे, उनको दे दिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, उनको मैं यह सारे कागज दे रहा हूं, ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न के रूप में पूछिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): प्रश्न इतना है कि केवल इनकी जांच कराकर जो पात्रता रखते हैं, उनको न्याय देना चाहिये। यह मेरा मंत्रीजी से निवेदन है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, जिन लोगों ने न्यायालय में

(श्री कालीचरण सराफ)

पिटिशन दायर कर रखी थी, न्यायालय ने आदेश दिया कि इनमें से जो पात्रता रखते हैं, उनको नियुक्ति दे दी जाये, इसमें यदि कहीं पर कोई भेदभाव हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है तो आप मेरे को कागज दे देना, मैं उसकी जांच कराकर और जो भी पात्र होंगे, उनको निश्चित रूप से नियुक्ति दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: संतुष्ट? रामहेत सिंहजी, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो सूची साक्षात्कार के लिए जारी की थी जिला परिषद ने, उसमें क्रमांक नम्बर 1256 पर जो नाम अंकित था...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): पूरे प्रकरण की जांच कर लेंगे। आप भी दे देना, जो कागज हों, देख लेंगे। इस जांच में गड़बड़ होगी तो उसको ठीक कर देंगे।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैं स्पेसिफिक जो नाम बता रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलने ही नहीं दे रहे हैं मंत्री। अपनी सत्ता ....(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपके कार्यकाल का ही है। कांग्रेस के काले कारनामे हैं, जिनको मैं माननीय मंत्रीजी को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये बोलने नहीं दे रहे हैं आपको।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आप भी सुनो, आपके पांच साल के करम। आपकी जो प्रतीक्षा सूची थी, उसमें क्रमांक 1256, 1255 और पांच नाम और हैं इसी तरह से, जिनका साक्षात्कार सूची में नाम नहीं था, उनको साक्षात्कार करके चयन किया गया। इसको भी जांच में, स्पेशल रूप से जो पांच अभ्यर्थी हैं, मैं आपको सूची दे दूंगा, उनको भी उस जांच में लें। अगर अधिकारी दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें और जो वास्तव में वंचित रह गये हैं, उनको जांच में सही पाया जाये तो उनको नियुक्ति दें। ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें आपको जो भी गड़बड़ लगती है, आप मुझे कागजात दे दीजियेगा, उसकी पूरी जांच करा लेंगे और जांच में जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे और इसको दुरुस्त भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब आ गया। श्री गोविन्द सिंहजी। इसके बाद जोगाराम जी का होगा। उसके बाद पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, मेरे दो सप्लीमेंट्री हैं, एक तो माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करें कि ऐसे कितने प्रबोधक हैं जिनके न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं? दूसरा, ...

श्री अध्यक्ष: एक ही पूरक प्रश्न, एक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यही पूछ रहा हूं, इसी में है। और उनमें से जो हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनको आप नियुक्ति दे दो तो उनको नियुक्ति कब तक दे दोगे? जैसे माननीय सदस्य, यादव ने कहा, वही बात है। आपने उत्तर नहीं दिया। ''गड़बड़ है तो बता दो, जांच करा लूंगा।'' यह सवाल नहीं है। सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो हाई कोर्ट में चल रहा है, उनको नियुक्ति देने के लिए हाई कोर्ट ने कह दिया तो ऐसे कितने प्रकरण हैं और उन प्रकरणों में कब तक सरकार प्रबोधकों को नियुक्ति दे देगी? इतना ही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब दिलाता हूं आपको।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, उसके अनुसार सबको नियुक्तियां दे दी गयीं। ये कह रहे हैं कि जो नियुक्तियां दी गयीं, उसमें पात्र जो व्यक्ति थे, उनको नियुक्ति नहीं दी गयी और भेदभाव किया गया। मैंने यह कहा है कि जो वंचित रह गये, न्यायालय ने जो आदेश दिया उनको सबको नियुक्तियां दे दीं, अब जो वंचित रह गये, उसमें यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करा लेंगे और जांच में यदि यह पाया गया कि गड़बड़ी हुई है तो उनको भी नियुक्ति दे देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब आ गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सवाल यह है कि न्यायालय में कितने प्रकरण थे और कितनों को दे दी और कितने वंचित हैं? संख्या तो बताओ आप। ऐसे भाषण दे रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, संख्या पूछ रहा हूं मैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आपने जो पांच साल में भेदभाव करके जिन लोगों को नियुक्ति देनी चाहिये थी, उनको नियुक्ति नहीं दी, ऐसे लोगों को जांच करके नियुक्तियां देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कितने लम्बित हैं? कितनों को सरकार ने नियुक्ति दे दी और कितने अभी तक वंचित हैं? इसकी संख्या बताओ।

श्री अध्यक्ष: नहीं। अब आप स्थान ग्रहण करो। जवाब आ गया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर जिला परिषद में भी इसी तरह की अनियमितताएं हुई, जिसकी जांच करायें। आपने आश्वासन दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, पर जिन अपात्रों ने नियुक्ति ले ली है और नियुक्ति कायदे से लेने के योग्य नहीं थे, उनकी भी जांच कराई जायें और अपात्र पाये जायें तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाये। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा सुझाव है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैंने पहले कहा कि पूरे प्रकरण की जांच करा लेंगे। जो भी गड़बड़ होगी, जो भी गड़बड़ी पाई जायेगी, उनकी सबकी जांच कराकर दे देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। श्री जगदीश नारायण।

जमवारामगढ़ में बालिका छात्रावास की स्थापना

73. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगदीश नारायण)

(1) प्रदेश में राजकीय बालिका छात्रावास खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्धारित प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजकीय बालिका छात्रावास नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जन हित में बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) प्रदेश में विभाग द्वारा राजकीय बालक/बालिका छात्रावास खोलने के लिए राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 4-छात्रावास की स्थापना के लिए प्रतिमान में उल्लिखित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाती है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में राजकीय बालिका छात्रावास खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में सरकारी बालिका छात्रावास खोलने का विचार नहीं रखती है, क्योंकि नवीन छात्रावास खोले जाने हेतु वर्तमान में अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हैडक्वार्टर पर मैंने छात्रावास की मांग की है। एक तरफ सरकार का कहना है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा, अगर ऐसी सूरत में बालिका छात्रावास नहीं खोला गया तो फिर बालिका शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिलेगा?

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो नियमों की प्रति भेजी गयी है उस नियमों की प्रति को अगर पढ़ा जाए तो उसमें कोई ऐसा कारण सामने नहीं है जो बालिका छात्रावास को खोलने में कोई अवरोध पैदा करता हो।

(श्री जगदीश नारायण)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र एस.टी. और एस.सी. बाहुल्य क्षेत्र है और विधान सभा की सीट भी एस.टी. रिजर्व है।

दूसरी बात, इसमें बिन्दु संख्या चार पर बताया गया कि तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय से नीचे के स्तर पर कोई छात्रावास नहीं खोला जायेगा, मैं सहमत हूं, मैं तो पंचायत समिति स्तर पर, हैडक्वार्टर पर मांग रहा हूं, तहसील स्तर पर मांग रहा हूं, नीचे मांग ही नहीं रहे हैं।

दूसरी बात, उसके बाद में यह बताया गया कि उसके पश्चात् 20 हजार की जनसंख्या तथा ऐसे मुख्यालय जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित हो, पर छात्रावास स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे भी मैं पूर्णतया सहमत हूं, 20 हजार की आबादी भी वहां मौजूद है।

दूसरी बात, इसमें यह भी लिखा है कि इसके अतिरिक्त ऐसी ग्राम पंचायत मुख्यालय जिसके आसपास कम से कम पांच माध्यमिक स्तर के विद्यालय हों। यह तो केवल पंचायत की शर्त है, जबकि मैं पंचायत समिति हैडक्वार्टर की बात कर रहा हूं और यदि पांच माध्यमिक स्तर के विद्यालय भी मांगे जाएं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच नहीं, कम से कम दस विद्यालय चारों तरफ वहां हैडक्वार्टर के इर्द-गिर्द मौजूद हैं। तो ऐसी कंडिशन में, ऐसी शर्त में मैं मानता हूं कि वह सब तरह से उपयुक्त है और वहां बालिका छात्रावास खोलने की बहुत सख्त आवश्यकता है। आंधी, पापड़, जमवारामगढ़, भानपुरकलां, रायसर, नोनपुरा, मालावाला और सायपुरा, ये जमवारामगढ़ के आसपास चारों तरफ, इर्द-गिर्द के माध्यमिक विद्यालय हैं।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। बालिकाओं को शिक्षित करना है, बालिकाओं को उज्ज्वल भविष्य प्रदान करना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की भावना से पूरी तरह से सहमत हूं। मैंने जो नियम इसमें दिये हैं, यह बात सही है कि नियम चार का, खण्ड चार का, जिसका इन्होंने उल्लेख किया है, इन चारों के दायरे में इनका जो निवेदन है वह आता है। इन सब के बाद वह जोन आफ कंसिडरेशन में आता है।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

मैंने कहा कि फाइनेंशल रिसोर्सेज उसके साथ जरूरी हैं, वित्तीय प्रावधान होंगे तो हम खोल पायेंगे। मैंने जवाब में भी लिखा है, खण्ड तीन में, कि वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं इसलिए हम छात्रावास नहीं खोल पाये।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह वित्तीय प्रबन्धन की बात कहकर के नकारना, यह तो एक समुचित जवाब नहीं है। वित्तीय प्रबन्धन करना गवर्नमेंट का काम है। मेरा काम है, मांग रखना। मैं उस क्षेत्र के हालात के लिए, उस क्षेत्र की बच्चियों के लिए यह मांग रहा हूं और इसमें भी अगर मुझे यह कहकर के मना किया जाता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जोन आफ कंसिडरेशन में आपकी रिक्वेस्ट है, हम इसके ऊपर प्रयास करेंगे और प्राथमिकता से जब विषय आयेगा, इसके ऊपर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, क्वेश्चन तो वैसे हमारे माननीय सदस्य ने कह दिया, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लिए छात्रावास संचालन नियम 2012 के 4 के अनुसार जो उपखण्ड लेवल पर सारी प्राथमिकताएं पूरी करते हैं और उसके बाद वहां का जिला अधिकारी उसको रिकमंड नहीं करता है, तो क्या ऐसे स्थानों पर छात्रावास खोले जायेंगे या नहीं खोले जायेंगे?

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): उसमें नियम 4 में बड़ा स्पष्ट है कि यह क्राइटेरिया जोन आफ कंसिडरेशन में आने के लिए है। निश्चित रूप से जो हमारा जिला अधिकारी है उसकी तरफ से रिपोर्ट आयेगी, उसके अतिरिक्त अगर कोई रिपोर्ट आपकी तरफ से आती है और कहा जाता है कि उस रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई फीजिबेलिटी है, तो कोई विषय आयेगा तो मैं प्रदेश स्तर से भेज कर के, जांच करा कर के, उसके बारे में निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री मान सिंह। (व्यवधान) आ गया, जवाब आ गया आपका अच्छा। पूरक प्रश्न, श्री मान सिंह। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): वहां पर छात्रावास नहीं खुलवायेंगे, इसका मतलब यह रहेगा आपका?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। रमेशजी, विराजिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में पिछले कांग्रेस के शासन काल में एक बालिका छात्रावास गंगापुर के बालक हायर सैकण्डरी स्कूल मैदान में बनाया गया। पहली बात तो उसका जगह का चयन गलत हुआ, बालिका स्कूल दूसरी जगह और बालिकाओं का छात्रावास दूसरी जगह बना दिया। जिस जगह पर बनाया वहां पानी भरता है; उसका जो रास्ता है उस पर एक लोहे के व्यापारी ने कब्जा कर रखा है और चार साल से उसमें बच्चियां आने को तैयार नहीं हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का चयन कैसे हुआ? इसमें कौन दोषी था? और ठेकेदार ने इस प्रकार से कैसे बना दिया? तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस मामले को दिखवाएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से अलग प्रकृति का है ...

श्री अध्यक्ष: सही है। आप बाद में जानकारी भिजवा देना।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि उसकी जानकारी कर के और पूरी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुशील कटारा। पूरक प्रश्न।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने नये छात्रावास खोलने के लिए वित्तीय प्राब्लम बतायी, पर राजस्थान में और हमारे जिले में, उदयपुर डिविजन में भी समाज कल्याण के जो छात्रावास हैं, काफी वर्षो से बने हुए हैं, जर्जर अवस्था में हैं, बारिश के समय में उसमें बच्चे रह नहीं सकते हैं। तो कृपा कर के उनकी मरम्मत के लिए कुछ कदम उठायें और बजट आबंटित करें। पूरे राजस्थान में ही सभी जगह ऐसी स्थिति है, जो काफी लम्बे समय से बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: ध्यान रखो। इसके बाद शकुन्तलाजी, फिर छोटू सिंहजी। उसके बाद पूरक प्रश्न नहीं होंगे।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है वह बड़ा गम्भीर है और विभाग भी इसको काफी सीरियसली ले रहा है। पिछले दिनों जब राजस्थान सरकार भरतपुर सम्भाग के दौरे पर थी तो ग्राउण्ड रियलिटी पर इस बात को देखा, हमने सब ने देखा कि वहां के जो छात्रावास थे, वे विरासत में हमें बहुत ही जर्जर स्थिति में मिले। तुरन्त ही वहां कैबिनेट में बैठ कर के माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने, पूरी कैबिनेट ने निर्णय किया कि हम इसकी पूरी जांच करायेंगे। विभागीय स्तर पर जांच हुई, उसकी रिपोर्ट आ गयी है। पी.डब्ल्यू.डी. को हमने रिपोर्ट सब्मिट की और कहा है, इनके ऊपर कार्यवाही की जाए।

दूसरा विषय जो इनका है, आगे की उनकी मरम्मत का, हम आगे के जो हास्टल बना रहे हैं, उन छात्रावासों में हम कुछ पैरामीटर कर रहे हैं, कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ-साथ इनके भी जितने फाइनेंशल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जिला स्तर पर और अपनी तरफ से भेज कर के उनको इम्प्रूव किया जाए, इसका प्रयास हम पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। फिर, छोटू सिंहजी, आपका।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी मंत्रीजी से कि जो समाज कल्याण विभाग की ओर से पहले से ही छात्रावास स्वीकृत हुए पड़े है, मेरे बानसूर में भी स्वीकृत है करीब छह-सात महीने से, तो वह कार्य कब तक प्रारम्भ होगा? और जो बालिका छात्रावास के सारे नियम पूरा करते हैं तो वहां पर खोला जायेगा या नहीं खोला जायेगा?

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): बानसूर का माननीय सदस्या ने जो कहा है उसकी जानकारी एकदम मेरे पास नहीं है, मैं जानकारी कर लेता हूं। अगर बजट स्वीकृत होगा और स्वीकृत है तो निश्चित रूप से जल्दी शुरू कराने की करेंगे। आपने जानकारी दी है, मैं उसके माध्यम से जानकारी कर के और आपको भी उसके बारे में अपडेट कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र एक लम्बा क्षेत्र है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत बड़ी प्राब्लम रहती है और मोहनगढ़ और रामगढ़, ये नहरी क्षेत्र हैं और बालिकाएं वहां पहुंच नहीं पाती हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि रामगढ़ कस्बे के अन्दर

(श्री छोटू सिंह)

चालीस चक आबादी और राजस्व गांव हैं, मोहनगढ़ में भी कम से कम 50-60 गांव आते हैं, यदि वहां बालिका छात्रावास आये तो हमारे जो प्राब्लम है, एन.एम.टी. टीचर की, वह मिट सकती है।

मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर के विशाल क्षेत्र को देखते हुए, दूरियों को देखते हुए, आप कृपया वहां, विशेषकर के दो जगह बालिका छात्रावास खुलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब दे दीजिए। अगला सवाल।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय कहा है, विषय छात्रावास का नहीं, हम केवल समाजों के हिसाब से छात्रावास बनाते हैं। कुछ आवासीय विद्यालय प्रदेश में चल रहे हैं, उसमें अगर आपके यहां का विद्यालय होगा और उसमें अगर शिक्षकों की कमी है, क्योंकि शिक्षा विभाग से ही हमारे पास शिक्षक आते हैं, जहां-जहां कमी है, हमने शिक्षा विभाग से कह कर के, अपने लेकर के इम्प्रूव करने का प्रयास है।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल।

ग्राम पंचायतों को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के अधिकार

74. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आबादी बढ़ने से ग्राम कस्बों में एवं कस्बे शहरों में बदलते जा रहे हैं, जिससे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के प्रकरणों में बढ़ोतरी हो रही है? यदि हां, तो क्या ग्राम पंचायतों को अतिक्रमण हटाने के अधिकार प्राप्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों को अतिक्रमण हटाने हेतु उपखण्ड अधिकारी पर निर्भर रहना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायतों को इस सम्बन्ध में अधिक अधिकार प्रदान कर उपखण्ड स्तर पर स्वतंत्र रूप से थाना स्थापित कर राजकीय एवं सार्वजनिक भूमियों को संरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायत राज

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अधिनियम, 1996 के नियम 165 के तहत पंचायतों की सार्वजनिक भूमि, तालाब और चरागाहों से अतिक्रमण हटाने का अधिकार प्राप्त है।

(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 165/6 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी क्षेत्र के अतिक्रमण हटाने हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करते हुए अधिनियम की धारा 110 के अनुसार पुलिस की सहायता लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। गृह विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में राज्य में उपखण्ड स्तर पर अतिक्रमण हटाने हेतु स्वतंत्र रूप से थाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। बस, संतुष्ट?

नैक्स्ट। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): आप पूछ लो ना।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, पूछ रहे हैं ना। अनुमति दिलाओ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। नाम नहीं आया है ना।

श्री रमेश (सपोटरा): इतनी मेहरबानी है क्या कटारियाजी के ऊपर जो पूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हों?

श्री अध्यक्ष: अब यह छोड़ो आप, किस पर किसकी मेहरबानी है। हम सब पर मेहरबानी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आलरैडी क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द में संचालित सहकारी योजनाएं

75. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के सहकारी बैंकों द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में सहकार स्वरोजगार योजना, जनमंगल आवास ऋण योजना, महिला विकास ऋण योजना, ग्रामीण आवास योजना एवं ज्ञान सागर योजना में विगत 5 वर्षों में प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को कितनी राशि के ऋण दिये गये?

(2) उक्त योजनाओं को लोकप्रिय बनाने एवं जनता को अधिकतम लाभ पहुंचाने के क्या प्रयास किये गये?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(3) विगत 5 वर्षों में उक्त क्षेत्र में ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना में प्रति वर्ष कितने दावे आयें एवं कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): (1) प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में सहकार स्वरोजगार योजना, जनमंगल आवास ऋण योजना, महिला विकास ऋण योजना, ग्रामीण आवास योजना एवं ज्ञान सागर योजना में विगत 5 वर्षों में कुल 270 सदस्यों को 203.20 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया है। (वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।)

(2) उक्त योजनाओं को लोकप्रिय बनाने एवं जनता को अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु सहकारी बैंक उदयपुर द्वारा जिला/पंचायत समिति स्तर पर महिला स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन प्रति वर्ष किया जा रहा है। योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, पैम्फलेट, फोल्डर आदि का वितरण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मार्फत किया गया तथा सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा पैम्फ्लेट के माध्यम से प्रचार किया गया।

(3) क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. राजसमन्द में एक दावा श्री नारायण लाल पुत्र श्री नानूलाल निवासी धनेरिया का आया जिसे 50,000 रुपये से लाभान्वित किया गया तथा जनवरी, 2010 से यह योजना बंद है। केन्द्रीय सहकारी बैंक, उदयपुर के राजसमन्द क्षेत्र में कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न, उनका अधिकार है, पहले दो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, उसके बाद।

श्री अध्यक्ष: उसके बाद आगे आपका नाम आयेगा। उसके पहले नरपतसिंहजी का है। हाथ ऐसे कर रहे हैं तो मैंने नोट किया है। पूरक प्रश्न करेंगे ना? नहीं, जबरदस्ती नहीं। वह फाइल ऐसे कर रहे थे तो मैंने उधर देखा।

हां, किरणजी, पूरक प्रश्न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि जो इन्होंने जवाब इसमें दिये हैं, उनसे क्या ये संतुष्ट हैं कि पिछले 5 वर्षों में कुल 270 सदस्य, मात्र

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

270 सदस्यों को लाभ मिला है और योजनाएं कितनी सारी हैं, सहकारी स्वरोजगार योजना, जनमंगल आवास, आवास ऋण योजना, महिला विकास ऋण योजना, ग्रामीण आवास योजना। जब हम इसमें देखते हैं तो ग्रामीण आवास योजना में एक भी लाभार्थी नहीं है। अगर मैं अलग-अलग उसको बाइफरकेट करूं, योजनाओं का अगर देखा जाये तो जनमंगल आवास योजना में एक भी सदस्य को नहीं मिला; ग्रामीण आवास ऋण योजना में एक भी सदस्य को नहीं मिला और ज्ञान सागर ऋण योजना में एक भी सदस्य को नहीं मिला। यह जो इन्होंने कहा कि हम लोग इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर छपवाते हैं, होर्डिंग्स लगवाते हैं, हम पैम्फ्लेट बांटते हैं, तो यह आप किन पंचायतों में करते हैं? कृपा करके यह बतायें।

दूसरी बात है, जो आपने कहा कि यह ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना, इसमें मात्र 1 ही व्यक्ति आया है; जो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है राजसमन्द का, वहां से 1 व्यक्ति केवल आया है। 5 साल में 1 व्यक्ति आया है जिन्होंने इनसे ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना का लिया। ये योजनाएं तो इतनी अच्छी हैं लेकिन इन योजनाओं की क्रियान्विति करने में विभाग किसी भी तरह से सजग नहीं है। लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ लोगों को मिल नहीं रहा है। यह बताते हैं कि 5 साल में 1 व्यक्ति आया, जिसकी दुर्घटना हुई और जिसका बीमा, दुर्घटना बीमा योजना में 50 हजार रुपया इन्होंने दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि इन योजनाओं को और अच्छे तरीके से पापुलर बनाने के लिए, लोगों तक ये योजनाएं जायें, यह खाली कहें कि यह पोस्टर्स छपा दें, पैम्फ्लेट बांट रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिली इनको कहीं देखते नहीं। ना तो कहीं पैम्फ्लेट बंट रहे हैं, ना ही पोस्टर्स। अध्यक्ष महोदय, लोगों को अगर पता चलता, जागरूक होते तो बहुत सारे लाभ इसमें दे सकती है सरकार। लेकिन इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए इनको कैसे करेंगे, यह हमें थोड़ा सा बतायें।

इसके अलावा, जो आपने कहा राजसमन्द, उदयपुर का, जो यह हमारे सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक, उदयपुर के तहत लोगों ने लाभ नहीं लिया है, हम यह कहते हैं कि राजसमन्द जिला अलग बन गया है, तो क्यों ना राजसमन्द जिले में एक अलग से केन्द्रीय सहकारी बैंक बने? इसके बारे में सरकार की क्या योजना है? कृपा करके आपके माध्यम से इसका जवाब दिलवायें।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि इन योजनाओं की प्रगति निश्चित रूप से कम रही है। इसका कारण प्रचार-प्रसार भी हो सकता है। लेकिन इसका एक मुख्य कारण यह रहा है कि हमारी जो ब्याज की दर है, वह सहकारी बैंकों की अधिक है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान बजट के बिन्दु संख्या 106 के प्रति दिलाना चाहूंगा जिसमें माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा भूमि, इक्विपमेंट, टेक्नोलाजी में निवेश आवश्यक है लेकिन मध्यम और दीर्घकालीन अवधि के ऋणों पर किसानों को 13 से 14 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। कृषकों को ऐसे निवेश करने में प्रोत्साहन देने के लिए सहकारी और गैर-सहकारी बैंकों से लिये गये ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज, वार्षिक ब्याज पर अनुदान देने की नई घोषणा की गयी है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न यदि है तो।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): एक मिनट। यह आने से निश्चित रूप से हमारी योजनाएं भी लोकप्रिय होंगी।

जो माननीय सदस्या ने यह ध्यान दिलाया है कि ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना, निश्चित रूप से सभी योजनाओं में सफलता प्राप्त की जानी चाहिए थी, जो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2009-10 से सी सी बी द्वारा सहकार जीवन सुरक्षा योजना चल रही है, लोगों का इस योजना के प्रति बहुत रुझान बढ़ रहा है। इसके अन्दर प्राकृतिक दुर्घटना के अलावा, प्राकृतिक मृत्यु को भी शामिल किया गया है। इसके अन्दर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गत 5 वर्षों में 7 हजार 848 सदस्यों ने इसका प्रीमियम जमा कराया है। यह योजना अभी अच्छी चल रही है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट में घोषणा की है, जो ब्याज कम हुआ है, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारी योजनाएं निश्चित रूप से सफल होंगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो ध्यान दिलाया है कि इसके सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार किया जाये, तो मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्तर पर और संचालक मण्डल द्वारा समय-समय पर इसके बारे में और विशेष ध्यान दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: चल ही रहा है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): दूसरा आपका प्रश्न है कि राजसमन्द जिले के अन्दर सी सी बी को स्थापित करने के लिए, तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2011-12 के बजट में यह घोषणा की गयी थी कि राजसमन्द और करौली में केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जायेगी। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इसके सम्बन्ध में बार-बार नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया गया परन्तु नाबार्ड द्वारा इसके लिए हमेशा मना किया गया है। एक चिट्ठी करौली के लिए भेजी गयी और बाद में राजसमन्द के लिए भेजी गयी। मैं आपको उसकी नीचे की 4 लाइनें पढ़कर सुनाना चाहूंगा-''In these circumstances it may not be the right time to bifurcate the existing DCCBs, rather we feel that the existing STCCs may be strengthened for making it more effective and competitive. RBI central office has raised the question on this proposal also. Hence the proposal received for bifurcation from the State of Rajasthan is not considered." इसके अलावा, दूसरा जो पत्र लिखा, उसके अन्दर नाबार्ड का उत्तर आया कि ''उदयपुर डी सी सी बी बाइफरकेशन कर राजसमन्द डी सी सी बी की स्थापना के बारे में हमारा अभिमत पहले की भांति वही है तथा इसका वर्णन विस्तार से हमारे प्रधान कार्यालय के उक्त पत्र में किया जा चुका है। अत: हम आपके उक्त बाइफरकेशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।''

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। अच्छा, अभी तक चल ही रहा है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): मैं माननीया सदस्या को यह विश्वास दिलाता हूं कि इन दोनों जिलों के बारे में सर्वे कराया जायेगा और नाबार्ड को इसके बारे में अलग से चिट्ठी लिखी जायेगी और जितना जहां तक प्रयास होगा, इसको निस्तारित किया जायेगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहती हूं कि यह जो कह रहे हैं, राजस्थान में ऐसे कितने सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक हैं जो दो जिलों के बीच में एक सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक है?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में 29 सी सी बी हैं राजस्थान में और जिन जिलों में नहीं हैं, राजसमन्द, करौली, धौलपुर और प्रतापगढ़, इन 4 जिलों में अभी सी सी बी नहीं हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसके लिए नाबार्ड से यह प्रयास करेंगे, यह अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूं लेकिन पूर्व में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इतने वर्षों से पेंडिंग है। इस मैटर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि अलग डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक हो।

दूसरा, एक सवाल आपके माध्यम से और पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: दो पूरक प्रश्न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जो ग्रामीण सहकारी समितियां चलती हैं, जिनके माध्यम से इन बहुत सारी योजनाओं की क्रियान्विति होती है, यह जो आपने रीजन्स बताये हैं ना कि क्यों हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं, रेट आफ इंटरेस्ट ज्यादा है, या अब कम हुआ है तो अब होगा, लेकिन इसमें एक और रीजन है, क्योंकि यह ग्रामीण सेवा सहकारी समिति है, वह हर पंचायत की अपनी-अपनी होनी चाहिए, जो कि नहीं हैं। इसके लिए आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि क्या ऐसा कोई प्रयास चल रहा है कि हरेक ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण सेवा सहकारी समिति का गठन होना चाहिए? क्योंकि जो उसके मापदंड हैं वह मापदंड कहते हैं 400 मेम्बर्स मिनिमम होने चाहिए। उन मापदंडों को वे पंचायतें पूरा भी कर रही हैं। 2 पंचायतों के बीच में, 3 पंचायतों के बीच में एक ग्रामीण सेवा सहकारी समिति चल रही है। उसके अन्दर इतने सारे मेम्बर्स हैं कि आराम से अलग-अलग पंचायतों की बन सकती हैं। जिनके हैडक्वार्टर्स अलग-अलग हो जायेंगे तो सारे काम और आसानी से हो सकेंगे। इसके बारे में सरकार क्या मंशा रखती है, इनको अलग-अलग करके और नई ग्रामीण सेवा सहकारी समिति बनाने के सम्बन्ध में क्या सोचती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। भरतपुर के अन्दर बैंक है, धौलपुर में नहीं है; उदयपुर में है और राजसमन्द में नहीं है। जहां हैडक्वार्टर होता है, उसके हैडक्वार्टर की जो सब-डिविजन तहसीलें होती हैं, वहां पर लोनिंग ज्यादा होती है। आप भरतपुर और धौलपुर के फिगर उठा कर देख लेंगे, माननीय मंत्री महोदय, तो यह स्थिति आपके सामने स्वयं साफ हो जायेगी। या तो आप उस हिसाब से, दूसरे जिले के हिसाब से कुछ न कुछ इसमें करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है न इस बात का।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर आप संतुष्ट हैं इस बात से, तो इन चार जिलों में एक तो सी सी बी स्थापित करें और नाबार्ड, आर बी आई मानें या ना मानें पर कम से कम इतना तो कर दीजिये कि जो एग्जिस्टिंग फण्ड है, वह प्रपोर्शनेटली वहां की सहकारी समितियों के जो सदस्य हैं, उनको तो पैसा बराबर मिलता रहे। मिलता नहीं है। कई दफे मैंने मामला उठाया है पर कोई असर नहीं होता। जहां जिसका कब्जा है वहीं पर पैसा देते हैं, दूसरे लोगों को पैसा देते नहीं हैं वहां के लोग। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उसका बराबर से प्रजेंटेशन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया कि राजसमन्द में नहीं है सी सी बी, तो मैं इसके बारे में बताऊं कि इस बारे में पूरा सर्वे होता है कि कहां पर वायेबल है या नहीं है।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, अभी बताया कि धौलपुर में नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके खुद के बजट में घोषणा की थी और आप खुद उसको पूरा नहीं करवा सके। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय मंत्रीजी, मैं कहना चाहता हूं कि हमने भी प्रयास किये, आप भी प्रयास करें। पर मेरा सवाल दूसरा है, राजसमन्द का मामला है, चाहे धौलपुर का मामला है, भरतपुर वाले, भरतपुर वाले धौलपुर वालों के संग डिस्बर्समेंट के अन्दर भेदभाव करते हैं। कृपया इसकी जांच करवा लो। आप स्वयं संतुष्ट हो जायेंगे। हुआ है। इसमें कहां दिक्कत आ रही है?

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया है। (व्यवधान) श्री नरपत सिंह जी सवाल करेंगे। इसके बाद जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नाबार्ड का नाम लिया। माननीय मंत्री महोदय पहली बार पधारे सदन में, मैं इनका स्वागत करता हूं। (व्यवधान) नाबार्ड रिफाइनेंसिंग एजेंसी है। (व्यवधान) एग्जिस्टिंग आपकी जो सी सी बीज हैं, उनमें में कितनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं, जिनको रिफाइनेंस करने के लिए नाबार्ड भी तैयार नहीं है और आर बी आई ब्लैकलिस्ट करने के लिए उनकी जांच कर रही है। तब जाकर पता चलेगा कि स्थिति क्या है। सिर्फ सदन में इस आधार पर प्रयास करेंगे ...

(श्री नरपत सिंह राजवी)

(व्यवधान) 400 सदस्य खड़े करने चाहें, एक हफ्ते में हो जायेंगे लेकिन नीयत उसमें साफ चाहिये कि केन्द्र से कितना आपको मिलेगा, मैचिंग ग्राण्ट देने को आप तैयार हैं क्या। अभी बनवा देते हैं। एप्रोप्रिएशन के पहले 400 सदस्य बनवा देते हैं, अगर राजसमन्द में होता है तो मैं स्वयं जाकर बनवा देता हूं, लेकिन समय लगेगा उसमें। आप अगले साल के लिए आश्वासन दे दें तब भी ठीक है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो 500 सदस्यों की बात की है, वह है ग्राम सेवा सहकारी समितियों के बारे में। हमने अभी जो नाबार्ड के बारे में कहा है कि किस तरह से बैंक घाटे में चल रहे हैं, यह बिलकुल सत्य है लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हमारी पुरानी सरकार, कांग्रेस सरकार है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा ...(व्यवधान) आप सुनो तो सही। जब इन्होंने पिछले...(व्यवधान) आप सुनो तो सही।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी कोई बात है क्या करने को?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार पर क्यों ढोल रहे हैं? यह भी कोई बात है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके नींद में भी आ रही है पूर्ववर्ती सरकार, पूर्ववर्ती सरकार। इतनी योजनाएं हमारी सरकार दे गई कि आपको नींद में भी याद आती रहेंगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सचेतक महोदय, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बता रहे हैं मंत्रीजी।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जाते-जाते यह घोषणा की कि हर किसान को, जो भी जी एस एस के सदस्य हैं, उनको डेढ़ लाख रुपये ऋण दिया जायेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इतनी वित्तीय अनियमितताएं हुईं कि 15 ऐसे बैंक्स हैं जिनको लक्ष्य से ज्यादा, दबाव डालकर, उनको पैसा ऋण के रूप में दिलवाया गया और आपने अपने बजट में कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं की। इसका नतीजा यह हुआ बैंकों के लिए कि सी आर, ए आर की जो दर थी,

(श्री अजय सिंह)

वह बिलकुल नीचे चली गई और उनके लाइसेंस खतरे में पड़ गये। आज यह स्थिति है कि जो सी सी बीज हैं, वे घाटे में चल रहे हैं।

तो माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वर्तमान सरकार...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अलवर की स्थिति क्या की है इन्होंने कि कम से कम छह हजार किसानों को नहीं मिला है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार कोई भी इस तरह की वाहवाही लूटने वाली योजनाओं को नहीं लायेगी, बिलकुल वित्तीय अनियमितता नहीं की जायेगी। जब तक बजट में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसानों को फायदा देने वाली योजना लाने में क्या दिक्कत है?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सारी सहकारिता के पैसे खा गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लुटाने वाली बता रहे हैं, किसानों को बिना ब्याज लोन देने वाली योजना को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धीरज गुर्जर। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): किसानों के इतने ही हितैषी थे तो बजट में फिर क्यों आपने प्रावधान नहीं किया? और मैं आपको बताऊं, माननीय अध्यक्षजी, यह सरकार जब जाते-जाते नाबार्ड से और बैंकों से, सबसे यह कहा कि ज्यादा से ज्यादा यह लोन देना है, उसके बावजूद ये दो हजार करोड़ रुपये नाबार्ड से नहीं ले सके और हमारी सरकार ने आने के बाद में, जब माननीया मुख्य मंत्रीजी के सामने ध्यान में लाया गया तो दो हजार करोड़ रुपये हमारी सरकार आने के बाद हमारे बैंकों में जमा हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। मैंने पुकार लिया है उनको।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछ रहा हूं कि क्या राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण किया जा रहा है? अगर ऋण वितरण किया जा रहा है तो इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से नये आवेदनकर्ताओं को, नये ऋणियों को लोन देने के लिए कोई आदेश जारी कर रखा है क्या? अगर उस ऋण पर रोक नहीं लगा रखी है तो भीलवाड़ा जिले के

(श्री धीरज गुर्जर)

जहाजपुर में सी सी बी, एम डी द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से नये ऋणियों के ऊपर ऋण देने पर किस आदेश से रोक लगा रखी है?

श्री अध्यक्ष: आधा घण्टा हो गया इस प्रश्न को।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): और अगर यह आदेश नहीं है तो क्या इस बारे में जांच करवाकर आपके द्वारा नये ऋणियों को लोन दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जायेगा। (व्यवधान) एक मिनट जवाब आ जाये, फिर आपका।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि ऋण अभी वितरण किया जा रहा है या नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नये ऋणियों को।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): लगभग सात हजार करोड़ रुपये, जी एस एस के जो सदस्य हैं उनको दिया गया है और जो भी जी एस एस का सदस्य है वह हकदार है ऋण प्राप्त करने का। आप जो पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी, आपकी सरकार थी तो आपने डेढ़ लाख रुपये, सिर्फ एक प्रतिशत लोगों को भी आपने डेढ़ लाख रुपये का ऋण नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं यह पूछ रहा हूं कि जहाजपुर में आप नये ऋणियों को ऋण दे रहे हैं क्या? सबका क्या लेना देना? (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): इसमें किसी तरह का कोई निर्देश नहीं है। जो भी जी एस एस का सदस्य है, वित्तीय संसाधनों के अनुसार सबको ऋण दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जहाजपुर में आप लोन देंगे नये ऋणियों को? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पेसिफिक बात पूछी है कि जहाजपुर में नये ऋणियों को आप लोन देंगे? जवाब ही नहीं आया तो फिर प्रश्न पूछने का क्या मतलब है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जवाब नहीं आयेगा तो प्रश्न क्यों करेगा कोई यहां पर? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कहां आया है जवाब? जवाब दे ही नहीं रहे हैं वे।

श्री अध्यक्ष: आप चाहेंगे जैसा जवाब नहीं आयेगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं एक लाइन का प्रश्न पूछ रहा हूं कि नये आदमियों को ऋण देंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: आप जो जवाब चाहते हैं, वह जवाब नहीं आयेगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): फिर सवाल भेजा क्यों? फिर आपके यहां आता क्यों है?

श्री अध्यक्ष: मत कीजिये भले। मिनिस्टर जो जवाब देगा, वह आपको सुनना पड़ेगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जवाब ही नहीं देना चाह रहे। हर बात के अन्दर विपक्ष के सवाल का उलटा जवाब देते हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। मानिकजी लास्ट पूरक प्रश्नकर्ता होंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने जो लाख रुपये की घोषणा की थी और उसके बाद डेढ़ लाख रुपये की घोषणा की थी, वर्ष 2012-13 में लाख रुपये और 2013-14 में डेढ़ लाख रुपये, उन घोषणाओं की क्रियान्विति और पालना बीकानेर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक ने तो बिलकुल नहीं की। मेरे पास तो लिस्टें हैं 8 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की, अध्यक्ष महोदय, ऋण तो तीस हजार और बीस हजार रुपये ही दिया गया और अधिक से अधिक, जो सिंचित क्षेत्र है, उनमें अपवादस्वरूप एक लाख रुपये का ऋण दिया गया। इस ऋण में कोई पूंजीगत सहयोग इस गत सरकार ने नहीं दिया।

मैं आपके यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि आप भी यदि घोषणा करें लाख और डेढ़ लाख की, तो सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक्स की जो आर्थिक स्थितियां हैं, वे लाख रुपये देने की नहीं हैं। आप पूंजीगत अनुदान उन सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक्स को प्रदान करेंगे तो आपके आदेशों की पालना होगी, अन्यथा रुपया रबड़ नहीं है, उनकी जो स्थिति है उनके अनुसार ऋण देंगे और तीस हजार, बीस हजार से ऊपर ऋण नहीं मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से भी यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार पूंजीगत ऋण लाख रुपये का देने के लिए देगी?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो पिछली सरकार में अनियमितता हुई और जो बिना विश्लेषण करे ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): पिछली सरकार से आपका क्या मतलब है?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय मंत्रीजी सही जवाब दे रहे हैं। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): लोन का एक रुपया नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) अपनी जमीन गिरवी रख रहा है। उसको लोन नहीं देते। (व्यवधान) राजस्थान के अन्दर जमीन गिरवी रखता है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपने थोथी मेजें थपथपायी हैं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): राजस्थान के अन्दर ये किसानों को लोन नहीं दे रहे हैं, 20 हजार से ज्यादा लोन नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय मंत्री महोदय आपके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। (व्यवधान) राजस्थान के किसानों के साथ धोखा किया आपने।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपने थोथी मेजें थपथपायी थीं। उस समय भी हमने विरोध किया था कि मेजें मत थपथपाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी अपना जवाब पूरा करें। फिर अगला प्रश्न ले लूंगा। मंत्रीजी अपना जवाब पूरा करें।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): पूर्ववर्ती सरकार के समय हमें जो भी शिकायतें प्राप्त हुई कि पूरा डेढ़ लाख नहीं मिला, आप खुद भी यह मान रहे हैं कि एक लाख-डेढ़ लाख, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हमारे वित्तीय संसाधन होंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हर सदस्य को मिले, बराबर मिले, किसी तरह की अनियमितता न हो।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गीता वर्मा। (व्यवधान) आ गया जवाब।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ये देंगे या नहीं देंगे, स्पेसिफिकली बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऋण किसानों से

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सम्बन्धित है, हर किसान को लाख-पचास हजार का ऋण लेना पड़ता है। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि नयी सरकार लाख रुपया का ऋण देगी या नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, किसानों से सम्बन्धित है; सबसे वरिष्ठ सदस्य ने मामला उठाया है, किसानों से संबंधित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय सदस्य, बैठिए। सचेतक महोदय, बैठिए। (व्यवधान) यह आप हनुमान बेनीवाल को देखकर ऐसी आदत मत कीजिए, बार-बार, हर प्रश्न पर आप उठें। अगला प्रश्न ले लिया, फिर आपको लेंगे। (व्यवधान) नहीं, यह अलाउ नहीं करूंगा। 5 प्रश्न हो गये। नो, नो। आप जवाब दो इसमें। असीमित प्रश्न थोड़े ही किये जाते हैं। (व्यवधान)

सिकराय में स्वीकृत उचित मूल्य की दुकानें

76. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में एक ग्राम पंचायत पर कितनी उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं तथा राशन डीलर की नियुक्ति व लाइसेंस लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? सरकार द्वारा राशन डीलरों की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में राशन डीलर किन-किन सामग्री वितरण हेतु अधिकृत हैं? क्या राशन डीलर द्वारा आवश्यक व्यक्तियों को समय पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के तहत बी पी एल, ए पी एल, अन्त्योदय परिवारों के व्यक्तियों को कितनी-कितनी खाद्य सामग्री आबंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में ग्राम पंचायतवार स्वीकृत उचित मूल्य की दुकानों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। 500 राशन कार्ड अथवा 2,000 यूनिट पर एक उचित मूल्य की दुकान आबंटन की जा सकती है।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 27.04.2012 एवं इसकी निरन्तरता में जारी आदेश/निर्देश दिनांक 18.06.2012, 12.07.2012, 13.08.2012, 07.09.2012, 11.12.2012 एवं 06.03.2013 की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं। सरकार द्वारा राशन डीलरों की नियुक्ति अवधि निश्चित नहीं की हुई है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में राशन डीलर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं, लेवी चीनी एवं केरोसीन तथा राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली गैर-पीडीएस सामग्री वितरण हेतु अधिकृत हैं। राशन डीलरों द्वारा पात्र व्यक्तियों को समय पर राशन सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

(3) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह खाद्य सामग्री आबंटित की जा रही है।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। (व्यवधान) बार-बार नहीं।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु दिशानिर्देश परिशिष्ट 2/1 के क्रम सं. 3(vi) के अनुसार ''आबंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों के लिए एक नया रिजर्व सूची के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। यदि कभी भी उचित मूल्य दुकान की डीलर का प्राधिकार-पत्र निरस्त किये जाने से अथवा किसी अन्य किसी कारण से कोई स्थान रिक्त होता है, तो रिजर्व सूची से तत्काल नियुक्ति की जाएगी।'' माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि सिकराय विधान सभा क्षेत्र में निलम्बित डीलरों की जगह रिजर्व सूची में से कितनों को उचित मूल्य की दुकानें आबंटित की गयीं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उचित मूल्य की दुकान आबंटन करने की व्यवस्था, जो भी रिक्त होती है तो सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी सम्बन्धित कलक्टर से अनुमोदन कराकर पी आर ओ के जरिये प्रकाशित की जाती है। उसमें नगरपालिका के अन्दर ई ओ, दो-तीन राजस्थान सरकार के मनोनीत सदस्य और सम्बन्धित अधिकारी वहां

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

बैठते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर दो उपभोक्ता और एक महिला, बी डी ओ, तहसीलदार और जिला रसद अधिकारी आबंटन सलाहकार समिति में होते हैं। 500 राशनकार्ड होने पर या 2 हजार यूनिट होने पर या दुकानों की रिक्तता होने पर उनकी व्यवस्था की जाती है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर यही होता है कि अगर कोई डीलर निलम्बित होता है तो उसी ग्राम पंचायत में दूसरे डीलर को वह मान्यता दे दी जाती है और दूसरे डीलर के पास कोटा बढ़ जाता है। रिजर्व सूची में से किसी व्यक्ति को यह डीलरशिप नहीं दी जाती। मंत्री महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि सिकराय विधान सभा क्षेत्र में रिजर्व सूची में से कितने लोगों को आज तक डीलरशिप दी है?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): रिजर्व सूची में डीलरों को देने का प्रावधान नहीं है। जिसमें डीलर को निलम्बित किया जाता है उसकी अवधि 90 दिन तक होती है। 90 दिन में या तो जिला रसद अधिकारी उसका निलम्बन करके निरस्त कर देता है या उसको बहाली करता है, पेंडिंग इंक्वायरी बहाली हो जाती है। जो खाली जगह होती है, उसके बाद सम्बन्धित नजदीकी जो भी, जो दुकान होगी, उसके अन्दर नजदीकी पी डी एस की दुकान को अटैचमेंट की जाती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री घनश्याम।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): सर, एक और है।

श्री अध्यक्ष: एक और पूछना है आपको। एक मिनट, इसके बाद।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): संशोधित आदेश दिनांक 6.03.2013, परिशिष्ट 2/9 पर, ''अत: बिन्दु संख्या 3(क) में उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापित वरीयता क्रम के लिए इनके कार्यक्षेत्र में उचित मूल्य दुकान रिक्ति की स्थिति में उन्हें बिना विज्ञप्ति जारी किये तथा आबंटन सलाहकार समिति की बिना सिफारिश के प्राधिकार पत्र जारी किये जायें।'', यह एक आदेश निकला था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि बिना विज्ञप्ति जारी किये डीलरशिप आबंटन का आम जनता को कैसे पता चलेगा और आबंटन सलाहकार समिति की बिना सिफारिश के प्राधिकार-पत्र जारी करने से सलाहकार समिति का क्या औचित्य रहेगा?

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कोई भी आबंटन प्राधिकार-पत्र बगैर किसी आबंटन सलाहकार समिति के नहीं दिया जाता है। आपकी जानकारी में है तो गलत है। जो भी दुकानदार निलम्बित होगा, या रिक्तता जब हो जाएगी, या नई विज्ञप्ति निकलेगी, तो उसका बाकायदा जन सम्पर्क सूचना अधिकारी के द्वारा समाचार-पत्रों में प्रकाशित होगा और समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के बाद जो व्यक्ति आवेदन करेगा और आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष सारी पात्रताएं रखता है तो आबंटन सलाहकार समिति उसको नया प्राधिकार-पत्र आबंटित करती है।

श्री अध्यक्ष: अब तीन पूरक प्रश्न होंगे, एक श्री घनश्यामजी का, एक भैरारामजी चौधरीजी का और एक रणधीर सिंहजी का। श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नगरपालिका क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति भी ग्रामीण क्षेत्र में डीलर बन सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले नगरपालिका क्षेत्र में बन सकते हैं क्या? इस तरह के मामले हैं। वह उस पंचायत समिति का रहने वाला भी नहीं है, दूसरी पंचायत समिति का रहने वाला व्यक्ति है, तो वह दूसरी पंचायत समिति में ग्रामीण में डीलर बन सकता है? यदि नहीं बन सकता तो ऐसे कितने प्रकरण हैं जो दूसरी पंचायत समिति में वे कार्य कर रहे हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: डीलरशिप उसी अधिकार क्षेत्र के अन्दर, चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, सम्बन्धित ग्राम पंचायत का व्यक्ति होगा, उस वार्ड का व्यक्ति होगा और सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्र में भी उस वार्ड का व्यक्ति आवेदन करेगा और उसी को दुकान आबंटित की जाएगी। अगर इस तरह का माननीय सदस्य टोडाभीम से आने वाले कोई प्रकरण बता रहे हैं तो हमारी जानकारी में लाएं, हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री भैराराम चौधरी। बटन तो दबाया था उन्होंने, श्री भैराराम चौधरी ने बटन दबाया था।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर। एक और ले लूंगा, तीन से ज्यादा नहीं लूंगा।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी की जानकारी में है कि पिछले कांग्रेस शासन के दौरान कुछ सलेक्टेड डीलर्स को

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

जितने यूनिट का गेहूं व केरोसीन दिया जाना चाहिए, उससे दोगुना या तिगुना दिया गया? अगर जानकारी में आ गया हो, नहीं आया तो अब जानकारी में आ जाय, तो उनसे वापस वसूली कैसे करेंगे? एक तो इसकी योजना बताएं आप।

दूसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन में मोटरें लग रही हैं, ट्रक्स लग रहे हैं, वे गोदाम से उठकर पी.डी.एस. डीलर तक पहुंचें, इसकी देखरेख के लिए क्या आप उन पर जी.पी.एस. सिस्टम लगाने का विचार रखते हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सदस्य ने पूछा है कि डीलर निलम्बन, और कितनी उसमें अनियमितताएं हुईं, तो किसी भी तरह की अनियमितताएं आएंगी, या सामने पाई जाएंगी, तो उनकी जांच करायेंगे, सम्बन्धित अधिकारी उसकी जांच करेंगे....

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अनियमितता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कुछ डीलरों को जितनी यूनिट देनी चाहिए, उससे दुगनी, तीन गुनी....

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं वहीं आ रहा हूं। किसी डीलर को जितना यूनिट अपेक्षित होता है, उससे अगर अधिक मात्रा किसी एजेंसी के द्वारा या के वी एस एस के द्वारा, या अन्य अनियमितता के कारण से, या किसी और व्यवस्था के जरिये, उसको अपेक्षित से अधिक गेहूं, केरोसीन, चीनी आबंटित हुई है तो उसकी शिकायत होने पर जांच होगी और जांच होगी तो सम्बन्धित ज्यूरिस्डिक्शन जिस तरह का आफेंस होगा उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): वह जी.पी.एस. वाला आपने नहीं बताया।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उस पर विचार कर रहे हैं। अच्छी व्यवस्था होगी तो जरूर विचार करेंगे, मनन करेंगे।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो तहसीलें पड़ती हैं। सारे राजस्थान में, सभी तहसील स्तर पर डीलरों की नियुक्ति सम्बन्धी समितियां बनाई गई हैं सुनवाई के लिए, पर बिछिवाड़ा पंचायत समिति एक ऐसी तहसील है जहां हमारे राज्य

(श्री देवेन्द्र कटारा)

सरकार की ओर से मनोनीत सदस्य आज तक नियुक्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में डीलरों की नियुक्ति के लिए जो आवेदन पंचायतों में प्राप्त होते हैं, उन पर विचार करने के लिए तहसील स्तर पर बिछिवाड़ा में मनोनीत सदस्य, डीलरों की नियुक्ति से सम्बन्धित विचार करने के लिए, समिति में मनोनीत होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्रीजी, जवाब दीजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रिलेटेड सवाल नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, इन्होंने जिला रसद आबंटन सलाहकार समिति की बात रखी है, करीब 160 विधान सभा क्षेत्रों में जिला आबंटन सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है। कुछ रह रहे हैं तो चूंकि हम विज्ञप्ति निकालेंगे, हमारे पास 24,474 दुकानें कार्यरत हैं और करीब 1,232 रिक्त दुकानें हैं और दो हजार से ढाई हजार दुकानें अपेक्षित एन एफ एस के जरिये, तो उनकी जब हम विज्ञप्ति निकालेंगे, उससे पहले पूरे राजस्थान में आबंटन सलाहकार समितियों का गठन कर देंगे। बाकायदा जन-सम्पर्क सूचना अधिकारी के जरिये समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकलेगी कि इस-इस जगह पर यह-यह दुकान होगी और नियमानुसार उनका आबंटन किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्रीमती अनीता। न्याय कर देंगे अगली बार। आप कह रहे हैं, अन्याय है, तो अगली बार न्याय कर देंगे।

नगर (भरतपुर) में महाविद्यालय की स्थापना

77. श्रीमती अनीता (नगर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या/महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार नगर के उपखण्ड पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): नगर उप खण्ड मुख्यालय पर वर्तमान में पांच निजी महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। सूची परिशिष्ट-1

(श्री कालीचरण सराफ)

पर संलग्न है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर चालू वित्तीय वर्ष में नगर में कोई राजकीय महाविद्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि आप तो बहुत लोकप्रिय और प्रभावशाली मंत्री हैं और मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसका तो आपने मुझे बताया नहीं और प्राइवेट कालेज की जानकारी दे दी। वह तो मैं जानती ही हूं इस बात को। मैंने आपसे यह पूछा है कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक उप-खण्ड पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की 60 दिवसीय कार्य योजना में, घोषणा पत्र में आपने घोषणा की है या नहीं की है? पहला प्रश्न तो यह है। मैं आपसे एक बार में ही पूछ लूं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि आपकी घोषणा का तो आपने जवाब दिया नहीं और दूसरा प्रश्न यह है कि आप अपने जो अधिकारी हैं, उनको जरूर कहो कि यह इस तरीके के गोलमोल फिराकर जवाब नहीं दें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा है कि प्रदेश में प्रत्येक उप-खण्ड स्तर पर छात्र-छात्राओं के लिए, जहां सरकारी महाविद्यालय नहीं हैं, वहां सरकारी कालेज की स्थापना की जाएगी और राज्य के प्रत्येक उप-खण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की व्यवस्था की जाएगी, इसको हमने नीतिगत दस्तावेज के रूप में शामिल भी कर लिया है, पर यह जो घोषणा है यह पांच साल के लिए है। एक साल में ही सब काम नहीं हो सकते।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय मंत्री महोदय, मैं इस बात से संतुष्ट हूं। मुझे इस बात का अफसोस होता है कि आपके अधिकारी इस प्रकार का जवाब देते हैं। यही जवाब आप मुझे दे देते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पांच साल में आप खोल तो देंगे, उसका आश्वासन तो दे दें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अब दे दिया मैंने। यह पांच साल का चुनाव घोषणा पत्र है और निश्चित रूप से हम कांग्रेस के जैसे नहीं हैं कि घोषणा कर दें और कुछ करें नहीं। हमने जो चुनाव घोषणा पत्र घोषित किया है, निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे।

श्रीमती अनीता (नगर): धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगी?

श्रीमती अनीता (नगर): मैं संतुष्ट हूं। आपने कह दिया कि खोलेंगे, तो मैं संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। मेरा विधान सभा क्षेत्र 125 किलोमीटर लम्बा है और वहां एक भी महाविद्यालय नहीं है, न कन्या है, न सरकारी महाविद्यालय है। इसलिए इस बजट सत्र में जो घोषणा की गई है, उसमें कम से कम एक महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में खोलने की मैं मांग करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आपकी मेहरबानी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: यह तो मांग है, नोट कर लो। मांग नोट कर ली गई।

कोलायत से आने वाले माननीय विधायक।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने वर्ष 2013 में राजस्थान में कितने महाविद्यालय स्वीकृत किये थे? क्या उन सभी राजकीय महाविद्यालयों को वर्ष 2013 में चालू कर दिया गया था? जितने चालू नहीं किये गये, उनके बारे में जानकारी दी जाए और साथ में उनके नाम भी बताए जाएं। साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सभी विद्यालयों को क्या इस वर्ष इस सत्र से चालू करने का सरकार विचार रखती है? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिये। एक मिनट। सुझाव हैं, मान लेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जाते-जाते मेरे विधान सभा क्षेत्र में बेगूं और रावतभाटा को राजकीय कालेज का दर्जा दे दिया। केवल एक आदेश आ गया और राजकीय कालेज हो गया। उसके अलावा, वहां न तो कोई व्यवस्था है। हम लोगों ने वहां बड़ी मेहनत से एक संस्था बनाकर उसको चला रखा है, स्ववित्त पोषित के हिसाब से। वहां पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, दोनों जगह बिल्डिंग हैं। वहां पर जो प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो क्या हम उन प्राध्यापकों को रेगुलराइज करेंगे? इसमें सरकार का क्या मानना है कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो वहां प्राध्यापकों की भर्ती का कोई विचार है क्या?

श्री अध्यक्ष: जवाब देंगे? (व्यवधान) आप चुप रहिये, बार-बार डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जाते-जाते 42 महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की उनमें से जहां-जहां बच्चों ने एडमिशन ले लिया ऐसे विद्यालय हमने चालू कर दिये और 13 महाविद्यालय ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया और कोई बजटीय प्रावधान भी इन्होंने नहीं किया। केवल चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोषणा की थी इसलिए हमने महाविद्यालय वहां पर नहीं खोले। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 15 नये कालेज ऐसी जगह जहां 5500 से ज्यादा छात्रों की संख्या है वहां संकायवार महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। तो इस वर्ष तो ये 15 कालेज खुलेंगे और बाकी हर उप खण्ड पर पांच साल के अन्दर-अन्दर हम राजकीय महाविद्यालय खोलेंगे। (व्यवधान) पूरी बात सुन लीजिये, बैठिये। आज स्थिति यह है कि टोटल 287 एसडीओ हैडक्वार्टर्स हैं उनमें से गवर्नमेंट कालेज 152 ... (व्यवधान) क्या हुआ? बैठो न आप।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 13 महाविद्यालय जो नहीं खुले हैं...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आपने नहीं, और भी लोगों ने पूछा है, विराजो आप। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो क्वेश्चन किया है उसका पूरा जवाब दें मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी समय पूरा करना चाहते हैं भाषण देते हैं। माननीय सदस्य का स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि इन 13 महाविद्यालय जो पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये थे उनको इस वर्ष चालू करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): बिलकुल नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिक आधार पर आपने घोषणा की थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): देखिये, यह सरकार करना नहीं चाहती है। (व्यवधान) किसानों का अहित करने वाली सरकार है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब आ जाने दीजिये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो 13 महाविद्यालय राजस्थान में खोले गये थे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(12.00 बजे)

अनुरोध एवं मांग

प्रतिपक्ष के सदस्यों के प्रति नरमी बरतने का अनुरोध

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देने से पहले मुझे आपसे कुछ अनुरोध करना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या आपसे निवेदन कर सकता हूं?

श्री अध्यक्ष: बिलकुल कीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, कल आपने एक बड़ी कठोर रूलिंग, निर्णय, आपने आदेश दिया। हम एक सिद्धान्त के ऊपर, कानूनी रूप के अन्दर एक मंत्री महोदय का यहां पर विरोध करते हैं। लोक सभा में भी हुआ। जार्ज फर्नांडीस साहब का उत्तर सुनते नहीं थे लोग, वाकआउट कर जाते थे। कल हमने, सबसे पहले तो नन्दलालजी साहब ने उत्तर दिया, शांतिपूर्वक सुना; उसके बाद सैनीजी ने उत्तर दिया, शांतिपूर्वक सुना; जिन-जिन मंत्री महोदय ने यहां पर जवाब दिया, हम लोगों ने बहुत शांति से सुना, सप्लीमेंट्री भी पूछे, जवाब भी हुए, अच्छी चर्चा हुई लेकिन तदुपरान्त जल संसाधन मंत्रीजी का जब प्रश्न आया, विरोधस्वरूप कहा, उसके बाद वाकआउट कर गये। फिर जीरो आवर के अन्दर वे यहां बिराजमान थे, वे कुछ कहना चाहते थे, फिर विरोध शुरू हुआ।

उसके ऊपर आपने कल बड़ा कठोर रुख अपनाते हुए, आपने बड़ा कठोर निर्णय यहां पर दे दिया। अंकित भी नहीं होगा, वह तो आपका अधिकार है; क्या हम कहें, किसको आप अंकित होने दें, नहीं होने दें लेकिन मजबूत लोकतंत्र के लिए आसन का खास तौर से अपोजिशन के प्रति रुख नरम होना चाहिए। वे सत्ता में बैठे हैं, उनके पास संख्या बल है, हमारे पास संख्या बल तो नहीं है।

आपके इस निर्णय से कल हम पूरे प्रतिपक्ष को, हम सभी दल के लोग आपसे मिले भी थे, हमको बहुत पीड़ा हुई है और हम आपसे भविष्य में चाहेंगे कि आप ऐसा कठोर रुख, जिससे आसन की गरिमा बनी रहे। ऐसा न हो कि आसन के आदेशों की अवहेलना करनी पड़े, जो हम नहीं करना चाहते हैं। बहुत हमारी ईमानदारी से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम कतई नहीं करना चाहते हैं आदेश की अवहेलना, लेकिन जब बार-बार आसन का रुख इतना कड़ा रहेगा तो कहीं अवहेलना हो गई तो उसको आप कृपया अपनी अवमानना मत मानियेगा। या आप भविष्य के अन्दर थोड़ा सा नरम रुख प्रतिपक्ष के प्रति रखें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। मैं लोकतंत्र की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

खातिर कह रहा हूं, मैं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। हमारे पास सिवाय कहने के, जनता की समस्याएं उठाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा तो यहां है नहीं।

आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है। अध्यक्ष महोदय, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आसन पर आप जैसा व्यक्तित्व विराज रहा है। आपका अनुभव, आपकी विद्वता और आपकी सहृदयता हम सब लोग जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, और आप साक्षी रहे हैं इस विधान सभा के लम्बे समय तक, इस विधान सभा की गरिमा और परम्पराओं की दुहाई पूरे देश में दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप सब समझते हैं कि आसन सर्वोपरि है और आसन के प्रति बातों-बातों पर इस प्रकार की टिप्पणी कर देना कि आप अवमानना मत मानना, मैं समझता हूं, यह उचित नहीं है। आप सहृदय हैं। आप चाहें, अंकित करने का आदेश फरमा दें, मैं उसमें एतराज नहीं कर रहा पर, अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, बड़े वरिष्ठ माननीय सदस्य ने बात रखी है, इनसे भी निवेदन करूंगा कि सदन की परम्पराओं का हनन हम कहां तक करेंगे?

अध्यक्षीय व्यवस्था हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की है, आपने एक बार नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूं कि आपने एक ही विषय पर तीन-तीन बार व्यवस्था दे दी और आपने बड़ी स्पष्ट व्यवस्था दे दी और आपकी कानूनविज्ञ के रूप में उसमें व्यवस्था शामिल थी, आपका कानून का ज्ञान भी उसमें शामिल था। आपने संविधान के अनुच्छेद 164(4) का भी उल्लेख कर दिया और आपकी व्यवस्था के बाद, अध्यक्ष महोदय, बार-बार सवाल खड़ा करना, आप चाहें कितनी सहृदयता अपनायें, पर इन्हें प्रताड़ित तो करो। इतनी सी तो संख्या में आये हैं। अब यहां से नजर उठाते हैं, ढूंढने पर प्रतिपक्ष मिलता नहीं, वहां तक हम सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं। हम इनकी बात सुनना चाहते हैं।

कल पूरे दिन, अध्यक्ष महोदय, कितनी सार्थक बहस हो रही थी, एक भी माननीय सदस्य उस समय उपस्थित नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता, इन प्रश्न-पत्रों को देखो। इनमें कभी इनके एक-आध माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य का प्रश्न आ जाये तो ठीक, क्योंकि ये गम्भीर नहीं हैं। ये सदन के प्रति गम्भीर नहीं हैं। ये सिर्फ स्कोर करने के लिए बात कर रहे हैं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था से....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर आप, लाटरी से प्रश्न लगते हैं। मैंने ऐसा कोई अध्यक्ष महोदय को थ्रेट नहीं दिया है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय को ना मैंने कोई थ्रेट दिया है, मैंने निवेदन किया है। अगर आप इस शांत वातावरण को बिगाड़ने पर उतारू हैं, अगर आप कहते हैं कि आप संख्या बल देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा भी देंगे यहां पर बैठकर के, आपको जो करना है, आप करके रहियेगा। इस प्रकार की आपको धमकी देने की आवश्यकता नहीं है यहां पर। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं बहुत सम्मानपूर्वक अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने मुझे इजाजत दी है, लेकिन आप इस माहौल को खराब करने पर अगर उतारू हैं, तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम आपसे कह देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे जैसे सीधे आदमी से, सरल आदमी से कभी धमकी की बात कोई सुन सकता है? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं और धमकी, ये विलोम शब्द हैं। हम तो नम्रता से भरे पड़े हैं और मैंने बड़ी नम्रता से आपसे कहा है, हमें भी कुछ सीख दे दो, उनको भी कुछ सीख दे दो।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले विधायक ने एक निवेदन किया। शायद मैं पांचवीं बार विधान सभा में हूं और आपके साथ ही दो-तीन विधान सभाओं में रहा हूं। मैं कठोर और कड़क तो हो ही नहीं सकता। मैं बहुत लिबरल आदमी हूं और लिबरलनेस मुझे कई बार अच्छे परिणाम भी देती है लेकिन कभी-कभी कुछ जोर से बोलने से या किसी और कारण से या किसी आवेश में ज्यादा कभी बोल भी जायें तो आप उसको कठोर और कड़क मत मानिये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से आपको किसी तरह की पीड़ा नहीं होगी, मेरे यहां के व्यवहार से और मेरे यहां के भाषण से।

अब रहा सवाल कि हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कुछ बातें कही हैं, धमकी हम नहीं देते हैं, धमकी देती है तो यह किताब देती है, हम नहीं देते हैं। यह किताब इसलिए धमकी देती है कि आखिर इस विधान सभा को ठीक ढंग से चलाना है। सारे विधायकों को इस किताब के हिसाब से चलना चाहिए और चलने के साथ ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और कभी-कभी आवेश में

(श्री अध्यक्ष)

आरोप-प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते हैं, यह तो विधान सभा की एक शोभा है लेकिन मेरा यह मानना है कि इसको मन में नहीं रखना चाहिए और उसको यहां पर ही छोड़ दें। आज सबेरे आप उदाहरण दे रहे थे पुरानी विधान सभाओं के, जो यहां पर कशमकश नेताओं में होती थी और उसके बाहर जाते ही जिस तरह मिठाई खाते थे, वह एक अच्छा वातावरण था।

तो यहां भी कभी-कभी कशमकश हो जाये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं यथासम्भव, यथासमय आपसे निवेदन करता हूं कि आपको अगली बार कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन एक आपसे भी निवेदन करता हूं, संसदीय कार्य मंत्रीजी से भी निवेदन करता हूं कि इस किताब में हमने जो कुछ लिखा है, अब रहा सवाल कि कई बार, इसमें यह भी है, अध्यक्ष व्यवस्था के लिए समझता है कि बार-बार बाधा डाली जा रही है तो नाम लेने का भी इसमें है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बाहर निकाल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: कतई नहीं। आपके जैसा आदमी बाहर चला जाये तो हम पकड़कर लायेंगे। आप तो इस विधान सभा की शान हो, पुराने विधायक हो, यहां पर अच्छी बातें बोलते हो, ठीक अनुभव की बातें कहते हो।

मैं आपकी बात का, आपके निवेदन को पूरी तरह ध्यानपूर्वक, गम्भीरता से लेते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रतिपक्ष के सभी विधायकों को विश्वास दिलाता हूं कि यहां पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और आगे आपको पीड़ा नहीं पहुंचे, मेरा व्यवहार ऐसा रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस विश्वास के साथ ही, मैं चाहता हूं कि अपने सौहार्दपूर्ण वातावरण में विधान सभा की कार्यवाही चलायें और राजस्थान की जनता, जैसे देश की जनता जानती है कि राजस्थान की विधान सभा बहुत अनुशासित ढंग से चलती है, यहां के विधायक सब तैयारी करके भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं; यह दिल्ली में भी जब मैं था तो यह वहां पर प्रशंसा होती थी, ऐसी प्रशंसा में और अधिक वृद्धि होती रहे, यह हम सबका प्रयत्न रहना चाहिए।

इसलिए मैं आप सबको, इधर के पक्ष के भी और रहा सवाल, देखिये, कई बार व्यवस्था करनी पड़ती है। अब अपने तीन पूरक प्रश्न पढ़ने होते हैं। अब तीन के बाद, मेरे यहां सूची है और इस सूची से फर्स्ट, सेकण्ड, थर्ड आ जाता है, चौथा और ले सकते हैं लेकिन उसके बाद भी विधायकों का आग्रह

(श्री अध्यक्ष)

रहता है तो फिर भी हमको छोटे-मोटे एक-आध और एडजस्ट करके, यह विधान सभा है ही बोलने के लिए। आपकी विधान सभा है, आपका समय है और उस हिसाब से हमको यहां पूरी कार्यवाही करनी होती है।

तो शायद मेरे विचारों से, प्रतिपक्ष के नेता, आप भी संतुष्ट हो गये होंगे और आप भी संतुष्ट हो गये होंगे और ये सब तो संतुष्ट हैं ही। इनकी तरफ से मेरे से कोई शिकायत नहीं है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, यह बरदाश्त नहीं होगा। जैसे कोई स्प्रिंग लगी हो, ऐसे बार-बार खड़े हो जाना, नहीं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक तो वह मिठाई खाने वाली बात है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मिठाई खाने-खिलाने की परम्परा वापस शुरू करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, आज सवेरे प्रद्युम्न सिंहजी कुछ उदाहरण दे रहे थे कि वह इतना बड़ा टिफिन लाते थे, वे उस वक्त दस आदमियों को खिलाते थे, वे पांच आदमियों को खिलाते थे, वे इतने को खिलाते थे। मैंने इनसे विधिवत निवेदन किया कि मेरी जानकारी में इस विधान सभा में आप ही एक ऐसे विधायक हैं कि दो-दो बड़े-बड़े टिफिन लाकर के हमारे लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं। यह मैंने उनसे निवेदन किया है। अब आगे वे जानें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): उसके साथ मिठाई भी लाई जाए।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. डा. किरोड़ी लाल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से अलवर जिले में बिगड़ रही कानून की स्थिति एवं महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार/छेड़खानी की घटनाओं के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव जैसा कदम, ऐसी मांग जब कि सारे सदन को स्थगित कर उस पर विचार किया जाए, इस श्रेणी में यह नहीं आता है। यह जनरल सारे राजस्थान में ही नहीं, सब जगह ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा होती है। तो मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय राजाखेड़ा के विधायक आपका एक प्रस्ताव आया है। माननीय राजाखेड़ा के विधायक, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेज रहा हूं और वह जानकारी आने के बाद अगले सप्ताह उस पर वक्तव्य दिला देंगे।

2. श्री रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में भी आदिवासी क्षेत्रों की तरह साढ़े तीन हजार की आबादी पर पंचायतों का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में।

वैसे आप गुलाबजी भाई साहब को निवेदन कर सकते हैं, वे पुनर्गठन के हैं। फिर भी इस पर आप दो मिनट विचार रख सकते हैं।

एक मिनट, व्यवस्था अधूरी रह जाएगी। मैं जरा, उस मूड में हूं। आप सबने मुझे वह स्वीकार कर लिया है ना, तो उस मूड में थोड़ा सा भूल गया।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उललेख की सूचनाएं

1. श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से राज्य सुरक्षा व्यवस्था हेतु बोर्डर विंग होमगार्डस बटालियनों के जवानों की सेवाएं नियमित करने के सम्बन्ध में।
2. श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सड़कों का निर्माण घटिया होने एवं सड़कों पर अतिक्रमण होने से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।
3. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के विद्यालयों में अध्यापकों के सैकड़ों पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में वन विभाग की सिवायचक भूमि पर बसी बस्तियों का नियमन करने के सम्बन्ध में।
5. श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में नरेगा निर्माण कार्यों की जांचों में सरपंच आदि अधिकारियों को झूठा फंसाये जाने के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती अनिता कटारा, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ओबरी से गामड़ा ब्राहमनिया मोड़ तक 9 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

7. श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बायतू के लीलाला में रिफाइनरी हेतु अवाप्त की जा रही भूमि को डि-नोटिफाई करने के सम्बन्ध में।

8. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से जिला झुंझुनूं की तहसील नवलगढ़ में सीमेंट कम्पनियों के लिए अधिग्रहण की जा रही 70 हजार बीघा भूमि का अधिग्रहण निरस्त करने के सम्बन्ध में।

9. श्री नंदकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से जिला सीकर में फतेहपुर शेखावटी उपखण्ड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

10. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या', सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ में हिन्दुस्तान जिंक प्लांट के द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से राजस्थान बीज निगम की बीज खरीद की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

12. श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से राजस्थान बीज निगम द्वारा बीज उत्पादकों को दिया जाने वाला प्रीमियम बढ़ाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची के द्वारा माननीय विधायक बोलेंगे, उनमें -

1. श्री देवेन्द्र कटारा- डूंगरपुर जिले में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध;

2. श्री सुखराम विश्नोई- पथमेड़ा गौ-शाला में चारे के अभाव से गायों की मृत्यु होने की सम्भावना के सम्बन्ध में;

3. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा- प्रदेश में, विशेष रूप से अलवर जिले में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में; एवं

4. श्री मदन राठौड़- जंवाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट में व्याप्त अव्यवस्थाओं में सुधार कर पेयजल की सुचारु व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

श्री भीण्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

सूचना

पाक शरणार्थियों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के द्वारा सूचना देना चाहता हूं मैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंध में हिन्दुओं पर बहुत अत्याचार होता है। इस कारण से 1947 से लेकर अब तक बहुत सारे शरणार्थी आ रहे हैं और वर्तमान में जो शरणार्थी आ रहे हैं, हम लोग तो जो आये थे वे अपर कास्ट, सवर्ण जाति के लोग आये थे, अब भाट, मेघवाल, नट, कंजर और पिछड़ी और दलित जातियों के लोग आ रहे हैं। जोधपुर, बाड़मेर में लगभग साढ़े चार हजार पिछले दो वर्ष में आ चुके हैं। उनमें से वे हिन्दू पवित्र स्थान पुष्कर में तीन दिन पहले आये, सिंध से जो आये हुए हैं और कल भी आये हैं, पुलिस ने, सी आई डी ने उनको पकड़ा है। पकड़ा इस बात के लिए कि वे पुष्कर में तीर्थ स्थान पर, सरोवर में स्नान करने और मंदिरों में दर्शन करने क्यों आयें?

वास्तव में नियम के हिसाब तो उनका उल्लंघन है लेकिन मैं सदन के माध्यम से, सदन की सहानुभूति, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार को, गृह मंत्रालय को कि उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए उन पर कोई केस नहीं बनाया जाए; चेतावनी देकर वापस, उनको जोधपुर में और बाड़मेर में रहने के लिए कहा गया है, उनको जोधपुर, बाड़मेर में रहने दिया जाए। यह गृह मंत्रालय से मैं निवेदन करना चाहता हूं। सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

श्री अध्यक्ष: विषय आ गया है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन नहीं है। एक इन्फोर्मेशन ले ली, अब बाद में मुझे दे देना। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं गृह मंत्री के रूप में वर्तमान में जो उत्तर देते हैं, माननीय गुलाब चन्द कटारियाजी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) और राजस्थान सरकार का प्रथम लक्ष्य है। माननीय गृह मंत्रीजी, आप कुछ बोलेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने लाये हैं। मैं माननीय सदस्य को भी और जो लोग शरणार्थी के रूप में आये हैं, उनको भी यह आश्वस्त करता हूं, पुलिस विभाग पूरी छानबीन करने के बाद, इस विषय में जो भी नियमों के तहत रहते हुए मदद की जा सकती है, वह निश्चित रूप से मदद करेंगे।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, आप कुछ कह रहे थे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, इन्फोर्मेशन ज्यादा नहीं। विराजो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। अध्यक्ष महोदय, हमारा स्थगन प्रस्ताव दिया था मैंने और डोटासराजी ने, एक माननीय सदस्य ने दिया था। यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: सरकार से सूचना मांग ली है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने यह कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के लिए सूचना प्राप्त करना, आज के जमाने में टेली-कम्यूनिकेशन की इतनी स्ट्रोंग व्यवस्था है। सरकार आज ही देकर, आज ही मंगा लें और कल दिलवा दे तो आपकी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी भावना समझ गया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी हम मंगा लेंगे, आप विराजिए और स्टेटमेंट दिला देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष: मैं मान रहा हूं, इसीलिए तो भेजा है। आज तक किसी स्थगन प्रस्ताव को भेजा है क्या? और फिर आप जैसे वरिष्ठ सदस्य ने दिया है तो सरकार जल्दी से जल्दी इसका जवाब भेजेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, इसका आज ही, आज तो मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य है, कल दिलवा दें आप इसका जवाब।

श्री अध्यक्ष: आपको कह दिया है, आप विराजिए, करवा लेंगे सरकार से जल्दी।

विधायक नगर (पश्चिम) के मकानों की छत का गिरना

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन इतना सा है, कल रात को विधायक नगर (पश्चिम) में मकान संख्या 4/6, 4/8 के बीच की बड़ी छत गिर गई। चार विधायकों का जीवन खतरे में हो सकता था और बहुत ज्यादा अब भी खतरे में हैं। विधायकों, उनके आने वाले समर्थकों का और उनके परिवार का जीवन खतरे में है। इसीलिए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है कि उसकी तुरन्त व्यवस्था की जाए। वह छत ऊपर गिर सकती है, यह मेरा पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल साहब। श्री भंवर सिंह।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि +++

श्री अध्यक्ष: आप कृपा करके अपने विधान सभा का जो सचिवालय है, उसमें जाकर उप सचिव महोदय से चर्चा कर लें, उसके बाद मेरे से मिल लें।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): इतनी बहुत बड़ी गलती की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सचिवालय डिस्कस नहीं हो सकता यहां। हमारे नियमों में प्रावधान है। विधान सचिवालय पर डिस्कस यहां नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: इसलिए मैंने कहा, उप सचिव से आप जो है, जानकारी कर लेना।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

श्री भंवर सिंह।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आपने पहले काल किया था।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप। विराजिए। मैंने सोचा, मैंने यह कहा था, आप मिल लीजिए। तो अब आप यहां बोल लीजिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

वल्लभनगर में आदिवासी क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वसुंधराजी के पिछले कार्यकाल में जब माननीय कालू लालजी हमारे पंचायती राज मंत्री थे तो अंतिम वर्ष में यह निर्णय लिया गया था कि

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

पंचायतों का पुनर्गठन होगा लेकिन उस समय हो नहीं पाया और कांग्रेस के पांच साल के राज में ये कहते जरूर रहे लेकिन उनका पुनर्गठन कर नहीं पाये। अबकी बार पुनर्गठन की प्रक्रिया चालू हुई, उसमें माननीय पंचायत राज मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। तीन मंत्रियों के साथ बैठे वे और उसके बाद जो निर्देश जारी हुए, उसमें यह कहा गया कि पंचायतों का पुनर्गठन अनुसूचित क्षेत्र में तो साढ़े तीन हजार की आबादी से लेकर छह हजार की आबादी तक होगा और अन्य क्षेत्रों में पांच हजार से साढ़े सात हजार तक की आबादी का।

मेरा आपसे निवेदन है कि जिस आदिवासी क्षेत्र की साढ़े तीन हजार की आबादी तय की गई है, उसमें माननीय पंचायत राज मंत्रीजी भी खूब घूम चुके हैं और उनकी जानकारी में होगा भी कि आबादी कम हो सकती है लेकिन पंचायतें बहुत बड़ी–बड़ी हैं, आकोला, पाणून्द, लूणदा, अडिंदा, ऐसी पंचायतें जो आदिवासी बाहुल्य हैं और मेरे वहां पर आदिवासी बाहुल्य पंचायतें हैं और माडा के 103 गांव हैं, कुल पंचायतें, पांच-सात पंचायतें तो पूरी की पूरी माडा में हैं। ऐसे में मेरे क्षेत्र के साथ ऐसा जुल्म क्यों? आप भी मेरे ही क्षेत्र के विराजने वाले हैं, चाहे चुनाव आप अलग-अलग जगह से लड़ रहे हैं लेकिन आप जानते हैं...

श्री अध्यक्ष: दस किलोमीटर की दूरी पर रहता हूं मैं आपसे।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): तो बाठेड़ा को आप जानते हो, मजावड़ा आप जानते हो, कितनी बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं। हमारे साथ ये कुठाराघात क्यों हो रहा है?

तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको वापस पुनर्विचार किया जाए, जो पुनर्गठन है उसमें। मध्य प्रदेश में तो डेढ़-दो हजार में पंचायतें बन रही हैं। सरकार आज आम जन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और हम पंचायतें बड़ी रख कर के किस तरह से आम जन तक पहुंचेंगे? मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अलावा भी दूसरी जगह भी जो आबादी है, उसको कम करें। मेरे यहां पर तो एक पंचायत है जिसकी 11,000 की आबादी है, उसको तोड़ लूंगा। बाकी उसके अलावा क्या होगा? इसी तरह से, मेरी पंचायत समिति में 52 पंचायतें हैं, उसमें एक राइडर लगा दिया कि तीस पंचायतों की ही एक पंचायत समिति बनेगी। जबकि 19 पंचायतों वाली पंचायत समिति भी पूरे राजस्थान में है।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पंचायत समितियों के भी पुनर्गठन के लिए कम की जाय पंचायतें और आबादी भी इसमें कम की जाय। यह मेरा सरकार से निवेदन है। आशा करता हूं कि इस पर पुनर्विचार होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुराज संकल्प पत्र में यह आश्वस्त किया था कि हम पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे और मैं कह सकता हूं, मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतने कम समय में पंचायतों के पुनर्गठन के काम को हमने प्राथमिकता देते हुए, इसके बारे में हम आगे बढ़े। जो पहले पुनर्गठन हुआ था, वह 1981 की जनगणना के आधार पर 1992 में भैरों सिंहजी के समय हुआ और अबकी बार जो हम कर रहे हैं, वह 2011 की जनसंख्या के आधार पर कर रहे हैं, जो 30 साल के बाद बढ़ी हुई जनसंख्या को ध्यान में रख कर के किया है।

पहले भी जब कभी भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन निकले तो जो शिड्यूल्ड एरिया हैं, वे और रेगिस्तानी एरिया हैं, उसके लिए मापदंडों में थोड़ी शिथिलता बरती गई। शेष राजस्थान के हिस्से को एक ही रूप में रख कर के, उसके लिए अलग मापदंड तय किया था, पहले भी और आज भी। उसी आधार पर जो शिड्यूल्ड एरिया है, उसमें साढ़े तीन हजार से लेकर के छह हजार और जो शिड्यूल्ड एरिया और रेगिस्तान से जो बाहर के हिस्से हैं, उन सब के लिए पांच हजार से लेकर साढ़े सात हजार तक की आबादी रखी है।

जहां तक पंचायत समितियों का पुनर्गठन का सवाल है, कोई बहुत बड़ा मापदंड नहीं बदला है। पहले दो लाख की आबादी से ऊपर वालों को और पचास पंचायतों को डिवाइड कर सकते थे। इस बार भी दो से केवल ढाई लाख की आबादी की है और पंचायतें वही पचास हैं। पचास से अधिक पंचायतें अगर हैं किसी पंचायत समिति में और ढाई लाख से अधिक आबादी है तो उसका बाइफरकेशन हो सकता है।

मैं सोचता है कि इस बात को ध्यान में रख करके कि पंचायत समितियां और तहसीलें लगभग समानता पर आयें क्योंकि दोनों के एरिये अलग-अलग हैं, एस डी ओ हैडक्वार्टर के एरिये अलग-अलग हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये सब एक ही लाइन में कैसे आ सकें और इसलिए पंचायत समितियों की संख्या अगर थोड़ी बढ़ेगी तो भी वह उसके अनुसार एडजस्ट होगी, लेकिन पंचायतों की संख्या को इतनी अधिक बढ़ाने की स्थिति में अभी नहीं हैं कि कोई पांच-सात हजार पंचायतें बना दें।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, उससे मिलती-जुलती तो हमारी पंचायतें हैं। हमारे यहां पर भी आदिवासी हैं, खूब रह रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसा है, माडा क्षेत्र केवल आपके वल्लभनगर में नहीं है; राजस्थान के कई विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जो माडा क्षेत्र में हैं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सबसे ज्यादा माडा क्षेत्र मेरे यहां पर हैं और कहीं नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): तो माडा क्षेत्र में केवल एक विधान सभा क्षेत्र का नहीं है। माडा क्षेत्र का मतलब, कम से कम पन्द्रह विधान सभा क्षेत्र ऐसे आयेंगे जिनमें माडा क्षेत्र हैं। कुम्भलगढ़ में भी आएगा, नाथद्वारा में भी आएगा, बारां क्षेत्र में भी कई ऐसी पंचायतें हैं, बड़ी सादड़ी में भी हैं। तो उसके कारण से उनका दो अलग-अलग विभाजन नहीं कर सकते। इसलिए वही रखा जो पिछली बार 1991-92 में जब हमने पंचायतें गठित की थीं। जिन मापदंडों को और जिन एरियाज को हमने क्लब किया था, उन्हीं को क्लब करते हुए हमने रखा है। मैं सोचता हूं कि उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया है कि नयी पंचायतों का पुनर्गठन आने वाले फरवरी के चुनाव के पहले हम कर पाएं। इसलिए हमने इसको जितना जल्दी सम्भव हो सकता था, एक-दो-तीन मीटिंग करके उसको पूरा करने का प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बोर्डर विंग होमगार्डस बटालियनों के जवानों की सेवाओं को नियमित किया जाना

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव, राज्य सुरक्षा व्यवस्था हेतु बोर्डर विंग होमगार्डस बटालियनों के जवानों की सेवाएं नियमित कर सुनियोजित रूप से सदुपयोग लिये जाने बाबत।

निवेदन है कि राजस्थान में बोर्डर होमगार्डस की स्थापना 6 दिसम्बर, 1963 को की गई थी। राजस्थान के अन्तरराष्ट्रीय सीमावर्ती चार जिलों,

(श्री भंवरसिंह)

बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व श्रीगंगानगर में चार बटालियन हैं जिनकी कुल नफरी 2,664 जवान हैं जो कि अरबन होमगार्डस की एक जिले की नफरी के बराबर है। बोर्डर होमगार्डस की सेवाएं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, गुजरात में स्थायी कर दी गई हैं। राजस्थान सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि इन्हें भी स्थायी किया जाये।

बोर्डर होमगार्डस के जवानों को उच्च श्रेणी की ट्रेनिंग व आर्मी इंस्ट्रक्टरों द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग दी गई है और इन जवानों के पास आटोमेटिक हथियार हैं। ये जवान आर्मी, बी एस एफ, पुलिस, आबकारी, विद्युत विभाग, जेल विभाग, रेल विभाग, खनन विभाग, हाई कोर्ट, जयपुर, इत्यादि विभागों में सेवाएं देते आ रहे हैं। साथ ही, आपरेशन कारगिल, आपरेशन पराक्रम में आर्मी के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला कर सेवाएं दी हैं। लोक सभा या विधान सभा चुनावों के दौरान भारत में सभी राज्यों में बोर्डर होमगार्डस के जवानों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का दर्जा देकर भेजा जाता है। लेकिन आज तक किसी ने पचास वर्षों से इन जवानों की सुध नहीं ली है। इन्हें वेतन सिर्फ नाम मात्र का दिया जा रहा है। इसमें मूल वेतन + डी ए के अलावा न तो इंक्रीमेंट दिया जाता है और ना ही कोई मैस भत्ता मिलता है। एक और आज जो जवान भर्ती हुआ है, उसको जो वेतन मिलता है, वही वेतन तीस वर्षों से नौकरी करते आ रहे जवान को भी मिलता है। राज्य सरकार में जब डी ए की किश्त बढ़ती है तो स्थायी कर्मचारियों को तो लागू तारीख से जी पी एफ की किश्त बढ़ती है; स्थायी कर्मचारियों को तो लागू तारीख से जी पी एफ में जमा हो जाती है, किन्तु इन जवानों को तो जब नकद वाली किश्त लागू होती है तब से ही मिलती हैं, अर्थात् तीन-चार माह की कोई एरियर राशि इनको नहीं मिलती है। बार्डर होमगार्डस के जवानों को रोजी-रोटी का एक मात्र यही सहारा है।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी के माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार ने 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा की है तो बोर्डर होमगार्डस के जवान तो मात्र 2,664 हैं। राजस्थान राज्य की सुरक्षा व्यवस्था हेतु बोर्डर विंग होमगार्डस की बटालियनों के सशस्त्र जवानों की सेवाएं राज्य की सुरक्षा में सुनियोजित तरीके से सदुपयोग करने हेतु, अन्य राज्यों की भांति नियमित कर, पचास वर्षों से हो रहे इनके शोषण को समाप्त कर, इन जवानों की सेवाएं स्थायी करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी।

मुण्डावर में घटिया सड़क निर्माण व अतिक्रमण से असुविधा

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण बहुत घटिया हो रहा है और अतिक्रमण के कारण भी असुविधा हो रही है।

वे सड़कें जिनका अभी गारन्टी के तहत समय बाकी है, फिर भी उन सड़कों पर कार्य नहीं हो रहा है। जिस तरह से मातोर से सोरखा कलां एवं जिन्दोली तक सड़क पिछले काफी समय से टूटी हुई है और गारंटी समय बाकी है। इसी तरह, ततारपुर चौराला से पेहल भेटन्टा मोड़ तक, शाहजहांपुर से जाट-बिहरोड़-भुनगड़ा-अहीर तक सड़कों की जांच करवाकर कार्यवाही करने का कष्ट करें और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

अतिक्रमण में, मुण्डावार-सरायकलां सड़क पर बल्तुवास में, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर बना हुआ है, ऐसे मोड़ एवं घुमाव पर है जिससे वहां लगभग 10-12 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, ग्राम भिखावास में ग्राम का रास्ता 27 फीट है, यहां 21 फीट की सड़क बननी है जो आज तक नहीं बनी और ना ही यहां से अतिक्रमण हटा, ठेकेदार ने ग्राम का रास्ता बंद कर रखा है। लोगों को घूमकर जाना पड़ता है। इसमें भी जिन विभाग के अधिकारी द्वारा कार्य में ढिलाई बरती गयी है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

विराटनगर के विद्यालयों में अध्यापकों के सैकड़ों रिक्त पद

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अर्न्तगत उल्लेख है। महोदय, विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सैकड़ों पद रिक्त होने से रोज किसी न किसी विद्यालय में अभिभावक स्कूलों के ताले लगाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। जुलाई महीना नये प्रवेश का समय भी है तथा सरकार समानीकरण एवं एकीकरण के प्रस्तावों पर विचार पिछले 2 माह से कर रही है तथा सैकड़ों अध्यापक बिना विद्यार्थियों के जमे हुए हैं। ऐसी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

स्थिति में सरकार को चाहिए कि अतिरिक्त अध्यापकों को तुरन्त रिक्त पदों पर लगाया जावे जिससे प्रवेश भी बढ़ सके ओर विद्यालयों पर ताले लगना भी बंद हो तथा स्थानान्तरण खुलने तक कार्य व्यवस्था में अध्यापक लगाये जावें।

अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं तथा कई जिले ऐसे हैं जहां पर अतिरिक्त प्रधानाध्यापक लग गये हैं।

पूर्व सरकार द्वारा कुछ जिलों से मेरिट में आने वालों को भी अन्य जिलों में भेजा गया है तथा प्रभावित व्यक्ति न्यायालयों में चले गये हैं। अत: पूर्व सरकार के अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय को बदल कर मेरिट एवं इच्छा-अनुरूप सभी जिलों में पद भरे जावें जिससे विद्यालय सुचारु रूप से चल सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

रामगंजमण्डी में वन विभाग की सिवायचक भूमि पर बसी बस्तियों का नियमन

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत वन विभाग, चरागाह, सिवायचक भूमि पर बसी बस्तियों का नियमन कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष उल्लेख।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है, प्राय: देखने में आया है कि प्रदेश में अनेक गांवों एवं शहरों में पूर्ण जानकारी के अभाव में तथा वन विभाग व जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारियों की लापरवाही व मिलीभगत के कारण वन विभाग की चरागाह व सिवायचक भूमि पर सैकड़ों बस्तियां बसी हुई हैं जहां के निवासी मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। वन विभाग के नियमों के कारण प्रशासन चाहते हुए भी इन बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि ऐसी बस्तियों का तुरन्त भू-परिवर्तन कर नियमन किया जाना अतिआवश्यक है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में अनेक गांव व कोटा शहर नगर निगम के वार्ड नं. 5 में स्थित रावतभाटा होकर आंवली, रोजड़ी, नयागांव बस्ती बरसों से वन विभाग व सिवायचक भूमि पर बसी हुई है। इस बस्ती में बिजली, पानी, सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण यहां निवास करने वाली जनता का जीना दुश्वार हो रखा है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मैं पिछले 5 वर्ष से इस समस्या को सदन के माध्यम से अनेक बार उठा चुकी हूं लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार पर जूं तक नहीं रेंगी। मैंने विधायक कोष से नगर निगम के माध्यम से अनेक टयूबवैल, मोटर बिजली कनेक्शन सहित यहां के निवासियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए दी जिस पर टयूबवेल तो लगा दिये गये किन्तु वन विभाग के विरोध के कारण इन पर बिजली के कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं जिससे टयूबवेल लगाना भी व्यर्थ हो गया है।

यह बस्ती काफी घनी बस्ती है। यहां के निवासी इस भीषण गर्मी में बिजली के अभाव में रात्रि के अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकल सकते। पानी, बिजली, शिक्षा के लिए राज्य सरकार को कोसते रहते हैं। आपराधिक प्रवृति के लोग इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। माता-बहनों का घर से निकलना दुश्वार हो रखा है। प्रभावशाली लोग अपनी ताकत पर मिलीभगत कर बिजली की चोरी कर बस्ती के वासियों को हजारों रुपयों में बेचते हैं जिससे लोगों में काफी भय व्याप्त है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि उक्त बस्ती में जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से वन विभाग की भूमि का भू-रूपान्तरण कर नियमन की कार्यवाही की जाए। नियमन होने तक यहां के निवासियों को अस्थायी बिजली के कनेक्शन जारी करने के निर्देश विद्युत विभाग व वन विभाग को दिये जावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह।

ब्यावर में नरेगा निर्माण कार्यों की जांच में पदाधिकारियों को गलत फंसाया जाना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत पंचायत राज के सम्बन्ध में निवेदन है कि नरेगा कार्य की शुरुआत राजस्थान में वर्ष 2007 में हुई थी। उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी तथा माननीय मनमोहन सिंहजी प्रधान मंत्री थे। वर्ष 2008 में पूरे भारत में नरेगा कार्य की समीक्षा हुई, तब माननीय तत्कालीन प्रधान मंत्री, मनमोहन सिंहजी ने पूरे देश में नरेगा कार्यों के सफल संचालन के लिए राजस्थान सरकार को नम्बर एक पर बताया था। वर्ष 2008-09 में पंचायत राज विभाग के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों की माप पुस्तिका भरवाकर मूल्यांकन करवाया गया एवं उसी के अनुसार कार्यों का

(श्री शंकर सिंह)

समायोजन भी करवाया गया, जो स्वागत योग्य था, जिसकी जमकर तारीफ की गई थी।

वर्ष 2009 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ गई और आते ही जहां-जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा मतों से जीतकर आये थे, उस क्षेत्र के सरपंचों व अधिकारियों के निर्माण कार्यो की पांच-पांच बार जांचें करवाकर जांचों में झूठे मुकदमे बनाये गये एवं फंसाया गया। सरकार ने जांचों के नाम पर जांच दल का गठन किया। जांच दल के द्वारा ब्यावर विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति जवाजा की ग्राम पंचायत मालातो की बेर के भाजपा सरपंच गणपतसिंह, ग्राम सेवक, सहायक अभियन्ता, नरेगा का जे टी ए तथा विकास अधिकारी, इत्यादि लोगों को झूठा फंसाया गया। जांच दल के एक एक सदस्य द्वारा कोर्ट में बयान दिये गये जो बयान है कि...

कोर्ट ने पूछा	**जवाब-जांच दल का बयान**
1. सभी निर्माण कार्य का नाप नींव खोदकर लिया गया?	1. किसी कार्य की नींव नहीं खोदी गई है, अन्दाज से माप लिया गया है।
2. श्री घीसाराम रेगर का बयान, नाप लिया गया तो आप हाजिर थे?	2. नाप चोप के समय मैं श्री गिरीश जी, ए ईएन साहब के साथ नहीं था। मैं उस दिन अराई पंचायत समिति में ड्यूटी दे रहा था, मेरे से तो अजमेर में हस्ताक्षर कराये गये।
3. लेबर के भुगतान की कोई शिकायत है?	3. नहीं, साहब। लेबर भुगतान सबको बैंकों के द्वारा श्रमिकों के खाते में भुगतान गया है। कोई अनियमितता नहीं है।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन कार्यों की पुन: जांच हो एवं अन्दाज से भरी गई रिपोर्ट को खारिज करते हुए माप पुस्तिका में बताये गये माप को सही मानते हुए भाजपा के निर्दोष सरपंच गणपतसिंह व ग्राम सेवक, विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, इत्यादि को निर्दोष मानते हुए बरी किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

सागवाड़ा में ओबरी से गामड़ा ब्राह्मनिया मोड़ तक सड़क का डामरीकरण

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत ओबरी से गामड़ा ब्राह्मनिया मोड़ तक 9 किमी. सड़क का डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विषयान्तर्गत हम समस्त हस्ताक्षरकर्ता ग्रामीण परिक्षेत्र ओबरी का निवेदन है कि ओबरी से गामड़ा ब्राह्मनिया मोड़ तक 9 किमी. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं तथा सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। ओबरी से गामड़ा ब्राह्मनिया सड़क पर इस परिक्षेत्र की सम्पूर्ण जनता के सागवाड़ा तक आने-जाने का मुख्य मार्ग है तथा इस सड़क पर प्रतिदिन सागवाड़ा महाविद्यालय एवं सागवाड़ा मुख्यालय स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में दैनिक कार्य हेतु आना-जाना पड़ता है। सड़क के जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण किसी भी समय गम्भीर बीमारी से पीड़ित एवं प्रसूताओं को लाने व ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा आये-दिन दुपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। विशेषकर बरसात से पूर्व यदि उक्त सड़क का सुदृढ़ीकरण नहीं करवाया गया तो बरसात के समय तो इस आने-जाने की मुख्य सड़क पर जगह-जगह गड्ढों में पानी भरे होने की स्थिति में सड़क का अता-पता तक नहीं चल पाएगा।

यह सड़क ग्राम पंचायत ओबरी, डेचा-विराट, पारड़ा मेहता, पीपलागूंज, बिलिया, बड़गामा एवं छोटे-मोटे दर्जनों गांवों को सागवाड़ा मुख्यालय से जोड़ती है।

अत: आपसे इस परिक्षेत्र के समस्त ग्रामीणों का निवेदन है कि जन हित एवं जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही इसका डामरीकरण करवाने के आदेश व स्वीकृति प्रदान कराएं। उक्त सड़क पिछले लम्बे समय से जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा इस हेतु कई बार प्रार्थना पत्र लिख कर प्रशासन को अवगत करवाया गया है परन्तु अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए आप व्यक्तिगत ध्यान देकर इस सड़क का डामरीकरण अतिशीघ्र करवाने की कृपा करेंगे तो इस परिक्षेत्र की समस्त जनता आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

बायतू के लीलाला में रिफाइनरी हेतु अवाप्तिधीन भूमि का डिनोटिफिकेशन

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत लीलाला की जमीन को राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-4 व 6 डि-नोटिफाई के तहत करवाने के सम्बन्ध में निवेदन है।

अपनी पूर्ववर्ती सरकार ने बायतू के लीलाला में रिफाइनरी स्थापित करने के लिए राजस्व ग्राम-लीलाला, जोंदुओं की ढाणी व सगरमोणी गोदारों की ढाणी में लगभग 11,000 बीघा जमीन का सर्वे करके अवाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। उसके बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में रिफाइनरी स्थापित करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किये परन्तु अंतिम समय में चुनाव नजदीक आते देख लीलाला में जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू करते हुए राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-4 व 6 के तहत नोटिफाई करने के बाद सरकार ने अचानक रिफाइनरी का स्थान परिवर्तित करके पचपदरा में तुरत-फुरत में इसका शिलान्यास कर दिया।

राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-4 व 6 के तहत नोटिफाई करने से वहां के किसानों का जमीन से स्वामित्व लगभग समाप्त हो गया है। न तो वे के.सी.सी. बनवा सकते हैं, न ही अन्य सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपनी जमीन का समर्पण भी कर सकते हैं। इस प्रकार जमीन पर किसानों का खेती के अलावा कोई हक नहीं रह जाता है।

लीलाला के किसानों की समस्या को देखते हुए उक्त जमीन अतिशीघ्र राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-4 व 6 के तहत डि-नोटिफाई कर वहां के किसानों को समुचित न्याय दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

नवलगढ़ (झुंझुनूं) में सीमेंट कम्पनियों हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का निरस्तीकरण

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करता हूं कि झुंझुनूं

(श्री शुभकरण चौधरी)

जिले की नवलगढ़ तहसील में पांच ग्राम पंचायतों की लगभग 70 हजार बीघा उपजाऊ कृषि भूमि की सीमेंट कम्पनियों के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही पिछले चार-पांच वर्षों से चल रही है, जिसके विरोध में इन ग्राम पंचायतों के प्रभावित किसानों द्वारा गत चार वर्ष से नवलगढ़ तहसील मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है।

इन ग्राम पंचायतों की कृषि राजस्व रिकार्ड में सिंचित व बारानी प्रथम के रूप में दर्ज है जो उपजाऊ भूमि की श्रेणी में आती है। किसानों ने जगह-जगह पर कुएं व ट्यूबवैल बना रखे हैं जो विद्युतीकृत हैं तथा इनसे सिंचाई के माध्यम से रबी व खरीफ की फसलें पैदा की जाती हैं। इस क्षेत्र में प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया व दलहन, आदि वाणिज्यिक फसलों की प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। इस क्षेत्र के निवासियों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि व पशुपालन है। यहां की आबादी लगभग एक लाख की है, जो पक्के मकानों में आबाद है तथा जीवन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं इनके पास हैं। प्रभावित क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आठ उच्च माध्यमिक विद्यालय, चार माध्यमिक विद्यालय, अनेक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, निजी शिक्षण संस्थाएं व अन्य सरकारी संस्थाएं संचालित हैं।

प्रशासन व रीको द्वारा समाचार-पत्रों में बार-बार खबरें प्रकाशित कर बलपूर्वक अधिग्रहण की धमकी देकर क्षेत्र के लोगों को भयभीत किया जा रहा है, जिस कारण यहां के नागरिक भय के साये में जीवन-यापन कर रहे हैं। वर्षों से धरने पर बैठे किसानों की मांगों के प्रति प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः इस कृषि प्रधान देश के अन्नदाता किसान की मार्मिक पीड़ा को समझते हुए उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही को सरकार निरस्त कर किसानों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से, किसानों के प्रति हमारी संवेदनशील सरकार न्यायोचित कार्यवाही कर लाखों लोगों को बेघर होने से बचाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया।

फतेहपुर शेखावाटी उपखण्ड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार का ध्यान उपखण्ड फतेहपुर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना से आमजन को न्याय सुलभ कराने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

फतेहपुर उपखण्ड सीकर जिले का सबसे पुराना उपखण्ड है। सीकर जिले में उपखण्ड फतेहपुर अपनी स्थिति और आस-पास के गांवों के परिवेश में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्थान है। कस्बा फतेहपुर शेखावाटी राष्ट्रीय राजमार्ग 11 व 65 पर जयपुर से बीकानेर के मध्य में स्थित है। जयपुर, सीकर, चूरू व बीकानेर से रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है तथा कस्बा फतेहपुर में राजकीय रेफरल अस्पताल व स्कूल, कालेज की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अच्छी शिक्षण संस्थाएं मौजूद हैं। कस्बे की जनसंख्या एक लाख से अधिक है।

सन् 1975 में यहां पर स्थायी रूप से मुंसिफ न्यायालय स्थापित है, जो वर्तमान में क्रमोन्नत होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है।

सन् 1986 से अधिवक्तागण फतेहपुर उपखण्ड पर ए.डी.जी. न्यायालय की स्थापना हेतु प्रयासरत हैं तथा कई बार सरकार को पत्रों के माध्यम से तथा व्यक्तिगत रूप से मिलकर निवेदन किया जा चुका है जिसके अनुसरण में राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जांच व निरीक्षण कर फतेहपुर उपखण्ड पर कार्य की अधिकता को देखते हुए इस मांग को उचित व आवश्यक मानते हुए उन्होंने अपनी अभिशंसा प्रस्तुत की थी।

फतेहपुर उपखण्ड ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापनार्थ निर्धारित सभी मापदंडों को पूर्ण करता है। जिला मुख्यालय सीकर में जिला एवं सेशन न्यायालय के अतिरिक्त चार ए.डी.जे. न्यायालय, एक पारिवारिक न्यायालय तथा एक दुर्घटना न्यायाधिकरण कार्यरत है, जिसमें एक ए.डी.जे. न्यायालय में सिर्फ फतेहपुर ही एक उपखण्ड के मामले में विचाराधीन है।

कस्बा फतेहपुर में ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापना होने पर इसके अन्तर्गत चार तहसीलें, छह थाने, एक आबकारी थाना तथा चार पुलिस चौकियां समाहित होते हैं तथा काफी बड़े क्षेत्र के नागरिकों को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूर्ण होगा।

कस्बा फतेहपुर में ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापना से फतेहपुर कस्बे के दूरस्थ गांवों के निवासियों को न्याय प्राप्ति हेतु करीब 90 किलोमीटर चलकर सीकर स्थित न्यायालय में जाना रोका जा सकेगा जिससे उन लोगों को

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

न्याय प्राप्ति में परिश्रम, समय व खर्चे की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें सस्ता, सुलभ व तुरन्त न्याय की प्राप्ति भी हो सकेगी। ऐसी स्थिति में भी फतेहपुर उपखण्ड में ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापना किया जाना युक्तियुक्त व पूर्णरूपेण आवश्यक है।

मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी उपखण्ड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना किये जाने के आदेश पारित करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' ।

चित्तौड़गढ़ में हिन्दुस्तान जिंक प्लांट के द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये जिला चित्तौड़गढ़ में हिन्दुस्तान जिंक प्लांट के प्रदूषण से आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषकों के धीरे-धीरे समाप्त हो रहे पशुधन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है।

जिला चित्तौड़गढ़ के हिन्दुस्तान जिंक प्लांट के आस-पास तथा सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ शहर में प्रदूषण की जड़ें इतनी गम्भीर हो गई हैं कि पूरे चित्तौड़गढ़ की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। बार-बार शिकायत करने के उपरांत भी उक्त प्लांट के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है।

प्रदूषण की मात्रा इतनी भयानक है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिन्दुस्तान जिंक प्लांट से लगती हुई चित्तौड़गढ़ की नगरीय पंचायत बिलिया ग्राम एवं आस-पास की ग्राम पंचायतों में वर्तमान में सम्पूर्ण सतही एवं भूमिगत पेयजल विषाक्त हो चुका है जिसके कारण उक्त पंचायत के किसानों के सभी पशु अकाल मौत के शिकार हो चुके हैं। साथ ही कई बीमारियां महामारियां बनकर उक्त बिलिया ग्राम पंचायत के बेकसूर लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। अभी यहां के किसानों का एक भी पशुधन जीवित शेष नहीं है। गर्भवती महिलाओं के शिशु गर्भ में दम तोड़ रहे हैं। पेयजल के लिए उन्हें दस-दस किलोमीटर दूर अन्य पंचायतों से टैंकर या अन्य साधनों से जलापूर्ति करनी पड़ रही है। यदि शीघ्र ही इसका कोई निवारण नहीं

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

किया गया तो जल्द ही यहां पर कोई मानव शेष नहीं बचेगा। कुछ अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे एवं बाकी यहां से पलायन कर अन्यत्र चले जाएंगे।

मेरे द्वारा इस विषय पर स्थानीय अधिकारियों को भी शिकायत की गई किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र आमजन एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के उपाय कर इस गम्भीर समस्या का निराकरण कर अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर।

राजस्थान बीज निगम की खरीद की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि राजस्थान बीज निगम के ठेकेदार भोले-भाले किसानों के नाम राजस्व विभाग से खसरा नम्बर व गिरदावरी प्राप्त कर लेते हैं। इस खसरा नम्बर व गिरदावरी का बीज, जो कि विभिन्न किस्मों का मिश्रण होता है, बाजार से खरीद कर बीज निगम को तुलवा देते हैं। राजस्थान बीज निगम के भ्रष्ट अधिकारी इस बीज को पास कर देते हैं। ऊपर से देखने पर लगता है कि बीज निगम जैसी शुद्धता किसी में नहीं, लेकिन अन्दर ही अन्दर बीज निगम किसान व शासन को खोखला किये जा रहा है। किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज की किस्म नहीं मिलती है, जिससे पैदावार में गिरावट आती है।

महोदयजी, आज राजस्थान बीज निगम का बीज किसान अपने खेतों में बोता ही नहीं है। राजस्थान सरकार बीज निगम के बीज पर अनुदान देती है। इस अनुदान पर ही भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। बीज निगम सरकार से अनुदान लेकर इस बीज को बाजार में बेच देता है, क्योंकि किसान इस बीज को बोता ही नहीं है। वास्तविकता की जानकारी गांव-गांव सर्वे करवाकर ली जा सकती है।

महोदयजी, बीज निगम में जवाबदेही निश्चित की जावे तथा बीज निगम में कृषि विभाग को भी सम्मिलित किया जावे। वर्तमान में कृषि विभाग सिर्फ, और सिर्फ, अनुदान से सम्बन्धित कार्य करता है, जिसमें घोटाले ही घोटाले हैं। अनुदान चाहे पाइप पर हो, कृषि उपकरण पर हो, सोलर सिस्टम

(श्री नरेन्द्र नागर)

पर हो, सभी वस्तुएं घटिया होती हैं। यदि जमीन पर इनकी जांच की जावे तो वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

बीज निगम की वर्तमान व्यवस्था को तत्काल बंद कर बीज निगम की जवाबदेही निश्चित की जावे। बीज की शिकायत आते ही सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी को तत्काल दोषी ठहराया जावे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यदि किसान बीज में घोटाला करता है तो उसे भी दोषी ठहराया जावे। सम्बन्धित किसान को बीज निगम आजीवन प्रतिबन्धित करें, ताकि व्यवस्था नीचे से ऊपर तक ठीक हो सके।

प्रमाणित बीज का प्रोग्राम जिन किसानों को दिया जाता है, उनके खेतों की जांच कृषि विभाग व बीज निगम के अधिकारियों द्वारा हर पखवाड़े की जानी चाहिये, ताकि बीज की प्रमाणिकता बनी रहे।

वर्ष 2013 में राजस्थान में सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि से खराब हुई है जिसके लिए किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है, लेकिन बीज निगम के ठेकेदारों ने राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से सोयाबीन का मिश्रण खरीदकर राजस्थान बीज निगम को तुलवा दिया। इस बीज प्रोग्राम में खसरा नम्बर व गिरदावरी राजस्थान के किसानों की लगा रखी है, जो कि संशय की स्थिति पैदा करती है।

अतः महोदयजी, निवेदन है कि राजस्थान बीज निगम की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर, उचित जवाबदेही निश्चित कर, व्यवस्था में परिवर्तन किया जाये ताकि किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज मिले और ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध लगे।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

राजस्थान बीज निगम द्वारा बीज उत्पादकों को देय प्रीमियम में बढ़ोतरी

श्री ललित कुमार (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत कृषि के क्षेत्र में प्रीमियम बढ़ाने हेतु मेरा निवेदन है कि विगत कई वर्षों से राजस्थान बीज निगम द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम चल रहा है। वर्तमान में खाद, बीज, डीजल, दवाइयां, बिजली, परिवहन एवं कृषि कार्य में मजदूरी की दरें अत्यधिक बढ़ गयी हैं, जबकि निगम द्वारा बीज उत्पादक किसानों को ग्रेड बीज पर मात्र 200 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जा रहा है, जबकि अन्य निजी संस्थानों द्वारा रॉ बीज पर 200-250 प्रति क्विंटल

(श्री ललित कुमार)

का बोनस दिया जा रहा है। इस कारण निगम के बीज उत्पादक किसानों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है।

वर्ष 2011-12 में सरकार द्वारा गेहूं बीज उत्पादक किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल तथा वर्ष 2012-13 में 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रीमियम दिया गया था, लेकिन वर्ष 2013-14 में किसानों को मात्र 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रीमियम दिया गया है।

मान्यवर से निवेदन है कि वर्ष 2011-12 की भांति प्रीमियम को बढ़ाकर पुन: 600 रुपये प्रति क्विंटल प्रीमियम का भुगतान किया जाये, अन्यथा किसान बीज निगम से उत्पादन कार्यक्रम लेना बंद कर देंगे व अन्य निजी संस्थानों के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने लग जायेंगे। इस कारण अन्य किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध नहीं हो पायेगा। मैं आपके माध्यम से इस ओर माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि किसानों को उचित प्रीमियम के साथ-साथ न्याय मिल सके और किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज भी उपलब्ध हो सके।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। पर्ची के माध्यम से, श्री देवेन्द्र कटारा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

डूंगरपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा निर्दोषों को अनावश्यक परेशान किया जाना

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही मनमानी एवं क्षेत्र में अशांति बाबत निवेदन करना चाह रहा हूं।

डूंगरपुर जिला गुजरात की सीमा से सटा हुआ जिला है। गुजरात सीमा पार शराब की प्रतिबन्धता है। ऐसी स्थिति में, डूंगरपुर से जितनी भी सड़कें निकली जा रही हैं गुजरात की ओर, उन सड़कों से शराब, केमिकल और गौवंश की तस्करी होती है। वहां पर पिछले लम्बे समय से हम बार-बार निवेदन करते आये हैं और बाहर के तस्करों ने लोकल संरक्षण के लिए लोकल तस्करों को पैदा कर दिया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लोकल तस्करों के इशारे पर काम कर रहा है।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरी पंचायत मेवाड़ा है। मेवाड़ा में पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी में चार सिपाही और एक हैड कांस्टेबल की पोस्टें हैं। माननीय महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जून में रात्रि के समय नागरिक, जैन समुदाय के थे जो बैठे थे, रात्रि के समय में घर के बाहर ही। गर्मी का समय था, लाइटें नहीं थीं। पुलिसकर्मी शराब के नशे में गये और अकारण उन परिवारों पर, उन युवाओं पर लाठी चार्ज किया। इस मामले को लेकर कम से कम 500-700 युवा और वहां के लोकल सारे ग्रामीण, करीब चार-पांच पंचायतों के लोग इकट्ठे हुए और पुलिस द्वारा जिस तरह से, बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया, उसके विरोध में बातचीत की। बातचीत करने के बाद में भी पुलिसकर्मी अपने आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं भी मौके पर गया तो पुलिसकर्मियों ने, और मौके पर डीवाई एस पी भी आये और वहां थानेदार के बारे में पूछा गया तो कहा, थानेदार साहब छुट्टी पर हैं। मैं वहां पर गया तो वहां पर पुलिसकर्मियों ने, शरारती तत्वों ने मिलकर रोजनामचे में रपट डाली कि ये चौकी जलाने के लिए आये हैं।

माननीय महोदय, इतना ही नहीं, एक और ऐसा मामला मेवाड़ा चौकी का और थाने का है, जो पूरी तरह से बुलाकर, बेरहमी से, जैन समुदाय के एक युवा को मारा और मारने के बाद जो मुकदमा दर्ज हो जाता है, दर्ज होने के बाद में भी, जब वह सीधा, सरल स्वभाव का, उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन पुलिसकर्मी कुछ ऐसे गलत लोगों और तस्करों के माध्यम से रिपोर्ट लेकर धारा 3 एस सी, एस टी एक्ट के तहत झूठे मुकदमे में फांस दिया और साथ ही उसका जुर्म प्रमाणित करके चालान करने की स्टेज पर हैं। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब उसने कोई अपराध नहीं किया, कोई एक्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी एस.सी, एस.टी. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके चालान की स्टेज पर ला दिया, जबकि उस क्षेत्र में जहां घटना घटित होना बताया जा रहा है, वहां पर जाटव बस्ती एस.सी. बसी रहती है, एस.सी. के सारे के सारे लोग जब घटना कारित होना नहीं कह रहे हैं, वहां जांच में पूरी स्थिति सामने क्लीयर आ रही है। इसके बावजूद भी जैन समुदाय का जो व्यक्ति है, उसको धारा 3 एस.सी., एस.टी. एक्ट के माध्यम से फंसाने का षड्यंत्र पुलिस ने उन तस्करों के माध्यम से किया है।

ऐसा ही नहीं, अभी हमारे राजस्थान में महिला पुलिस थाने खोल रखे हैं और महिला पुलिस थानों में महिला थानाधिकारी और महिला कांस्टेबलों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती होती है, लेकिन स्थिति यह है कि डूंगरपुर में एक मात्र

(श्री देवेन्द्र कटारा)

महिला पुलिस थाना है, अभी जो ट्रांसफर हुए, उस ट्रांसफर में हमारे यहां एक महिला अधिकारी थी, उसको जेन्ट्स पुलिस थाने में भेज दिया जाता है और महिला पुलिस थाने का कार्यभार जेन्ट्स अधिकारी को दिया जा रहा है। अब महिला पुलिस थाना खोलने का औचित्य ही अपने आप में खतम हो जाता है। महिला अधिकारी होते हुए उसको इंटेशनली दूसरे थाने में भेज दिया जाता है।

इतना ही नहीं, हमारे यहां सदर थाना पुलिस है, वहां पर जेन्ट्स थानाधिकारी और सी.आई. रैंक के अधिकारी बैठते हैं और महिला पुलिसकर्मी, जो कांस्टेबल है....

श्री अध्यक्ष: आपने जो चिट में दिया है, उसी पर बोलिये। सारे पुलिस विभाग के बारे में नहीं।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): नहीं, उसी पर यही है।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलो-बोलो।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): रात्रि के समय 12 से लेकर 2 बजे तक जेन्टस कांस्टेबल होते हुए भी गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है और निवेदन करने के बाद, बार-बार, न तो हमारी सुनवाई होती है, न जनता की सुनवाई होती है और झूठे प्रकरण तैयार कर के इस तरह से किया जा रहा है।

(13.00 बजे)

मेरा माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि डूंगरपुर जिला वैसे शांतिप्रिय जिला है और सीमावर्ती जिला है लेकिन उस जिले में इस तरह से शरारती, बदमाश और तस्करों को पनाह देकर के, शहर में जो अशांति पैदा होने की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है, उस पर रोक लगायी जाए और स्थानीय स्तर पर मनमानी तरीके से जो ड्यूटियां लगायी जा रही हैं, जो वास्तव में ड्यूटी लगाने का, इस तरह रात्रि में महिला की जेंट्स की जगह 12 से 2 बजे, तब ड्यूटी लगाने का जो कृत्य किया है, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। यही बात मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाह रहा हूं।

साथ ही एक छोटा सा निवेदन और करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से धारा 3 एस.टी., एस.सी. एक्ट के तहत जो अकारण मुकदमा दर्ज कराया है और उसको चार्ज की स्टेज पर ला दिया गया है, माननीय गुलाबजी भाई साहब से भी हमने इस सम्बन्ध में निवेदन किया था, आपने भी कहा है,

(श्री देवेन्द्र कटारा)

पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से एक हथियार के रूप में, जब वहां पर ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ, ना कोई ऐसा झगड़ा हुआ है ...

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय में अपनी बात को जोड़ना चाहता हूं।

निश्चित रूप से सही बात है कि माननीय सदस्य ने सदन में अपनी जो भावना व्यक्त की है, बांसवाड़ा-डूंगरपुर है, आप स्वयं उस उदयपुर सम्भाग से विराजते हैं, बांसवाड़ा-डूंगरपुर दोनों ही जिले शांतिप्रिय हैं और पुलिस प्रशासन इस तरीके की कारगुजारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे हमारे कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर एट्रोसिटी के मुकदमे दर्ज कराये जाते हैं। हम लोग सही बात की वकालत करते हैं, इसलिए कहीं न कहीं ये दबाव में आकर के, कांग्रेस के लोग मिल कर के, इस तरह की कारगुजारी करवा रहे हैं। इसलिए मैं सदन से ...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, इसी बात में एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। नो, नो। मेरी अनुमति नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मेरी स्वयं की पीड़ा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं जायेगा यह। अंकित नहीं होगा। सुखराम विश्नोई। नो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान) मैं अनुमति नहीं दूंगा। श्री सुखरामजी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप अपने विषय को लाइये किसी और माध्यम से। नहीं, आप बैठिये। बैठिये। कृपा कर के बैठिये। कृपा कर के बैठिये। नहीं दूंगा मैं इजाजत। नहीं दूंगा, इस तरह बीच में चाहें जब। नहीं, नहीं। प्लीज। इस तरह बीच में इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप भी चिट देते। बैठिये। नो, नो। सुखरामजी विश्नोई। यह बीच में खड़े हो गये। क्या बात कर रहे हैं। बैठिये। फिर कहते हैं कि कठोर होते हैं।

गौशाला संरक्षण व संवर्द्धन के सम्बन्ध में भाजपा सरकार द्वारा घोषणा-पत्र के अनुसार कार्यवाही नहीं किया जाना

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं। सरकार में बैठे हुए जो हमारे मंत्री गण हैं और सत्ता पक्ष के जो सभी विधायक गण जीत कर आये हैं, उन्होंने चुनाव में नारा दिया था; नारे के साथ-साथ बी.जे.पी. का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में गौवंश के संवर्धन, संरक्षण के लिए कुल 17 पाइंट घोषणा पत्र में डाले गये थे। उन 17 पाइंट में से चार-पांच जो महत्वपूर्ण पाइंट हैं, एक बात चौथे नम्बर पर कही गयी थी कि बरसात के तीन महीने छोड़ कर के नौ महीने तक हम गौशालाओं को अनुदान देंगे। हमारे माननीय पंचायत राज मंत्री बड़े भावुक और बड़े सहनशील, हर बात को सहज रूप से सुनते हैं, वे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और गायों की पैरोकारी सदैव करते रहे हैं, नौ महीने अनुदान की बात कही और नौ महीने के बदले, पिछली कांग्रेस सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर के अप्रैल, मई और जून, तीन महीने का अनुदान, चाहे बरसात हो, चाहे अकाल हो, तीन महीने का अनुदान देना हर साल के लिए निश्चित किया; यह नौ महीने की बात दूर रही, तीन महीने का अनुदान भी इस सरकार ने नहीं दिया। न कोई बजट में घोषणा की गयी।

इसके साथ-साथ पिछली सरकार ने गौ निदेशालय खोला और 120 करोड़ रुपये उसके खाते में डाले और पिछली सरकार के कार्यकाल में 70 करोड़ रुपये फिर से बचे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही इनकी सरकार आयी, वे 70 करोड़ रुपये उस गौ निदेशालय में से विथड्रा कर लिए गये।

इसके साथ-साथ इन्होंने घोषणा पत्र में एक मांग और रखी थी कि जितनी भी गौशालाएं हैं और उन गौशालाओं में जो लेबर काम कर रही है, उन तमाम लेबर को हम नरेगा स्कीम के तहत ट्रीट कर के उनको भी हम राहत प्रदान करेंगे।

इसके साथ-साथ, यह जो क्रम संख्या चार पर है कि जितने भी सम्भाग हैं, हर सम्भाग स्तर पर एक गौ अभयारण्य खोलेंगे, यह भी घोषणा-घोषणा पत्र में की गयी। इसके साथ-साथ, ऊंट को तो राज्य पशु घोषित किया है, गाय को भी राज्य पशु घोषित करने का घोषणा पत्र में लिखा गया था। इसके साथ-साथ में, यह जो गौ निदेशालय बना है, उसका हम सुदृढ़ीकरण करेंगे, इस बाबत भी घोषणा पत्र में कर के कहा।

(श्री सुखराम विश्नोई)

हमारे माननीय चतुर्वेदीजी पहले भा.ज.पा. के अध्यक्ष रहे हुए हैं और गायों के बारे में, कत्लखाने बंद होने चाहिए, गायों की तस्करी नहीं होनी चाहिए, गायों का परिवहन सही तरीके से होना चाहिए, इस तरह की गौ रक्षा की मांगें लेकर के ये और इस सत्ता पक्ष के लोगों ने कई बार आन्दोलन किये और जब वोट मांगने गये तब इन्होंने एक ही बात कही कि गाय हमारी माता है और आप वोट दो, मतदाता। यह हमारी गाय मां है, हमें वोट दो, इस बात को कह कर के सब ये सत्ता में आये।

मैं आपको चेताना चाहता हूं कि जिस तरह का बजट पेश किया गया है, एक पैसा भी अनुदान के रूप में मार्च, अप्रैल, मई, नौ महीने की बात कर रहे थे, तीन महीने नहीं दिये। अब सवा चार साल बचे हैं, जिस तरह का नारा लगा कर आप लोग गये थे और जब पुन: जाओगे तो जिस तरह से एक बच्चे ने लिखा था कि गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है और मास्टरजी ने लिखा, बैल हमारा बाप है, नम्बर देना पाप है; यही बात आपको कहेंगे, बैल हमारा बाप है और आपको वोट दें वह महा-पाप है।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की बातें कह कर के सत्ता में आये थे और सत्ता में आने के बाद गायों को भूल गये, गायों के लिए कुछ नहीं दिया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। माननीय पंचायत राज मंत्री वहां गौशाला में आये हुए हैं; जो माननीय समाज कल्याण मंत्री हैं वे भी आये हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत इन सभी सत्ता के मंत्री गण से और जो विधायक साथी हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी भाग्यशाली हैं कि हमारे जालोर-सिरोही से आपने भी लोक सभा का चुनाव लड़ा था, तो उस गौशाला के अन्दर 25 हजार पथमेड़ा गायें हैं, उसकी दस ब्रांचें हैं। एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में 15 हजार की नन्दी गौशालाएं हैं। इन नन्दी गौशालाओं समेत कम से कम एक लाख मवेशी पूरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। इसके अलावा सिरोही में अलग से है। यह जगसी रामजी कोली, जो रेवदर से आ रहे हैं, उनके वहां भी बहुत बड़ी गौशाला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि आज से दो दिन पहले वहां पथमेड़ा में मीटिंग हुई; मीटिंग होने के बाद में अख़बार में लोगों ने अपील की कि चारे के गोदाम पूरे खाली पड़े हैं, जितना भी पशुधन है

(श्री सुखराम विश्नोई)

वह मौत की कगार पर है। एक प्रेस नोट जारी किया, पर्चे जारी किये गये गौशाला की तरफ से। उसमें स्पष्ट रूप से यह पैम्फ्लेट जारी किया गया, उसमें लिखा गया, गौ सेवार्थ सार्वजनिक करुण प्रार्थना, यह गाय प्रार्थना कर रही है कि हमारे बल पर आप सत्ता में आये हो, हमारी तो कुछ सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि यह जो पर्चा जारी किया गया, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिस बल पर ये सत्ता में आये, हमारा अनुदान नहीं दे रहे हैं। यह खाता नम्बर लिखे हुए हैं, मेरा सभी माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य और हमारे साथ जो बैठे हैं, सभी से निवेदन है कि यह जो आनलाइन खाते हैं, उन खातों में, सरकार तो नहीं दे, कम से कम आप तो एक-एक महीने की तनख्वाह उसमें डालो ताकि जो गायें बैठी हैं, गायें जो मर रही हैं, उनको राहत मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि गोपालन निदेशालय खोला गया, उसमें रकम दी गयी। जब आपकी सरकार ने गोपालन निदेशालय खोला है, ऐसा बजट भाषण में लिखा है, हमने पढ़ा है, जब गोपालन निदेशालय खोला तो कम से कम उस फंड के अन्दर, आज जब जवाब आये सदन की नेता का, तो उसमें यह बात आनी चाहिए कि हम गायों के संरक्षण, संवर्धन के लिए इतने करोड़ रुपये उसमें देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, मेरे जालौर जिले में जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आ रहा हूं, वहां अकाल डिक्लेयर नहीं हुआ है। मैं 5 दिन भूख-हड़ताल पर इसलिए बैठा था कि गिरदावरी पूरी चेंज कर दी। पहले गिरदावरी अलग थी, उसके बाद में गिरदावरी अलग दी गयी। मैंने पंचायत राज मंत्रीजी को मेरी पूरी व्यथा बतायी थी और उन्होंने इस बात को कबूल किया था कि मैं इस बात पर कार्यवाही करूंगा। 63 परसेंट गिरदावरी की कम गिरदावरी कर दी। 50 से अबोव गिरदावरी होती है तो वहां फेमिन डिक्लेयर होता है। उसमें राज्य सरकार को कुछ नहीं देना पड़ता, पूरी की पूरी व्यवस्था भारत सरकार करती है। अगर फेमिन डिक्लेयर होता तो हमें 3-4 महीने का अनुदान मिलता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस विशेष अनुदान के अलावा, जहां पूरे प्रदेश के अन्दर अकाल डिक्लेयर था, उन गौशालाओं में भी अनुदान नहीं पहुंचा है, आज तारीख तक। तीन महीने का प्रावधान है, अप्रैल, मई, जून का प्रावधान है, 2 महीने की बात कर रहे हैं देने की, अब मई और जून का देने की बात कर रहे हैं।

(श्री सुखराम विश्नोई)

मैं पंचायत राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस जैन धर्म से हैं, आप गायों की पूजा करते हैं, गायों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं; हम विश्नोई समाज के लोग बड़े संवेदनशील हैं। अध्यक्ष महोदय, सत्ता में आकर बैठे हैं। जितनी भी गौशालाएं राजस्थान में हैं, वे अपनी तरफ देख रही हैं कि हमें अनुदान मिलेगा, अनुदान मिलेगा, लेकिन जहां अकाल डिक्लेयर हुआ है उन जिलों में तो अनुदान मिलना चाहिए। उन जिलों में भी अनुदान नहीं मिला है।

मेरे पास पिछले दो दिनों में कई टेलीफोन आ रहे हैं कि तुम तो जीतकर वहां चले गये, वहां जाकर के बैठे हो, गायें मर रही हैं और तुम आराम से बैठे हो। मैंने, अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के लोगों से कह दिया है और स्पष्ट तय किया है कि या तो आप आज घोषणा करायें मंत्रीजी से कि अनुदान हम रिलीज करेंगे। 9 महीने की बात आप छोड़ो, आपके घोषणा-पत्र में, बी जे पी के घोषणा-पत्र में 9 महीने के अनुदान की बात थी लेकिन हम 9 महीने की बात नहीं करते हैं, 3 महीने का अनुदान तो हमारे को दे दो। तो भी हमारे सफिशिएंट मामला है।

अध्यक्ष महोदय, 3 महीने के अनुदान का आश्वासन आप मुझे नहीं देंगे तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं किसी भी सूरत में नहीं मानूंगा, वेल में आकर के भूखा बैठूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। या तो आप घोषणा करवा दो, क्योंकि वह बिलकुल मूक पशु है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, मन में यह बात तो उनके है कि सुखराम सही बोल रहा है लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, क्या पता नम्बर लगे या नहीं लगे। इसलिए जान-बूझकर सब चुप बैठे हैं। मन में हरेक के बात है कि यह बात सही कह रहा है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): गायों की वजह से जीतकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जवाब दिलाया जाये। जवाब अगर नहीं आता है तो यहां वेल में बैठूंगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक सांचौर ने हमारे घोषणा-पत्र को

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यह समझकर के पढ़ा कि यह पहले दिन ही सारी चीजें लागू हो जायेंगी। कोई भी घोषणा-पत्र 4-6 महीने में ही पूर्णतया लागू हो जायेगा, ऐसा ना कभी पहले हुआ हिन्दुस्तान में और ना आज हो सकता है। क्रमशः, जैसे-जैसे सम्भव हो सकता है, हर साल में उसको कवर करते हुए कोशिश करते हैं कि 2-3 साल में हम उन सब बिन्दुओं को प्राप्त कर लें। यह जो घोषणा-पत्र है, ऐसा नहीं है कि सरकार बनते ही लागू कर दिया जाये। यह जो 9 महीने की घोषणा की, यह 2014 में ही पूरा करने का उसके आगे नहीं लिखा था। लेकिन यह हमारा वादा है कि जो हमने घोषणा की है, उस घोषणा-पत्र को हम निश्चित रूप से इसी कार्यकाल में पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुदान देने का सवाल है, आपदा प्रबंधन विभाग ने आपके सभी जिला कलक्टर कार्यालयों में, आप दिखाना, हमने अपने यहां से पत्र लिखकर के भेजा कि जहां-जहां अकाल की स्थिति है उन गौशालाओं का डिटेल आप भेजो ताकि हम उनको अनुदान रिलीज कर सकें। जिन जिला कलक्टरों ने समय पर अपनी सूचनाएं भेजीं, उनको हमने 3 महीने का अनुदान दे दिया। लेकिन उन्हीं में दिया जिनमें अकाल घोषित था; जिसमें अकाल घोषित नहीं था, उसमें हमने जारी नहीं किया। क्योंकि आपदा राहत प्रबंध के जो नियम हैं केन्द्र सरकार के, उनकी पालना करके हमने पैसे को रिलीज किया है। मैं आज भी, अगर किसी कलक्टर की गलती के कारण से कहीं से रिकार्ड नहीं आया है, एक, या जो गौशालाओं को चलाते हैं, उन लोगों ने अपना स्वयं का पूरा हिसाब समय पर कलक्टर को उपलब्ध नहीं कराया, इन दोनों में कहीं न कहीं कमी के कारण से उनको पैसा नहीं पहुंचा, जो अकाल घोषित क्षेत्र थे वहां पर, ...।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रहा सवाल पथमेड़ा का, बहुत अच्छी और विश्व की प्रसिद्ध गौशाला है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन वह क्षेत्र अकाल में नहीं आने के कारण से यह पैसा हम रिलीज नहीं कर सके। आपने देखा होगा कि पिछले 2009-10 में अकाल के समय में अकेले इस गौशाला को 11 करोड़ रुपया दिया गया था। कोई सामान्य सरकार, आपकी रही हो, चाहे मेरी रही हो, जो नार्म्स में आता है उसके हिसाब से उसको पैसा दिया।

पिछली बार जो आपकी सरकार ने घोषणा की कि हम सबको 3 महीने का अनुदान देंगे, वह तो इसलिए देंगे क्योंकि सामने चुनाव था। अगर इतने ही दयालु थे तो आते ही कर देते ना, 4 साल में से 3 साल कुछ मिल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जाता। तो हम देखते तो सही कि आप कितने दयालु हो। केवल इसलिए घोषणा की थी, करना आपको कुछ था ही नहीं, क्योंकि छाती पर चुनाव खड़ा है, इसलिए घोषणा करके उसको निपटाने का काम किया।

मैं आज भी सदन में इस बात का वादा करता हूं कि हमने अपने घोषणा पत्र में जो बात लिखी है, उसको निश्चित रूप से हम जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा कोई साल नहीं लिखा कि हम 2014 में पूरा कर देंगे, या 2015 में पूरा कर देंगे। घोषणा-पत्र 5 साल के अन्दर काम को पूरा करने का होता है। सरकार के पास जैसे-जैसे अपनी आर्थिक स्थिति बनती जाती है, उसके अनुसार करेंगे। लेकिन यह कहकर के कि हमने गौ संवर्धन निदेशालय और यह बनाया, आपने तो जिंदगी भर तक, 65 साल तक राज किया लेकिन गाय के बारे में कुछ नहीं आया। गाय, गाय जो चिल्लाना शुरू हुआ ना, यह हमारे बार-बार आग्रह के कारण आप भी बोलना सीखे हो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। इस पर बहस नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 3 महीने का अनुदान तो दिया जाये, 3 महीने का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इतना समय दे चुके हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधान मंत्री होते हुए डेढ़ करोड़ रुपये उस वक्त दिये थे पथमेड़ा गौशाला को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पर बहस नहीं होगी ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि गायें मर रही हैं, कम से कम अप्रैल, मई और जून का तो दिया जाये। यह तो व्यवस्था की जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप चैम्बर में मिल लीजिये मंत्रीजी से। इस पर बहस नहीं होगी।

श्री गौविन्द सिंह डोटासरा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बात यह है कि मना अभी कर रहे हैं तो चैम्बर में क्या मिलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप मिल लीजिये। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 महीने का तो दिया जाये। (व्यवधान) 3 महीने का रेगुलर तो दिया जाये। हम 9 महीने की बात नहीं कर रहे हैं। आपके घोषणा-पत्र की भले ही आप पालना नहीं करो, 3 महीने का अनुदान तो दिया जाये। (व्यवधान) गायों को 3 महीने के अनुदान की तो घोषणा करायी जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वे अपना जवाब दे चुके। अब आप उनसे चैम्बर में मिल लें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): चैम्बर में मिलकर क्या करेंगे? वहां दूसरी बात होने वाली नहीं है। 9 महीने की नहीं, 3 महीने की बात कर रहे हैं। रेगुलर मांग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके हिसाब से जवाब नहीं आयेगा। बार-बार मैं आपसे कह रहा हूं कि स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आयेगा तो हम कहां जायें? गायें मर रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हम तो बैठेंगे वेल में, भूखे। ठीक है। (व्यवधान)

(श्री सुखराम विश्नोई, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये ...(व्यवधान) गोविन्द सिंह डोटासरा।

एक माननीय सदस्य: गायों का मामला है।

राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ती अपराध की घटनाएं

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

पिछले 6-7 माह से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारी माननीया मुख्य मंत्री, महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद भी प्रदेश में विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में अपराध का आंकड़ा बढ़ा है। आप एक-एक को अगर ले लीजिये तो निश्चित रूप से इन 6 महीनों में, विशेषकर के महिलाओं के साथ में अत्याचार के मामले बहुत बढ़े हैं। एक-एक मामला बताऊंगा तो समय लगेगा। (व्यवधान) रुक जाओ। रुक जाओ।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): भंवरी का बता दो। बाबूलाल जी नागर का बता दो। (व्यवधान) बहुत लम्बा इतिहास है महिलाओं पर अत्याचार का आपका। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: विपक्ष का नेता बनने की होड़ लगी हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक-एक मामले पर मत जाइये, आप जनरल बोल लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे आसन के आदेश की अवहेलना हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आसन का आदेश तो आप मानते ही हैं। मेरी मानें, जनरल बोल लीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भीलवाड़ा में चलती बस में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। यहां पर शाहपुरा में दुष्कर्म के बाद विधवा की हत्या की गई। डूंगरपुर में किशोरी को बंदी बनाकर दरिंदों ने हवस का शिकार बना लिया। जयपुर-आगरा हाइवे पर तीन पेट्रोल पम्पों को लूटा गया। चार माह में एक आई ए एस फरार है। उसको भी अभी तक नहीं पकड़ा गया, चार महीने में। दलित महिला के साथ टोंक में गैंग रेप हुआ। उसके बाद में तीन घण्टे में उदयपुर में चार-चार पेट्रोल पम्प लूटे गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महिला थानों में महिला कांस्टेबल इस राज में इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। आज जयपुर शहर अकेले में हर महीने चार सौ वारदातें बढ़ रही हैं। चार सौ वारदातें, माननीय अध्यक्ष महोदय। महिलाओं के साथ इन छह महीनों में ...(व्यवधान) यह, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी जी, आप कोई साधारण माननीय सदस्य थोड़े ही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप पूरे राजस्थान की कानून-व्यवस्था का विवेचन कर रहे हो। यह क्या है?

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सदस्य, पिछली सरकार के कार्यकाल में गैंगल में महिला कांस्टेबल का पुलिस थाने में बलात्कार हुआ

(श्री नाना लाल अहारी)

था। आप जो भाषण दे रहे हो, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आपके राज में महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार किया और हत्या कर दी थी। ऐसा जघन्य अपराध तो इस राज में एक नहीं हुआ। (व्यवधान) आप इसका जवाब दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको अलाऊ कर रहे हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आरोप-प्रत्यारोप का रास्ता आप खोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): तीन मंत्री, एक भंवरी काण्ड ही काफी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): महिलाओं के साथ अत्याचार में सात महीने में दुगनी बढ़ोतरी हुई है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एक भंवरी काण्ड, भंवरी काण्ड, भंवरी काण्ड, एक भंवरी काण्ड ही काफी है और तीन-तीन मंत्री और विधायक आपके महिलाओं के साथ अत्याचार करने में थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उकसायें नहीं। केवल जयपुर शहर में 2013 में ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इनके राज में एक महिला के साथ थाने में पुलिस वालों ने बलात्कार किया, कांग्रेस के राज में। (व्यवधान) आज इनको याद आ रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) 2012 में 45 थे, वह बढ़कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, 53 हो गये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इन्होंने पांच साल तक यही व्यवस्था की है, आपने। (व्यवधान) क्या हो गया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 2013 में 85 थे जयपुर शहर में, यह बढ़कर केवल 6 महीने में 93 का आंकड़ा पार कर गये। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' वाली बात है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप लूट का मामला ले लीजिये, 2012 में केवल जयपुर शहर में 57 मामले हुए थे और आपके इस शासन में इन छह महीनों में 301 लूट के मामले हो गये हैं। (व्यवधान) अपहरण का मामला ले लीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2012 में केवल जयपुर शहर में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक बात बताऊं, आरोप-प्रत्यारोप का रास्ता मत पकड़ो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आरोप कौन लगा रहा है? मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आरोप नहीं। यह ऐसा है कि जब आप कुछ मामले रेफरेंस करेंगे तो सरकारी पक्ष के लोग भी बोलेंगे। तो आरोप-प्रत्यारोप, आपके पास दो मिनट हैं, आप जल्दी खतम कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पुलिस विभाग के आंकड़े हैं, उन पर जा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी खतम कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे एस पी हैं अलवर में, एस पी अलवर में एक ऐसी-ऐसी स्कीम निकाल रखी है, ऐसे-ऐसे आदेश निकाल रखे हैं, कोबरा टीम...

श्री अध्यक्ष: जल्दी खतम कीजिये। होम डिपार्टमेंट की मांग पर आप बड़ा भाषण दे सकते हैं, अभी नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं होम पर नहीं कह रहा हूं, अपराध पर कह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: नहीं। पर्ची से लम्बा भाषण नहीं दे सकते आप। पर्ची से आप इतना लम्बा भाषण नहीं दे सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपराध पर नहीं बोलूंगा?

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़। इनका एक शब्द अंकित नहीं होगा। श्री मदन राठौड़। (व्यवधान) पर्ची से आप लम्बी बहस करना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: दो मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, अंकित नहीं हो। मैं नहीं अलाउ करूंगा। अंकित नहीं हो। यह अधिकार मेरे पास है। यह क्या बात है कि पर्ची के माध्यम से आप एक-एक घण्टा बोलना चाहते हैं। क्या मतलब है। अब नहीं बोलने दूंगा। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: दो मिनट ले लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट। हां, धन्यवाद। एक अलवर सदर थाने में 525 नम्बर की एफ आई आर दर्ज हुई है 15 तारीख को और इस सरकार में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) उस पर आज तक कार्यवाही नहीं हो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): पर्ची के माध्यम से यहां पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं चलेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। इधर का कोई शब्द अंकित नहीं हो रहा है, इसलिए आप व्यवस्था का प्रश्न मत उठाइये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मतलब, विधान सभा में ये इस तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं और फिर हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक हमको उपदेश देते हैं। कैसे बिठाऊं उनको, आप बता दो। (व्यवधान) दे दिये दो मिनट। बैठ जाओ। (व्यवधान) नहीं बोलने दूंगा मैं। (व्यवधान) मेरी बिना आज्ञा के नहीं बोलने दूंगा। बैठ जाओ आप। नहीं बोलने दूंगा। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। नाटक मत कीजिये, बैठ जाइये। (व्यवधान) जाओ, जाओ, जाना हो तो जाओ। (व्यवधान) यह बाधा जिस तरह की उत्पन्न कर रहे हैं, देखिये, प्रतिपक्ष के नेताजी, मैं लिबरल भी चलता हूं लेकिन इसका

(श्री अध्यक्ष)

मतलब यह नहीं है कि यह अभी कह रहे हैं कि चलो, चलो। तो चलो, जाओ। (व्यवधान) आप बैठ जाओ। (व्यवधान) हां, विपक्ष के नेता बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने जो बात उठाई है, उससे पहले बात पूरी नहीं की। बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसी सरकार के मंत्री के पुत्र के द्वारा...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से आरोप लगाने का।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये। मेरी इजाजत से बोलिये। (व्यवधान) मैं हाउस में व्यवधान पैदा करने की इजाजत नहीं दूंगा। यह हाउस में डिस्आर्डर पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं बोलने देता। मैं विधान सभा के इस पवित्र सदन को आपके द्वारा दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ आर्डर। राजेन्द्रजी। केवल राजेन्द्र सिंहजी, संसदीय मंत्री, उसको आप नोट कीजिये, बाकी कोई और नोट नहीं होगा। इस प्रांगण का दुरुपयोग करना चाहते हैं। यह मेरे रहते नहीं हो सकेगा, आपको कह दिया प्रतिपक्ष के नेता।

पाइंट आफ आर्डर। केवल पाइंट आफ आर्डर। केवल पाइंट आफ आर्डर है। पाइंट आफ आर्डर है, आप जानते हैं, आप लोक सभा में भी रहे हैं, जब पाइंट आफ आर्डर आता है, तो सब चुप हो जाते हैं। मैं पाइंट आफ आर्डर अलाउ कर रहा हूं। आप विराजिए।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्य सरकार को जानकारी हेतु प्रेषित विषय पर अन्य माध्यम से चर्चा नियम-बाह्य

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह नीली किताब जिसको हम हमारी विधान सभा के नियमों के रूप में बाइबिल, महाभारत, कुछ भी कह सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 208(1) के तहत कुछ नियम बने हुए हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इसके नियम 52 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, ''Restrictions on right to make motion." अध्यक्ष महोदय, नियम 51 के अन्दर आपने स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था दे रखी है। नियम 52 (5) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा, ''प्रस्ताव में उस विषय की पूर्वाशा न की जायेगी जो विचार के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो। यह निर्धारित करने के लिए कि पूर्वाशा के आधार पर चर्चा नियम-बाह्य है या नहीं...,'' अध्यक्ष उचित समझे उसका निर्णय करे।'' अध्यक्ष महोदय, यह लिख रखा है, ''the motion shall not revive discussion...'', यानी जिस मामले में आपने एक बार यह व्यवस्था यहां से दे दी। आज सुबह स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह बात आयी थी और आसन से यह व्यवस्था हो गयी थी कि आपने सरकार को इसको जानकारी के लिए इसको भेज दिया और आप समय निश्चित करेंगे। 52(5) यह कहता है कि जो विषय यहां उठ चुका है जिस पर आसन ने व्यवस्था दे दी है उस पर दुबारा विचार नहीं किया जा सकता, उस पर अनुमति नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि आसन जिस पर आप विराजें हैं, इस पर कभी भैरोंसिंह जी शेखावत बैठा करते थे। इस आसन का बड़ा सम्मान है। आप जब खड़े होते हो, हमारे मन में इच्छा रहती है कि हम सब लोग बैठ जाएं और आपको सुनें। आप इस किताब का अध्ययन कर लें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर स्पेसिफिक यह है कि आपने 52(5) के तहत पहले अनुमति दे दी इसलिए अब इस विषय पर डिस्कसन नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। श्री मदन राठौड़।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं जानता हूं, आप क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। आपने मेरे चैम्बर में आकर कहा है कि हम उठाएंगे; मैंने कहा, मैं रूलिंग दूंगा। आज मैंने इस विषय पर रूलिंग दे दी। अब नहीं बोलेंगे पर्ची के माध्यम से। (व्यवधान) बैठिए आप। (व्यवधान) होम डिपार्टमेंट की जब मांगें हों, तब करना। (व्यवधान) बैठिए आप। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप अपने सचेतक को बिठाइये। ये सदन में जिस तरह से बाधा डाल रहे हैं, वह मैं अलाउ नहीं करूंगा।

मदन राठौड़। केवल मदन राठौड़ बोलेंगे। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। बैठे हो तो मेरा आदेश मानना पड़ेगा। मेरा आदेश मानना पड़ेगा, इसलिए बैठे हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान) यह मेरा अधिकार है। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बात सुनने में समय सीमा निर्धारित होती है और हर समय समय सीमा के अन्तर्गत बोलना पड़ता है। समय सीमा को आप अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते। नहीं दे सकता। आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, नहीं दूंगा इजाजत। आप मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, नहीं दूंगा इजाजत। आप सदन में बाधा पैदा कर रहे हैं, नहीं दूंगा इजाजत।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

व्यवस्था

जिस विषय पर पूर्व में चर्चा/व्यवस्था हो चुकी है उस पर पुन: चर्चा नहीं हो सकती

श्री अध्यक्ष: कोई संगीन मामला नहीं है। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। संसदीय मंत्री ने जो औपचारिक पाइंट आफ आर्डर उठाया है, मैं उस पाइंट आफ आर्डर को स्वीकार करता हूं और मैं विपक्ष के नेता को कहता हूं कि जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है उस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दूंगा। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मिस्टर बेनीवाल। मिस्टल बेनीवाल। अपने स्थान पर जाइए, आपका स्थान वहां है। आप अपने स्थान पर जाइए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं आप अपने स्थान पर जाइए। आप अपने स्थान पर जाइए। आप अपने स्थान पर जाइए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: बाहर ले जाओ। माननीय विधायक, बाहर ले जाओ इनको। ये आपसे बात करने आये हैं तो बाहर ले जाओ, प्रेमपूर्वक बात करो। बैठ जाइए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, पीछा नहीं कर रहा हूं मैं। आपका स्थान कहां है बैठने का? यह कोई तरीका है? यहां बैठ जाइये। (व्यवधान) मैं विनम्र जनतांत्रिक सेवक हूं आपका। मैं जनतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत आपका विनम्र सेवक हूं, मेरी विनम्र सेवा को स्वीकार कीजिए।

(माननीय सदस्य डा. किरोड़ी लाल व श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गोलमा भाभी को तो साथ ले जाओ।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़। मदन राठौड़ हैं या नहीं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हैं, गोलमा भाभी माननीय सदस्य हैं। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने उनको धमकी दी है, इनको धमकाया है। यहां पति-पत्नी का रिश्ता नहीं है, यहां सभी माननीय सदस्य हैं। भाभी, आप खड़ी हों। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। (व्यवधान) अब स्थान ग्रहण कीजिए।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। प्रतिवेदन। श्री राजेन्द्र राठौड़।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) (वर्ष 2012-13)

1- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राज्य वित्त);

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) (वर्ष 2012-13)

2- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं. 2);

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2012-13)

3- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं. 3);

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2012-13)

4- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं. 1);

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) (वर्ष 2012-13)

5- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं. 4); एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) (वर्ष 2012-13)

6- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं. 5)।

श्री अध्यक्ष: श्री युनुस खान।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2012-13 व अंकेक्षण रिपोर्ट

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33 (4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे वर्ष 2012-2013 एवं अंकेक्षण रिपोर्ट मय अंकेक्षण प्रमाण-पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अर्जुन लाल।

याचिका

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार दो निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बिलाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 से लाम्बा तक डामरीकृत सड़क का निर्माण

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग–112 से ग्राम लाम्बा तक डामरीकरण सड़क निर्माण करवाने बाबत् ; एवं

खारिया मीठापुर ग्राम (बिलाड़ा) में मीठे पानी का ट्यूबवैल खोद उच्च जलाशय का निर्माण

(2) जोधपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम खारिया मीठापुर में नये मीठे पानी का ट्यूबवैल खोदकर पानी की टंकी (उच्च जलाशय) का निर्माण कर जोड़ने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोला जाना

(1) उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ (अजमेर) के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने बाबत; एवं

किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय में नवीन 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना

(2) उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ (अजमेर) में पर्याप्त एवं सुचारु विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त नवीन 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना की स्वीकृति बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीम व देवगढ़ में डीप फ्रीजर की सुविधा की उपलब्धि

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीम एवं देवगढ़ में डीप फ्रीजर की सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत ; एवं

भीम की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु बीसलपुर से जोड़ा जाना

(2) भीम विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु बीसलपुर पाइप लाइन से जोड़ने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

नदबई (भरतपुर) क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर डामर सड़क का निर्माण

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, नदबई (भरतपुर) क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर डामर सड़क निर्माण कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह।

शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय एवं आई.टी.आई. खोला जाना तथा शेरगढ़ के राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय का शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नयन

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय एवं आई.टी.आई. खोलने तथा ग्राम पंचायत शेरगढ़ के राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु स्वीकृति जारी कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य की ओर से उत्तर होगा। मैं आज के वाद-विवाद को प्रारम्भ करने के लिए...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू था मेरे सामने कि हमारे चार विधायकों का परिवार खतरे में है। जो चार मकान हैं...

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल। यह सूचना आप दे चुके। यह नहीं होगा। आप विराजिये। आपने मेरी अनुमति नहीं ली है, आप विराजिये। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा, आप कह चुके हैं। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सरकार के नालेज में ही नहीं आया। (व्यवधान) मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप पहले भी ध्यानाकर्षित कर चुके। नहीं, आप विराजिये। बिना अनुमति के नहीं। आप विराजिये। आप विराजिये। सरकार बैठी है, आप बात कर लो। जोगाराम जी, बैठिये आप। मेरी अनुमति के बिना नहीं।

श्री प्रहलाद गुंजल। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से मैंने एक सूचना दी है कि कश्मीर में गोलीबारी हो रही है और 200 यात्री फंसे हुए हैं, कोटा के लोग फंसे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: यह अभी इन्फार्मेशन नहीं देना है। आप विराजिये। प्रहलाद गुंजल।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान 2014-15 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रखा है। मैं बहुत ही ईमानदारी से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण के पैरा नम्बर 4 में सदन और राजस्थान की जनता के साथ बहुत खुले मन से राज्य के वित्तीय हालातों को शेयर करते हुए, पैरा नम्बर 4 से 9 में, लगातार पिछले 15 सालों से जो इस राजस्थान ने वित्तीय उतार-चढ़ाव देखे, पिछली सरकारों का वित्तीय कुप्रबन्धन और उसके कारण राजस्थान के आर्थिक हालातों पर पड़ने वाले प्रभाव, इस सब का जिक्र किया है। माननीय अध्यक्ष

(श्री प्रहलाद गुंजल)

महोदय, मैं उन आंकड़ों में बहुत अधिक जाना नहीं चाहता, लगातार तीन दिन से चल रही बहस में सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तारपूर्वक आंकड़ों पर चर्चा की है, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बजट में जो मुख्य मंत्रीजी ने अपना विजन राजस्थान की जनता के सामने रखा है, स्वाभाविक रूप से इस बात का आगाज है कि जनता के भारी समर्थन से माननीया वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में गठित सरकार कदम-दर-कदम इस राजस्थान को सम्पन्न और लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अग्रसर हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट इस बात का संकेत देता है कि राजस्थान की आर्थिक दृष्टि से कमजोर जनता को अब दया के सहारे जीने का आधार नहीं दिया जा सकता, उसको स्वाभिमान और, आत्म-सम्मान के साथ जीवन जीने के अवसर संयोजित किये जाने चाहिए। बहुत ही स्पष्ट रूप से मुख्य मंत्री जी ने अपनी इस धारणा को रखा है और माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट संकेत दे रहा है। 1977 में इस सदन के नेता, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत चुने गये, अन्त्योदय योजना लागू की गई। पिछले 30 सालों में राजस्थान की सरकार के कुप्रबन्धन से राजस्थान का वह व्यक्ति जो अंतिम किनारे पर चला गया है, हम उसका उदय करेंगे। आज फिर से राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में दोहराया है कि अन्त्योदय हमारा नारा नहीं, अन्त्योदय हमारा संकल्प है। इसलिए हम राजस्थान के उन तमाम वर्गों को जो लगातार पिछले 66 सालों से उपेक्षा का दंश झेलते हुए चले आ रहे हैं, उनको उनका हक देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संकेत दिया है कि राज्य की आय का एक-एक पैसा, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होता है, उसके खून-पसीने की कमाई का पैसा होता है, वह राज्य का जरूरतमन्द आखिरी व्यक्ति, जो गरीबी की अंतिम सीमा तक बैठा है, उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार के अवसर पैदा कर, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए खर्च किया जाए।

इसीलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो पैरे पढ़कर सुनाऊंगा, जो सम्पूर्ण बजट में महत्वपूर्ण दृष्टि से मुख्य मंत्रीजी ने अपना लक्ष्य रखा है। मुख्य मंत्रीजी ने अपने इसी विजन के आधार पर इस बजट में राज्य की 67 प्रतिशत आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा, अगले पांच वर्षों में 15 लाख लोगों के रोजगार के अवसर, हर पंचायत में माध्यमिक विद्यालय, हर पंचायत स्तर पर आई.टी. सर्विस केन्द्र, भामाशाह योजना को पुन: प्रारम्भ करना, 20 हजार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

किलोमीटर राजस्थान में सड़कें, हर पंचायत में गौरव पथ, राज्य में नई पर्यटन नीति, 16 हवाई पट्टियां, राज्य में तीन इंजीनियरिंग कालेज, केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम के 66 माडल स्कूल का कहा है। यह जरूरत है, आज की आवश्यकता है। अंग्रेजी अन्तरराष्ट्रीय आधार की भाषा है। यह चिंतन देश में आजादी प्रारम्भ होने के बाद जब भूमण्डलीकरण का दौर आया और सारी दुनिया एक विश्व की भूमिका में आने लगी, एक राष्ट्र की भूमिका में, उस रोज हिन्दुस्तान के स्तर पर यह चिंतन होना चाहिए था कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब सारी दुनिया एक राष्ट्र की तरह नजर आने लगी और उसके सम्पर्क का आधार केवल मात्र अंग्रेजी बनता है, तो जो हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है, उसको अन्तरराष्ट्रीय पैरामीटर्स के स्केल पर ले जाकर खड़ा करने के लिए, उसके जीवन और बोलचाल की भाषा का आधार अंग्रेजी के रूप में निर्मित कर दिया जाना चाहिए था। आज 66 साल बाद मुख्य मंत्रीजी ने यह विजन दिया है।

महिला मुखिया बीपीएल परिवारों को दो हजार रुपये की पेंशन, आंगनबाड़ी कर्मियों को मां यशोदा अवार्ड, सैनिक विधवाओं को पारिवारिक पेंशन के साथ राज्य सरकार में की गई सेवाओं के बदले पारिवारिक पेंशन, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, बिजली, पानी की बेहतरी की नई योजनाओं के प्रस्ताव तथा निःशुल्क दवा योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रस्ताव माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में जिम्मेदार सरकार का ब्लूप्रिंट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना, जो राज्य के हित में पांच साल तक किस प्रकार का विकास का रास्ता होगा, सफर होगा, इसका इस बजट में संकेत दिया है। लेकिन मैं आज इस सदन के माध्यम से एक विषय माननीया मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस बजट में राज्य की 67 प्रतिशत आबादी को स्वास्थ्य बीमा से कवर करना चाहते हैं और उन्होंने अपने बजट भाषण में स्पष्ट कहा है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र व्यक्ति हैं, उन तमाम लोगों को हम स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, उनको स्वास्थ्य बीमा देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने से पहले ए पी एल, बी पी एल, गरीबी के अन्य मापदण्ड और उनके साथ में एक ऐसा मापदण्ड प्रारम्भ कर दिया, राजीव गांधी आवास योजना और उस राजीव गांधी आवास योजना के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नाम पर इस राजस्थान की हजारों कच्ची बस्तियों का सर्वे किया और उन हजारों कच्ची बस्तियों में कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं का सर्वे में नाम जोड़कर उनकी खाद्य सुरक्षा की गारंटी दे दी, पिछली सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं के खाद्य सुरक्षा का बीमा कर दिया। स्वास्थ्य बीमा उनका हो राजीव गांधी आवास योजना के अन्तर्गत, उससे पहले जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से जो गरीब जनता के लिए, जिस गरीब व्यक्ति को दो जून की रोटी नसीब नहीं, दिन में रोजगार हो तो शाम को चूल्हा जले, वरना शाम को भूखे पेट भजन गाये; उस व्यक्ति के लिए अगर किसी भी स्तर पर चिंतन होकर खाद्य सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई और पिछली कांग्रेस की सरकार ने उस योजना में पात्रता तय करते समय राजीव गांधी कच्ची बस्ती योजना सर्वे के नाम पर इस कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं को उस योजना में समाहित कर दिया।

स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करने से पहले मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि वे इस बात की जांच करें कि राजीव गांधी आवास योजनाओं में कांग्रेस के कितने कार्यकर्ताओं को इस खाद्य सुरक्षा की गारंटी में कवर किया गया? यह अनैतिक भ्रष्टाचार राजस्थान की जनता ने देखा। उसका परिणाम कांग्रेस ने भुगता।

20,000 किलोमीटर की सड़कें, मैं एक-एक बिन्दु पर नहीं जाना चाहता; माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत चर्चा हुई लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, पिछले पांच साल राजस्थान की जनता ने इस प्रकार से झेले, जैसे कोई छाती पर जलने के फफोले हो गये हों। आज सदन में पूर्व मुख्य मंत्री मौजूद नहीं, नहीं तो आज मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल करता कि जब कोटा आये थे मुख्य मंत्रीजी के नाते और सड़क मार्ग से रामगंजमण्डी जाने का कार्यक्रम था, मैं हजारों लोगों को लेकर सर्किट हाउस आया था कि, मुख्य मंत्रीजी, आप सड़क मार्ग से रामगंजमण्डी नहीं जा पा रहे चुनाव के पांच महीने पहले और आपको रामगंजमण्डी जाने के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ रही है, आपके राज में पांच साल तक किस तरीके से यह हाड़ौती की जनता इन गंदी सड़कों पर चली होगी, इसका जवाब दीजिये। लेकिन राज्य के मुख्य मंत्री सड़कों की हालत को सुधारने के बजाय, बेहद शर्मिंदगी के तरीके से रेलमार्ग से जाकर रामगंजमण्डी में सभा करके आये।

माननीय सभापति महोदय, यह दृश्य राजस्थान की जनता ने देखा...

श्री अध्यक्ष: स्पीकर।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, सारी। अध्यक्ष महोदय ही बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरे पांच साल तक और खास तौर से आखिरी सालों में कांग्रेस सरकार ने झूठी घोषणाएं और अनियोजित मदों में पैसा खर्च करके राज्य के धन को बरबाद कर दिया, खजाना खाली कर दिया और मुझे लगता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको लग गया था कि अब दुबारा सत्ता में आना नामुमकिन है और इसलिए इन्होंने 'लूटो और लुटाओ' का अभियान प्रारम्भ कर दिया। पांच साल में गहलोतजी ने इस राजस्थान को गर्त में धकेल दिया और सत्ता में आने के लिए नकदी लुटाना शुरू कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य की जनता को, स्वाभिमानी जनता ने साफ संकेत दे दिया, आप नियोजित विकास करो। सत्ता के लिए जनता का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सत्ता के लिए उसको खरीदा नहीं जा सकता, यह संकेत जनता ने दे दिया और उसके आत्मसम्मान का जज्बा जुनून में बदला और जुनून जनादेश में बदला।

बहुत नारे दिये थे राजस्थान के मुख्य मंत्री गहलोतजी ने, 'ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान में', लाखों-करोड़ों रुपयों के विज्ञापन बहाये लेकिन वह जुनून जब जनादेश में बदला, 'ऐसा पहली बार हुआ राजस्थान में' यह नारा तो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का नहीं चला, लेकिन राजस्थान की जनता ने तय कर दिया, ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान में, लोकतंत्र के इतिहास में ऐतिहासिक जनादेश, भाजपा की पहली सरकार। ऐसा पहली बार राजस्थान में हुआ, ऐतिहासिक जनादेश की सरकार, लोकतंत्र में अभूतपूर्व जनादेश की सरकार। विदा कर दिया कांग्रेस को।

यह दृश्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल राजस्थान में ही नहीं हुआ, देश में लोक सभा के चुनाव हुए। राजस्थान ने तो 25 सीटें दे दीं। भ्रष्टाचार से तंग जनता जो लगातार यू पी ए के दस सालों से भ्रष्टाचार से तंग आ गई, अराजकता से दु:खी जनता थी, यू पी ए के शासन को उखाड़कर फेंक दिया और 129 साल पुरानी कांग्रेस को ऐसी स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया, आज पार्लियामेंट के अन्दर नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति में नहीं। अध्यक्ष

(श्री प्रहलाद गुंजल)

महोदय के सामने आग्रह कर रहे हैं, हम पर मेहरबानी करिये, कम से कम नेता प्रतिपक्ष का पद हमको दे दीजिये।

यह जनादेश बहुत सख्त था, अध्यक्ष महोदय। सख्त नहीं, यह संदेश था। जो नकारात्मक राज करते, जो भ्रष्टाचार के आधार पर राज चलाते, उन लोगों के सामने यह संदेश सख्त था कि लगातार 58-60 सालों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस, कितना सख्त जनादेश हिन्दुस्तान की जनता ने सुनाया। देश में राज करने वाली पार्टी को पूरे देश में केवल इतनी सी सीटें मिलीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अकेले भारतीय जनता पार्टी को एक उत्तर प्रदेश प्रांत में जितनी सीटें मिलीं, उसकी आधी सीटों से मामूली ज्यादा सीटों पर पूरे देश में संतोष करना पड़ा।

चार राष्ट्रीय पार्टियां अस्तित्व ही नहीं बचा पाईं। मैं यह मोदीजी की भारतीय जनता पार्टी के अकेले उपलब्धि के रूप में सदन में चर्चा नहीं करना चाहता। यह जनता का सख्त जनादेश था, यह जनता का सख्त संदेश था, बहुत हो गया अब, बेइमानी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। जनता की अनदेखी करके सरकारें जो लोग चलाते हैं, किसी भी सूरत में बरदाश्त नहीं किया जा सकता। 60 साल तक सत्ता के नशे में देश की एक मात्र सत्तारूढ़ पार्टी का दंभ पालने वाले लोगों का नशा चूर करके हिन्दुस्तान की जनता ने बहुत कठोर संकेत दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पेश किया है मुख्य मंत्रीजी ने, प्रदेश की माली हालत की चिंता की है, जो गहलोतजी ने कर दिया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि 66 सालों में हर बार साल में एक बजट पेश होता है, वार्षिक योजनाएं बनती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं। हम चर्चा करें, चिंतन करें कि लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के आकार, वार्षिक योजनाओं के आकार, लेकिन जनता की तकलीफें क्यों नहीं घट रहीं? अब 66 साल बाद बहुत बरदाश्त नहीं कर सकती जनता; बहुत तीव्रता से उसकी भूख बढ़ी है, अपेक्षाएं बढ़ी हैं, अब उसके लिए समाधान चाहिए। पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, यह उसका संवैधानिक हक है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब हमको उसकी नजरंदाजी का खेल खतम करना चाहिए।

इसीलिए बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिस प्रकार की व्यवस्था 60 सालों में कायम कर दी, देश की जनता निराश है। भ्रष्टाचार जिस प्रकार से आम जन-जीवन पर हावी हो गया है, आम जनता में बहुत घोर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

निराशा है और इसलिए अब सरकारों से बहुत चमत्कार की उम्मीद नहीं करना चाहती कि कोई चमत्कार होगा। उसके भाग्य के दरवाजे 'खुल जा सिमसिम' की तरह खुल जायें, यह अपेक्षा इस राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता शायद पालना भूल गई। 66 सालों की इस यात्रा के अन्दर वह चाहती है, बहुत ईमानदारी से, कि उसकी नजरंदाजी बंद हो। उसको गरीबी के जाल से ऊपर उठाने के अच्छे इरादों तथा एक ईमानदार और गम्भीर प्रयास की गारंटी चाहते हैं। वह चाहती है कि उसके तंगहाल जीवन को सुधारने के लिए अच्छे इरादों वाली सरकार हो, ईमानदार और गम्भीर प्रयास की गारंटी दे और यह गारंटी माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में देखने को मिल रही है। वसुन्धराजी ने संकल्प दोहराया है कि हम राजस्थान की जनता के साथ न्याय करेंगे। जनता चाहती है, अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार से तंग जनता चाहती है कि विकास दर की रफ्तार बढ़े, नौकरियां पैदा हों, भ्रष्टाचार बंद हो और उसके कल्याण का धन चुराया नहीं जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट जनता को भाजपा की जिम्मेदार सरकार होने का अहसास कराता है; मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में एक संवेदनशील और जिम्मेदार सरकार होने का राजस्थान की जनता को आभास कराता है यह बजट और इस बात की गारंटी देता है कि गैर-जिम्मेदार कांग्रेस सरकार ने जो राजस्थान को 'बीमारू' श्रेणी में ले जाकर छोड़ दिया था, हमारी गौरवशाली प्रदेश को पुन: स्वस्थ और उन्नत श्रेणी में ले जाकर हम खड़ा करने की जिम्मेदारी लेते हैं, यह बजट में मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान को भरोसा दिया।

(14.00 बजे)

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने बजट में एक जवाबदेह सरकार होने का लक्ष्य तय किया है और संकटग्रस्त वित्तीय स्थिति के बावजूद समृद्ध और विकसित राजस्थान, 'सर्वजन विकास और सर्वजन उत्थान' का संकल्प दोहराया और संकल्प लिया कि 2020 में राजस्थान एक शक्तिशाली, विकसित और समृद्ध राज्य बनेगा; इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें राज्य की विकास दर को 12 प्रतिशत तक ले जाना है; प्रति व्यक्ति आय को 10 प्रतिशत वार्षिक रूप से बढ़ाना है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि यह बजट फोकस है पांच साल में राजस्थान के भविष्य का। किस तरीके की व्यवस्था हम राजस्थान का देना चाहते हैं, कैसी संवेदनशील व्यवस्था हम राजस्थान में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

देना चाहते हैं और पांच साल में विकास की दृष्टि से राजस्थान को ले जाकर कहां खड़ा करना चाहते हैं, यह मुख्य मंत्रीजी का विजन है।

इतना ही नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से, जो इश्यूज उन्होंने अपने बजट भाषण में लिये हैं, मैंने चर्चा की इन सारे इश्यूज की। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घोषणा की कि हम राजस्थान की जो तमाम पंचायतें हैं उनमें सीनियर सेकण्डरी स्कूल खोल देंगे पांच साल के अन्दर-अन्दर। यह स्वागत योग्य कदम है।

(14.01 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बार शहर से एम एल ए हूं, लेकिन मैं ग्रामीण से आता हूं और इसलिए मैं गांव की स्थिति जानता हूं। पिछली बार मैं गांव के विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी से एम एल ए बनकर आया था। आजादी के 66 साल बाद आप गांवों में जाओ और गांव के चौराहे पर खड़ा होने के बाद बूढे मां-बाप और मासूम सी बच्ची कहें, मेरे गांव में सीनियर सेकण्डरी स्कूल करा दीजिए, पढ़ने के लिए बच्ची को दूर नहीं भेजा जा सकता। यह लोकतंत्र और हम सबके लिए कलंक का विषय था। देर आए, दुरुस्त आए, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने इस कलंक को धोने के लिए एक शक्तिशाली कदम उठाया कि अब राजस्थान की कोई पंचायत नहीं बचेगी, जहां पर सीनियर सेकण्डरी का स्कूल नहीं खोल देंगे।

मैं आग्रह करना चाहता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी से, आप स्कूल खोल दें लेकिन अपने बजट में एक प्रावधान जरूर सुनिश्चित कर लें कि हर पंचायत में जो सीनियर सेकण्डरी स्कूल खोला जायेगा, तीन पंचायतों का कलस्टर बनाकर एक विज्ञान, एक वाणिज्य और एक में कला का संकाय खोला जाएं। माननीय सभापति महोदय, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज विज्ञान के संकाय में आने वाली पीढ़ी अपना भविष्य देखने लग गई और गांव में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां, कि ग्रामीण जिले में आप राजस्थान के किसी कोने में चले जाएं, एक जिले में दस से पन्द्रह विज्ञान संकाय के सीनियर सेकण्डरी स्कूल बमुश्किल मिलेंगे। इसलिए इस बहुत बड़ी समस्या से निजात पाने का इस बजट में संकल्प या संकेत मुख्य मंत्रीजी ने दिया। योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान की जरूरत और राजस्थान की जनता की अपेक्षा के अनुरूप इसको ढाला जाना चाहिए।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एक विनम्र प्रार्थना करूंगा, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के बच्चों की आधारशिला खराब हो रही है। पिछली सरकार ने पहली से आठवीं तक परीक्षाएं नहीं होंगी, कोई फेल नहीं होगा, यह निर्णय किया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, वे सदन में नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब पहली से आठवीं तक का बच्चा बिना पढ़े पास होगा, उसकी नींव इतनी खराब हो जाएगी कि जब वह आगे जाकर दसवीं बोर्ड और बारहवीं के बोर्ड का मुकाबला करेगा तो उस मुकाबले में खड़ा रहने लायक नहीं बचेगा। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य की मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो राजस्थान के भविष्य को गर्त में डालने वाला पिछली सरकार का निर्णय रहा, इस निर्णय को तुरन्त प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए और बच्चे की नींव को, फाउंडेशन को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है कि आगे जाकर, जिसके लिए कहा जाता है, जिसके कंधों पर इस देश का भार आने वाला है, जो देश का भविष्य बनने वाला है, उस भविष्य के साथ कुठाराघात नहीं किया जाना चाहिए। उसकी रीढ़ की हड्डी को साइटिका की बीमारी से, उसका बचपन खराब करके, उसको इस रूप में तैयार नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय भी निश्चित रूप से सरकार को आवश्यक रूप से लेना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग कालेज और कई सारे मेडिकल कालेज खोलने की बात कही। कोटा शैक्षणिक दृष्टि से सम्पन्न है कृषि विश्वविद्यालय के लिए, आपकी सरकार ने, पिछली सरकार ने दे दिया, लेकिन कृषि विद्यालय के नाम पर केवल एक टाइटल का झुनझुना दे दिया। एक पैसा नहीं दिया। आज तक। केवल एक वाइस-चांसलर के भरोसे कृषि विश्वविद्यालय चल रहा है। मैं इस सदन में राज्य की मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, इस बजट में कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रावधान नहीं रखा, या तो प्रावधान दें और या फिर, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारत के प्रधान मंत्रीजी का जिन्होंने राजस्थान को भी कृषि विश्वविद्यालय दिया, वह कृषि विश्वविद्यालय, केन्द्र का कृषि विश्वविद्यालय कोटा में दिया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यह हमारा हक है, हमारा अधिकार है। कोटा ने सी ए डी में हिन्दुस्तान में पंजाब को पीछे छोड़कर कृषि के क्षेत्र में एक बार नहीं, अनेकों बार राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त किये हैं और इसलिए कोटा हकदार है कृषि

(श्री प्रहलाद गुंजल)

विश्वविद्यालय का। मैं मांग करना चाहता हूं कि कोटा को कृषि विश्वविद्यालय दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। आपका समय हो गया।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कर रहा हूं। आपकी कृपा चाहता हूं। पांच मिनट और। आपकी कृपा चाहता हूं।

श्री सभापति: अच्छी बात है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, यह बात सच है कि राज्य की विषम वित्तीय परिस्थिति को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने कुछ कर लगाये हैं और उन्होंने यह संकेत दिया कि हम गहलोतजी की तरह वह डाक्टर नहीं जो डायबिटीज का इलाज शक्कर से करना चाहते हों। कुछ कर लगाना भी जरूरी है, लेकिन कर ऐसे जो गरीब के माथे पर भार नहीं पड़े, जिससे व्यापार और जनजीवन प्रभावित नहीं हो। धनिया और मैथी पर जो टैक्स लगाया है, माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं यह पिसे हुए मसालों की जगह साबुत मसालों पर जो 5 प्रतिशत वैट लगाया है, कोटा हाड़ौती इस हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मण्डी है, पूरे देश में जितना धनिया पैदा नहीं होता, जितना धनिया का कारोबार नहीं होता, अकेले मेरे पुरानी विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी और कोटा की मण्डी में पूरे देश से ज्यादा धनिया का व्यापार होता है, मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि धनिया पर से वैट हटाया जाना चाहिए।

पैरा नम्बर-277 में 100 रुपये प्रति मीटर और 100 रुपये प्रति पीस, 100 रुपये से अधिक कीमत के टैक्सटाइल सूटिंग व शर्टिंग पर और 500 रुपये से उस पर 5 प्रतिशत का वैट लगाया है। आप 500 के ऊपर लगाओ, 100 रुपये पर निश्चित रूप से हटा दिया जाना चाहिए। आज महानरेगा में काम करने वाला मजदूर 100 रुपये जेब में रखकर कपड़ा खरीदने जाता है तो कम से कम डेढ़ सौ, दो सौ का खरीदकर लाता है। इसको न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।

हैण्डीक्राफ्ट में जो टैक्स लगा है, हैण्डीक्राफ्ट के व्यापारी आज सरकार से मांग कर रहे हैं, देश में कहीं हैण्डीक्राफ्ट पर वैट नहीं है, टैक्स नहीं है। अगर हमने राज्य में हथकरघा उद्योग पर टैक्स लगा दिया तो हमारा उद्योग पलायन करेगा। राजस्थान के सामने वैसे ही बड़ी रोजगार की और आर्थिक चुनौतियां हैं। ऐसे हालात के अन्दर हथकरघा उद्योग जीवित रहे, उसका संरक्षण

(श्री प्रहलाद गुंजल)

होना चाहिए, उसका पालन-पोषण होना चाहिए, उसको पोषित किया जाना चाहिए। उसको सरकारी संरक्षण चाहिए। इसलिए उसके वैट पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस आखिर में सम-अप करने की ओर जा रहा हूं।

भाषण के पैरा नम्बर-4 में मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ईमानदारी से एक बात कही है, विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य की सरकार और जनता का रिश्ता Ruling और Ruled class का नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, Ruling और Ruled class का रिश्ता आज से 66-67 साल पहले हिन्दुस्तान की जनता ने तोड़ दिया। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, इस रिश्ते को खतम करने के लिए, Ruling और Ruled class, न जाने कितने लोग खतम होकर इतिहास का हिस्सा बन गए, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिन लोगों ने आजादी के बाद इस देश की सत्ता सम्भाली और लोगों के जहन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि गोरे अंग्रेज चले गए, व्यवस्था में काले अंग्रेज आ गये और शासक की सामंती सत्ता की मानसिकता का दंश यह हिन्दुस्तान की जनता झेलती रही। पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने कहा है हम इस प्रकार की मानसिकता को समाप्त करेंगे, Ruling और Ruled class के इस दंश को समाप्त करेंगे, जो 66 साल से झेल रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी ने भावना व्यक्त की है संविधान की आत्मा की कि सत्ता के मालिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग नहीं हैं, हम आदेश जनता को नहीं सुना सकते। जनता का आदेश सुन कर हम 163 बैठे हैं, सामने 21 बैठे हैं। जनादेश और आदेश देती है लोकतंत्र में जनता। राज की मालिक जनता है। सरकारें जनता के धन की...।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति: कृपया बैठें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, इस सारी बहस को बिना किसी कैबिनेट मंत्री के सुने हुए और उनके द्वारा नोट्स लिये हुए, इस बहस का अर्थ क्या होगा? माननीय सभापति महोदय, आप डाइरेक्ट करें कि कोई न कोई कैबिनेट मिनिस्टर आए और नोट्स ले।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मंत्रीजी बैठे हैं पर वे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं। मुझे ध्यान है, आपको भी ध्यान है कि वे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुराणा जी। अब आप समाप्त करें, प्लीज।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं सम अप कर रहा हूं। दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति: अब आपने, देखिये, पांच मिनट से ज्यादा समय ले लिया है। देखिये, आपके दल से बोलने वालों की सूची लम्बी है, मुख्य मंत्रीजी का जवाब पांच बजे आरम्भ होना है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, आखिरी बात, आखिरी निवेदन कर रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, क्या आप कैबिनेट मंत्री को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि वे बहस सुनें? आखिर हैंडीक्राफ्ट्स की इतनी महत्वपूर्ण बात माननीय सदस्य ने कही है, उस हैंडीक्राफ्ट्स की बात को यदि नोट नहीं किया गया तो मुख्य मंत्रीजी को कौन ब्रीफ करेगा?

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्रीजी आ गये हैं, नोट कर लेंगे इसको।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी विराज रहे थे।

श्री सभापति: आप जब जाएं तो कृपया किसी कैबिनेट मंत्री को बुला लें, वह बेहतर रहेगा। अब आप समाप्त करें।

श्री प्रताप सिह जी सिंघवी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): नहीं, माननीय सभापति महोदय, मेरी बात रह गयी है। दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति: देखिये, दो-दो मिनट करके आपने बहुत समय ले लिया। मुख्य मंत्रीजी का जवाब आना है। मैं आपको आखिरी दो मिनट दे रहा हूं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। हां, आखिरी दो मिनट।

माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में सरकारें जनता के धन की ट्रस्टी और सेवक होती हैं। मुख्य मंत्रीजी की भावना इसी बात का संकेत है और प्रधान मंत्री, नरेन्द्र जी मोदी ने हाल ही में इस बात को दोहराया कि राजनीति वास्तविक अर्थों में सत्ता नहीं है, सेवा है लेकिन दुर्भाग्य है इस देश

(श्री प्रहलाद गुंजल)

का कि कहां ले जाकर हमने देश को खड़ा कर दिया। एक आई आई एम, बैंगलोर के जो प्रोफेसर और अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने, 66 साल में देश को जो गर्त में ले जाकर खड़ा कर दिया, व्यवस्था, इसका एक सर्वे करके आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, भ्रष्टाचार पर एक सर्वे दिया है कि रोजमर्रा में भारतवर्ष में काम कराने के लिए देश के लोगों को जो रिश्वत, ब्राइब टैक्स देना पड़ता है, वह लगभग एक लाख करोड़ रुपया साल है और जिसमें बड़े घोटाले, 2जी स्पेक्ट्रम, कोयला, थोरियम, ये नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, बड़ी रिश्वत, कमीशन, किट बैग, सार्वजनिक विकास की राशि का गबन शामिल नहीं है। इसी प्रकार, प्रति वर्ष टैक्स चोरी का न्यूनतम मूल्यांकन करें तो वह भी टैक्स कलेक्शन का कम से कम बीस प्रतिशत होता है, जो तीन लाख करोड़ रुपया और इसी तरह, सालाना बड़े घोटाले, जो कम से कम चार लाख करोड़ रुपये देश का धन लूटा जा रहा है, यह आठ लाख करोड़ रुपया जो लगातार भ्रष्टाचार में जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, आज इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

चाहे प्रदेश की जनता हो, चाहे हिन्दुस्तान की जनता हो, सदन से यह अपेक्षा रखती है, सभापति महोदय, ये बजट भाषण के आंकड़े राजस्थान की जनता नहीं समझती। राजस्थान की जनता समझती है कि किस राज के आने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ, किस राज के आने के बाद पटवारी, थानेदार और तहसीलदार का कमीशन बंद हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इस सदन को सामूहिक रूप से यह चिन्तन करके, वसुन्धरा जी के नेतृत्व में इस राजस्थान को भय-भ्रष्टाचार-मुक्त और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाला राजस्थान बनाना चाहिए। मैं इसी विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, 2014-15 के बजट भाषण पर आपने मुझे भी मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी द्वारा पेश किया गया बजट आय-व्यय का अनुमान ही नहीं, बल्कि राजस्थान के समग्र विकास का इन्द्रधनुष है और इस इन्द्रधनुष के सात रंग इस प्रकार से हैं, पहला है-अर्थव्यवस्था को मजबूती, दूसरा-आधारभूत ढांचे का विकास, तीसरा-सामाजिक उत्थान, चौथा-युवाओं को

(श्री प्रताप सिंह)

सम्बल, पांचवां-किसानों को राहत, छठा-गुड गवर्नेंस और सातवां है-नये राजस्थान का निर्माण।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कुप्रबन्धन के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, स्थिति खराब थी, लगातार घाटा बढ़ता जा रहा था, प्रदेश पर कर्ज का भार बढ़ रहा था। जब हमारी सरकार थी 2008 तक, तो प्रदेश सरकार पर 17,138 करोड़ रुपये का कर्जा छोड़ कर गयी थी पर गहलोत साहब की सरकार आई और उसने इस कर्जे का और इजाफा किया और बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार 640 करोड़ तक पहुंचा दिया। कर्जा बढ़ा, कोई बात नहीं है, पर अच्छा होता, इस कर्जे से राजस्थान का विकास होता, राजस्थान के विकास में यह पैसा काम में आता। मुझे दुःख है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की हुकूमत ने, गहलोत सरकार ने विकास के काम में पैसा लगाने के बजाय, इस पैसे का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, अनाप-शनाप खर्च किया। यही नहीं, मुख्य मंत्रीजी ने किया। इसी का नतीजा है कि आज राजस्थान की माली हालत बहुत बिगड़ चुकी है, अर्थव्यवस्था बिलकुल चरमरा गई है।

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस बार के बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की हिम्मत दिखाई है। यही नहीं, उन्होंने बजट में इस साल का जो एन्यूअल प्लान रखा है, वह 69,820 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले एन्यूअल प्लान से 72 प्रतिशत अधिक है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में इतनी भारी वृद्धि एक साथ एन्यूअल प्लान में आज से पहले कभी नहीं हुई है।

सभापति महोदय, किसी भी विकसित प्रदेश की पहचान वहां का आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, हमारा राजस्थान प्रदेश विकसित प्रदेशों की गिनती में आये, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने बिजली, पेयजल, सड़क, आदि बुनियादी सुविधाओं पर विशेष फोकस किया है और उसी के बूते हम राजस्थान को एक समृद्धशाली राजस्थान बना सकेंगे। यही नहीं, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, सभापति महोदय, बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है।

जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो राजनीतिक लाभ लेने की खातिर आनन-फानन में कई घोषणाएं कीं, वे भी साल के आखिरी में, जब चुनाव करीब थे। उस समय अनाप-शनाप घोषणाएं की और उन घोषणाओं से राजस्थान की जनता को लुभाने की कोशिश कीं कि किसी न किसी प्रकार से हमारी सरकार

((श्री प्रताप सिंह)

वापस आ जाए, लोग हमको वोट दे दें। पर मुझे खुशी है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आई, कांग्रेस के नेताओं के बहकावे में नहीं आई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिया, वसुन्धरा जी में विश्वास दिखाया। उसी का नतीजा है कि आज इस प्रकार की प्लान साइज बढ़ी है। निश्चित रूप से यह जो एन्यूअल प्लान बढ़ा है, इससे हमारे प्रदेश की तकदीर और तस्वीर संवरेगी।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। विशेषकर युवाओं पर उन्होंने काफी फोकस किया है। पांच साल में पन्द्रह लाख लोगों को जो नौकरी देने का ऐतिहासिक काम किया है, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। यही नहीं, जिस प्रकार से टैट की भांति हमारे नौजवानों पर लगा दी

(14.18 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

गई थी और टीचर भर्ती के लिए एक नहीं, दो-दो परीक्षाएं देनी पड़ती थीं, टीचर भर्ती के लिए एक ही परीक्षा का प्रावधान कर मुख्य मंत्रीजी ने नौजवानों के सपनों को साकार किया है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, बजट में किसानों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अब आप जानते हो, सभापति महोदय, आप भी किसान हो, आपके भी खेती है, हमेशा जब हमारे बुआई के समय फर्टिलाइजर की कमी आ जाया करती थी, किसानों को ब्लैक से फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता था। उस समस्या से हमारा किसान परेशान रहता था। इस समस्या से निपटने के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रावधान किया है कि दो लाख मैट्रिक टन यूरिया, पचास हजार मैट्रिक टन डीएपी, पचास हजार मैट्रिक टन सुपरफास्फेट का अग्रिम स्टाक का प्रावधान किया है। मुझे आशा है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रावधान से निश्चित रूप से किसानों को मदद मिलेगी; जो फर्टिलाइजर के लिए कांग्रेस की हुकूमत के समय, किसान लम्बी-लम्बी लाइनें कभी थाने में, कभी किसी जी एस एस के सामने लगाया करते थे, उससे छुटकारा मिलेगा और किसानों को समय पर फर्टिलाइजर मिल सकेगा।

सभापति महोदय, आप यह भी जानते हैं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी का गुड गवर्नेंस पर हमेशा से फोकस रहा है। सुशासन और राजकीय सेवाओं की

(श्री प्रताप सिंह)

बेहतर डिलिवरी के लिए मुख्य मंत्रीजी हमेशा काफी सीरियस रही हैं। उसी का नतीजा है कि उन्होंने विडियो कांफरेंसिंग के जरिये पंचायत समिति स्तर तक बढ़ाने का काम किया है। इससे जो सरकारी योजनाएं हैं, जिनका लाभ गांव के अंतिम आदमी तक नहीं पहुंच सकता था, पंचायत समिति तक, विडियो कांफरेंसिंग के जरिये सरकार उनकी सब बातों की जानकारी ले पाएगी। तो निश्चित रूप से इसका फायदा गांव और गरीब को मिलेगा। इसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी का जिस प्रकार का विजन है, वह हमसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर आदमी अपनी बात में कहता है कि मुख्य मंत्रीजी बहुत विजनरी हैं। इसीलिए उन्होंने विजन 20-20 की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की है, उसमें नया राजस्थान बनाने का जो सपना वसुंधरा जी ने देखा है, राजस्थान हर फील्ड में आगे होगा। नये राजस्थान को बनाने में हम सब राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी के साथ टीम राजस्थान की भावना से काम करेंगे। जिस प्रकार हमारी मुख्य मंत्रीजी राजस्थान का विकास करना चाहती हैं, जिस प्रकार के राजस्थान को देखना चाहती हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर माननीया मुख्य मंत्रीजी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उनकी हौसला अफजाई करते रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी के इस ऐतिहासिक बजट को पेश करने पर बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । साथ ही एक-दो निवेदन, एक दो-सुझाव भी मैं मेरी तरफ से माननीया मुख्य मंत्रीजी को देना चाहूंगा।

एक तो हमारे राजस्थान में जो डिलिवरी सिस्टम है, नीचे तक जो सरकारी योजनाएं पहुंचती हैं, उसमें पटवारी, ग्राम सेवक, पैरा-मेडिकल स्टाफ और छोटे तहसील के अधिकारी हैं, छोटे पंचायत समिति के कर्मचारी हैं, इन सबका हाथ होता है। उन्हीं के मार्फत हमारी सरकारी योजनाएं गांव और गरीब तक पहुंचती हैं। पूरे राजस्थान में इन सेवाओं में काफी कमी है, काफी पद रिक्त हैं। पूरे राजस्थान में देख लीजिए, एक-एक पटवारी के पास चार-चार पंचायतें हैं; एक-एक ग्राम सेवक के पास 3-3 पंचायतों का चार्ज है। अब आप देख लीजिए, इस प्रकार की स्थिति में राजस्थान का विकास किस प्रकार से सम्भव है। नया राजस्थान बनाने का हमने जो सपना देखा है, मैं समझता हूं कि जब तक निचले स्तर की सर्विसेज के लोग, इनका बैकलाग पूरा नहीं होगा,

(श्री प्रताप सिंह)

हमने जो सपना देखा है कि राजस्थान खुशहाल बने, राजस्थान उन्नत बने, नया राजस्थान बने, यह पूरा नहीं हो पाएगा। एक बार आप आर ए एस, आई ए एस की परीक्षा, आई ए एस को रोक सकते हो, इनके बिना तो काम चल जाएगा, यह कम भी होगा तो काम चल जाएगा, पर जब तक निचला स्टाफ पूरा नहीं होगा, मैं समझता हूं, हमारी कोई योजना कारगर साबित नहीं होगी। इसलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। हमारे शहरों में अरबनाइजेशन बढ़ रहा है और साथ ही साथ अतिक्रमण एक नासूर की तरह फैलता जा रहा है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, सरकार के प्रभावी और वरिष्ठ मंत्री यहां विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस अतिक्रमण की बीमारी से समय रहते छुटकारा पाए, नहीं तो जिस प्रकार से अतिक्रमण बढ़ रहा है, शहर बदरंग हो रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप जो योजनाएं शहरों के लिए लाओगे, कभी भी ये कारगर साबित नहीं होगी और उन योजनाओं का लाभ आप हमारी शहर की जनता को नहीं दे पाओगे। नियोजित विकास, आप विकास, डवलपमेंट शहरों के लिए करना चाहते हो, शहर की आबादी के लिए करना चाहते हो, वह विकास सम्भव नहीं होगा।

सभापति महोदय, आप अच्छी तरह जानते हो, हमारे अधिकारी हैं, चाहे जे डी ए हो, चाहे नगर निगम जयपुर हो, इन लोगों का सबका माइंड सेट है, ये सोचते हैं कि विधान सभा का 5 किलोमीटर का रेडियस जयपुर है। आप प्लांटेशन करेंगे तो यहां, सड़क पर सड़क पोतेंगे तो यहां, रोड मार्किंग करेंगे तो यहां, डिवाइडर बनाएंगे तो यहां। जयपुर के आउटसाइड की किस प्रकार की स्थिति है, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं आपको कह सकता हूं, आप जयपुर का आउटसाइड का इलाका देखिये, बदतर स्थिति है। गांव से भी बदतर स्थिति में लोग रह रहे हैं। लाइट है तो खम्भा नहीं है, खम्भा है तो लाइट नहीं है। रोड का तो नाम ही नहीं है। रोड है तो इस प्रकार की स्थिति में है कि एक बार अगर कोई चला जाए तो दुबारा जाने का नाम नहीं लेता, इस प्रकार की स्थिति है।

हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हम यहां टयूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की बात करते हैं, राजस्थान में ट्यूरिज्म लाने की बात करते हैं, आज एयरपोर्ट की किस प्रकार की स्थिति है, एयरपोर्ट के चारों तरफ किस प्रकार का अतिक्रमण

(श्री प्रताप सिंह)

है। मैं आरोप लगाता हूं कि यह अतिक्रमण प्रभावशाली लोगों का है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस अतिक्रमण को आप समय रहते तोड़ें, वरना यह बीमारी हो जाएगी और आप जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हो, यहां पर बोइंग उतारना चाहते हो, यह सपना सपना ही रह जाएगा। इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

अंत में, मैं एक निवेदन करते हुए, मेरे क्षेत्र की एक-दो मांग माननीया मुख्य मंत्रीजी से, हमारे मंत्री, गुलाब जी भाई साहब बैठे हैं, इनके माध्यम से करना चाहूंगा कि हमारा छबड़ा कालेज जो स्व-वित्तपोषित कालेज है, एस एफ एस के तहत चलता है, उसको सरकारी कालेज का दर्जा दिया जाए। वहां पर स्टूडेंट की संख्या भी पर्याप्त है। करीब 3 हजार स्टूडेंट वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ मेरे एक-दो निवेदन और हैं। हमारा वन विभाग, वन विभाग की आपत्ति के कारण बारां जिले की नेशनल हाइवे सड़कें, स्टेट हाइवे सड़कें, एम डी आर, विलेज रोड, काफी इस प्रकार की सड़कें हैं जो वन विभाग के अड़ंगे की वजह से रुकी हुई हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इनको पी डब्ल्यू डी को वन विभाग से शीघ्र ही अनापत्ति दिलाएं ताकि काम को गति मिल सके, काम हो सके। दो तरफ से सड़क बन गई, एक तरफ से 10 किमी. बन गई, दूसरी तरफ से 5 किमी. बन गई, बीच में 5 किलोमीटर का फेज बाकी है और फोरेस्ट के अड़ंगे की वजह से बाकी है। इस प्रकार की स्थिति है। हमारा करोड़ों रुपया उस सड़क पर खर्च हुआ। वह न तो गांव के काम आ रहा है और न ही गरीब के काम आ रहा है। इस प्रकार की स्थिति हमारे जिले में बनी है। यहां तक कि स्टेट टाइम की सड़कें, जो स्टेट टाइम के राजा-महाराजाओं के समय पर सड़कें बनी थीं, उन सड़कों को भी आज रोक दिया, वन विभाग की आपत्ति के कारण रोक दिया है। इस प्रकार की स्थिति पूरे बारां जिले में बनी है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इन सड़कों का भी शीघ्र से शीघ्र काम चालू करवाया जाए।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करूंगा कि हमारे छबड़ा में रेणुका नदी है, छबडा के तीन तरफ बहती है। वहां पर एक एडियान मंदिर से लेकर नीमपुर पास में गांव है, बीच में नदी पड़ती है, वहां पर हमारी मुख्य मंत्रीजी जब केन्द्र में मंत्री थीं, उसका भूमि पूजन करके शिलान्यास किया था, पर वह पुलिया आज तक नहीं बनी है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जो काम माननीया मुख्य मंत्री के हाथों से शुरू हुआ

(श्री प्रताप सिंह)

हो, जिसका भूमि पूजन माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किया हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की चेष्टा करें।

इतना ही निवेदन करते हुए, सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हुए, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो सपना देखा है, समृद्ध और विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा करने के लिए, मैं समझता हूं, हम ही नहीं, सारे विधायक ही नहीं, पूरे राजस्थान की जनता माननीया मुख्य मंत्रीजी के साथ है। इतना विश्वास दिलाते हुए, सभापति महोदय आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल वर्मा।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2014-15 का बजट पेश किया है, पूरे राजस्थान में उसकी प्रशंसा हुई है। राजस्थान की जनता ने उसका बहुत-बहुत स्वागत किया है। यह इस बात का संकेत है कि 14 हजार किलोमीटर की यात्रा माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के रूप में प्रदेश में की थी और जनता से रूबरू होकर, व्यक्तिगत रूप से मिलकर पूरे राजस्थान की जन समस्याओं को सुना, देखा और महसूस किया, उन सबको दूर करने का प्रयास माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में पेश किया है। मैं समझता हूं कि पूरा बजट, राजस्थान सरकार का यह बजट एक ऐसी संवेदनशील सरकार का बजट है जिसमें राजस्थान में रहने वाले हर वर्ग को कहीं न कहीं किसी प्रकार की सुविधा मिले, हर प्रकार की समस्या हर वर्ग की दूर की जाए, इस बात का प्रयास किया गया है।

दूसरी बात, इस बजट में इस बात का भी प्रयास किया गया है कि राजस्थान, जो पिछले पांच वर्ष के शासन काल में दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत पीछे रह गया था, उस राजस्थान को हम लोग दूसरे राज्यों की तुलना में कैसे आगे खड़ा कर सकें, इस बात की भी कोशिश माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में की है।

माननीय सभापति महोदय, यह तब ही सम्भव होगा जब कि राजस्थान में हम यह देखें कि इंवेस्टमेंट, पूंजी निवेश कैसे हो, राजस्थान में बाहर से आकर निवेशक किस प्रकार से अपनी पूंजी का निवेश करें। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि राजस्थान विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। इसमें

(श्री बाबूलाल वर्मा)

मुझको जहां तक ध्यान है, जब भी देश में या जब भी हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, जब निवेशक किसी चीज में अपना निवेश करने की सोचता है तो उसके दिमाग में हिन्दुस्तान में दो-तीन स्टेट की ही बात ध्यान में आती है। या तो वह महाराष्ट्र की तरफ भागता था, या वह गुजरात की ओर, या कभी कर्नाटक की ओर। यह बात सही है कि राजस्थान में वह पूंजी निवेश करें तो किस आधार पर करें? इस बात का विचार हमारे यहां पर, हमारे राजस्थान की तरफ बहुत कम निवेशकों के या इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता है। इसका मेन कारण यह था कि राजस्थान में निवेश करने के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो एक डवलप्ड मार्केटिंग सेंटर होना चाहिए, वह राजस्थान में हम देखते हैं कि बहुत कम है। जब तक राजस्थान में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, पूंजी निवेश करने के लिए डवलप्ड मार्केटिंग सेंटर नहीं होगा, मैं समझता हूं कि निवेशक यहां पर आने से कतराएगा।

इस चीज को महसूस करते हुए, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बात की कोशिश की कि राजस्थान में हमारी जो सिटीज हैं, चाहे जयपुर हो, कोटा हो, उदयपुर हो, या अजमेर हो उसमें हम मुम्बई और बैंगलोर से तुलना तो नहीं कर सकते, आज हम अहमदाबाद की श्रेणी में इन शहरों को खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आज हम लोगों को इस तरफ प्रयास करने की आवश्यकता है और यह प्रयास तब ही होगा, जैसा कि इस बजट में निश्चित रूप से इस बात का संकेत माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो सड़कें बनेंगी, हमारी सेवाओं का एक एस्टेब्लिशमेंट होगा, हमारी हवाई सेवाएं स्थापित होंगी, इर्रिगेशन के पाइंट आफ व्यू से हम लोग एक सुदृढ़ नहरी तंत्र बनाएंगे, एग्रीकल्चर डवलपमेंट हमारा बढ़ेगा, तो मान कर चलिए कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के बाद में इंवेस्टर्स यहां पर आने के लिए निश्चित रूप से प्रोत्साहित होंगे। माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पूंजी निवेश राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इस बात की कोशिश इस बजट के माध्यम से की है।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में जो सोशल सर्विसेज हमारी हैं, जो सामाजिक सेवाएं हैं, उन सामाजिक सेवाओं को हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे पूरा करें, इस बात पर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पूरा का पूरा ध्यान दिया है।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि आज राजस्थान प्रदेश को बिजली की आवश्यकता है; यह बात भी सही है कि यहां पर पीने के पानी की कमी है; सिंचाई के लिए हमारे पास प्रोपर पूरा पर्याप्त पानी नहीं है और जहां तक पानी का सवाल है, तो पानी कहीं पैदा तो किया नहीं जा सकता। पानी को, मानकर चलिए कि प्राकृतिक स्थिति पर हमको निर्भर करना पड़ता है। इस मामले में मैं, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि पानी की स्थिति, पानी को हम लोग कैसे बचाएं, मैं सिंचाई की दृष्टि से एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी कांस्टिट्यूएंसी में बायीं मुख्य नहर जो कि लगभग 70-80 किलोमीटर की सीमा में बहती है और बायीं मुख्य नहर जब बहती है चार महीने के लिए, तो उसका जो पानी लीकेज होता है, जो पानी उसमें व्यर्थ बहकर निकलता है, उस पानी को, जब मैंने एक बार मुख्य अभियंता के साथ दौरा किया तो उनका अनुमान था, पूरे सिंचाई विभाग के अधिकारियों का, कि इस पानी से दो नहरें और चल सकती हैं। इस चीज को खुद डिपार्टमेंट स्वीकार कर रहा है कि इतना पानी व्यर्थ बहकर, मेज नदी में बहकर चम्बल नदी में चला जाता है और चम्बल नदी में जाकर वह पानी प्रदेश के बाहर चला जाता है।

मैं कल लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य की बात यहां पर सुन रहा था और मुझे ध्यान है कि कांग्रेस पार्टी के पिछले बजट में भी एक चीज का प्रावधान किया गया था कि लाखेरी के अन्दर, जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक कस्बा है, उसमें मेज नदी बह कर निकलती है और उस मेज नदी में एनिकट बनाकर वहां के पानी को रामगढ़ लाया जाए। यह व्यवस्था पिछली बार कांग्रेस पार्टी के बजट में इन्होंने की थी। कल लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को कह रहे थे कि इस पानी को हम भरतपुर ले जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं, मैं चाहता हूं इस बात के लिए कि राजस्थान में जितना पानी है, उस पानी की यूटिलिटी पूरे राजस्थान के लोगों के लिए होनी चाहिए, लेकिन इस बात पर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेज नदी के पानी की जो बात चल रही है, उस मेज नदी के पानी के लिए केशोरायपाटन का एरिया, जो कि आज की तारीख में आधे से ज्यादा अन-कमांड है, नैनवां तहसील पूरी की पूरी मोस्टली अन-कमांड है और बूंदी जिले का आधा हिस्सा सिंचाई की दृष्टि से बिलकुल अछूता है, उस एरिये को तो हम कमांड नहीं कर रहे हैं और उस पानी

(श्री बाबूलाल वर्मा)

को हम लोग जयपुर या भरतपुर ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि जयपुर या भरतपुर उस पानी को लाने में कोई आपत्ति नहीं है, आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी योजना बने लेकिन उसका लाभ बूंदी जिले को निश्चित रूप से मिलना चाहिए, उसका लाभ बूंदी और कोटा जिले को मिलना चाहिए। हिण्डौली को मिले; नैनवां को मिले; केशोरायपाटन को मिले। उसके बाद जो भी हमारे पास सरप्लस वाटर है, उसको आप पूरे राजस्थान में ले जाएं। इस बात का हम स्वागत करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट माननीया मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा को भी समर्पित किया है। शिक्षा हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में एक ऐसी चीज है जिस पर हमको सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी हमारे पास, सबसे मजबूत रूप में हमारे सामने आएगी जो कि आज हमको या हमारे परिवार को, हमारे स्टेट को या हमारे देश को आगे ले जाएगी। मुझे ध्यान आ रहा है एक किस्सा, अभी मैं 6 जून को एक कार्यक्रम में गया था, बूंदी जिले का एक कार्यक्रम था, उसमें बूंदी कलक्टर द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, 'बूंदी पढ़ो'। उस अभियान का नाम था, 'बूंदी पढ़ो'। जब मैंने पहली बार इस मामले में चर्चा की और मैंने कहा कि कलक्टर साहब, यह कार्यक्रम क्या है? तो उसमें मुझे डिटेल में जाने के बाद पता लगा कि उसमें 200 विद्यालय तो एक ब्लाक के ऐसे थे, प्राइमरी स्टैंडर्ड के, जिनके बच्चों को ए, बी, सी, डी भी नहीं आती थी, जिनको कि दो का पहाड़ा नहीं आता था। जब शिक्षा की दृष्टि से हमारे प्रदेश की अगर ऐसी स्थिति हम लोगों को देखने को मिले तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: शिक्षा मंत्रीजी, आप सुनिये वह जो बात बता रहे हैं; शिक्षा के प्रति उनकी जो संवेदना है, वक्तव्य है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, 06 जून को जब मैंने देखा, उस कार्यक्रम को अटेंड किया और वह शायद मेरे ख्याल से एक संस्था, 'प्रथम' नाम की संस्था है, 'प्रथम' नाम की संस्था को उसकी जवाबदारी दी गई और वह उसको इनिशिएट कर रही है। मेरे सामने वहां पर 400 टीचर्स बैठे हुए थे। 400 टीचर्स जो बैठे हुए थे, मैंने कलक्टर से पूछा कि कलक्टर साहब, ये 400 टीचर्स क्या उन्हीं 200 स्कूलों के हैं? तो बोले, हां, ये उन्हीं 200 स्कूलों के हैं।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

मैं इस मामले को इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में शिक्षा की स्थिति हम लोग ऐसी देख रहे हों, उस प्रदेश में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट को पेश करके इस बात का प्रयास किया है कि यदि हम लोग आज की तारीख में,क्योंकि शिक्षा आज हमारे पास अच्छी नहीं है तो हमारी फैमिली पीछे चली जाएगी; हमारी फैमिली पीछे चली जाएगी; तो हमारा समाज पीछे चला जाएगा; समाज पीछे चला जाएगा तो प्रदेश; और प्रदेश पीछे चला जाएगा तो देश पीछे चला जाएगा; हर चीज पीछे चली जाएगी। इसलिए शिक्षा की प्राथमिकता में मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रोविजंस किए हैं।

मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो टेलेंटेड बच्चे हैं; टेलेंटेड बच्चों में कई बार हमको यह देखने को मिलता है कि पैसे के अभाव में कभी-कभी वे पढ़ नहीं पाते। मुझे ध्यान है, कई बार टेलेंटेड बच्चे बैंकों के चक्कर काटते हैं कि सर, हमको लोन नहीं मिलता, हमको हमारे लिए पैसे की आवश्यकता है। इस मौके पर जो छात्र, पर्याप्त छात्र-वृत्ति देकर टेलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ाने की बात कही है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं बहुत ही संक्षेप में बात कर रहा हूं और बहुत रिलेवेंट बात कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार, यह पहली मुख्य मंत्री होंगी जिन्होंने कि 7 मेडिकल कालेज एक साथ, तीन इंजीनियरिंग कालेज एक ही साथ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रोविजन, शायद राजस्थान के इतिहास में यह पहला उदाहरण है। ऐसा कभी एग्जाम्पल नहीं होगा, किसी भी बजट को उठाकर देख लीजिये, इतनी सारी चीज हायर एजुकेशन में हम लोगों को इतना बड़ा काम मिला हो। इसके लिए निश्चित रूप से माननीया मुख्य मंत्रीजी बधाई की पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक बात तो मेरे प्रतिपक्ष के साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी से कही है, पी पी पी माडल; कर्जे की बात भी कही। कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि घाटे का बजट है। सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि घाटे का बजट किसके लिए? पी पी पी माडल किसके लिये? और आज अगर सरकार कोई कर्जा भी ले रही है तो कर्जा किसके लिए? ये सब चीजें लागू की हैं उस एक आम आदमी के लिए, उस एक आम आदमी को अपनी मूलभूत सुविधाएं मिलें। मैं आज अपने प्रतिपक्ष के सब

(श्री बाबूलाल वर्मा)

साथियों से पूछना चाहता हूं कि आज किसी गरीब के बच्चे के लिए स्कूल नहीं खुलना चाहिये? क्या महिलाओं के लिए अस्पताल नहीं खुलना चाहिये? क्या कोई कालेज नहीं खुलना चाहिये? आने-जाने के लिए क्या सड़कें नहीं बननी चाहिये? ये सब ऐसे इश्यू हैं और इसके लिए यदि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कर्ज लेने की बात कही है तो यह कर्ज, आज आम आदमी को राहत देने के लिए बात कही है। आज यदि घाटे का बजट है तो घाटे का बजट एक जरूरतमंद किसान के लिए है, आज यदि घाटे का बजट है तो यह गरीब आदमी के लिए है।

इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हमको यह हिम्मत करनी पड़ेगी। आज हम अपनी जिम्मेवारियों से हट नहीं सकते। एक संवेदनशील सरकार की जवाबदारी है कि यह घाटे का बजट, घाटे का बजट कैसे पूरा नहीं किया जा सकता? आप अपनी इन्कम बढ़ाइये, आप अपने स्टेट के रिसोर्सेज को बढ़ाइये। यदि आप लोग अपने स्टेट के रिसोर्सेज को बढ़ाओगे, उससे आपके घाटे के बजट की पूर्ति की जा सकती है। यह निश्चित रूप से राजस्थान के लिए, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की दृष्टि से, राजस्थान तो बहुत रिच स्टेट है; सभापति महोदय, वह इसलिए है कि खनिज की दृष्टि से हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो मिनरल्स हैं, वह राजस्थान में आज मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, सब जगह हैं। हम समझते हैं कि शायद हम दूसरे या तीसरे नम्बर पर होंगे खनिज की दृष्टि से।

सभापति महोदय, अभी रिफाइनरी की बात है, मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि खनिज का जो हमारा दोहन है, वह दोहन सही नीति से हो। आज जो हमारे मिनरल्स हैं, उसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो पालिसी की बात कही है, यह पालिसी बहुत आवश्यक है। आज रिफाइनरी की बात यहां चली, कई जगह इसको क्रिटिसाइज किया गया है। माननीय सभापति महोदय, अगर सही तरीके से हम लोग नेगोशिएट करें, यदि सही तरीके से राजस्थान के हित में हम लोग इस चीज को आगे बढ़ायेंगे, तो, मानकर चलिये, घाटे के बजट की कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। सभी माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि इस घाटे के बजट को हम निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। हमारी इन्कम के रिसोर्स इतने पावरफुल हैं, तो इन पावरफुल रिसार्सेज के आधार पर हम इस चीज को पूरा कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री बाबूलाल वर्मा)

बस, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, बस, दो मिनट में अपनी बात खतम करूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट में करिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): 2008 के बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एक घोषणा की थी गेंता माकीदा की पुलिया के लिए। पिछले पांच साल के कार्यकाल में राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार, केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार, एक कदम गेंता माकीदा की पुलिया के लिए कोई कागज नहीं चला। वह पांच साल वैसे की वैसे पेंडिंग थी। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बूंदी जिला और कोटा जिला, दोनों की सीमा को यह गेंता माकीदा की पुलिया लगभग 125 किलोमीटर कम करती है। यदि उसको इटावा जाना है तो वह सीधा कोटा जायेगा और कोटा से 80 किलोमीटर वापस आयेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह मेरे इलाके की बहुत महत्वपूर्ण मांग है। इसको आपको निश्चित रूप से करना चाहिये।

लास्ट का एक पाइंट है मेरा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण हमारे लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सभापति महोदय, जिस देश में या जिस प्रदेश में इंडस्ट्री की दृष्टि से, या उद्योग की दृष्टि से हम लोग पीछे हैं, हम लोग हमारे देश को या हमारे प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते और विकास की दृष्टि से भी, मानकर चलिये, हम लोग उसको आगे लेकर जा ही नहीं सकते। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में इस बात का प्रयास किया है कि जो उद्योग लगाने वाले हमारे एंटरप्रिन्योर्स हैं, वे जब इस चीज से घबराते थे, क्योंकि यहां की जो लेबर पालिसी है, जो श्रम कानून है, उस श्रम कानून में काफी कठोरता थी, उसको लिबरलाइज करके श्रम कानूनों में जो संशोधन करने की बात कही है, इससे हमारे यहां उद्योगों की स्थापना होगी, हमारे यहां निवेश बढ़ेगा और हमारे यहां निवेश बढ़ेगा तो मानकर चलिये कि रोजगार के साधन बढ़ेंगे।

मैं इस मौके पर, माननीय सभापति महोदय, लास्ट में एक बात कह रहा हूं कि ईंट-भट्टा उद्योग हमारे यहां बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग में दो तरह से उद्यमी हमारे यहां काम करते हैं। एक तो बड़े उद्यमी, जो कि चिमनी लगाकर अपनी ईंटों का प्रोडक्शन करते हैं और एक वह उद्यमी जो छोटे-छोटे, एक-दो बीघा जमीन पर कजावा जलाकर काम करता है। माननीय सभापति महोदय, कभी तो पाल्यूशन बोर्ड पालिसी बनाता है, कभी रेवेन्यू

(श्री बाबूलाल वर्मा)

डिपार्टमेंट उसके ऊपर कानून लाद देता है। ऐसी स्थिति में, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम छोटे-छोटे लोगों के लिए एक ऐसी पालिसी बनायें, एक ऐसी नीति बने जिससे कि एक आम आदमी इस पर काम कर सकें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान दिया।

2014-15 का जो बजट माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यहां पेश किया है, इस पूरे लम्बे-चौड़े बजट, जो 105 पेज का है, इसका अध्ययन किया और सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर जिस नाम से वोट मांगे गये थे, लगता है, इस बात को इस बजट के अन्दर लेना भूल गये।

राजस्थान के अन्दर कृषि की स्थिति कैसे ठीक हो और विशेषकर राजस्थान के जवानों ने बढ़-चढ़कर इस विधान सभा के चुनाव में भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी ने जो 163 सीटें जीती हैं, सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो राजस्थान के जवान और राजस्थान के किसान का रहा है। सभापति महोदय, यह बजट आंकड़ों का मायाजाल है। इसके अन्दर 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात तो कह दी, लेकिन 2014-15 में राजस्थान में कितनी नौकरियां देंगे, इस बात का जिक्र इस बजट के अन्दर नहीं किया गया है।

बहुत बड़ी उम्मीद थी राजस्थान के अन्दर, और पिछली बार जब विपक्ष के अन्दर बैठते थे, तब विपक्ष की तरफ से यह मांग रोज आती थी कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। दिल्ली में भी सरकार आ गयी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मरुस्थलीय, पहाड़ी इलाका और आदिवासी बहुल इलाका बहुत लम्बा-चौड़ा राजस्थान के अन्दर है। इसलिए दिल्ली में भी इनकी सरकार है, वह दिल्ली सरकार से मांग करे। विकसित राज्य की श्रेणी में राजस्थान तब ही आ सकता है जब राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले।

इस बजट में पी पी पी मोड पर 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने की बात कही गयी, लेकिन सभापति महोदय, पी पी पी मोड पर अगर आप सारी सड़कें बनाओगे तो आप जनता को क्या दोगे? यह तो जनता का ही पैसा

(श्री हनुमान बेनीवाल)

है और जनता से लेकर और आप टोल नाके लगा दोगे जगह-जगह और ये जो टोल नाके लग रहे हैं, इनकी अवधि क्या है? पहले टोल लगा हुआ था पुष्कर-किशनगढ़ के बीच में, उसको पूछा कि कितने साल हो गये? बोले, मनमर्जी है। तब तक लेंगे, कोई हिसाब-किताब नहीं है। फिर जनता के ऊपर सड़क बनाने की जो बात कही है, यह सारा बोझ राजस्थान के ऊपर लाद दिया गया।

धार्मिक महत्व की सड़कों की बात कही गयी, 60 दिन की कार्ययोजना में गौरव पथ की बात कही गयी, लेकिन, सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने, मुझे याद है अच्छी तरह, दो बजट पेश किये थे, उनमें राजस्थान के सभी विधान सभा क्षेत्रों में चार-चार करोड़ रुपये सड़कों के लिए दिये थे और पांच-पांच किलोमीटर धार्मिक महत्व की सड़कें मिली थीं। उसमें उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के विधायकों के लिए नहीं किया था, राजस्थान के सभी विधायकों के लिए और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुन कर आये हैं, इन्होंने भी सबने सड़कें बनायी थीं। 25-25 किलोमीटर सड़कें हमारे इलाके में बनी थीं। मुख्य मंत्रीजी जब बजट पर रिप्लाई दें तो इस बात का ध्यान रखे कि यह राजस्थान विकसित तब ही होगा जब प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में, 50-50 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें बनें और पुरानी सड़कें जो जर्जर हो गयीं, उनकी स्थिति ठीक करने के लिए अलग से विधायकों की सिफारिश पर वे सड़कें बनें, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं।

माननीय सभापति महोदय, रोडवेज के निजीकरण की बात कही गयी है। रोडवेज के निजीकरण के बजाय अच्छा होता कि आर.एस.आर.टी.सी. को ठीक करने का प्रयास किया जाता। इसमें घाटा कैसे कम हो और किस स्तर पर भ्रष्टाचार है, इसकी जांच कराते तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होता।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के लिए इस सरकार ने जनता जल योजनाओं को पी.एच.ई.डी. के माध्यम से दुरुस्त करा कर वापस ग्राम पंचायतों को देने की बात कही है। ग्राम पंचायतों की स्थिति न तो इतनी ठीक है कि वे पेयजल योजनाओं का ध्यान रख सकें और न अलग से कोई अतिरिक्त बजट की व्यवस्था है, कुछ, थोड़ी-बहुत कर रखी है लेकिन इन पेयजल व्यवस्थाओं से, जनता जल योजना से लोगों को लाभ तभी मिल सकता है, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनता जल की खूब योजनाएं चल रही हैं, इनको पुन: परमानेंट पी.एच.ई.डी. को दे दिया जाए, तभी जनता जल

(श्री हनुमान बेनीवाल)

योजनाओं का लाभ मिल सकता है। जनता जल कर्मी, जिनको दो-ढाई हजार रुपये मिलते हैं, आज नरेगा में मजदूरी करने वाले के भी, सभापति महोदय, साढ़े चार-पांच हजार होते हैं। अगर उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी उन लोगों पर।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है और ज्यादातर ब्लाक डार्क जोन में चले गये। मेरे इलाके में भी पेयजल की व्यवस्था ठीक करने के लिए, पहले इन्दिरा गांधी लिफ्ट कैनाल से पीने के पानी को लाने की योजना चालू हुई थी। पिछले पांच साल में वह योजना धीमी गति से चली और तृतीय पैकेज है वह तो चालू हो गया लेकिन उसका जो सेकण्ड पैकेज है वह अभी बंद पड़ा है। एक कम्पनी ने काम लिया था, वह कम्पनी बीच में चली गयी और उसकी निविदाएं कैंसिल करने के लिए भेजी हैं।

माननीय सदस्य, पूर्ववर्ती सरकार के समय जब विधान सभा के चुनाव थे तब 2012-13 के बजट में पूरे राजस्थान के विधायकों को सिंगल फेज हैण्डपम्प और ट्यूबवेल दिये थे और हमारे भी सैंक्शन हुए लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से कुछ काम रुक गये। उन रुके हुए कामों को दो-दो, तीन-तीन बार टेण्डर करा दिये और उसमें सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सिर्फ जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां तो उन कामों को कराया जा रहा है और जो भा.ज.पा. के नहीं हैं उनके काम रोके जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरे खींवसर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जितने भी सिंगल फेज ट्यूबवैल और जो भी पेयजल की स्कीम हैं, उन पर सरकार दुर्भावना से कार्यवाही नहीं करे और उन रुके हुए कामों को जल्दी कराने का काम करें।

सभापति महोदय, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान नयी खनिज नीति की बात की थी कि हम नयी खनिज नीति लेकर आयेंगे। तब बहुत बड़ी उम्मीद उन इलाकों में जगी जहां लाइमस्टोन के अथाह भण्डार हैं। बजट में जिप्सम में खातेदारों को खनिज पट्टे देने की बात कही लेकिन इस राजस्थान के लम्बे-चौड़े इलाके के अन्दर लाइमस्टोन का अथाह भण्डार है, मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर, नागौर और मेड़ता के अन्दर लाइमस्टोन निकलता है लेकिन इलाका प्रतिबंधित कर दिया। एक ब्लाक उसके अन्दर खोल रखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि लाइमस्टोन के इलाकों

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के अन्दर खातेदारों को खनिज पट्टे बिना उद्योग लगाने की शर्त के दिये जाएं ताकि लोगों को रोजगार के साधन मिल सकें। नौकरी अपन दे नहीं पा रहे हैं, लोग खुद के खेत के अन्दर जो खनिज पदार्थ निकलता है, उसमें भी अगर काम करो तो अवैध खनन के नाम पर उनकी खातेदारी कैंसिल करने के हजारों केस भी राजस्थान में दर्ज हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह किसान और गरीब का बजट बार-बार, तीन दिन से इसको कह रहे हैं, तो इस दिशा में भी सरकार ध्यान दे।

माननीय सभापति महोदय, कृषि में सरकार ने जिस तरह बात कही है, राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है और हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा और कुछ जिले ऐसे हैं जहां सिंचाई होती है, बाकी ज्यादातर इलाके में या तो वर्षा से खेती होती है या ट्यूबवैल और कुओं से खेती होती है। किसानों की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। बार-बार राजस्थान के अन्दर अकाल पड़े और हम जिस इलाके से आते हैं वह मारवाड़ हमेशा अकाल की चपेट में रहा है।

सभापति महोदय, जिस तरह मुफ्त दवा और मुफ्त पशु दवा, इस तरह मुफ्त खाद व मुफ्त बीज की उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता को ठीक किया जाए और अगर लोगों को उपलब्ध कराया जाए तो जो कृषि का योगदान कम होता जा रहा है, उसकी स्थिति ठीक हो सके। पूर्ववर्ती सरकार सोलर पम्पों पर जो अनुदान दे रही थी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, पांच मिनट। साहब, अभी तो मैं ट्रैक पर चल रहा हूं, थोड़ा तो बोलने दो।

सभापति महोदय, सोलर पम्पों पर जो पहले अनुदान दिया जा रहा है, पिछले बजट के अन्दर दस हजार सोलर पम्पों की बात कही थी, उनमें पांच हजार लगाये और पांच हजार बाकी रह गये और अब की बार उसके अन्दर अनुदान 26 प्रतिशत कम कर दिया। मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सोलर पम्पों पर जो अनुदान पहले दिया जाता था, उसी श्रेणी में सोलर पम्पों को अनुदान दिया जाए।

शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हमारे इलाके में जो स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुए, उनको यह सरकार आयेगी, बजट आयेगा तो स्कूल क्रमोन्नत होंगे, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्रीजी तो बार-बार यही कह रहे हैं कि स्कूलों का एकीकरण किया जायेगा। जो स्कूल ढाणियों के अन्दर हैं और बच्चों

(श्री हनुमान बेनीवाल)

की संख्या, हो सकता है, अपेक्षा या मानदण्डों के अनुसार कम होगी, लेकिन आप उनको बंद कर दोगे तो नदी-नालों का जो इलाका है, मरुस्थलीय इलाका है, वहां बच्चे पढ़ने के लिए कैसे जायेंगे? तो, सभापति महोदय, सरकार से मेरा आग्रह है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को बंद नहीं करें और शिक्षकों के जितने भी पद राजस्थान में रिक्त हैं उनको भरने के लिए सरकार प्रयास करे।

सरकार ने नये एग्जाम की घोषणा तो कर दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो एस.एल.पी. लगा रखी है एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आरक्षण के मामले में, उसका क्या होगा? थर्ड ग्रेड का रिजल्ट कब आयेगा और सेकण्ड ग्रेड का रिजल्ट कब आयेगा? सभापति महोदय, दो मिनट। आर.पी.एस.सी. पूरी संदेह के घेरे के अन्दर आ गयी।

तो, सभापति महोदय, हम सरकार से चाहेंगे कि पूरे राजस्थान के साथ न्याय करे और बंद पड़े स्कूलों के साथ-साथ जितने भी संविदाकर्मी लगे हुए हैं, उनकी मांगों पर ध्यान रखे। विद्यार्थी मित्र जो 25 हजार की संख्या में लगे थे और पूर्ववर्ती इसी भा.ज.पा. सरकार ने लगाये थे लेकिन आज वे बिना मानदेय के काम करने को मजबूर हैं। सरकारी आदेश वापस हुआ नहीं। एक मई से 15 मई तक और अब जुलाई के महीने में, अभी विधान सभा चल रही है, बहुत जोरदार बारिश भी हुई, हजारों की तादाद के अन्दर वे उद्योग मैदान पर बैठे हैं और सरकार की ओर टकटकी लगाये, इस सत्र की ओर टकटकी लगाये बैठे हैं कि कब हमारे पक्ष में आदेश आयेगा और कब हमें सरकार परमानेंट करेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, सभापति महोदय। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विद्यार्थी मित्रों को कोई रास्ता निकाल कर के समायोजित करें।

आर.पी.एस.सी. के मामले की खूब गूंज तीन दिन तक रही और आर.पी.एस.सी. का भ्रष्टाचार पूरे देश में समाचार-पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से आ गया। अब तो लोग डरने लग गये कि आर.पी.एस.सी. का एग्जाम है तो दिलायेंगे नहीं, और कहीं जाकर काम कर लेंगे क्योंकि आर.पी.एस.सी. में जो गोपनीयता थी, संवेदनशीलता थी और एक विश्वास राजस्थान की जनता का और युवाओं का था, वह पूरी तरह से उठ गया। सभापति महोदय, हम चाहेंगे कि मुख्य मंत्रीजी इस मामले में ठोस

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कदम उठाएं। कल जैसा कि कटारिया जी कह रहे थे कि संविधान की वजह से हम आर.पी.एस.सी. के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं, सी.बी.आई. जांच, ए.सी.बी. की जांच या एफ.आई.आर. दर्ज कर के पुलिस की जांच कराने के लिए सरकार स्वतंत्र है। उसमें संविधान कहीं आड़े नहीं आता।

माननीय सभापति महोदय, एन.आर.एच.एम. के संविदा कर्मियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। उसमें भी सरकार त्वरित कार्यवाही करके उनको भी मदद करे।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। कन्क्लूड करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट, सभापति महोदय।

श्री सभापति: दो मिनट-दो मिनट से तो आठ मिनट हो गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बेरोजगारी भत्ते की बात इस बजट में नहीं कही गयी। हमारे खींवसर में कालेज खोलने की बात नहीं की। नागौर जिले का नाम बजट में मैने तो एकाध बार सुना था। नागौर में भी बहुत बड़ी आवश्यकता है मेडिकल कालेज की। कृषि विश्वविद्यालय की जो घोषणा दिल्ली की सरकार ने बजट में की है, उसको आप नागौर जिले में खुलवा दीजिये।

सभापति महोदय, कानून-व्यवस्था की स्थिति, कोटा के अन्दर एस.पी. को पकड़ा। यह अच्छी कार्यवाही थी ए सी बी की। इस तरह से अगर एस.पी. स्तर के लोग पकड़े जायेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार रोकने में जनता का विश्वास कायम होगा। सभापति महोदय, एक मिनट। लेकिन कोटा का आई.जी. गोविन्द गुप्ता उस महिला के लगातार सम्पर्क में था ...(व्यवधान) उसके खिलाफ कोई कार्यवाही ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं सम्माननीय सदस्य से यह निवेदन करता हूं कि कृपया करके विराज जायें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट। ऊर्जा पर तो बोलने दो।

श्री सभापति: सम्माननीय सुशील कटारा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक मिनट का समय और दे दो।

श्री सभापति: सम्माननीय सुशील कटारा। आदरणीय सदस्य, आप 15 मिनट से ज्यादा ले चुके हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक मिनट। एक मिनट। सभापति महोदय, ऊर्जा के मामले में सरकार ने डार्क जोन इलाके में जो आन-डिमांड कनेक्शन की घोषणा की है, मैं चाहूंगा कि उसके अन्दर 75 प्रतिशत ...(व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): बोल दिया, माननीय सदस्य। एक मिनट पूरा हो गया आपका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सेकण्ड रुक जाओ। (व्यवधान) सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में सात महीने में ना तो चौबीस घंटे बिजली दी गयी और ना 7 घंटे कृषि कार्यों के लिए। सभापति महोदय, बता रहे हैं कि कनेक्शनों की वेटिंग लिस्ट हम खत्म कर देंगे। 3 लाख 11 हजार कनेक्शन लम्बित हैं और आप 40 हजार ही दे रहे हो। एक साथ ही दे दो ना 3 लाख 11 हजार कनेक्शन, वेटिंग लिस्ट खत्म हो जायेगी। बिजली कम्पनियों को 75 हजार करोड़ घाटे की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): सभापति महोदय, परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब विराज जायें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, जिस सी एम डी को लगाया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, विराज जायें। अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। सम्माननीय सुशील कटारा की ही अभिव्यक्त की गई बात अंकित होगी। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, विराज जायें। (व्यवधान) सम्माननीय सदस्य, विराज जायें। (व्यवधान) आसन पावों पर है।(व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014-15 के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान के इस अवसर पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सुशील जी, विराजें। नेता, प्रतिपक्ष को कुछ कहना है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य खींवसर से आने वाले, वे बिलकुल ट्रैक पर थे और आपने ट्रैक पर ही रखा। इसलिए आपको धन्यवाद। (व्यवधान) ये ट्रैक से उतरने वाले थे।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

2014-15 के इस बजट पर मैं ही नहीं, राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्यगण, राजस्थान की जनता और विशेष करके टी एस पी क्षेत्र, उदयपुर डिविजन की जनता ने जब इस बजट को 14 तारीख को सुना, टीवी पर देखा और पढ़ा, उसके बाद में वहां की जनता ने टेलीफोन के माध्यम से हमको भी बताया और वहां बैठे-बैठे उनकी भावनाएं उन्होंने व्यक्त कीं कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने इस बार टी एस पी क्षेत्र और पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता को इस बजट के माध्यम से वर्ष 2014-15 में जो दिया है, वह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। राजस्थान की जनता के लिए इन आने वाले 5 वर्षों में जो विजन 2020 है, निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी को और सरकार को धन्यवाद देने खड़ा हुआ हूं। डूंगरपुर जिला काफी लम्बे समय से पिछड़ा हुआ जिला है। जिले में 85 प्रतिशत जनजाति के लोग रहते हैं। वहां पर देश आजाद होने के 66 वर्ष बाद भी अधिकतम 50-55 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा है। वहां के लोगों की स्थिति, शिक्षा की कहें, चिकित्सा की कहें, पी डब्ल्यू डी की कहें, इर्रिगेशन या पी एच ई डी, किसी भी विभाग की कहें, इन वर्षों में कभी भी कांग्रेस ने विकास करने का जिम्मा अपने हाथ में नहीं लिया। उस क्षेत्र के गरीब आदिवासियों में हमेशा अपने वोट बैंक की राजनीति करते रहे, उनको अपनी जेब का वोट समझा। सभापति महोदय, इतने वर्ष शासन करने के बाद भी वहां पर कोई विकास नहीं हो पाया। मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां की जनता की आवाज को उन्होंने सुना और डूंगरपुर जिले के लिए एक मेडिकल कालेज की घोषणा की। उस मेडिकल कालेज से हमारे जिले को, उस क्षेत्र के लोगों को, जिनको सवेरे उठकर रोज गुजरात जाना पड़ता है, छोटी-छोटी बीमारी में भी गुजरात जाना पड़ता है, वहां उनका खर्चा अधिक होता है वे इतना खर्च नहीं उठा पाते हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और कहूंगा कि उस मेडिकल कालेज को जल्दी शुरू करवायें और डाक्टरों की वहां जो कमी है, लम्बे समय से किसी भी पी एच सी और सी एच सी में डाक्टर्स नहीं हैं, इस कमी को भी इस बजट में इस मेडिकल कालेज के माध्यम से पूरा किया जाये।

सभापति महोदय, मैं सरकार को और माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में 1 हजार करोड़ रुपये का पैकेज

(श्री सुशील कटारा)

जनजाति क्षेत्र के लिए रखा। पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव से जस्ट 4-5 महीने पहले उस टी एस पी क्षेत्र की जनता को लुभाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, 200 करोड़ का पैकेज रख दिया। पैकेज के नाम पर कुछ नहीं, जीरो और पूरे क्षेत्र में घूमते रहे कि हमने इस क्षेत्र को 200 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। यही नहीं, उस क्षेत्र की जनता को लुभाने के लिए तीन-तीन बोर्ड के अध्यक्ष बना दिये और लाल बत्ती दे दी कि सब लाल बत्ती लेकर के घूमते रहो और माननीय पूर्व मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत जी को खुश करो, वापस एम एल ए बनकर आ जाओ और सरकार में मदद करो।

सभापति महोदय, हमेशा उस क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक अधिक जीतकर आते रहे हैं और कांग्रेस सरकार को समर्थन देते आये हैं। आज तक देश आजाद होने के बाद में जितना भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय भैरोंसिह जी और माननीया वसुंधरा जी का पूर्व का कार्यकाल और अभी के कार्यकाल में उन्होंने जितना उस क्षेत्र को बजट इन दोनों सत्रों में, पूर्व वाले और अभी में, जितना पैसा दिया है, उतना 55-60 वर्षों में कांग्रेस ने उस क्षेत्र को नहीं दिया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान रखा है। जनजाति छात्रों के लिए एक बड़ा छात्रावास, जो दो-ढाई करोड़ का होगा, उसको भी खोलने की घोषणा की है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, गत सरकार ने वर्ष 2009 में जनजाति क्षेत्र में खनन हेतु नीति लागू की थी। इस नीति से टी एस पी क्षेत्र में ना तो किसी प्रकार का कोई खनन कार्य हुआ और ना वहां के लोगों को किसी प्रकार का लाभ मिला। इस बजट में नई खनन नीति बनाने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रावधान रखा है, उस क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। इस नई नीति के लिए जल्दी ही कमेटी का गठन हो, उस क्षेत्र के लोगों को अधिक लाभ मिले, यही मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, चौरासी विधान सभा क्षेत्र, जिसका नाम चौरासी है और वहां पर अगर आप सब जायेंगे तो चौरासी कोई स्थान नहीं मिलेगा, विधान सभा क्षेत्र का नाम चौरासी है और वह गुजरात बार्डर पर है, उस क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत समस्या है, बहुत किल्लत है। मैं माननीया मुख्य

(श्री सुशील कटारा)

मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने कल 295 के माध्यम से भी कहा था कि हमारे वहां पर माही डैम और कडाणा डैम, दो बड़े-बड़े डैम हैं। माही डैम का पानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा को देने के बाद, आधे राजस्थान को दे सकते हैं, इतना पानी है। इसका आधा बैकवाटर का कडाणा डैम में पानी है। जब हम माही का पानी जालौर और राजसमन्द ले जाने की बात करते हैं तो माही का पानी और कडाणा का पानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, खैरवाड़ा, सलूम्बर तक के लोगों को भी पीने के लिए और सिंचाई के लिए मिल सकता है। नर्मदा बांध परियोजना बन जाने के बाद में उस कडाणा के पानी का ज्यादा उपयोग गुजरात की सरकार नहीं कर पा रही है, कम खर्च होता है उनके पानी। जितना साबरकाठा, जो वर्तमान में अरावली जिला है और बनासकाठा जिले को ही पेयजल हेतु वहां पर और सिंचाई हेतु मिलता है और बाकी का पानी बहुत सारा बच जाता है। ऐसी कोई बड़ी योजना बनाकर चौरासी विधान सभा क्षेत्र को और डूंगरपुर जिले को अधिक मात्रा में पेयजल हेतु और सिंचाई हेतु पानी मिले, ऐसा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

अभी हम अगर राजस्थान की सीमा से देखते हैं तो सामने नदी के किनारे पर बहुत बड़ी गुजरात सरकार ने पानी की टंकी और फिल्टर प्लांट लगा रखा है और हमारे लोग इस किनारे से देखकर कहते हैं कि गुजरात के मोदीजी ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है और हमारे लोगों को भी इधर का यह फायदा मिले। तो वह मन में सोचते हैं। निश्चित रूप से मैं, बाकी माननीया मुख्य मंत्रीजी से मिला भी था और इस सम्बन्ध में बात भी की है और उन्होंने कहा भी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको देखेंगे और राजस्थान के हमारे डूंगरपुर जिले की, बांसवाड़ा की जो जनता है, उसको कडाणा का और माही डैम का पानी मिले, ऐसा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से मिलेगा, मुझे पूरा मुख्य मंत्रीजी पर और सरकार पर भरोसा है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने मेट्रो रेल बनाने के लिए 3,400 करोड़ रुपये से लगभग 12 किलोमीटर के लिए लक्ष्य रखा। सिर्फ 12 किलोमीटर में 3,400 करोड़ रुपया, अगर यहां खर्च करें और उसका आउटपुट हमें मिल नहीं रहा है, हमने इतना पैसा यहां वहन किया उतना पैसा तो अगर पूरे राजस्थान में अन्य जगहों पर या अन्य विभागों में खर्च किया जाता तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को इसका अधिक लाभ मिलता, जनता ज्यादा लाभांवित होती। इतनी बड़ी राशि और छोटे लाभ के प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से क्या फायदा?

(श्री सुशील कटारा)

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में श्री योजना और गांव की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु गुरु गोलवलकर योजना का जो प्रावधान इस बजट में रखा है, निश्चित रूप से सरकार की स्वच्छता, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और विद्युत योजनाओं का जो कंवर्जेंस है, वह निश्चित रूप से इस योजना से ग्राम के ग्रामीण लोगों को काफी लाभ होगा।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि रोजगार के लिए युवाओं को जो आश्वासित किया है, जो आश्वासन दिया है, आने वाले पांच वर्षों में पन्द्रह लाख बेरोजगार जो युवा हैं, उनको सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियां इन पांच वर्षों में मिलेंगी। और तीन लाख लगभग हर साल नौकरियां उनको राजस्थान में मिलेंगी। हम सब इस विधान सभा में काफी युवा हैं। 2003 में जब मैं सदस्य बनकर आया था तो मैं और रामलालजी, जो चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य हैं, वे ही कम उम्र के थे। इस बार तो बहुत सारे युवा साथी इस विधान सभा में आये हैं और राजस्थान के युवाओं को अपेक्षा भी है माननीय मुख्य मंत्री महोदया से कि पन्द्रह लाख का जो हमारा लक्ष्य है, वह निश्चित रूप से माननीया वसुन्धराजी पूरा करेंगी। ऐसा सब मानते भी हैं और राजस्थान की जनता कह भी रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, कल से इन्तजार कर रहे हैं कि कुछ बोलने को मिले। मैं अपने क्षेत्र की एक-दो मांगों को कहकर बिलकुल जल्दी, एक-डेढ़ मिनट में खतम करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सीमलवाड़ा उप खण्ड क्षेत्र है और बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है, लगभग डेढ़-दो लाख वहां की जनसंख्या है और वहां एक भी महाविद्यालय नहीं है। हमारे जिले में दो ही सरकारी महाविद्यालय हैं, डूंगरपुर और सागवाड़ा। जहां डूंगरपुर में पांच हजार से ऊपर छात्र-छात्राएं अध्ययन के लिए, वहीं सीमलवाड़ा से रोज लगभग पन्द्रह सौ से अठारह सौ बालक-बालिकाएं अध्ययन के लिए आते हैं। पूरा पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र है। जिसने भी उस क्षेत्र को देखा है, निश्चित रूप से दंग रह जायें उस क्षेत्र को देखकर कि कितनी ऊपर-नीचे घाटियां पड़ती हैं। इसलिए रोज उनको आने-जाने के लिए बस की सुविधा भी उपखण्ड स्तर पर कर दें, उनको ग्रामीण क्षेत्र से आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए सरकार से, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन है कि एक उप-खण्ड सीमलवाड़ा में महाविद्यालय की स्थापना की जाये।

(श्री सुशील कटारा)

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, 2014-15 के परिवर्तित आय-व्ययक पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो यह बजट पेश किया है, यह बजट अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है; आम जनता को फायदा पहुंचाने वाला है; जन हित का है; गांव का, गरीब का, अंत्योदय का, बी पी एल का और बेरोजगारों को रोजगार देने वाला बजट है। माननीय सभापति महोदय, आज देश को आजाद हुए 65 साल से ज्यादा हो गये, 65 साल में 50 साल तो कांग्रेस ने राज किया और पन्द्रह साल टुकड़ों में भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। माननीय सभापति महोदय, मैं उन 65 सालों का जिक्र नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दस साल जो पहले वसुन्धरा जी की सरकार रही और दस साल में पांच साल कांग्रेस की अशोक जी की सरकार रही, इस सरकार में जो इस प्रदेश का बंटाढार हुआ है, जो प्रदेश का नुकसान हुआ है, इसके बारे में मैं आपको निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस समय 2003-04 में माननीया वसुन्धरा जी ने सरकार सम्भाली, उस समय इन्होंने राजकोषीय घाटा 3,424 करोड़ का सुपुर्द किया। माननीय वसुन्धरा जी ने कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण, अपनी सोच के कारण और अपनी व्यवस्था से उसको पांच सालों में सरप्लस बजट के रूप में, 1,653 करोड़ का, कांग्रेस को जब सरकार सौंपी, सरप्लस बजट सौंपा। माननीय सभापति महोदय, बाकी पांच साल तक इन्होंने वापस बंटाढार कर दिया और अकुशल वित्तीय अप्रबन्धन के कारण इन्होंने वापस 2,500 करोड़ का राजकोषीय घाटा माननीया वसुन्धरा जी के सुपुर्द किया है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के हालात इतने बदतर हो गये, जहां 2003-04 में फिस्कल डेफिसिट साढ़े छह प्रतिशत से अधिक था उसको कम करके पौने दो परसेंट पर लाकर खड़ा किया और वापस अशोक जी ने तीन परसेंट पर लाकर खड़ा कर दिया। यह इनका कुशल वित्तीय प्रबन्धन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश को घाटे में डालने के लिए, इस प्रदेश को दिवालिया करने के लिए, जो ट्रस्टी के रूप में

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जनता अपने को चुनकर इस सदन में भेजती है, यह सदन राजस्थान का सर्वोच्च सदन है, चाहे कोई मुख्य मंत्री बन जाये, चाहे कोई मंत्री बन जाये, कोई माननीय सदस्य बन जाये, सबका काम एक है, जनता के हित में काम करने का, परन्तु इन्होंने इस मैनेजमेंट के कारण मिस्एप्रोप्रिएशन किया है और मिस्एप्रोप्रिएशन करके इस प्रदेश को गर्त में डाला है। आज इस प्रदेश के अन्दर पांच साल में, आप देखिये, जब हमने सत्ता छोड़ी पांच साल पहले, उस समय 77 हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान की सरकार के ऊपर था; इन्होंने पांच साल में 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये तक कर्जा पहुंचा दिया। आप यह मिस्मैनेजमेंट देखिये, माननीय सभापति महोदय, 55 हजार करोड़ रुपये तो पांच साल में ऋण भार ले लिया और पूरे 60 साल में 77 हजार करोड़ रुपये! माननीय सभापति महोदय, बिजली कम्पनियों का पूरे 60 साल में 15 हजार करोड़ रुपये का कर्जा और इन्होंने 5 साल में 75 हजार करोड़; मतलब, 60 हजार करोड़ का कर्जा ले लिया।

यह प्रदेश की जनता के साथ धोखे के अलावा, अन्याय के अलावा, इन्होंने किया क्या है? मैं तो यहां तक कहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने भी यह गलती की है, यह आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आता है और इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने इस प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर कोई कानून में प्रावधान हो तो उनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सरकार सम्भाली है, मैं उनके कुशल विवेक की, उनके कुशल प्रबन्धन की दाद देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कर्जे से इस प्रदेश को निकालने का काम करेंगी। आज रोडवेज घाटे में है, बिजली घाटे में है, आज सरकारी ऋण इतना पहुंच गया है, सरकारी उपक्रम सब घाटे में है। जब तक इनका मैनेजमेंट करके, वापस सरकारी आय बढ़ाकर, अभी 350 करोड़ का टैक्स लगाया और 150 करोड़ की वापस छूट दे दी, परन्तु जब तक कठोर फैसले नहीं लेंगे, जब तक कोई न कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां अपने को माफ नहीं करेंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं, माननीया वसुंधरा जी पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनका कुशल वित्तीय प्रबन्धन इस प्रदेश को दिवालियापन के कगार से ऊपर लायेगा और प्रदेश को एक खुशहाली की तरफ ले जाने का काम करेगा। यह अपने प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 5 साल पहले जनता ने तो राज सौंपा परन्तु कुछ न कुछ कमियां रह गईं, इसलिए 5-10

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सीटें कम रह गईं। इस कारण से आज यह प्रदेश इस दिवालियापन के कगार पर खड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है कठोर फैसले लेने का और अगर इस समय कठोर फैसले नहीं लेंगे और सरकार की आय नहीं बढ़ायेंगे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां अपने को माफ नहीं करेंगी।

कड़े फैसले करने के लिए आप लोगों को, अपन लोगों को मिलकर एक तो जो स्रोत हैं, जैसे खनिज का अपूर्व भण्डार इस प्रदेश में है, उस खनिज का दोहन करना पड़ेगा। पर्यावरण-मुक्त किस प्रकार से खनिज का दोहन किया जा सकता है, किस प्रकार बेरोजगार युवा जो आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, सभापति महोदय, मुझे सदन में कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज बेरोजगार बच्चे हैं, हालात क्या हैं, आज जितनी भी चोरियां हो रही हैं, जितनी भी डकैती हो रही है, जितनी भी लूट हो रही है, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, वे 20 और 30 साल के बच्चे हैं। उनके सामने कोई आल्टरनेट नहीं है। वे आज विलासी जीवन जीने को मजबूर हैं। आज उनके पास घरों में देखते हैं कि दूसरों का देख-देख कर करते हैं। इधर यह मोबाइल की संस्कृति, इधर यह टी.वी. की संस्कृति ने उनको बिगाड़ कर रख दिया है। आज बेरोजगार बच्चे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए ऐसी नीति बनाई जाए और बेरोजगार युवाओं का खनिज सम्पदा में योगदान हो, उनको भागीदारी मिले और बेरोजगार युवा रोजगार के रूप में उनमें लगें।

मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं मुख्य मंत्रीजी का कि इन्होंने 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। चाहे सरकारी हो, चाहे गैर-सरकारी हो, चाहे सरकारी उपक्रम हो, चाहे सार्वजनिक उपक्रम हो, चाहे और किसी प्रकार से, उनको नौकरी पांच साल में देने की घोषणा की है। यह बहुत ही साहसिक कदम है। जो खनिज है, उसमें इनकी अहम भूमिका हो, जिससे आने वाले समय में बेरोजगार युवा आगे बढ़ें।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं शिक्षा की बात करता हूं, शिक्षा में इस प्रदेश का बंटाढार हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी का कि इन्होंने आज सभी पंचायतों में 12वीं तक की स्कूल खोलने की घोषणा की है। यह एक बहुत साहसिक कदम है, बहुत बड़ा कदम है। आज मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को, इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि मैं एकीकरण करूंगा और समानीकरण करूंगा। यह कोई

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मामूली बात नहीं है, यह मामूली फैसला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज स्कूलों में एक तरफ तो टीचर नहीं हैं और दूसरी तरफ बच्चे नहीं हैं। जहां बच्चे हैं वहां टीचर नहीं हैं। ऐसी अव्यवस्था हो चुकी है कि आज यह प्रदेश शिक्षा के जगत में पीछे जा रहा है, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। जो मास्टर जी हैं, कहने को तो मास्टर जी हैं, पर वे भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। ऐसे हालात हो गये हैं कि गांव और गरीब की कोई सोचने वाला नहीं है।

इसलिए यह जो फैसला हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग एक तो प्राइमरी शिक्षा में सुधार कीजिये। प्राइमरी शिक्षा में जो मानव संसाधन मंत्रालय ने यह आदेश किया है कि आठवीं तक का बोर्ड खतम कर देंगे, तो आठवीं तक का बोर्ड खतम कर दिया, आठवीं तक के बच्चों को फेल नहीं करना, यह आत्मघाती कदम है। इसलिए शिक्षा मंत्रीजी और वसुंधराजी से निवेदन करता हूं कि सबसे पहला काम प्रदेश में कोई करना है तो यह आठवीं का बोर्ड ऐच्छिक नहीं, परमानेंट बोर्ड कीजिये, पांचवीं तक का बोर्ड कीजिये और ऐसी व्यवस्था कीजिये कि शिक्षा के स्तर में सुधार हो और बच्चों का जीवन स्तर ऊपर उठे, बच्चे अपने कामयाब हों और आने वाले प्रदेश के भाग्य-निर्माता बन सकें। आज सीनियर सेकण्डरी स्कूलों में व्याख्याताओं के पद नहीं हैं और प्रधानाध्यापकों के पद नहीं हैं, उन पदों की भर्ती की जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में बात करता हूं। पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में आज 20 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण पर 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की भी बात कही गयी है। यह बहुत साहसिक कदम है। इससे आने वाले समय में प्रदेश में सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा, सड़कों का विस्तार होगा, जिससे आम आदमी को फायदा होगा। चाहे स्टेट हाइवे बनें, चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनें, चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बनें, चाहे धार्मिक स्थल, मंदिर की रोड बनें, परन्तु मैं एक माननीया वसुंधरा जी से निवेदन करूंगा कि जो 20 किलोमीटर इधर बनी हुई है, 20 किलोमीटर इधर रोड बनी हुई है परन्तु जो 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर के मिसिंग लिंक बच गये हैं, अगर उन मिसिंग लिंक के बारे में अपन नहीं सोचेंगे और मिसिंग लिंक की स्वीकृतियां जारी नहीं करेंगे, तो लोगों को 20-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

20, 30-30 किलोमीटर आवागमन में बाधा होगी। इसलिए मिसिंग लिंक के लिए मेरा विशेष तौर से निवेदन है।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप लोगों को इस बारे में भी ध्यान करना पड़ेगा कि आज पी.डब्ल्यू.डी. में जितना भ्रष्टाचार है, चाहे पैचवर्क के नाम पर हो, चाहे सुदृढ़ीकरण के नाम पर हो, चाहे ठेकेदारी प्रथा के नाम पर हो, आज भ्रष्टाचार जो पनप रहा है इस भ्रष्टाचार को आपको रोकना पड़ेगा। सभापति महोदय, आज मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज कमीशनखोरी इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई सोचने वाला नहीं है, कोई मानिटरिंग नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। वह ही इंजीनियर एस्टिमेट बनाता है, वह ही इंजीनियर उसकी एम.बी. भरता है, वह ही इंजीनियर उसकी यू.सी. देता है और बैठकर के बंदरबांट करते हैं। जहां रोड का काम होना चाहिए हण्ड्रेड परसेंट, वहां 40 परसेंट काम होता है। अब 40 परसेंट काम होता है और 60 परसेंट बीच में चला जाता है। तो इसके ऊपर भी कोई टेक्निकल विंग लगाकर के, उनकी मानिटरिंग कैसे हो, किस प्रकार से रोड की व्यवस्था सुधरे और जो पैसा राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का है, जो खर्च हुआ है, उस एक-एक पैसे का सदुपयोग हो, इसके बारे में भी अपन लोगों को विचार-मन्थन करके इसके ऊपर भी अंकुश लगाना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आप खड़े हो रहे हैं, मैं तो अनुशासित सिपाही हूं, आपने जो आदेश कर दिया, मैं तो बैठ जाता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, 14 जुलाई, 2014 को जो माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने परिवर्तित बजट 2014-15 प्रस्तुत किया, उसमें मुख्य रूप से पांच बातों पर फोकस किया गया, पांच क्षेत्रों को छूने का प्रयास किया गया, वे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा हैं। मेरा मानना है कि आजादी के इतने लम्बे समय के बाद भी राजस्थान, हमारा इतना बड़ा प्रदेश, इन पांचों मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और हमें यह बात स्वीकारनी पड़ेगी। सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं परन्तु आज भी, जैसा कि भोपालगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या कल बोल रही थीं, ग्रामीण अंचल में सड़कों का पूर्णतया अभाव है। इनको मेगा हाइवे से मतलब नहीं होगा परन्तु

(श्री अभिषेक मटोरिया)

गांवों में रहने वाले व्यक्ति को वाकई ग्रामीण सड़क चाहिए। यह बात कटु सत्य है। एम डी आर हो या स्टेट हाइवेज बनते हैं, वाहन उस पर बहुत तेज गति से दौड़ते होंगे, कोरिडोर के विकास भी होते होंगे, पर गांव के आदमी को अगर सड़क नहीं मिलेगी, परिवहन का साधन अगर उपलब्ध नहीं होगा, तो स्टेट हाइवेज, नेशनल हाइवेज और एक्सप्रेस-वेज के इस दौर में ये सारी की सारी घोषणाएं बेमानी होंगी।

इसी प्रकार बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, इन पांचों मूलभूत सुविधाओं को हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने छूने की कोशिश की है। परन्तु बात बजट प्रस्तुतिकरण की नहीं है। सभापति महोदय, ऐसे दौर में जब हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, गिरती हुई विकास दर और पूर्ण रूप से एक निराशा का निवेश का माहौल, जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया, दिल्ली तक की सत्ता को हिला दिया, ऐसी परिस्थिति में हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह इसलिए सराहनीय है क्योंकि कांग्रेस के मित्र न केवल हारे हैं, सूपड़ा साफ हो गया। ऐसी दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि पांच साल का अकुशल वित्तीय प्रबन्धन जो राजस्थान के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला; पैसे, पी.सी., साड़ी, कम्बल, जो चाहिए ले लो, वोट दे दो; इस नीति के आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया था वह लोगों ने नकार दिया। लैपटाप पी.सी. ही है। बल्ब से करंट जरूर आया। ऐसी वित्तीय स्थिति राजस्थान की थी। राजस्थान के स्वाभिमान को छूने की कोशिश की और उसका परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण रूप से कांग्रेस का सफाया हो गया। हार हमारी भी हुई परन्तु हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे थे, 80 सीटें आई थीं। छोटी-मोटी कमियों को छोड़कर एक शानदार पांच साल का सेवा का मौका राजस्थान की जनता ने 2003 से 2008 तक हमारी सरकार को दिया था। वह सबके सामने है। लोग कहते थे, बी जे पी चली गयी, वसुन्धरा जी चली गयी और विकास उनके साथ चला गया।

आज वह राज वापस आया है। न केवल राज आया है सेवा समर्पण का, सद्भाव का, जो मौका आम जनता ने वसुन्धरा जी को दिया है वह हमारे सामने है। 2003-04 व 2014-15, 10 साल के इस अंतराल में जो राजस्व घाटा 3,424 करोड़ रुपये था वह 2007-08 में 1,653 करोड़ का सरप्लस हो गया, बढ़ोतरी हुई है। गहलोत सरकार ने 2,400 करोड़ रुपये पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी प्रकार, 2003-04 का फिस्कल डेफिसिट जो 6.5 प्रतिशत था,

(श्री अभिषेक मटोरिया)

वह 2007-08 में 1.75 प्रतिशत पर हमारी सरकार ने किया। पूर्ववर्ती सरकार वापस तीन प्रतिशत से ऊपर ले आयी। जिस प्रकार से आप सहमति जता रहे हैं, मैं मानता हूं, ये आंकड़े पिछले तीन दिन से सुन रहे हैं, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैं इनको वापस दोहराने की गलती नहीं करूंगा, परन्तु जो अतिरिक्त कर्ज, हमारी सरकार ने 42 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर को 109 प्रतिशत किया था और एक शानदार निवेश का माहौल बना था, कांग्रेस की सरकार ने उसको नेट बोरोइंग्स का 68 प्रतिशत कर दिया, जो अब तक के 60 साल के इतिहास में न्यूनतम दर पर है। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 3.4 प्रतिशत था, विकास दर सर्वाधिक उच्च स्थान पर थी हमारी सरकार में, आज यह सबसे नीचे आ गयी।

इन आंकड़ों के अलावा, बजट को अगर हम प्रतिशत के रूप में बांटे, तो सबसे ज्यादा खर्च इस बार बजट में हो रहा है 69,820 करोड़ रुपये, सकल बजटीय समर्थन 57,115 और आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय समर्थन संसाधन 11,892 करोड़ रुपये। इसमें सबसे ज्यादा सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं-40 प्रतिशत, हमारे बजट का 40 प्रतिशत इसमें खर्च होगा; ढांचागत विकास होगा। दूसरा, विद्युत-19.63 प्रतिशत, जो इस बार बजट है, उसमें है। उसके बाद, तीसरा सबसे बड़ा होगा, ग्रामीण विकास-17.32; और चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि एवं संबद्ध सेवाएं-6 प्रतिशत। मैं मानता हूं कि कृषि की दृष्टि से शायद 6 प्रतिशत सुनने में कम लगे, परन्तु कांग्रेस सरकार ने इसे मात्र 2 या 3 प्रतिशत पर रखा था।

हम सब कृषि से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। यदि हम कृषि की बात न करें, क्योंकि 75 प्रतिशत कृषि से किसी न किसी तरह, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया कृषि के ऊपर, जिस तरह से अब ध्यान दिया, और अधिक ध्यान देकर, जो बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा अलग-अलग योजनाएं बतायी गयीं, बाहर के देशों की तकनीक को भारत में लाकर कृषि सुधार की बातें बतायी गयीं, उन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार, हमारे राज में 2003-04 में 10.3 प्रतिशत टैक्स कलेक्शन करने का रेट था, राज्य उत्पादन/आबकारी शुल्क; 2013-14 में 8.27 । एक तरफ तो महंगाई बढ़ती जा रही है, वोल्यूम्स बढ़ते जा रहे थे, The number of production was increasing; despite that, the tax collection decreased. उसके बाद

(श्री अभिषेक मटोरिया)

वाहन कर बिक्री बढ़ी, हमारे समय में 6.4 प्रतिशत कलेक्शन रेट था, कांग्रेस राज में 4.58; पुन: घट गया। वाहन बढ़ गये, लेकिन इनका टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम था, वह घट गया। टोटल, कुल योग, इन्डाइरेक्ट टैक्सेज 50.16, 2003-04 में और अब 54.98, इंक्लूडिंग इन्डाइरेक्ट टैक्सेज 67.14 2004-05 में और अब 66.14 2004-05 में और अब 62.58 । अध्यक्ष महोदय, यह सुनने में 2-4 प्रतिशत का फर्क है, लेकिन इनका टोटल योग 7,890 करोड़ रुपये का है। 2004 में हमने इनसे ज्यादा कर, जो सरकार द्वारा निर्धारित था, बड़े सही तरीके से व्यापारियों को साथ लेकर इकट्ठा किया। इन्होंने 5 साल व्यापारियों को दु:खी करके भी पैसे इकट्ठे करने में कंजूसी दिखायी।

इसी प्रकार, भिन्न-भिन्न क्षेत्र, ऊर्जा के क्षेत्र में, माननीय मंत्रीजी अभी गये हैं, 74 हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तीनों कम्पनियों का 74 हजार करोड़ का घाटा है। हम विद्युत की दरें भी नहीं बढ़ा सकते, वह भी जनता के साथ बेइमानी होगी। ऐसे हालात में मैं मानता हूं कि हमें विद्युत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और ऊर्जा के क्षेत्र में जो राज्य सरकार ने 24 घण्टे बिजली देने की घोषणा की है, वह सम्पूर्ण देश में एक संदेश गया है और एक ऐसी पहल है जिसे अन्य प्रदेश भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हमें हर हाल में इस घोषणा को पूरा करना है। राजस्थान को आने वाले बहुत कम समय में 24 घण्टे बिजली गांवों तक मिलेगी।

कृषि विद्युत कनेक्शन की वेटिंग लिस्ट समाप्त करके, जो अभी नागौर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, कृषि वेटिंग लिस्ट समाप्त होगी; किसान को जो कृषि कनेक्शन चाहिए वह त्वरित गति से मिलेगा; बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से खेती करने वाले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिया जाएगा। और तो और, राज्य के डार्क जोन के बाहर भी कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएंगे। आपने, कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक नाम मात्र के कृषि कनेक्शन दिये। मैं मानता हूं, ऊर्जा क्षेत्र में ये शानदार घोषणाएं हुई हैं, इनको हमें पूरा करना है।

मेरा सुझाव है, वर्तमान में विधायकों को, सबको पता है, जो 5 ढाणियों की स्कीम है, 5 ढाणियों पर विद्युत देने की स्कीम है, उसका दायरा घटाकर 3 ढाणियों पर लायी जाय, क्योंकि राजस्थान ढाणियों में भी बसता है।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सभी विधायकों की भी मांग है। उसी प्रकार, जो गैर-आबादी क्षेत्र में पहले लाइट दी जाती थी, गांवों की आबादी से 500 मीटर दूरी तक गैर-आबादी क्षेत्र में कृषि कनेक्शन लेने का प्रावधान था, उसको पुन: खोला जाय और लाइट दी जाय।

राज्य में सड़क के लिहाज से जो 20 हजार किलोमीटर सड़क की आपने घोषणा की, स्टेट हाइवे, एम डी आर, ओ डी आर, धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर और नोर्थ-ईस्ट कोरिडोर को जोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान में मेगा हाइवे बनाने की घोषणा की, वह भी सराहनीय है। 70 हजार करोड़ के निवेश से पूरे राजस्थान में निवेश का माहौल बनेगा।

जैतारण से आने वाले माननीय विधायक ने जो सुझाव दिया, मैं पुन: उसको दोहराऊंगा, ग्रामीण अंचल से आने वाला प्रत्येक विधायक यह चाहता है कि उसे गांवों में मिसिंग लिंक सड़कें इसलिए दी जाएं क्योंकि आज भी राजस्थान में बहुत सारे गांव अपने पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय से नहीं जुडे हुए हैं। पी एम जी एस वाई में एक तरफ की कनेक्टिविटी हो गई, दूसरी तरफ की कनेक्टिविटी रह गई। इसलिए कम से कम 50-50 किलोमीटर मिसिंग लिंक प्रत्येक विधायक को दी जाएं जिससे समय और ईंधन का बचाव होगा।

इसके अलावा, पेयजल की दृष्टि से 65 वृहद् पेयजल योजनाओं पर 25,976 करोड़ रुपये खर्च करने का सरकार ने निर्णय लिया है। यह वाकई स्वागत-योग्य है। उससे बड़ी घोषणा, विभागों की ओवरलैपिंग समाप्त करना है। आज अगर मैं अपने गांव में पेयजल का कनेक्शन लेना चाहता हूं तो मानिटरिंग एजेंसी ग्रामीण विकास होगी; कनेक्शन देगा पी एच ई डी; ऊर्जा से हमें एन ओ सी लेनी है तो ऊर्जा विभाग इन्वाल्व होगा और कहीं-कहीं राजस्व विभाग भी इन्वाल्वड है। अगर ओवरलैपिंग समाप्त हो जायेगी, एक एजेन्सी को यह पेयजल योजना दे दी जाएगी तो मैं समझता हूं ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। सुझाव के तौर पर 11 विधान सभा क्षेत्रों में स्वर्गीय भैरोंसिंह जी ने 2001 में आपणी योजना, जर्मन योजना के नाम से जो योजना शुरू की थी, वह अब चरमरायी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्री महोदया उस आपणी योजना के जीर्णोद्धार पर निश्चित रूप से बजट दें।

सिंचाई की दृष्टि से आई जी एन पी की सफाई व पुनरुद्धार अगले तीन वर्षों में ई आर एम के सारे कार्य संपादित करना, आई जी एन पी के

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सेकण्ड फेज के लिए 1500 करोड़, ड्रिप और इर्रिगेशन, हनुमानगढ़ की सेम समस्या, फोरवाटर कंसेप्ट जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी द्वारा, राजस्थान लघु सिंचाई में सुधार, इन सारी बातों से निश्चित रूप से सिंचाई का माहौल बनेगा। मैं इसके साथ यह भी चाहूंगा कि बढ़ती हुई पानी चोरी पर अंकुश लगाया जाय।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले दो बिन्दु बताना चाहूंगा, यह लास्ट है, मेट्रो, महानरेगा और रिफाइनरी के बारे में जो विपक्ष के लोगों ने भ्रम फैलाया है कि हम इन तीनों योजनाओं को बंद करेंगे, यह सरासर असत्य है। आज भी औसत रोजगार दिवस जो 2010-11 में 52 था, वह 2013-14 में 38 रह गया। कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या जो 2010-11 में 58.54 लाख थी, वह 2013-14 में 29 लाख लाख रह गयी। कुल सृजित मानव दिवस जो 2010-11 में 3,026 करोड़ थे, वे 2013-14 में 115 करोड़ तक घट गये। जो औसत व्यय प्रति जिला था, वह 2010-11 में 100 करोड़ था, वह 65 करोड़ पर आ गया। औसत व्यय पंचायतवार था, वह 2010-11 में 13 करोड़ था, वह 8 करोड़ हो गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदया यह चाहती है कि नरेगा का विस्तार हो, नरेगा से रोजगार उपलब्ध हो और नरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाय, न कि नरेगा को बंद कर दिया जाय। परन्तु इस प्रकार का भ्रम फैलाकर कांग्रेस के लोगों ने कुप्रचार करने की कोशिश की।

मेट्रो पर कई बातें बार-बार सुन रहे हैं, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने उनको बता दिया।

अंतिम बात रिफाइनरी के बारे में कहना चाहूंगा। 5 रिफाइनरी पूरे देश में लगीं। यह कुप्रचार किया जा रहा है कि हम रिफाइनरी को बंद कर रहे हैं। यह कदापि सत्य नहीं है। रिफाइनरी के रिनेगोशिएशन का काम हमारी सरकार करेगी, रोजगार भी देगी और रिफाइनरी को अच्छी तरह से चलाएगी।

बी पी सी एल की बीना रिफाइनरी, जो मध्य प्रदेश में लगी है, 15 वर्ष के लिए 250 करोड़ का टैक्स माफ हो रहा है। कुल वित्तीय भार है, वह मात्र 3,750 करोड़। आई ओ सी ने जो पारादीप रिफाइनरी उड़ीसा में लगायी है, बिक्री कर 11 साल तक ब्याजमुक्त। कुल उनका भार है, वह 1,680 करोड़ रुपये है। तीसरी जो रिफाइनरी आई ओ सी एल ने लगाई है, वह पानीपत हरियाणा में लगाई है। सात सालों तक 75 प्रतिशत वैट स्थगन, उसके अगले

(श्री अभिषेक मटोरिया)

तीन साल तक 50 प्रतिशत तक वैट स्थगन, केन्द्रीय बिक्री कर में 75 प्रतिशत की छूट; कुल वित्तीय भार मात्र 6,000 करोड़। एच पी सी एल भटिंडा रिफाइनरी में पांच वर्ष की अवधि के लिए ब्याजमुक्त 250 करोड़, जिसका भुगतान छह साल बाद दस किश्तों में किया जायेगा; कुल वित्तीय भार 1,250 करोड़। जो जामनगर की गुजरात की रिफाइनरी है, शत-प्रतिशत एफ सी आई, सोफ्ट लोन, 0.1 प्रतिशत, बिक्री कर का 16 साल तक स्थगन; कुल वित्तीय भार 20,000 करोड़ रुपये। हमारी एच पी सी एल की पचपदरा, बाड़मेर, बायतू की जो रिफाइनरी है, 3,736 करोड़ रुपये सालाना ब्याजमुक्त ऋणों का पुनर्भुगतान 16वें साल, 15 सालों के लिए 56,000 करोड़ रुपये का वित्तीय भार... (व्यवधान) माननीय सदस्य, दि-नेगोशिएशन के अन्दर न केवल कैपेसिटी या पेट्रो-केमिकल प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखा जायेगा, टर्म्स आफ कंडिशंस भी ध्यान में रखी जायेंगी, साइज भी ध्यान में रखा जायेगा।

तो मैं चाहूंगा कि रिफाइनरी के ऊपर जो बार-बार...

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, आप यह जानकारी भी इनको दे दें कि इनमें से कोई भी रिफाइनरी का खुद का प्रोडक्शन अपने प्रदेश में नहीं हो रहा है, कहीं और जगह से तेल आ रहा है, सिवाय राजस्थान के।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अंत में, अपनी बात समाप्त करने से पहले, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पिछले चार-पांच सालों से जो राजस्थान के इतिहास में बार-बार भर्तियां स्थगित की गईं, 17 बार दुबारा परिणाम निकाले गये और नौ भर्तियों के परिणाम अभी तक अटके पड़े हैं, उनको सही करने के लिए बजट भाषण में, या उसके बाद निश्चित रूप से कोई रूपरेखा बने। कोर्ट को मजबूरन, पहली बार, कांग्रेस की सरकार को यह कहना पड़ा कि आर पी एस सी पूर्ण रूप से नाकारा हो चुकी है, इसका काम बंद कर देना चाहिए। उसको सुधारने का काम हमारी मुख्य मंत्रीजी कर रही हैं और इसी प्रकार, उसको सुधारते हुए, राजस्थान के युवाओं के साथ निश्चित रूप से आर पी एस सी का भविष्य जुड़ा हुआ है, वह अंधकार में ना हो, इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा।

आज मुख्य रूप से राजस्थान अपार्टमेंट आनरशिप बिल, राजस्थान में पांच स्मार्ट सिटी, 15 नये महाविद्यालय, सुपर स्पेशलटी हास्पिटल्स, कैंसर ट्रीटमेंट एण्ड रिसर्च सेंटर, स्पाइनल इंजरी सेंटर, बस को-आपरेशन तथा स्टेट

(श्री अभिषेक मटोरिया)

हाइवेज अथोरिटी आफ राजस्थान, राज्य की 65 प्रतिशत आबादी को मेडिकल बीमा, प्रत्येक पंचायत पर एक-एक आई टी आई, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ऐतिहासिक 12वीं का स्कूल, अगले पांच सालों तक 15 लाख नौकरियां, थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए आर ई ई टी, गुड गवर्नेंस एक्ट, इंस्टिट्यूशनल स्पोर्टस एकेडमी, बीकानेर में सेरेमिक हब, चूरू में नेचर पार्क, ये सारी की सारी योजनाएं निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान को विकास की दृष्टि से बहुत आगे लेकर जायेंगी।

यह एक संतुलित बजट है, ना कि ऐसा बजट जो केवल सरदारपुरा या थोड़ा-बहुत जोधपुर के इर्द-गिर्द घूमता हो। मेरा यह मानना है कि जो कांग्रेस का नारा था कि 'राजस्थान में पहली बार', हमारा जो नारा था कि 'अच्छे दिन आने वाले हैं' और भारतीय जनता पार्टी की परम्पराओं के अनुरूप अगर हम इसको जोड़ दें तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि 'राजस्थान में पहली बार' अच्छे दिन आने वाले हैं।' आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नाना लाल अहारी।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2014-15 पर बोलने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं।

हमारे राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 4.4.2013 को चारभुजा से लेकर पूरे राजस्थान का 14,000 किलोमीटर का भ्रमण करके, आज गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर, जनता की क्या समस्या है, उन सारी चीजों को देखते हुए जो बजट रखा है, उस बजट की मैं प्रशंसा करता हूं। यह बजट सबका साथ, सबका काम और व्यापक दृष्टि से रखा गया है।

मुख्य मंत्रीजी ने जब 2003-04 में सत्ता संभाली थी, उस समय राजस्व घाटा 3,424 करोड़ रुपये था और उसी समय 2008 में यह घाटा बदलकर करीब 1,653 करोड़ रुपये सरप्लस कर दिया। इसके बाद वापस कांग्रेस ने सत्ता संभाली, पांच वर्षों में यह घाटा 2,500 करोड़ रुपये के आसपास कर दिया। यही नहीं, बिजली का घाटा 15,000 करोड़ रुपये का था, वह भी चार गुना बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये का घाटा किया।

मैं तो मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में सभी वर्गों का, गरीब का, अमीर का, सबका ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया है।

(श्री नाना लाल अहारी)

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। अगस्त, 2012 में उसका एक्ट आ गया था, हमारे उदयपुर सम्भाग की एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी का, मगर उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में कांग्रेस के कई नेताओं ने घोषणा की थी, प्रथम वर्ष जब खोली थी, उस समय 20 करोड़ रुपये की घोषणा की थी और उसके कुछ समय बाद में ही आर एस एम एम से 50 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, आज वह ट्राइबल यूनिवर्सिटी केवल एक प्राइवेट कमरों में चलाई जा रही है। उसका वी सी है, वहां पर पहले आई जी की पोस्ट पर कार्यरत था, कांग्रेस के लोगों ने उसको सेवानिवृत्त कराकर आई जी की पोस्ट पर लगाया, आज वह उस पोस्ट पर जाकर पछता रहा है। तो ऐसी स्थिति में, उदयपुर संभाग में अगर यह ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली है तो वहां अभी किसी प्रकार का कोई बजट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं यहां शिक्षा मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इस बजट में उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी कुछ अंश शामिल किया जाय ताकि वहां के हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का, पढ़ने-लिखने का मौका मिले।

इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र की कई प्रकार की समस्याएं हैं। जब 2003 और 2004 में सिंचाई मंत्री माननीय सांवरलालजी जाट थे, वहां पर इनके प्रयत्नों से एक घोड़ाखोज बांध का निर्माण किया था, इन्होंने उसकी नींव रखी थी, वह घोड़ाखोज बांध 2008-09 में पूर्ण बनकर तैयार हो गया, परन्तु होता यह है कि इस कांग्रेस सरकार में उस बांध पर किसी प्रकार का नहरों का काम नहीं हुआ है। वह बांध करीब-करीब 100 एम सी एफ टी भराव क्षमता का है। आज करोड़ों रुपया उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है मगर वहां के नीचे रहने वाली जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है।

इसी प्रकार से, एक दोनदी का बांध भी वहां पर बना हुआ है, वह भी 141 एम सी एफ टी का बांध बना हुआ है। उसमें भी रिवाइज एस्टिमेट को लेकर 9,000 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी के राज में लगे थे, उसके यहां पर भी 14 किलोमीटर की कैनाल है, वहां पर भी उसका पानी नहीं मिल रहा है। तो इसका भी इस बजट में ध्यान में रखा जाये।

दूसरा, मुख्य मंत्रीजी ने इंजीनियरिंग कालेज के लिए, और कालेजों के लिए कहा है, आर.ओ. से पानी पिलाने के लिए कहा है, सड़कों के बारे में कहा है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, वह पूरा जनजाति क्षेत्र है। मैं खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, मेरा क्षेत्र पूरा ट्राइबल है, 85 प्रतिशत जनसंख्या

(श्री नाना लाल अहारी)

जनजाति की है। जैसे सड़कों को जोड़ने के लिए कहा है, शुद्ध पानी पिलाने के लिए कहा है, परन्तु वहां बस्तियां बहुत दूर-दूर हैं, मगरों में हैं, ढाणियों में हैं। तो ऐसी स्थिति में, जैसे 800 की बस्तियों को आर.ओ. से पानी पिलाये, ऐसी स्थिति में वहां पर पानी पिलाना सम्भव नहीं है। तो इसके लिए भी कोई न कोई अलग से नीति लागू की जाये।

सड़कों के बारे में, हमारे कल जीतमलजी खांट ने भी बताया था कि ऐसी ढाणियां हैं, जो आज नक्शे पर भी नहीं हैं, जहां 400 और 500 की ढाणियां हैं। उन लोगों को किस तरह सड़कों से जोड़ा जाये, उसका भी ध्यान रखा जाये।

खैरवाड़ा में एक खेल छात्रावास पूर्ववर्ती सरकार वसुन्धराजी के टाइम पर खोला गया है। वहां बिल्डिंग, वगैरह बिलकुल कम्प्लीट हैं परन्तु कांग्रेस सरकार में किसी प्रकार की कोच, वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। तो वह बिल्डिंग इसी प्रकार की पड़ी है। न वहां बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार का जो रुपया लग रहा है, वह व्यर्थ में जा रहा है। तो वहां जितनी भी पोस्ट हैं उनको भरा जावे।

चिकित्सा के बारे में सामुदायिक हास्पिटल है वहां करीब-करीब 13 से 14 डाक्टर की पोस्ट हैं। वहां पर किसी प्रकार के सर्जन, आर्थोपेडिक्स और बालकों के डाक्टर हों, इस प्रकार कोई पोस्टें वहां भरी हुई नहीं हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर सारी की सारी डाक्टर की पोस्ट खाली हैं उनको भरा जावे। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कंवरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने जो बजट 2014-15 का प्रस्तुत किया, वह राज्य के विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगा। हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि माननीया मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट राज्य का पूर्ण विकास करेगा, क्षेत्र के गरीब किसान से लेकर उद्यमियों, व्यापारियों तक के विकास में सहयोगी बनेगा।

(श्री गोतम कुमार)

जिस प्रकार से आज गांवों के विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने दो-दो किलोमीटर गौरव पथ बनाने की योजना रखी है, निश्चित रूप से शहरों के मुकाबले गांवों को भी एक सम्मान मिलेगा।

आज हमारे गांवों में फ्लोराइड की समस्या है। वहां आर.ओ. के संयंत्र लगाकर के, 800 से ऊपर की आबादी में जो आर.ओ. के संयंत्र स्थापित कर रही हैं, निश्चित रूप से उससे गांवों में जो दूषित पानी पीकर के तरह-तरह की बीमारियों से ग्रामीण जूझ रहे थे, निश्चित रूप से इस तरह के आर.ओ. संयंत्र से उनको शुद्ध पानी पीने का मौका मिलेगा।

जिस तरह से किसानों के लिए 40 हजार नये कनेक्शन जारी करके पूर्ववर्ती सरकार ने पांच सालों में सिर्फ एक साल की प्रायोरिटी निकाली थी और जब वसुंधराजी का पूर्व का कार्यकाल था, उसमें सात-सात, आठ-आठ साल की प्रायोरिटी निकालकर के किसानों के लिए वापस जो ऊर्जा में और किसानों के लिए विद्युत कनेक्शन के लिए जो नीति बनाई है और जो सरकार की सोच है कि आने वाले पांच सालों में डे-टू-डे कनेक्शन मिले, उस ओर यह अग्रसर हैं। निश्चित रूप से इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक जो योजना है गुरु गोलवलकर की, जो पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दी थी, उसे पुन: प्रारम्भ करके, भामाशाहों के साथ जुड़ कर, विकास की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा इस राज्य के लिए। निश्चित रूप से इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं उनसे आग्रह भी करता हूं कि जो इसमें राशि रखी गई है 50 करोड़ की, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए।

राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने इस बार फरवरी में रबी की फसल के समय ओलावृष्टि और बारिश हुई थी, उससे जो फ़सलों में नुकसान हुआ था, मैं उसके लिए भी मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे विधान सभा क्षेत्र में 18 करोड़ रुपये स्वीकृत करके हमारे क्षेत्र के किसानों को राहत दी। उसके लिए भी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं अपनी ओर से कुछ सुझाव भी इस बजट में देना चाह रहा हूं। मेरा आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय बड़ी सादड़ी में जहां लगभग 40 हजार की आबादी है, वहां 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर तक कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। चूंकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, वहां अनुसूचित जाति के, जनजाति के और गरीब तबके के किसान निवासरत हैं, 70 किलोमीटर दूर में न तो बालिकाएं

(श्री गोतम कुमार)

वहां जा सकती हैं, इसलिए बीच में ही उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो मेरा आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन है, चूंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक निजी पुस्तकालय समिति बनी हुई है, जो अगर हमारे मुख्य मंत्रीजी राजकीय महाविद्यालय वहां खोलती हैं तो 25 लाख रुपये वह समिति सरकार को देने के लिए तैयार है। एक संस्था भी है जिसकी बिल्डिंग है, बिलकुल नवनिर्मित बिल्डिंग है, वह पूरी की पूरी लगभग दो-ढाई करोड़ की बनी हुई है, वह संस्था भी अपनी बिल्डिंग सरकार को समर्पित करने को तैयार है। मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया का जो पांच वर्षों में उपखण्ड स्तर पर महाविद्यालय का जो मानस है, अगर इस विषय पर थोड़ा सा गम्भीरता से विचार करेंगे, चूंकि अपने को बिल्डिंग मिल रही है, 25 लाख रुपये मिल रहा है, एक बार इस पर पुन: गम्भीरता से विचार करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंगलवार से लेकर के बड़ी सादड़ी तक जो पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले बजट में एक फोरलेन सड़क की घोषणा की थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ है, उस पर कोई टेण्डर नहीं हुए हैं। मेरा अभी की सरकार से आग्रह है कि उस पर टू-लेन सड़क बनाकर के क्षेत्र की जनता को राहत देवें।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से यह भी अनुरोध है कि पूर्व में मुख्य मंत्री द्वारा जो शिलान्यास किया गया था, जो बांध स्वीकृत किया गया था पिण्ड बांध, उसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। पांच साल तक वह किसान इधर-उधर डोलते रहे। मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है सरकार से कि उस पिण्ड बांध के लिए किसानों को जो नई अधिग्रहण नीति लगी है मुआवजा के लिए, उससे मुआवजा मिल सके।

इतना ही कहते हुए, मैं एक बार पुन: मुख्य मंत्री महोदया को इस विकासशील बजट के लिए, नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, संभावनाओं से परिपूर्ण इस बजट के लिए पुन: बहुत-बहुत साधुवाद। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश वर्मा।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे परिवर्तित बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

राजस्थान की ऐसी मुख्य मंत्री जिन्होंने राजस्थान को एक नई उड़ान देने का काम किया, श्रीमती वसुंधराजी के चरणों में नमन करूंगा क्योंकि उनके माध्यम से जो राजस्थान की जनता पिछले पांच साल के अन्दर त्रस्त थी,

(श्री कैलाश वर्मा)

उन्होंने अपने इस बजट के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को, राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के किसानों को और महिलाओं को एक बजट के रूप में यह तोहफा देकर के यह विश्वास दिला दिया कि जिन भावनाओं के साथ में पूरे राजस्थान की जनता ने एक साहसी कदम उठाकर के और राजस्थान की जनता की तरफ से राजस्थान को एक नया अवसर मिला और इस अवसर को निभाने के लिए हमारी पूरी टीम ने काम किया और जो वादा हमने घोषणा पत्र

(15.57 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

के माध्यम से राजस्थान की जनता के साथ में किया, उस वादे को हमने इस बजट के माध्यम से पूरी तरीके से निभाया। बजट हमने पेश किया और बजट पेश करने के पीछे हमारा पांच साल का जो सरकार का कार्यकाल है, इस पांच साल के कार्यकाल में हम यह साबित कर देंगे कि हम घोषणाएं नहीं, हम वादे नहीं करते, हम काम करते हैं।

आज से तीन दिन पहले यह बजट माननीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया, उसके बाद में बजट के ऊपर वाद-विवाद चलता रहा और हमारे सामने बैठे प्रतिपक्ष के लोग हमेशा एक ही बात का गीत गाते रहे कि हम संख्या में कम हैं और आप 163 जीत करके आये हों, आप ज्यादा हों, हमारी बात सुननी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विपक्ष में बैठे सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि आप पिछले पांच साल भी यही गीत गाते रहे और जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो अब भी आप यही गीत गाते रहे। आपको सपने में भी 163 दिखते हैं।

हम 163 जीत करके कैसे आए, इसको मैं एक व्यंग्य के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जब 4 अप्रैल को माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान के अन्दर राजस्थान की जनता को जगाने के लिए चेता किया, तीन बातों के अन्दर मैं मेरी बात को कहूंगा, जो राजस्थानी कहावत चलती है तो पुराने टाइम मेरे दादाजी मेरे को बताया करते थे कि राजनीति के उसूल क्या होते हैं, उन्होंने तीन शब्दों के अन्दर मेरे को राजनीति सिखाई, चेता, एका, खुडका। 4 अप्रैल को सुराज संकल्प यात्रा के दौरान हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान के अन्दर 'चेता' कर दिया और 1 दिसम्बर को राजस्थान की जनता के साथ में 'एका' किया और 8 दिसम्बर

(श्री कैलाश वर्मा)

को राजस्थान की जनता के साथ में मिलकर ऐसा 'खुड़का' किया जो राजस्थान की राजनीति के अन्दर एक इतिहास बन गया और हम 163 जीत करके आये। आज मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई भी देता हूं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान की राजनीति में एक नया इतिहास बन गया।

(16.00 बजे)

जब हमारी सरकार थी 2003 से 2008 तक की, तब भी सिर्फ, और सिर्फ, आप कमियां ढूंढने के सिवाय, हमारी जो योजनाएं थीं, उनको भी आप लागू नहीं कर पाएं। हमारी सरकार ने तो आपकी पूर्ववर्ती सरकार की जितनी भी योजनाएं थीं, चाहे भामाशाह योजना हो, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे किसानों से जुड़ी हुई योजना हो, चाहे महिलाओं की योजना हो, चाहे युवाओं की योजना हो, एक भी योजना को बंद नहीं किया। एक शेर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूर्ववर्ती सरकार को कि 'आप जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, हमारे आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे; मगर आप तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर तक निकल सकते थे।' आपकी दूरगामी सोच नहीं थी। विकास के नाम पर जीरो। सिर्फ, और सिर्फ, जब बगरू विधान सभा क्षेत्र, राजधानी की सीट, जहां से मैं जीत कर आया और ऐसी सीट जिसकी भौगोलिक स्थिति और जिसका क्षेत्रफल...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कितने वोटों से जीते, यह भी बता दो।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): 46,000 वोटों से जीत कर आया और पहली बार राजस्थान की विधान सभा में आया।

ऐसा विधान सभा क्षेत्र जिसकी योजनाएं, जो हमारी 2003 से 2008 की सरकार ने लागू की थीं, जैसे बीसलपुर की योजना, आज मेट्रो की कहीं जरूरत नहीं थी अगर रिंग रोड जयपुर में बनी होती। शूटिंग रेंज, ग्रीन बेल्ट का मामला, गोनेर जगदीश महाराज मंदिर जो राजस्थान में तीर्थस्थानों में अपनी एक छाप छोड़ता है, ऐसी योजनाओं को बंद करके आज विकास की बात करते हैं।

बानसूर से आने वाली हमारी माननीय सदस्या जो दो दिन पहले, मैं उनकी सुन रहा था, जब वाद-विवाद चलता है, बात आती है और पक्ष की तरफ से कोई बात चली जाती है तो गुस्से में आ जाती हैं और बोलती हैं कि हमने तो रेवड़ियां बांटीं, आप बताशे बांट देना। मैं इस सदन के माध्यम से, माननीय

(श्री कैलाश वर्मा)

अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि हम बताशे जरूर बांटेंगे मगर वे बताशे राजस्थान के विकास के हक के लिए बांटेंगे, राजस्थान के युवाओं के लिए बांटेंगे, राजस्थान की महिलाओं के लिए बांटेंगे और राजस्थान के उन बुजुर्गों के लिए बांटेंगे जिन्होंने इतिहास बनाने में अपना एक योगदान दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए।

आज ऐसी योजनाएं, इन सबके ऊपर विकास की योजनाओं को अटकाने का काम किया तो आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने किया। 21 करोड़ रुपये की योजना जो बीसलपुर के नाम से बगरू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर लागू हुई थी, उसको अटका कर रखा और आज ऐसी सीट, शहर की सीट, जिसमें चार नगर निगम के वार्ड आते हैं, उसके अन्दर पानी नहीं है। पानी के लिए जनता त्राहि-त्राहि करती है। आज जब 6 महीने में सरकार के अन्दर आये, हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जब बड़ी सभा हुई थी, कि हम आश्वासन नहीं देते, हम वादा नहीं करते, हम घोषणा नहीं करते, हम काम के अन्दर विश्वास करते हैं और उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि जल्दी से जल्दी हम बगरू विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर की योजना भी लागू कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं विपक्ष में बैठे सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा, आज जो हमारी टीम राजस्थान, जिसके अन्दर सब लोग हैं, माननीया मुख्य मंत्रीजी बताती रहती हैं; आंकड़ों की बात तो इस सदन के अन्दर तीन दिन के अन्दर बहुत कुछ हो चुकी; शिक्षा के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए; युवा हूं, युवाओं की बात करना मेरा अधिकार है, करूंगा भी; आज देश का सबसे बड़ा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने शुरू करके युवाओं को यह संदेश दे दिया कि हमारे घोषणा पत्र में जो पन्द्रह लाख नौकरियों की हमने घोषणा की थी, वह पन्द्रह लाख नौकरियां हम पांच साल के इस घोषणा पत्र के अन्दर, जो जारी किया है, वह युवाओं को देंगे; उससे पहले प्रदेश में युवाओं को मिलेंगे रोजगार के एक लाख अवसर।

ऐसी-ऐसी योजनाएं युवाओं के लिए और सबसे बड़ा उदाहरण युवाओं के लिए क्या हो सकता है जब एक गरीब किसान से जुड़े हुए ऐसे लड़के, जो आज जिधर दिखते हैं, युवा दिखते हैं, ऐसे चुनाव जीत कर राजस्थान की विधान सभा के अन्दर पहुंच सकते हैं।

(श्री कैलाश वर्मा)

तो आने वाले समय में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और इनके नेतृत्व में वह दिन भी दूर नहीं रहेगा जब राजस्थान और हिन्दुस्तान से जुड़ी हुई वे योजनाएं राजस्थान में लागू होंगी और इनके नेतृत्व में ऐसी प्रतिभाएं पढ़-लिख कर राजस्थान और हिन्दुस्तान की उन कुर्सियों पर जाकर बैठेंगी जहां पर हमारे देश के कानून बनते हैं, जहां पर देश के विकास की रूपरेखा तय होती है।

मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ में मेरी वाणी को विराम दूंगा और विशेषकर एक बात यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो योजना माननीया मुख्य मंत्रीजी ने लागू की थी, रिंग रोड की योजना, उस योजना को पूर्ववर्ती सरकार ने बंद किया और उस बंद करने के माध्यम से आज किसान 6 दिन से वहां पर धरने पर बैठे हैं। मेरी तरफ से मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस मामले को थोड़ा गम्भीरता से लें, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मामला है।

चार लाइनें कह कर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि, 'अंधेरों पर पार पाकर रहेंगे, एक दिन रोशनी आंगन में लाकर रहेंगे। धूप को तुम चाहे कितना ही छुपा कर रख लो तिजोरी में, मगर हम वसुन्धराजी के नेतृत्व में एक दिन नया राजस्थान बना कर रहेंगे।'

आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनन्दन। राम-राम सा।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज न्यांगली। लेकिन आपसे एक निवेदन कर दूं, आपके लिए सिर्फ नौ मिनट हैं। मुझे आपको रोकने का मौका नहीं आए। सवा चार बजे माननीय प्रतिपक्ष के नेता का भाषण प्रारम्भ होगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जैसा आपका आदेश।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014-15 का बजट सादर एवं सम्माननीय राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने 14 जुलाई को पेश किया। इस अवसर पर पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यगण ने विचार किया, वाद किया, विवाद किया लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान विधान सभा में इस राजस्थान के विकास को एक मुख्य स्थान देने के लिए आज हम यहां इस बजट पर वाद और विवाद करने जा रहे हैं। इसमें सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ मिला कर चलना, इस बजट की मुख्य धारा और मुख्य लक्ष्य हमारा रहे।

(श्री मनोज कुमार)

मैं अब बजट के कुछ आंकड़ों पर मुख्य ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे ज्यादा पी पी पी मोड पर जो सड़क बीस हजार किलोमीटर बनाने का बताया, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो बजट की घोषणा है, जो बीस हजार किलोमीटर सड़क बनायी जा रही है, उस सड़क पर इस सरकार ने जो बजट पेश किया है उसका कोई योगदान नहीं, क्योंकि यह सड़क बीस हजार किलोमीटर बनाने के बाद हमारी राजस्थान की जनता से लूटने का एक साधन हो जाएगा। जनता से पैसा लूटने के अलावा, टोल टैक्स के अलावा, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया से इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हमारी जनता पर जो भार पड़ने जा रहा है, टोल टैक्स से ज्यादा से ज्यादा बचाया जाय।

दूसरा, सड़क परिवहन बनाकर, राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन के गठन की बात इस बजट में कही गयी है, लेकिन इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि अस्सी बस स्टैंड जो हमारे पहले से राजस्थान में विकसित हैं, उनको निजी हाथों में देने से, हमारे उन विकसित बस स्टैंडों पर, जो मध्य प्रदेश के हालात की हुई, वह की वह हालत हमारे इस राजस्थान की हो जाएगी और इन हमारे विकसित बस स्टैंडों पर जमीनी और भूमाफियाओं का अतिक्रमण और कब्जा हो जाएगा, जो राजस्थान की सरकार के हाथ में नहीं रहेगा।

तीसरा, राजस्थान सरकार ने चैक पोस्टों की बात कही। इसी सरकार ने 1995 में बंद करने की बात कही, 2008 में भी समाप्त करने की बात कही और 1999 और 2000 में कांग्रेस ने जब चालू करने की बात आई तो फिर इस राजस्थान सरकार को, इसी भारतीय जनता पार्टी को, फिर ये चैक पोस्ट चालू करने की कहां आवश्यकता पड़ गई? और आवश्यकता अगर हुई तो भी मात्र सोलह ऐसे स्थान हैं जहां सरकार स्वयं उनके चैक पोस्ट लगाकर कम्प्यूटर के माध्यम से उनसे कलेक्शन कर सकती थी। लेकिन इसमें भी सरकार ने प्राइवेट सहभागिता के माध्यम से एक लूट का माध्यम और बनाने का प्रयास किया है, जो राजस्थान की जनता के साथ अन्याय होगा।

कुछ शहरों में बिजली के बारे में बात कही। कुछ शहरों में बिजली को भी पी पी पी मोड पर देकर के हमारे राजस्थान के बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है और बिजली कर्मचारी, लगातार दो दिन से अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं, वे हड़ताल करने पर

(श्री मनोज कुमार)

मजबूर हो रहे हैं। इसलिए इस पी पी पी मोड पर शहरों में जो लगाया जा रहा है, इसको बंद करने का प्रयास किया जाए।

दूसरा, 31 दिसम्बर, 2013 को 3 लाख 11 हजार कृषि कनेक्शन जो कि हमारे पेंडिंग हैं, उनमें से मात्र 40 हजार देकर के हमारी पेंडेंसी कतई समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि एक वर्ष बाद इतने ही और हमारे सामने आवेदन आ जाएंगे। इसलिए सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे जो तीन लाख ग्यारह हजार कनेक्शन पेंडिंग हैं, इनको एकमुश्त, एक बार इनकी पेंडेंसी समाप्त करने का प्रयास किया जाए, इसके लिए बजट का प्रयास किया जाए।

कृषि कनेक्शन, जो बूंद-बूंद सिंचाई के नाम से जिन किसानों को बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है, वह भी सरासर गलत है। हमारे राजस्थान के किसान ऐसे नहीं हैं जो स्वयं तीन-तीन, चार-चार लाख रुपये का बजट वहन करके कनेक्शन ले सकें। यह एक कोरी घोषणा है। क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं है और वह कनेक्शन लेने में असमर्थ हो जाएगा।

बिजली के बारे में सरकार बार-बार कह रही है कि हमारे पास घाटा है, 75 हजार करोड़ रुपये का घाटा है लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा भागीदारी है तो बिजली डिपार्टमेंट की है। इनके कर्मचारी छीजत की पूर्ति नहीं करते। अगर छीजत पर ध्यान दिया जाए तो यह घाटा राज्य सरकार आसानी से वसूल कर सकती है और इसकी पूर्ति की जा सकती है।

पेयजल के बारे में राज्य सरकार ने एक नई घोषणा की, ग्रामीण जल प्रदाय योजना। मैं कहना चाहता हूं, इस राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है; टी एफ सी और एस एफ सी, जो अनुदान हमारी ग्रामीण पंचायतों को मिल रहा था, जिससे हमारी ग्रामीण पंचायतों का विकास होता था, उस विकास के पैसे को रोककर आपने टी एफ सी और ए एफ सी पैसा खर्च करने का निर्देश किया है, एक प्रकार का आदेश किया है। इसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। इसलिए इसमें सरकार बजट का प्रावधान करे।

आर ओ प्लांट के लिए जो कदम सरकार ने उठाया है, वह बड़ा सराहनीय कदम है। उसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

पानी के बारे में राज्य सरकार ने कहा कि भारत सरकार के 227 करोड़ रुपये लेने के लिए, हमें इस योजना को लागू करने के लिए, जनता से पैसा बढ़ाकर वसूलना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकार से कि

(श्री मनोज कुमार)

हमारे इस बजट में आप स्वयं प्रावधान करें, जनता को पैसा दें और इस योजना का जो भी पैसा जनता का बकाया है वह भारत सरकार की योजना में जमा कराएं। इस योजना के 227 करोड़ रुपये राजस्थान को प्राप्त हों, ऐसा प्रयास सरकार को करने की जरूरत है।

हमारे पी एच ई डी डिपार्टमेंट में आप जो भी योजना, प्रयोजना लेकर आ रहे हैं उनकी पूर्ति सरकार की यह कोरी घोषणा रह जाएगी, क्योंकि पी एच ई डी डिपार्टमेंट के हालात ये हैं कि एक-एक स्थान पर 4-4, 5-5 जे ईएन हैं, ए ईएन हैं, उनकी पोस्ट खाली पड़ी हैं। इन योजनाओं को आप किसी भी सूरत में सक्षम नहीं कर सकते। इसमें विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के आंकड़ों के बारे में बता दूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 ए ईएन और 6 जे ईएन की पोस्ट हैं जिनमें 2 ए ईएन और 5 जे ईएन की पोस्टें खाली पड़ी हैं। किस तरह से यह सरकार बिना कर्मचारियों के योजनाओं को फलीभूत कर पाएगी?

इसी में सिद्धमुख नहर परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 115 करोड़ रुपये के बजट की, इनके खाले निर्माण पक्के करने की घोषणा की है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इसमें सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के भी 14 गांव शामिल हैं, इसलिए उनका भी विकास हो सकेगा।

मेडिकल के बारे में, 7 मेडिकल कालेज राजस्थान में खोलने की घोषणा की, इसके लिए मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। मेरे चूरू जिले का भी इसमें नाम आया है, इसलिए मैं चिकित्सा मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे चूरू जिले को एक मेडिकल कालेज उपलब्ध हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपस में बात नहीं करें। आपस में बात नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु नये केन्द्र खोलने की घोषणा हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने हमारे पास आज स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं, उन स्वास्थ्य केन्द्रों पर राज्य सरकार सबसे पहले डाक्टरों की व्यवस्था करे, वहां जितने भी उपकरण की आवश्यकता है उसके लिए बजट की व्यवस्था करे। नये खोलकर छोड़ने से, बेकार भवन बनाने का प्रयास नहीं किया जाए। प्रयास यह किया जाए कि अपने पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कैसे किया जाए। जहां पहले से स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं, उनमें डाक्टर्स की नियुक्ति कैसे

(श्री मनोज कुमार)

की जाए, उसमें उपकरण कैसे लगाए जाएं, इसके लिए व्यवस्था करने की जरूरत है।

शिक्षा के माध्यम से अबकी बार कौशल विकास के बारे में राजस्थान में बार-बार चर्चा आ रही है और राजस्थान सरकार नयी स्किल यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस बजट से पहले राजस्थान में आई टी आई केन्द्र सैकड़ों, हजारों की संख्या में खुले हुए हैं। उनका आप भौतिक सत्यापन तो कराकर देखिये कि वे 2-2 कमरों में चल रहे हैं, वहां आई टी आई कराने वाला कोई नहीं है। सिवाय हमारे बेरोजगारों को प्रमाण पत्र, धोखे के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो हमारे संस्थान चल रहे हैं, उनमें पूरी व्यवस्था की जाए, उनका व्यवस्थित ढांचा तैयार किया जाए। उनमें उनको शिक्षा प्रदान की जा सके, जो प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है वह मिल सके, ऐसा प्रयास करने की सरकार को जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की थी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय विराजमान हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरी तहसील वंचित है, राजकीय महाविद्यालय को तुरन्त प्रभाव से इसी बजट में उसकी घोषणा करके मेरे सादुलपुर की जनता को लाभ देने का प्रयास करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक बड़ी चीज है, वह मैं बताना चाहूंगा। सरकार कह रही है कि हम 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस पूरे बजट में, 15 लाख रोजगारों की बजाय एक व्यक्ति को इस राज्य सरकार ने नौकरी देने की घोषणा नहीं की। मैं पैरा नं. 135, पेज नम्बर 48 पढ़कर बताना चाहूंगा जिससे राजस्थान की पूरी जनता को पता चले कि ये कैसे 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार की एक भी नौकरी इसमें नहीं है। युवाओं को रोजगार योग्य बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 13 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया है।

(श्री मनोज कुमार)

साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण के द्वारा 2 लाख अतिरिक्त रोजगार हेतु तैयार किए जाएंगे। नवाचार आधारित कार्यप्रणाली द्वारा आगामी वर्षों में लगभग ढाई लाख परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। साथ ही पुराने ढांचों को परिवर्तित कर अत्याधुनिक कैरियर सेंटर के माध्यम से योजना का सफल क्रियान्वयन कर नये तरीके से प्रत्येक जिले में नियोजन से लगभग 75 हजार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाएंगे। 5 वर्ष में लगभग 15 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे। कतई कहीं घोषणा नहीं है कि यह रोजगार दे सकेंगे, यह सिर्फ प्रशिक्षण देंगे और उससे वह नौजवान कहीं भी भटकता हुआ...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): दो मिनट और।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बस हो गया आपका।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अंतिम दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक लास्ट है।

श्री अध्यक्ष: शुरू में ही निवेदन कर दिया था।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक बात और करनी है, साहब, एक बात।

एक पैरे में कहा है कि राज्य सरकार एयर टर्बाइन फ्यूल पर वैट 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने जा रही है। इसका हमारी राजस्थान की आम जनता से कोई लेना-देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एयर टर्बाइन फ्यूल में जो वैट कम किया गया है, उसमें पैसे वाले लोग ही आएंगे और पैसे वाले लोग ही जाएंगे। हमारी जनता के लिए तो मसालों पर वैट लगाया गया है, वह कम कर दें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए आप। माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि वे अपना वक्तव्य प्रारम्भ करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। कृपया शांत रहिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने मुझे बजट 2014-15 पर बोलने का मौका दिया।

मैं सबसे पहले, माननीय अध्यक्ष जी...

श्री अध्यक्ष: आपसी चर्चा नहीं, कृपया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : मुख्य मंत्रीजी और भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोक सभा चुनाव में आपने बहुत अच्छी सफलता पाई, जनता ने आपको सहयोग किया लेकिन यह भी कहना चाहूंगा कि लोक सभा चुनावों में प्रदेश में भाजपा को 55.61 प्रतिशत वोट मिले थे और हमें 30.73 प्रतिशत वोट मिले थे। विधान सभा चुनावों में भाजपा को 46.04 प्रतिशत वोट मिले थे और हमें 33.71 प्रतिशत वोट मिले थे। माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2009 में भाजपा को 36.57 प्रतिशत वोट मिले थे और उन्हें चार सीटें मिली थीं लोक सभा में और हमको 47.19 प्रतिशत वोट मिला था, हमें लोक सभा चुनाव 2009 में 20 सीटें मिली थीं। अध्यक्ष महोदय, लोक सभा चुनाव, 1951 से 1971 तक हमारा वोट प्रतिशत 40 प्रतिशत था, उससे भी ज्यादा 1984 में करीब 50 प्रतिशत रहा। मैं मानता हूं कि 2014 के अन्दर लोक सभा चुनाव के अन्दर यह वोट प्रतिशत घटकर 19.3 प्रतिशत रहा हमारा। पूरे देश में हमें 44 सीटें मिलीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, उनका वोट प्रतिशत 31 प्रतिशत रहा, उनको 282 सीटें मिलीं।

यह भारतीय लोकतंत्र का स्वच्छ स्वरूप है, ऐसा अक्सर होता रहता है। इसलिए इस प्रजातंत्र राज में आपको ज्यादा कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। कभी आप इधर, कभी हम उधर, यह जनता का मैंडेट है। हमें भी, जो है, हमने जिस तरीके से पीछे काम किये, हमारी भी उसमें कमियां रही होंगी। उन कमियों की वजह से ही अपन एक-दूसरे पर विरोधाभास करते हैं। यह एक स्वस्थ प्रजातंत्र का स्वरूप है।

लेकिन, बजट पर जो है, बजट पेश होने के बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, दोनों में डिबेट हुई और उसमें अपनी-अपनी बात रखी। लेकिन, हमने एक मानस, एक सोच यह बना लिया कि सत्ता पक्ष का कोई भी सदस्य जो बोलता है तो उस बजट के अन्दर जो भी कमियां हैं, उस बजट के अन्दर क्या संशोधन करना है, उस बजट में वह जनता के हित में है या नहीं है, उस बात पर भी अपना विचार और अपनी सोच होनी चाहिए।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

हमारी एक ही सोच हो कि हम विपक्ष में बैठे हैं, हमें उसका विरोध करना है, यह नहीं। जो बजट के अन्दर अच्छी बातें हैं, जो राजस्थान के, जनता के हित की, कहीं भी विकास की बात इस बजट में आपने रखी है, उस हित की बात को हमें भी सराहना पड़ेगा, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी क्योंकि राजस्थान की जनता से हम चुनकर आये हैं। हम जो है, जनता के विकास की, इस राजस्थान के विकास की बात करने के लिए, वही सोच बनाकर इस प्रजातंत्र राज में, इस राजनीति में अपन आएं, तो अपना ध्येय और लक्ष्य यह होना चाहिए कि राजस्थान के हित के अन्दर कहीं भी बात हो, विकास की बात हो, तो हम सबको मिलकर, इस सदन की मर्यादा रखते हुए, राजस्थान के विकास के बारे में अपने को सोचना चाहिए।

आज कानून-व्यवस्था की बात कर लो, चाहे अपन ने और हर सब्जेक्ट पर बात की, मैं वापस, राजनीति में पार्टियां होती हैं, पार्टियों की हार और जीत होती रहती है। हम जो है, राजस्थान की जनता का मैंन्डेट स्वीकार करते हैं। हम जो है, कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही। कांग्रेस चुनाव हारी और हम बुरे तरीके से हारे, इसमें कहते हुए मुझे कहीं संकोच नहीं। हमें भी यह सोचना है, आप बजाओ ताली, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं; जनता का जो मैन्डेट दिया हुआ है, उसको स्वीकार करने में हमारे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आपकी मार्केटिंग अच्छी थी, आपने जनता के बीच में बैठकर जिस तरीके से संकल्प पत्र दिया, आपने जो मैनिफेस्टो दिया, आपकी मार्केटिंग अच्छी होने की वजह से खराब प्रोडक्ट भी आपने बाजार के अन्दर बेच दिया। तो उसमें जनता को भ्रमित करने का काम किया।

यदि आपने जो कहा है, अभी हमारे माननीय सदस्य बैठकर आपके मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, गायों की बात कर रहे थे कि गऊ हमारी माता है, आज जो पथमेड़ा गऊ शाला है, बहुत बड़ी गऊ शाला है और उसमें मैं बताना चाह रहा हूं सदन की नेताजी को कि पूरे हिन्दुस्तान में वह सबसे बड़ी गौशाला है। करीब पचास हजार से ऊपर गायें, करीब 75 हजार गायें उसमें हैं। उसकी बात, माननीय सदस्य ने अपनी विधान सभा क्षेत्र की उठाई थी। तो एक सहृदयता से आपको उसका अनुदान देना चाहिए क्योंकि मौसम विभाग ने भी पहले अपने को यह चेतावनी दे रखी है कि आने वाले समय में मानसून राजस्थान में कमजोर रहेगा। उसमें जो है सूखे की स्थिति ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कल आ गया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह आने से अभी कोई पता नहीं। अभी सारी जगह पर बरसात नहीं हुई। कल माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यज्ञ करवाया था। टी वी की पट्टी पर हम देख रहे थे कि यज्ञ करवाया और बरसात आयी। हम यह निवेदन करेंगे कि आप यज्ञ चालू रखो और राजस्थान के अन्दर दो-तीन महीने तक लगातार बरसात बरसे, हम भी चाहते हैं। इस यज्ञ को बंद मत करो, इस यज्ञ को चालू रखो। हम भी आपके साथ हैं, हम कोई अलग नहीं हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अभिषेक करवाया था।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज राजस्थान के अन्दर जिस तरीके से मानसून की जो स्थिति है, यदि वह स्थिति ठीक नहीं हुई तो हम सबके लिए बहुत भयानक स्थिति है, सूखे की स्थिति से निपटना। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो है, पशुओं के चारे की है। आज पूरा राजस्थान जो है, उसकी इकोनोमी पशुओं पर आधारित है। हम पशुओं पर आधारित हैं। गांव में और ठेठ झोंपड़ी के अन्दर बैठा हुआ किसान, जो ठेठ झोंपड़ी में बैठा हुआ किसान, वह पशुओं पर आधारित है। उसकी जो है, वह पशुओं को पालकर अपना पेट भरता है। आज जो है, नजदीक के, सीमावर्ती स्टेट्स हैं सारे, पिछली बार 2000 के अन्दर जो अकाल पड़ा था तो हमारी सरकार थी और हमने उस वक्त में जो अकाल का प्रबंधन किया था, हमने 18 महीने तक अकाल राहत के कार्य चलवाये थे, हमने पशुओं को बचाया था, चाहे हमें ट्रेन से चारा लाना पड़े, चाहे ट्रांसपोर्ट करना पड़े, चाहे ट्रकों से लाना पड़े, लेकिन आज स्थिति यह है कि आस-पास के हमारे, चाहे हरियाणा लो, चाहे पंजाब लो, चाहे एम.पी. लो, चाहे गुजरात लो, इन स्टेट्स के अन्दर यही मानसून की स्थिति वहां पर है और यदि वहां पर चारा नहीं हुआ तो अपन चारे की व्यवस्था कहां से करेंगे? यह बहुत सोचनीय बिन्दु है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

सूखे की स्थिति के बारे में, वह तो ठीक है, आपने कहा कि बरसात आ गयी, हम भी भगवान से यह प्रार्थना करते हैं और हाथ जोड़कर सुबह-सुबह यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सूखे की स्थिति राजस्थान में न आए और बरसात जो है, वैसे मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, बताना चाहूंगा कि आधा अकाल राजस्थान के अन्दर पड़ चुका है। मैं मेरे पश्चिमी इलाके, पश्चिमी राजस्थान के बारे में बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वह दिक्कत बरसात लेट होने से आधा अकाल पड़ चुका है। लोग खेतों के

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

अन्दर, जो खेतों में, ढाणियों में रहते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी नहीं है। उनके टांके बने हुए हैं। यदि एक गांव, उस ढाणी का जो है, जिसमें फ्लोराइड-युक्त पानी है, नीचे जमीन के अन्दर पानी नहीं है। आज वह किसान जो है, उस मेघ को देख रहा है और यदि समय रहते, यह समय निकल गया उसका और उस खेत के अन्दर, बरसात आने के बाद में उसके खेत में बना हुआ टांका, यदि वह टांका बरसात के पानी से भर जाता है तो वह किसान खुश होता है कि मेरा आधा अकाल खतम हो गया। ये बैठे हैं आपके बाड़मेर से आये हुए माननीय सदस्य, आप इनसे भी पूछ लो। खेत के अन्दर टांका भर गया पानी से और उसका आधा अकाल खतम हो गया। वह आधा अकाल तो पड़ गया। हमें उस पर सोचने की जरूरत है। हमें इस पर व्यवस्था करने की जरूरत है। यदि समय रहते अपन ने व्यवस्था नहीं की तो यह भयानक स्थिति कभी भी आ सकती है।

भगवान को अपन खाली यज्ञ से, मैं तो कह रहा हूं कि यह स्थिति अच्छी बन जाए। आप बहुत धर्मालु लोग हैं, हम सब राजस्थान के धार्मिक लोग हैं, आस्था रखने वाले लोग हैं लेकिन भगवान मेहरबान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो यह कहना पड़ेगा कि प्रजातंत्र राज के बाद में, यदि भगवान रूठता है तो जनता को, प्रजा को सम्भालता कौन है, राज सम्भालता है; उस राज की, उस सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सरकार रूठती है तो भगवान तो सम्भालता ही सम्भालता है।

मुझे लगता है कि सरकार ने इस सूखे के बारे में, इस मानसून के बारे में इस बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं किया कि कहीं सूखे की स्थिति भी हो सकती है। तो इसमें भी आपको पूरा प्रावधान करना चाहिए।

मैंने एक दिन अख़बार में देखा था कि आपने इसके बारे में मीटिंग बुलाई थी तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यह स्थिति आ सकती है। हमने उस चीज को देखा है, उस समय को देखा है। जब हमारा राजस्थान में राज था तो उस वक्त में 18 महीने, माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 महीने हमने अकाल राहत के कार्य चलवाये थे। उस वक्त में मैं एक सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा था। उस वक्त में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर, लोगों के बीच में बैठकर, उनको अनाज की व्यवस्था की, पशुओं के चारे की व्यवस्था की और पीने के पानी के लिए चाहे ट्रेनों में, चाहे गाड़ियों में, चाहे टैंकरों में, कहीं से भी लाना पड़े, हमने उस वक्त पीने के पानी की पूरी व्यवस्था की थी। तो यह

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

व्यवस्था, अब ज्यादा आबादी बढ़ी है, लोगों को ज्यादा जरूरत होगी। हमें ज्यादा मेहनत और कोशिश करने की जरूरत है और उसमें पूरा ध्यान और सोच, उस हिसाब से बनाने की जरूरत है।

रोजगार की, सत्ता पक्ष की तरफ से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आ रहा था कि हमारी, केन्द्र में भी हमारा राज था, राजस्थान में भी कांग्रेस का राज था, हमने केन्द्र सरकार और राजस्थान के राज से फ्लैगशिप योजनाएं चालू कीं। हम राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए जन-कल्याणकारी योजनाएं लेकर आयें। हमने उन योजनाओं से सीधा, वह ठेठ ढाणी में बैठा हुआ जो किसान और मजदूर है, उसको हमने सीधा उस कल्याणकारी योजना से जोड़ने का काम किया है। आज सत्ता पक्ष की तरफ से, सारों की तरफ से एक बात आ रही है कि आपने जो रेवड़ियां बांटीं, सिर्फ वोट लेने के लिए। हमने कभी यह सोच नहीं रखा। विकास हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि जनता के हित की और जनता की भावनाओं की कद्र करना और हमने उस भावना की कद्र की। राजस्थान की जनता, राजस्थान का वह गरीब जो परिवार है, वह परिवार क्या सोच रहा है, क्या आस लगाये हुए है सरकार से, उस भावना की कद्र करते हुए हम जन-कल्याणकारी योजनाएं लेकर आये थे। उन जन-कल्याणकारी योजनाओं को लाने के बाद में हमने जनता को फायदा दिया। आज चार-पांच दिन मुझको सुनते हुए हो गये, इनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि आपने योजनाएं वोट खरीदने के लिए दीं।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि हम फ्री मेडिसिन की योजना लेकर आये। हमने राजस्थान में एक इतिहास रचने का काम किया। हमने उस गरीब परिवार, एक गरीब परिवार के बेटे के बूढ़े मां-बाप, यदि उस वक्त में जब यह स्कीम नहीं थी और वे बीमार होते थे, उस वक्त में उस बेटे के अन्दर यह हिम्मत नहीं थी कि अपने बूढ़े मां-बाप को लेकर हास्पिटल में इलाज करा सके। वह पहले आस-पड़ोस के घरों से 5-7 हजार रुपये मांगकर लाकर हास्पिटल में जाता था और जाते ही पहला डाक्टर के द्वारा जो पर्चा लिखा जाता था, वह पर्चा 5 हजार से कम नहीं होता था। एक इंजेक्शन ही पांच हजार रुपये का है। वह इलाज नहीं करा सकता था। मजबूरन अपने मां-बाप को छुट्टी दिलाकर वापस उसी झोंपड़े में लाकर पटकता था और वहीं सड़ता हुआ मरता था। इस स्कीम के आने के बाद में उस बेटे के अन्दर हिम्मत आई। यदि उसके बूढ़े मां-बाप बीमार होते हैं तो वह सीधा लाता

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

है, एम्बुलेंस जाती है, हास्पिटल में उसको भर्ती करवाते हैं और भर्ती करवाने के बाद में सारा इलाज, जांच, दवाइयां, सब फ्री देकर उसको ठीक करके वापस घर पर भेजने का काम इस स्कीम से होता है।

आपने कहा, हमने वोट खरीदने के लिए यह स्कीम चलाई। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमने पशुओं की दवाई भी फ्री की थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि राजस्थान का इलाका पशुधन का इलाका है, हमने उसके साथ पशुओं की दवाई फ्री की; मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, गाय-भैंस का वोट लगता है क्या? ऊंट, भेड़ और बकरी का वोट लगता है क्या? हम वोट के लिए स्कीम लेकर नहीं आये हैं। यह आपने जो कहा, उससे हम सहमत नहीं हैं। आपको सोचना चाहिये, जो स्कीम ठीक है, आज भामाशाह योजना आपने चलाई; हम कहते हैं, अच्छी बात है, उस भामाशाह योजना से, एक गरीब परिवार की जो औरत है, उस परिवार को जो सहयोग मिलेगा, वह उस 2 हजार रुपये से आज के इस महंगाई के दौर में, क्योंकि महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और इस महंगाई के दौर के अन्दर उस औरत के 2 हजार रुपये काफी नहीं हैं। आपने एक कैटेगिरी तय कर दी कि किसी योजना के तहत अगर वह लाभान्वित है तो उस औरत को 2 हजार रुपये नहीं मिलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं सदन की नेताजी से कि 2 हजार रुपये से इस महंगाई में उस औरत के कुछ नहीं होना। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो भी गरीब औरत है, उसको 2 हजार रुपये दे रहे हो और 3 हजार रुपये एक नई स्कीम बनाकर, आप अपने नाम से बना दीजिये स्कीम, वसुन्धराजी के नाम से स्कीम बना दो और उसको 3 हजार रुपये और देकर उसको 5 हजार रुपये देओ। तब इस मंहगाई में उस औरत का कुछ छोटा-मोटा भला हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं।

मैं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कहूंगा। हमने जो कई योजनाएं चलाईं, उन योजनाओं का सबसे भ्रामक जो प्रचार किया जा रहा है सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा कि यह योजना बिलकुल बकवास है, इसको हम बंद करने जा रहे हैं। लेकिन आपका दिया हुआ हमने पेपर में देखा, हमने बात भी की, कि बंद नहीं कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है; आपने यह तो कह दिया कि हम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस योजना को वापस रिव्यू के नाम पर रोका जा रहा है।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

आज दवाइयों की स्थिति ले लो, आज पेंशन की स्थिति ले लो, आज हमने 75 साल के बुजुर्ग को जो हमने 750 रुपये पेंशन चालू की, हमने 750 रुपये के हिसाब से उसका मान-सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज पति-पत्नी को 750 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपये पेंशन देना हमने चालू किया। आज 1,500 रुपये आने के बाद में उस घर के अन्दर, उस 1,500 रुपये से उसका कोई ज्यादा काम चलना नहीं; माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि वह 1,500 रुपये उसके मान-सम्मान के लिए हैं। यदि उस बुजुर्ग के 1,500 रुपये उस परिवार में जाते हैं तो उस बुजुर्ग दादा का पोता उस बुजुर्ग को चार बार पूछता है कि दादा, पानी लाऊं क्या, दादा, रोटी लाऊं क्या? नहीं तो उस बुजुर्ग को, उस दादा को, नहीं तो वह बुजुर्ग आवाज लगाता रहता है पोते को, सुनने का टाइम नहीं था। उसको यह पता है कि उसकी जेब के अन्दर 1,500 रुपया महीना आ रहा है, तो दादा भी पोते के आगे पूरी लटापोरी करता है। लटापोरी, अध्यक्षजी, समझते हैं? मैं सही कह रहा हूं, इसमें हंसने की बात नहीं है, यह गहराई की बात है। आप उस ढाणी के अन्दर जाकर देखो, उस बुजुर्ग का मान-सम्मान बढ़ा है। आज उस बुजुर्ग का मान-सम्मान बढ़ा है। आपने यदि नहीं देखा है तो आप जाओ उस ढाणी और उस झोंपड़े के अन्दर। इस स्कीम की दुर्गति करने का काम आपने किया है। आज सात महीने के अन्दर उसको पेंशन नहीं मिल रही है। उसको पानी का लोटा देने वाला पोता बार-बार घूम रहा है। उसको पेंशन देओ। समय पर उसको महीने की पेंशन मिलनी चाहिये, उसके 1,500 रुपये जाने चाहिये। उन 1,500 रुपये से उन पति-पत्नी का छोटा-मोटा काम वे उन पैसों से कर सकते हैं।

आज पेंशन की बात, दवाई की बात, एक रुपये किलो अनाज हमने देने का काम किया। उस योजना को ही आपने बंद कर दिया। आज उस गरीब परिवार को एक रुपये किलो अनाज खाने का, मैं कह रहा हूं, आप किसी जगह चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ और एक लड़के को कह दो कि जो टीबे हैं, तू जा और एक किलोमीटर दूर चौकी है, वह एक रुपये में नहीं लायेगा। घर पर भी यदि बच्चा भी मां के आगे रोता है, कोई गांव में छोटा बच्चा रोने लग जाता है, उसको भी चुप कराने के लिए रेट 10 रुपये है। उसकी मां 10 रुपये देती है तब वह रोता हुआ चुप होता है। क्योंकि पांच रुपये में कुल्फी एक आती है। अध्यक्ष महोदय, पांच रुपये में एक ही कुल्फी आती है। इसलिए...

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

(व्यवधान) माननीय, विराजो। उसको दो कुल्फी के दस रुपये उसको चुप कराने के लिए देती है। हमने एक रुपये में उस गरीब परिवार को खाने का अनाज दिया। उस अनाज को आपने बंद कर दिया। उस गरीब की आपने सोची नहीं, उस योजना को आपने बंद कर दिया।

केन्द्र सरकार में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हम फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आये, हमने उसको पास करवाया। हम हर परिवार को उसमें दो रुपये किलो अनाज देंगे, माननीय अध्यक्षजी। वह अनाज भी सही नहीं मिल रहा है। आपने उसमें डिले किया है। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे पहला जो कोई राज्य है, इस योजना को चलाने में, वह राजस्थान है। राजस्थान में सबसे पहले इस योजना को हमने चालू किया है। आज उस योजना के तहत उस गरीब परिवार को दो रुपये किलो अनाज नहीं मिल रहा है, अध्यक्षजी। एक रुपये किलो अनाज की स्कीम ही बंद कर दी।

अब अपन दवाइयों की बात करें वापस। जोधपुर के अन्दर किस तरीके से क्या हाल हुआ? पशुओं के लगने वाला इंजेक्शन है, वह आदमियों के लग रहा है। कहां मानिटरिंग है? कहां लेना, कहां देना? आप उसकी मानिटरिंग नहीं कर सकते? (व्यवधान) हम यहां बैठकर राजस्थान की बात करने आये हैं, खाली एक जोधपुर, बीकानेर या कोई अलवर की बात करने नहीं आये हैं। मैं यह कह रहा हूं, अपन पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं। यह इंजेक्शन, पशुओं के इंजेक्शन आदमियों के लगना, यह इन सात महीनों के दौरान हुआ है। सात महीने के अन्दर जिस तरीके से, मतलब, पहले दवाई का जो काम है, उस दवाई के काम में वह डाक्टर अंधा हो गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो छोटा कर्मचारी था, उसको आपने सज़ा दे दी। लेकिन जो अधिकारी है, जो कम्पनी है, जो दवाई सप्लाई कर रही है, उसको आज तक आपने कुछ नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत ही बढ़िया बात है। हम आपका स्वागत करते हैं। इसमें करना चाहिये, आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। उसमें आपने अपनी जिम्मेवारी को निभाया, तो इससे अच्छा काम नहीं हो सकता।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

मैं यह कह रहा हूं कि यह जो भ्रान्ति है, यह किस तरह से सोचते हैं कि आज पशुओं का इंजेक्शन आदमी के, इनका राज आने के बाद में सात महीने से लगातार चल रहा था? यह स्थितियां राजस्थान के अन्दर क्यों हों? हमारा सबका कर्तव्य बनता है। इसको भी देखने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है।

सरकार जब आई, आते ही आपने 60 दिन कार्ययोजना बनाई थी। सरकार बनी, आपने ओथ ली। ओथ लेने के बाद में 60 दिन की कार्ययोजना बनाई, उस 60 दिन की कार्ययोजना के अन्दर आपने कहा कि 60 दिन के अन्दर हम यह-यह काम करेंगे। आपने राजस्थान की जनता के सामने रखा। उस 60 दिन की कार्ययोजना को बनाने में 60 दिन लग जाये। यह 60 दिन की योजना आज तक आपकी क्रियान्वित नहीं हुई।

आप वहां सम्भाग स्तर दौरे पर भी आयीं। पहले भरतपुर सम्भाग के अन्दर आप गये, सरकार वहां दस दिन तक बैठी रही और उन लोगों की जो एप्लिकेशंस आयीं, 45 हजार से ऊपर एप्लिकेशंस, माननीय अध्यक्षजी, इस भरतपुर सम्भाग के अन्दर आयी थीं। मंत्री गये, पूरा मंत्रिमण्डल गया, लोगों की एप्लिकेशंस लीं और लेकर जो 'सुगम' साइट है उस 'सुगम' पर उन एप्लिकेशंस को डाल दिया। तो फिर सरकार के जाने से मतलब क्या हुआ?

लोगों की आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको 163 का मैन्डेट दिया है। आज गांव, ढाणी, शहर, उस मोहल्ले में बैठा हुआ कोई भी वर्ग का आप पर बहुत अपेक्षाएं रख कर और यह कह रहा है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, हमारी भावनाओं की कद्र करेगी। यह बहुत अपेक्षाएं आप पर हैं। उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आप काम करो। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि समय रहते आप उन अपेक्षाओं पर खरा उतरो। हमारा भी सहयोग रहेगा।

भरतपुर सम्भाग में जाने के बाद 45 हजार से ऊपर एप्लिकेशंस आयीं। माननीय अध्यक्षजी, उन 45 हजार एप्लिकेशंस में से एक भी एप्लिकेशन का निस्तारण नहीं हुआ, एक भी। मुझे कोई कह रहा था कि उन एप्लिकेशनों के लिए जो कागज लिये, बेचारों ने लिख कर और टाइप कर के दिये। एक-एक कागज टाइप कर के लाता है उस गरीब झोंपड़े का आदमी, तो बीस रुपये लगते हैं, बीस रुपये, माननीय अध्यक्षजी। बीस रुपये में वह टाइप करवा कर लाता है। पैन से लिखा हुआ आप लेते नहीं...

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय विपक्ष के नेता, हमारे भरतपुर में बहुत निस्तारण हुआ है। आप ऐसे ही इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या बात है। मैं यह कह रहा हूं, हम चाह रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये।

श्री हीरालाल (निवाई): भरतपुर का कायाकल्प हो गया। आपको पता भी है?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, हम इनकी बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आपके वहां एप्लिकेशनों का निस्तारण होगा, हम भी यही चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको तो सुबह ही कालेज दिया है मंत्रीजी ने। सुबह ही कालेज दिया है न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह मत कीजिए आप। हाउस मैं आर्डर में ला रहा हूं। (व्यवधान) इसलिए आप मत खड़े होइये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, हम यह चाह रहे हैं कि सरकार अपना समय, अपना कीमती समय निकाल कर संभाग स्तर पर जा रही है, अच्छी बात है। जनता का पैसा लग रहा है। पैसा, समय, अधिकारी काम नहीं कर सकते। अधिकारी पीछे-पीछे घूमते हैं। पूरी सरकार वहां दस दिन रह कर और उसमें जनता का काम नहीं हो, फिर जाने से क्या मतलब? आप यहां ही बैठ कर काम कर सकते हो। आज तो नया युग है, आई.टी. का युग है, आप बैठे-बैठे दुनिया भी यहां से चला सकते हो। तो राजस्थान तो बहुत ही छोटा स्टेट है, आप बैठे-बैठे यहां चला सकते हो। कहां आवश्यकता है जाने की? और जाकर, जनता का पैसा बरबाद कर के और फिर भी जनता का काम नहीं हो, तो मुझे यह लगता है कि सरकार का जाना बिलकुल सार्थक नहीं है।

आज बीकानेर सम्भाग के अन्दर गये, बीकानेर सम्भाग के अन्दर हमें तो कुछ लगा नहीं कि कभी एक ही किसी एप्लिकेशन का निस्तारण हुआ हो। मंत्री वहां गये, जाकर बैठे, बड़े-बड़े टैंट लगे और उन टैंटों के अन्दर ए.सी. लगाया गया।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): काम तो हुआ है। यह बात मत करो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उन ए.सी. में मंत्री बैठे रहे, लोगों की एप्लिकेशन लेते रहे और लेने के बाद में, माननीय अध्यक्षजी, एक ही काम नहीं हुआ।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

बीकानेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य गोपालजी जोशी कह रहे हैं, काम बहुत हुए हैं। आपको अभी मंत्री बनाने का मेरे को लगा नहीं कि आप कभी मंत्री बन जाओगे। इसलिए जो काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आप कह रहे हो, काम नहीं हुआ; रिकार्ड बोलता है, काम हुआ है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उसके बादे में हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार वहां जाती है और दस दिन तक सरकार रहती है, हमारे तो बारह दिन रहे बीकानेर के अन्दर और सरकार बारह दिन रहती है, वैसे तो हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बता ही दिया, बारह दिन रहने के बाद वहां का कायाकल्प नहीं हो।

एक काम जरूर हुआ है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ी हैं। लोगों को फिर असत्य बोल कर कि भई, हम आपके बीच में आ गये हैं, हम आपकी एप्लिकेशंस लेने के लिए आये हैं। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने वहां जाकर कहा कि मेरी लम्बाई सात फीट है। कितनी?

श्री अध्यक्ष: नहीं, सात फीट तो ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप माप लो, अध्यक्षजी, मेरे को तो पता नहीं, आपने कहा था कि मेरी लम्बाई सात फीट है। आप देख लेना। जनता और जो अधिकारी बैठे थे, आप देख लेना, मेरी सात फीट लम्बाई है। अब सात फीट से, पता नहीं, वहां नहरें चल जायेंगी कि नहीं चल जायेंगी, मेरे को तो पता नहीं। इस सात फीट लम्बाई से यदि खाजूवाला की नहरें चलती हैं तो बहुत बढ़िया और नहीं तो फिर सात फीट का कोई मतलब नहीं रहा।

इसलिए आप गये, अच्छी बात है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि उन एप्लिकेशनों का, कल को यह नहीं हो, मेरे को एक कोई कह रहा था, उसने कहा कि वे आपकी भरतपुर वाली जो एप्लिकेशंस हैं, लोग यहां एम.आई. रोड पर चाट और पकौड़ी खा रहे हैं उन पर। चाट और पकौडी खा रहे हैं। माननीय अध्यक्षजी, यह बहुत गलत है। (व्यवधान) कोई भी कहता है। मैं नहीं कह रहा, मेरे को किसी ने, मिलने वाले ने कहा कि यह बात है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने कहा, यह बात है तो बहुत ज्यादा गलत है। (व्यवधान) मैं बिलकुल कह रहा हूं, मेरे को कहा है, मेरे को कहा है।

एक माननीय सदस्य: सफेद झूठ। सफेद झूठ। (व्यवधान) सफेद झूठ बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): असत्य की एक सीमा होती है, साहब। असत्य की एक सीमा होती है। चाट-पकौड़ी खा रहे थे, ...(व्यवधान) असत्य बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहिये। नेता, प्रतिपक्ष।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कचोरी-समोसे की बातें कर रहे हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहिये। नेता, प्रतिपक्ष।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की नेता का जवाब पूरा होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की नेता का भाषण समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही चलेगी। (व्यवधान) समय बढ़ा दिया, कार्यवाही चलेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सवाल पूछने तक । बीच में तो सवाल पूछ नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष: हैं? किसमें?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप विराजें तो मैं कुछ कहूं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: सदन की नेता का भाषण होगा, तब तक कार्यवाही चलेगी। समय बढ़ाया जाता है। आप विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम सहमत हैं, लेकिन आप यह ना कहें कि अब उत्तर हो गया, अब आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, अपना भाषण चालू रखिये।

प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं। देखिये, आपकी पार्टी का समय तो पहले ही खतम हो चुका है और अभी तक आप 40 मिनट के करीब बोल चुके हैं, मैं चाहता हूं पांच-दस मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पांच-दस मिनट में, सर।

श्री अध्यक्ष: 50 हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इन सात महीनों में, हम निवेदन करना चाहेंगे, यह बजट पर चर्चा है इसमें हमारा बताना जो है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, आप स्वयं सोच लें कि पार्टी का आपका समय तो खतम हो चुका है।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): पांच मिनट तो सच्ची बात कह देना।

श्री अध्यक्ष: 45 मिनट तक आपको अगर बोलने का समय दिया है तो आप उस समय समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अभी तो 25 मिनट ही हुए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। 15 से चालू हुआ। आप देख लीजिए। मैं गलत नहीं बोलता हूं। समय के लिए मैं गलत क्यों बोलूंगा? घड़ी बोल रही है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह बता रहा था, सरकार संभाग के अन्दर गयी। बीकानेर में बारह दिन रहने के बाद, मुख्य मंत्रीजी, आप सीधे गयी थीं दिल्ली, यहां का कैबिनेट सारा गया था दिल्ली। दिल्ली में बैठ कर इन्होंने मीटिंग की। 19 दिन के बाद में आप यहां आये थे। 19 दिन तक राजस्थान की राजधानी जयपुर को आप बिलकुल सूना छोड़ दो। आप वहां दिल्ली जाकर बैठ गये और दिल्ली में मीटिंगें हो रही हैं, कैबिनेट वहां जा रही है। फाइव स्टार होटल में कैबिनेट की मीटिंग हुई है, माननीय अध्यक्षजी। उस

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

फाइव स्टार होटल में मीटिंग करने का मतलब क्या हुआ? हम आपके माध्यम से यह पूछना चाह रहे हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं टोकना नहीं चाहता परन्तु प्रतिपक्ष के नेता का वक्तव्य बड़ी जिम्मेदारी का वक्तव्य होता है, अगर उस फाइव स्टार होटल का नाम बता दें तो बड़ी कृपा हो। यह बजट के कौनसे पैरा में लिखा है, वह भी बता दें तो बड़ी कृपा होगी। पूरा राजस्थान इनको सुन रहा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): और ए.सी. कहां लगा रखे थे, यह भी बता दें तो पता लगेगा। क्योंकि हमने तो कहीं ए.सी. देखा नहीं। कूलर भी नहीं लगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): चलो, उन बातों पर नहीं जाते हुए, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। भाषण चालू रहने दीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जयपुर के अन्दर बैठ कर भी, पूरे राजस्थान की जनता की जो मांग है, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता के सामने क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या समस्याएं हैं, यहां बैठ कर मजबूती के साथ में काम कर सकती है।

महंगाई की अपन बात करें, मैंने निवेदन किया था माननीया मुख्य मंत्रीजी से कि जो भामाशाह योजना है, उसमें मैंने पांच हजार की मांग कर दी। आज महंगाई का क्या हाल है? आप जो चुनाव के वक्त में, चाहे विधान सभा का चुनाव हो, चाहे लोक सभा का चुनाव हो, उस चुनाव में जनता के बीच में आप सबसे बड़ी बात, पहली बात जो लेकर गये थे कि हमारी सत्ता आते ही हम महंगाई को खतम कर देंगे, आज महंगाई की स्थिति क्या है? आज प्याज और आलू, प्याज 70 रुपये किलो से ज्यादा हो गया है। आलू, टमाटर, किसान का जो टमाटर है, वह एक रुपये किलो में रुल रहा था, आज टमाटर आपका 80 रुपये किलो। हर चीज, डीजल, केरोसीन, सारी चीजें महंगी हुई हैं। इस महंगाई पर अंकुश लगाने की जरूरत है। हमारा यह निवेदन है कि इस महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए, जिस तरह का बजट आया है, उससे मुझे नहीं

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

लगता कि राजस्थान के अन्दर महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यह महंगाई बढ़ाने वाला बजट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं कि बजट में जिस तरह से हमने प्रावधान रखे हैं उससे महंगाई जड़-मूल से खतम हो जायेगी, रोजगार की समस्या जड़-मूल से खतम हो जायेगी, यह राजस्थान की जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। बजट में जो अच्छी बात होगी, उसकी हम सराहना करेंगे, हम आपको धन्यवाद देंगे, अगर इस बजट में राजस्थान के हित की कोई बात हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 350 करोड़ के बजट में टैक्स के प्रावधान रखें लेकिन आपने उसमें राहत देने की घोषणा की 150 करोड़ की। आपने टैक्स बढ़ा दिये।

अभी हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो रही थी, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से, कि आपने हैंडीक्राफ्ट्स पर वैट लगाया। हैंडीक्राफ्ट्स में कई जिले हैं, जोधपुर भी उसमें खास है, वहां छोटे-छोटे घरों में हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, विदेशों में उसका एक्सपोर्ट भी होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने महंगाई के इस दौर में टैक्सटाइल पर और साबुत मसालों पर, इसमें एम डी एच का बहुत बड़ा नाम आता है, एम डी एच के मसाले, नागौर के अन्दर उसकी फैक्टरी लगी हुई है। नागौर, जोधपुर, यह जो भाग है, उसमें जीरा, आदि मसालों की काफी खेती होती है। आज उस किसान पर क्या बीतेगी? एक गरीब परिवार, जिसके लिए दो वक्त के आटे का जुगाड़ बहुत धोरा होता है, उसको बहुत तकलीफ होती है दो वक्त के आटे को लाने में, उसको भी जीरा और नमक चाहिए। उस पर हम वैट लगा रहे हैं। इसमें मेरा यह निवेदन है कि इस पर से वैट आप हटाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात माडल की हम बात कर लें। पूरा सत्ता पक्ष अपनी बजट की स्पीच के अन्दर गुजरात को भूला नहीं। गुजरात का नाम उन्होंने जरूर लिया। राजस्थान के अन्दर हम गुजरात माडल को लाकर राजस्थान को गुजरात माडल की तर्ज पर बनायेंगे। आज गुजरात के अन्दर आप जाकर के देख लो। यहां राजस्थान की सीमा से जाते ही जब गुजरात में घुसते हैं तो उनकी चाहे सड़कों की स्थिति देख लो, चाहे डीजल के रेट की स्थिति देख लो, वहां डीजल ढाई रुपये लीटर महंगा है राजस्थान से। कितना,

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

ढाई रुपये लीटर महंगा है। बिजली महंगी है। वहां की गैस महंगी है। +++ मैं भी गुजरात गया हुआ हूं, मैं भी वहां आता-जाता रहता हूं, +++ हिन्दुस्तान के अन्दर अगर कहीं है...

श्री अध्यक्ष: यह गुजरात पर जो आरोप लगे हैं इसको एक्सपंज किया जाये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कर दो एक्सपंज। मैं निवेदन करना चाह रहा था। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: गुजरात के बारे में आप यहां चर्चा कर रहे हैं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): गुजरात माडल यह ला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप गुजरात माडल लाओगे राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष: वह लायेंगे कि ...(व्यवधान) गुजरात के बारे में जो +++ आरोप लगाया, इसको एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीजल तो आप लोगे इसमें? इसमें डीजल तो अंकित करोगे कि वहां ढाई रुपये लीटर महंगा है गुजरात के अन्दर?

श्री अध्यक्ष: हां, हां।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बिजली वहां महंगी है। गैस महंगी है।

श्री अध्यक्ष: आप भावों की तुलना कर सकते हैं। इसमें एतराज नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब मैं आगे नहीं कहना चाह रहा। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मैं गुजरात का नाम नहीं लूंगा क्योंकि गुजरात के +++ पूरे दिग्गज...

श्री अध्यक्ष: +++ के बारे में कहा गया एक्सपंज किया जाये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो छत्रछाया करे बैठे हैं, +++ का नाम कोई नहीं ले सकता; +++ अब प्रधान मंत्रीजी हैं। एकछत्र राज है उनका हिन्दुस्तान के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: +++ के बारे में एक्सपंज किया जाये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): +++ की नहीं, प्रधान मंत्रीजी की बात कर लें?

श्री अध्यक्ष: आपका समय पूरा हो गया है। घड़ी की तरफ भी देख लीजिये आप।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): चलो, अब छोड़ता हूं। मैं कर लेता हूं, आगे और बात करेंगे। 5 साल रहेंगे। उसमें थोड़ा निवेदन और कर दूं। आपकी धमकाने की आदत ज्यादा है, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: मैं तो निवेदन कर रहा हूं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। आप सोच-समझकर बोलते हैं, बड़ी तैयारी से बोलते हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी नीति के बारे में बताऊंगा। सरकार आने के बाद आबकारी नीति आयी। वह आबकारी नीति राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। आज राजस्थान में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ी है। मेरे और आप सबके, जो भी जन-प्रतिनिधि हैं, माननीय सदस्यों के सब के दिक्कत आ रही है। इसी ग्राम पंचायत के अन्दर 4 ग्राम थे, पहले एक गांव के अन्दर शराब की दुकान थी, एक गांव के अन्दर, आज उस ग्राम पंचायत के चारों गांवों में दुकानें हैं। वहां के लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि पहले हमारे यहां दुकान नहीं थी। मैंने कहा कि राज आने के बाद में दुकानों की संख्या बढ़ा दी। मेरा यह निवेदन है कि सरकार ने जो नीति बनाई है, उस नीति को वापस दिखवाकर राजस्थान के अन्दर जो शराब की दुकानों की संख्या बढ़ी है, उस संख्या को वापस घटाने का काम करें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता, आपने आबकारी नीति पढ़ी है क्या? मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, आपने आबकारी नीति पढ़ी है क्या? अगर एक दुकान की बढ़ोतरी आप बता दो तो आप कहो जो मैं करूं। एक दुकान की बढ़ोतरी आप बता दो।

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्रीजी, विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राठौड़ साहब, अपन चलेंगे, आपको ग्राम पंचायत में ले जाऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आबकारी नीति की बात कर रहा हूं। अगर आबकारी नीति, जो हमारी सरकार का बंदोबस्त है, उसके आने के बाद पिछली सरकार में जो आबकारी की दुकानें थीं, उसमें एक दुकान बढ़ी हो तो मुझे बता देना। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बढ़ी हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हमारी विधान सभा क्षेत्र में बढ़ी हैं। (व्यवधान) ब्रांचें बढ़ी हैं ब्रांचें ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और मंत्रीजी, हम जायेंगे साथ और मैं यह बता दूं कि यह दुकान नई खुली है।

श्री अध्यक्ष: यह बढ़िया रास्ता है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह दुकान नई खुली है।

श्री अध्यक्ष: यह बढ़िया रास्ता है। आप दोनों साथ-साथ जायेंगे, यह बहुत अच्छा है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): क्योंकि कपड़े इनके फाड़ेंगे गांव में जायेंगे तो। मैं तो कह दूंगा कि मंत्रीजी को लेकर आया हूं। मंत्रीजी, कपड़े आपके फाड़ेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): समय...(व्यवधान) शाम को जायेंगे...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो बच जाऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आठ बजे बाद...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: शाम के समय जाना। दोनों ही साथ जाओ तो...(व्यवधान) समय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो शराब का काम करने वाले हैं, उन सबको पता है कि कहां-कहां दुकानें बढ़ी हैं। (व्यवधान) जो शराब का काम करने वाले हैं, उन सबको पता है कि कहां-कहां दुकानें बढ़ी हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने जवाब दिया, मैं सहमत हूं, अपन चलेंगे। मैं बता दूंगा कि पहले ये-ये दुकानें इतनी थीं और अब ये-ये दुकानें हैं।

श्री अध्यक्ष: बस यहां तक। अब फैसला हो गया उस बात का।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ये दोनों ही साथ चले जायेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम 5 साल इस राजस्थान की सत्ता में रहे। जनता ने आपको मैन्डेट दिया, आप सत्ता के अन्दर आयें लेकिन सत्ता में आने के बाद में, राजस्थान में यह कभी नहीं हुआ, जो द्वेषतापूर्ण

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

राजनीति हो रही है उस राजनीति के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। जिस तरीके से हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी और एक हमारे जो केन्द्रीय मंत्री थे, उनके पुत्र; हमारे प्रदेशाध्यक्ष, उनके और 8 जनों के खिलाफ जो एक एफ आई आर दर्ज हुई है; उस एफ आई आर का आगे-पीछे कोई लेना-देना नहीं है। किस रास्ते पर हम राजस्थान को ले जा रहे हैं? किस रास्ते पर हम इस राजनीति को ले जा रहे हैं? यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उसमें सोचना चाहिए। ऐसे जो असत्य मुकदमे हैं, वे मुकदमे करवाकर हम राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस राजनीति को क्या देना चाह रहे हैं? हमें इसके बारे में गहन विचार करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाह रहा हूं, माननीया सदन की नेता को कहना चाह रहा हूं कि इसके बारे में एक अच्छा सोच रखते हुए, एक साफ और अच्छी राजनीति में हम लोग हैं, राजस्थान का हमेशा माहौल रहा है, राजस्थान के आम आदमी का हमेशा सोच रहा है..

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छी बात है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने एक अच्छी राजनीति में शुरुआत की, उसी राजनीति में रहकर हमने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह किया।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अभी बहुत है।

श्री अध्यक्ष: इतनी बढ़िया बात कहने के साथ आप समाप्त करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, चलो, अब दो मुद्दों पर।

श्री अध्यक्ष: 5 मिनट और। 5 मिनट और।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेट्रो, जो जयपुर के लोगों का सपना था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट मेट्रो और राजस्थान के आम जन का सपना बाड़मेर रिफाइनरी का, ये दो सपने बहुत बड़े सपने हैं। मैं रिफाइनरी के बारे में बात करना चाहूंगा। पिछली

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

बार भी गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा हुई। उसमें मैंने निवेदन किया था कि आज राजस्थान के अन्दर, हमारी सरकार राजस्थान के अन्दर थी, हमने पूरी

(17.00 बजे)

मेहनत करके, एक सोच के साथ में, पूरी कोशिश करके, हम बाड़मेर के अन्दर रिफाइनरी लेकर आये। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें माननीय सदस्यों की तरफ से यह कहा गया कि साढ़े सैंतीस हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को लाने में आपने छप्पन हजार करोड़ रुपये उस कम्पनी को दे दिया। मैं मानता हूं उस बात को। हमने छप्पन हजार करोड़ रुपये जो सोफ्ट लोन के अन्तर्गत दिये, यह सालाना सैंतीस सौ करोड़ रुपये हमने उनको देने का करार हुआ। आज वह रिफाइनरी आने के बाद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें तीन लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में आपके पेट्रो केमिकल्स।

आज मैं बताना चाहता हूं कि बाड़मेर के अन्दर जब रिफाइनरी की बात चली उस रिफाइनरी की बात चलते ही बाड़मेर के अन्दर जमीनों के जिस तरीके से भाव, जिस तरीके वहां विकास हुआ है, वह इस रिफाइनरी की वजह से, तेल निकलने की वजह से हुआ। आज वहां जो तेल निकल रहा है, अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान का जो आपका है, उसका तीस प्रतिशत तेल आपके बाड़मेर में निकल रहा है। आज इतनी बड़ी रिफाइनरी वहां लगेगी। उस रिफाइनरी से आने वाले समय में राजस्थान में जिस तरीके से राजस्थान विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा; मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके जो नेशनल कौंसिल फार एप्लाइड इकोनोमिक्स एंड रिसर्च, (एन सी ए ई आर) की अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर राज्य की आर्थिक प्रगति में इससे उल्लेखनीय प्रगति होगी; उसमें जो सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि है, वह एक प्रतिशत है, उस एक रिफाइनरी से, तीन लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ में, अप्रत्यक्ष रूप से, पता नहीं, कितने लाखों लोगों को वहां फायदा होगा। इससे आपके राजस्थान को आय की जो सम्भावना है, उसमें 8.78 लाख करोड़ रुपये इस रिफाइनरी से आय की सम्भावना है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। आज आठ महीने के करीब हो गये, उसकी प्रगति में सिर्फ यही चल रहा है कि रिफाइनरी को बंद करना है।

मेट्रो को जिस तरह से बजट दिया, सेकण्ड चरण का काम चालू हुआ। आज जो सरकार बैठी है, उस प्रोजेक्ट को, वाएबल है या अन्वाएबल प्रोजेक्ट

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

है; हम जनता के हित का कोई काम होगा, उसमें पैसे लगाने के लिए उसमें फायदा नहीं देखेंगे कि इससे वापस कितना रिटर्न आयेगा, कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी; वह प्रोजेक्ट जनता के हित में है तो यह बात नहीं देखेंगे। सरकार कोई बनिया नहीं है और कोई बनिये की दुकान नहीं है। बनिया दुकान के अन्दर माल रखकर उसका हिसाब करता है कि यह माल बेचने से इतना फायदा होगा। वह सरकार को नहीं देखना चाहिये। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हिसाब नहीं रखा, इसीलिए डूब गये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब डूबने की बात तो यह है कि पांच साल आप भी रहे थे, पांच साल आप भी रहे थे और पांच साल रहने के बाद राजस्थान की जनता ने वापस यहां बैठाया था और हम वहां बैठे थे। मैंने निवेदन किया, हम राजस्थान की जनता का मैंडेट स्वीकार करते हैं। आप अच्छे काम करो, राजस्थान की जनता की सोच के मुताबिक काम करो, हम यह चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि राजस्थान की अपेक्षाओं पर आप खरा बिलकुल नहीं उतरो। आज अपन यह कह दें कि आपने डुबोया, हमने डुबोया तो आप सुधार लो। आप सुधारो उसको, हम आपके साथ हैं। गलतियां, कोई भी आदमी काम करता है तो उसमें गलतियां जरूर होती हैं, उसे ऐसे कई स्वार्थ आ जाते हैं जो गलतियां होती हैं। यह तो अपन सारे अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, कोई ऐसा आदमी धरती पर जन्म नहीं लिया, जो करता है, सब अच्छे-अच्छे के लिए ही करता है। इन्सान से गलती होती है। भगवान से भी गलती हुई। भगवान से गलतियां नहीं होतीं क्या? किसी को लूला बनाता है, किसी को अंधा बनाता है। वह बनाने में कहीं न कहीं कमी छोड़ देता है।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, अब स्थान ग्रहण करें एक मिनट में।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब रिफाइनरी के बारे में, मेट्रो के बारे में, कानून-व्यवस्था के बारे में, आज मैं, अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और लूंगा। अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और लूंगा, सिर्फ।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट और।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट और। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कानून-व्यवस्था के बारे में जो बात है, हम चर्चा करते आये हैं, हम सबके लिए बड़े दु:ख की बात है कि आज राजस्थान के अन्दर कानून की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। आज राजस्थान की जनता सरकार की तरफ और इस हाउस की तरफ देख रही है। आये दिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है; सीकर जेल के अन्दर हथियार चला गया, जेल के अन्दर और उस जेल में रहने वाला कैदी, उसको उसने गोली मार दी।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): कानून-व्यवस्था बजट में नहीं होती है। राज्यपाल के अभिभाषण में बोलो, तो फिर भी समझ में आती है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर हमें चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। हम सबकी बहुत बड़ी रेस्पोंसिबिलिटी है। आज जेल के अन्दर कैदी सुरक्षित नहीं हैं; आज सड़क चलती महिला सुरक्षित नहीं, घर के अन्दर महिला सुरक्षित नहीं; और थाने के अन्दर महिला कांस्टेबल सुरक्षित नहीं। हमें इस बात को सोचना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): तब आप कहां थे जब जोधपुर जेल में जेलर को मारा था? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): चलो छोड़ो आप। रोजगार की अपन बात करें। आज आपने है...

श्री अध्यक्ष: हां, बस, रोजगार की बात करिये और समाप्त करिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए आप सभी, जो मैनिफेस्टो में दिया है कि हम सत्ता में आते ही पन्द्रह लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देंगे, यह जो आपकी मार्केटिंग है, ...(व्यवधान) वह सब असत्य है। जो हमारे युवाओं को ठगने का काम किया है, युवा आज इस बात को समझ चुका है। उद्योग मैदान भरा पड़ा है। विद्यार्थी मित्र ले लो, चाहे आपके खनिज विभाग में लगे हुए हैं उनको ले लो, आपके प्रबोधकों को ले लो, आज पूरा उद्योग मैदान उनसे भरा पड़ा है। आपने अपनी सुराज संकल्प यात्रा में, जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसके अन्दर आपने पन्द्रह लाख नौकरियां देने का कहा है।

अभी पथमेड़ा की बात कह रहे थे। अभी मंत्रीजी ने जो बताया, झालावाड़ के अन्दर, आप अब कह रहे हैं कि मैं झालावाड़ की बात कह रहा हूं।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

हमारी जो मुख्य मंत्रीजी हैं उनका गृह जिला झालावाड़ है, उस गृह जिले के अन्दर एक महिला के साथ गैंगरेप होना, और उस गैंगरेप होने के बाद, उसके घर वाले पुलिस थाने जाकर एफ आई आर दर्ज करवाना चाहते थे....

श्री अध्यक्ष: रोजगार की बात कर रहे थे?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम रोजगार की बात करते हैं, हम कानून-व्यवस्था की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष: जिस रोज कानून-व्यवस्था पर बहस हो, उस रोज बात कीजिये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम पेयजल की बात करें, आज पेयजल की बात करें। इस बजट के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: आपका एक मिनट और रहा है। इस एक मिनट में पेयजल की बात कर लें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पेयजल की कोई बात नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट के अन्दर।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल के अन्दर आपको यदि कोई काम करना है, आपने इस बजट के अन्दर यह रख दिया कि ग्राम पंचायत जिसका अन्टाइड और टी एफ सी में पैसा आता है, उन पैसों से ग्राम पंचायत में पानी की व्यवस्था करेंगे। उस ग्राम पंचायत के पास में उतना पैसा नहीं आता कि उन ट्यूबवैल को चला सकें, उस जी एल आर, पाइपलाइन का रखरखाव भी कर सकें और नया यदि कोई पांच फीट का पाइपलाइन का टुकड़ा डालना है तो वह भी नहीं डाल सकेगा। इसलिए वह स्कीम पानी की हमें पता लग गई है कि पेयजल का इसमें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। शांत रहिये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इस बजट के अन्दर चाहे पानी की बात ले लो, चाहे बिजली की बात ले लो, चाहे और जगह निजीकरण की बात ले लो; रोडवेज के बजट के अन्दर माननीया सदन की नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने दो दिन पहले करेक्शन करवाया था, उसमें, बाद में वह करेक्शन था, उसमें झालावाड़ का नाम नहीं बोला और सीधा टेबल कर दिया।

श्री अध्यक्ष: अब आप बजट की जो मांग है, उस पर अपना वक्तव्य दीजिये और विराज जाइये। आपको समय पांच मिनट का दिया था, साढ़े पांच मिनट हो गये आपके।

मैं अब सदन की नेता और राजस्थान की मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। एक मिनट दे दी, एक मिनट।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं राजस्थान नहर के बारे में बताना चाहता हूं। राजस्थान नहर, आई जी एन पी, उस इलाके की लाइफ लाइन है। उस आई जी एन पी के बारे में मैं व्यक्तिगत मुख्य मंत्रीजी से मिला भी था, इसके बारे में मैंने बात भी की थी कि आई जी एन पी 680 किलोमीटर लम्बी नहर है और यह पूरी उस इलाके की लाइफलाइन है। उस नहर की आज की तारीख में जो स्थिति है, उसको सुधारने की जरूरत है। उस नहर के अन्दर जो पीने का पानी आ रहा है, वह जहरीला है, जिसको देख नहीं सकते। उस इलाके में, माननीय मंत्रीजी, आप गये होंगे। आज जो बीकानेर के अन्दर कैंसर हास्पिटल है, वहां पंजाब से जो ट्रेन चलती है उसका कैंसर ट्रेन नाम है।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया, माननीया मुख्य मंत्रीजी, सदन की नेता। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, एक-एक मिनट नहीं देंगे। आप विराजिए। देखिए, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, नो, नो, नो। आप बहुत आ गये। एक घण्टा आपने पूरा ले लिया, जबकि आपका समय नहीं था। कांग्रेस पार्टी का समय नहीं था, उसके बावजूद मैंने आपको एक घण्टे तक बोलने का अवसर दिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): दो लाइन सिर्फ।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। नहीं, अब दो मिनट भी नहीं। आपने एक-एक मिनट मांगा, दो बार दे दिया। विराजिए। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप लिखकर दे देना।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि 14 जुलाई, 2014 को मैंने अपना जो बजट पेश किया था

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

और मैंने इस हाउस में यह भी कहा था कि इसको मैं एक वर्किंग डाक्यूमेंट के रूप में पक्ष और विपक्ष के सामने रखना चाहती हूं, मुझे खुशी है कि पक्ष, विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने बहुत सारे घण्टे यहां बहस करके अपने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये और मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबका आभार मानती हूं। इतनी अच्छे तरीके से, इतने गम्भीरतापूर्वक तरीके से सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये, उसके लिए मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज सोचने की है कि जनता ने राज्य के अन्दर और केन्द्र के अन्दर जो इतना बड़ा परिवर्तन सत्ता का किया, इतना बड़ा जनादेश दिया, उसका क्या मतलब था; इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। मैं यह मानती हूं कि 60 वर्ष का जिस तरीके का माडल हम लोगों के सामने रखा गया था, जो मेथड हमारे सामने रखे गये थे, उनको पूरी तरह से नकारने का काम जनता ने किया। इस मेसेज को हम सबको स्वीकारने की जरूरत है। चाहे दिल्ली की सरकार में, चाहे राजस्थान की सरकार में, जो इतना जोरदार बहुमत मिला है, वह पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार को नकारने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि हमें रोजगार चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें बेहतर जीवन स्तर की जरूरत है, आत्म-सम्मान के पीछे हम भूखे हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वह हमारे लिए जो भी सरकार आती है वह बनाकर दे। विकसित प्रदेश हम अपने प्रदेश को कहलाना चाहते हैं। हम सबकी तमन्ना है कि उसके लिए हम सब मिलकर काम करें। यह उनकी आवाज इस दिल्ली के चुनाव के अन्दर भी, देश के चुनाव के अन्दर भी और प्रदेश के चुनाव के अन्दर भी हम लोगों को देखने को मिली।

मैंने एक विजन आपके सामने रखने की कोशिश की, विजन 2020, परन्तु मैंने देखा कि मैं जिस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं उसको मैं उस वजह से नहीं कर सकी, क्योंकि 5 वर्ष के अन्दर जो वित्तीय कुप्रबंधन देखने को हम सबको मिला, जो स्थिति हमको मिली है, मैं समझती हूं कि उसकी वजह से हमको बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए आगे निकलना पड़ेगा। मैं दोहराना चाहूंगी, जो हमारी वित्तीय स्थिति है, आज हम सबके सामने जो स्थिति है, वह आप लोगों के सामने फिर से एक दफा रखना चाहूंगी। वर्ष 2003-04 के अन्दर जो राजस्व घाटा था, 3,424 करोड़ रुपये का था; वर्ष 2007-08 के अन्दर हमने इस घाटे को बदलकर 1,653 करोड़ रुपये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

का सरप्लस कर दिया था। 2013-14 के अन्दर, रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स के अन्दर यह राजस्व घाटा 2,500 करोड़ रुपये हो गया है।

फिस्कल डेफिसिट की तरफ अगर आप देखें, 2003-04 के अन्दर यह 6.5 प्रतिशत से अधिक था, इसको घटाकर हम लोगों ने 2007-08 के अन्दर 1.75 पर लाकर रखा। पिछली सरकार ने फिर से उसको 3 प्रतिशत से अधिक करके छोड़ा है। यह हमारे लिए एक बहुत संकट का काम है।

मार्च, 2008 के अंत में कर्ज, जो अन्य लाइबिलिटीज थीं, वे करीबन 77,138 करोड़ रुपये हो गयीं। मार्च, 2014 में यह 53,502 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,30,640 करोड़ रुपये हो गयीं।

एफ आर बी एम एक्ट के अन्दर राजस्थान डवलपमेंट एण्ड पोवर्टी एलीविएशन स्कीम हम लोगों ने चालू की थी, जिसके अन्दर 850 करोड़ रुपया जमा करके हमने छोड़ा था, पर पिछली सरकार ने राजस्थान की गरीब जनता के लिए भी इन पैसों को खतम करने का काम कर दिया।

अफसोस की बात तो यह है कि इतना सारा कर्ज लेकर अगर कोई अच्छा प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता तो अपने को इतनी चिन्ता नहीं होती, पर मैं यह देख रही हूं कि कम से कम प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम तो क्या, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी कमजोर कर दी है, तो प्रदेश की स्थिति और बदतर हो गयी है। वर्ष 2003-04 के अन्दर जब सरकार छोड़ी तो 42 परसेंट ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय था। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वह इतना ही था। अब मेरा यह कहना है कि 2007-08 में जब हम छोड़कर गये तो 109 प्रतिशत तक उसको ले गये थे, जो मैं समझती हूं कि एक ऐसी परिस्थिति के अन्दर एक बहुत अच्छा काम था।

वर्ष 2008-09 तक हमने जब सरकार छोड़ी, तब बिजली कम्पनियों का कुल घाटा 15 हजार करोड़ रुपये था और आपने पिछले 5 वर्ष के अन्दर 75 हजार करोड़ रुपये को भी पार कर दिया। 5 वर्ष के अन्दर बिजली कम्पनियों का घाटा 60 हजार करोड़ रुपये बढ़ गया। यह स्थिति अभी हमारे फाइनेंस की है। ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल के अन्दर कोई फाइनेंशल प्रबंधन था ही नहीं।

मैं एक आपको जो परिवर्तित बजट के अन्दर मुख्य बिन्दु हैं, उनके ऊपर और स्पेशली फाइनेंसेस के ऊपर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहती हूं। वर्ष 2014-15 की वार्षिक योजना, प्लान साइज में गत वर्ष की तुलना में 72

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

परसेंट की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 का जो राजकोषीय घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट है 20,186 करोड़ रुपये, वह जी एस डी पी का 3.52 प्रतिशत है। वर्ष 2014-15 में जो आन-टैक्स रेवेन्यू है, 18 प्रतिशत, उसकी वृद्धि एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हम करने की कोशिश करेंगे।

मुझे सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि वर्ष 2014-15 के अन्दर बजट अनुमान की मद में 10,470 करोड़ रुपये का हमें प्रावधान रखना पड़ा है, जो राज्य की टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का 9.87 प्रतिशत है। अगर इतना वित्तीय कुप्रबंधन नहीं होता तो इतना कष्ट नहीं होता और हमें इतना ब्याज भी देना नहीं होता और हम उस राशि को प्रोडक्टिव यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं, परन्तु यह भी नहीं हुआ।

मुझे पीड़ा इस बात की भी है कि हम लोग क्यों यह मानते हैं कि सिर्फ 5 साल की सरकार है, इसलिए 5 साल की जिम्मेदारी हम लोगों को करने की जरूरत है? हम उस 5 साल के अन्दर सीमित क्यों रहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, विकास एक सतत प्रक्रिया है। मैं समझती हूं कि जनता का जो विश्वास है वह हमारे लिए एक अमूल्य पूंजी है। उस पूंजी को अपने को ध्यान में रखना है, उनके इस विश्वास को टूटने नहीं देना है। मैं समझती हूं कि इस स्नेह के बंधन को बनाये रखने का काम शार्ट टर्म थिंकिंग से नहीं होता है। किसी भी तरीके से उसको हमको डगमगाने नहीं देना चाहिए।

अभी आप बहुत भरतपुर की बात कर रहे थे, बीकानेर सम्भाग की बात कर रहे थे, यह शार्ट टर्म व्यू नहीं है। हम यह देख रहे हैं कि 60 साल के बाद जो नीचे के तबके का काम है, वह बिलकुल ही शून्य हो गया है। पब्लिक डिलिवरी क्या चीज है, ना के समान आपको देखने को मिल रहा है। शिथिलता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं समझती हूं कि क्या हम लोग, जयपुर के अन्दर बैठे हुए, दिल्ली के अन्दर बैठे हुए, उस गरीब आदमी को वैसे ही पड़े रहने देंगे? इसलिए हम लोगों ने यह सोचा कि हमारे मुख्य मंत्री हो, चाहे मंत्री हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे हमारे सांसद हों, सब लोग जाएंगे, क्षेत्र के अन्दर घूमेंगें, ग्राम पंचायतों के अन्दर जाएंगे और यह कोशिश करेंगे कि वह अकाउंटेबिलिटी और डिलिवरी सिस्टम के अन्दर इम्प्रूवमेंट हो। जो लोग कहते थे कि यह नाटक है, मैं उन सबको कहना चाहती हूं कि उनको जनता की पीड़ा का अहसास नहीं है, इसके बारे में उनको सोचने की बहुत जरूरत है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे हाथ में जादू नहीं है। हम यह भी कह रहे हैं कि वहां जब हम गये तो हम लोगों ने सब कुछ ठीक नहीं कर दिया, परन्तु हम जानते हैं कि हमारे जाने से वहां फर्क हुआ है, बदलाव हुआ है और यह एक रात में होने वाला नहीं है, यह 60 साल की बीमारी है। इसको करेंगे, धीरे करेंगे, इसको पेशेंटली करेंगे, हम बार-बार क्षेत्र के अन्दर जाएंगे और कोशिश यह करेंगे कि हमारे कैम्प्स वहां तक पहुंचाकर, जनता तक हमारा काम पहुंचाने का काम करेंगे।

समाधान समस्याओं का हुआ है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा, एयर-कंडिशंड कमरों में बैठे रहे, आपको चलना चाहिए था। कभी-कभी अगर आप लोगों ने 60 साल के अन्दर यह काम कर लिया होता तो आपको भी समझ में आता। हमने कभी भी आज के दिन किसी को यह नहीं किया। वह चुनाव का टाइम भी नहीं था कि ऐसे समय में जाकर हम लोग किसी के वोट मांग रहे थे। हम गये क्योंकि जनता ने हम पर विश्वास किया है, उस जनता के विश्वास को कायम रखने का काम है। उन्होंने मेहनत करने के लिए अपने वोट दिये हैं और इसलिए मेहनत करना ही हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वह मेहनत करने हम अपने क्षेत्र में गये।

मैं आपको यह कह सकती हूं कि जो जमीनी स्तर के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको हमें देखने को मिला और आज बजट के अन्दर बहुत सारी चीजें हम लाये हैं उस बीकानेर सम्भाग के लिए, जो अगर हमने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद हम बजट के अन्दर ला भी नहीं सकते थे। आज क्योंकि देखा, क्योंकि समझा, उसको बदलने की हम लोगों ने कोशिश की और उसको बजट में लाकर भी हम लोगों ने वहां के लोगों को मजबूत करने की कोशिश की है। मैं मानती हूं कि यह एक बहुत अच्छा और यूजफुल एक्सरसाइज रहा और मैं यह भी मानती हूं और कहती हूं कि आने वाले समय के अन्दर जो सम्भाग रह गये हैं, उन सम्भागों को भी हम लोग पूरा करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो फिर वापस सम्भाग में जाने का काम करेंगे ताकि जनता के डिलिवरी सिस्टम्स इम्प्रूव हो जाएं।

सोशल और इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, यह बहुत जरूरी होता है। मैं इस पर क्यों इतना जोर दे रही हूं, इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी, वह है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया एक छोटा सा देश है। जब 60 साल पहले कोरियन युद्ध समाप्त हुआ, तब कोरिया विकास के लगभग सभी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इंडिकेटर्स में भारत से पीछे था। वहां की सरकार ने अपने छोटे से और सीमित संसाधनों के साथ अपनी जनता को और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके आधारभूत ढांचे को मजबूत किया और आज इस देश की पर-कैपिटा इन्कम भारत देश से 20 गुनी अधिक हो गयी है। अगर कोरिया यह कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? राजस्थान प्रदेश क्यों नहीं कर सकता? मेरी कल्पना तो यह है कि जब हम टी.वी. खरीद रहे हैं तो राजस्थान के किसी सैम्संग से क्यों नहीं खरीदें? राजस्थान के किसी ह्यूंडई से हम क्यों नहीं अपनी गाड़ी खरीदें? हमारी कोशिश यह होनी चाहिए, हम इन लोगों को सबको मजबूत बनायें और अगर हम मजबूत बना देते हैं तो कल का राजस्थान, जिस नये राजस्थान की हमने बार-बार कल्पना की है और बात की है, उसको पूरी तरह से जमीन पर लाने का हम काम कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, विकास का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता और कई डेकेड्स में, हम देख रहे हैं, जो काम हुआ है, उसको हम पांच साल के अन्दर ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारी असुविधाएं जनता की, बहुत सारे दु:ख और दर्द जनता के हैं, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है और मैं यह नहीं कह सकती हूं कि हम लोग आकर पांच साल के अन्दर उसको बिलकुल ठीक कर सकते हैं, परन्तु कोशिश में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मेहनत में भी हम कोई कमी नहीं छोडेंगे और हमने यह तय किया है, कठिन पल तो आते हैं, कठोर निर्णय भी कभी हमको लेना पड़ेगा, सब गुडी-गुडी बनकर तो काम होता नहीं है, कभी-कभी खड़े होकर you have to be counted and if you have to be counted तो कभी-कभी ऐसी चीजें भी करनी पड़ती हैं जो कभी कड़वी भी लगती हैं। परन्तु मैं समझती हूं कि प्रदेश के जो लोग हैं, वे इसमें स्टेक-होल्डर्स हैं और स्टेक-होल्डर्स का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में सबकी भागीदारी होती है और यह सब जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही नहीं है, हमारी सरकार की ही नहीं, हमारे मंत्रियों की ही नहीं है, परन्तु यह भागीदारी आप सबकी भी है, प्रदेश की जनता की भी है, सबकी है। मैं आपको, सबको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि यह कठिन समय के अन्दर हमने शुरुआत की है परन्तु आने वाले समय के अन्दर हम लोग इन सब चीजों को सुलझाने का काम करेंगे और जो सपना हमारे प्रदेश के लोगों ने देखा था, उसको कुछ हद तक साकार करने का काम भी हम करेंगे।

माननीय सदस्यों ने अपनी कई बातें रखीं और इसमें कई माननीय सदस्य इन्वाल्व थे। इन लोगों ने यह कहा कि पदों के सृजन या बजटीय

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रावधान क्यों नहीं हुए, पदों का सृजन क्यों नहीं हुआ? अध्यक्ष महोदय, 2003-2008, मेरा रिकार्ड है और उसके अन्दर आप यह देखेंगे कि जो भी घोषणाएं कीं, उनको पूरा करने का काम हमने किया। हम लोग ऐसे धोखेबाजी या खोखली घोषणा नहीं करते हैं। यह तो एक्सपर्टीज अगर किसी की है तो हमारे सामने बैठने वाले जब सरकार में थे, तब उनकी थी। माननीय सदस्य, आप, प्लीज, कोई भी फिक्र मत करिये, मैंने आपको यहां हाउस में ही कहना है कि जो भी घोषणाएं हुई हैं, उनका बजट प्रावधान होगा और पद भी अच्छी तरह से सृजित होंगे।

मैं हायर एजुकेशन का एक एग्जाम्पल यहां पर देना चाहती हूं कि हम आपकी तरह से कालेजेज नहीं खोलते। अध्यक्ष महोदय, गत सरकार द्वारा माह अगस्त, 2013 में कुल 42 राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति जारी की गयी थी। कौनसा महीना, 2013 का अगस्त का महीना। चुनाव हुए दिसम्बर के महीने में। फिर अगस्त में इनको कालेजेज का कैसे ध्यान में आया? और क्या प्लानिंग है यह? अगर जो भी आपको काम करना है, पांच साल पूरे आपके पास थे, आपको मालूम था कि 42 कालेज खोलने हैं तो फेजवाइज कर दिया होता तो ये सब कालेज अपने पैरों पर खड़े हो जाते। ये महाविद्यालय, गत सरकार ने न तो भूमि का इंतजाम किया, न भवन का इंतजाम किया, न स्टाफ का इंतजाम किया और अगर आप देखेंगे तो इसके कारण खाली 27 महाविद्यालय कामचलाऊ व्यवस्था में आयें। फिर हमने पता किया कि कहां-कहां ये कालेज खुले, तो कहीं कोई स्कूल में खुल गया, कहीं किसी के पांच कमरों में खुल गया, कहीं धर्मशाला में खुल गया। ऐसे कालेज नहीं खोले जाते, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 15 महाविद्यालयों में तो काम शुरू ही नहीं किया जा सका, नेचुरली इन सब चीजों की वजह से। अगर पहले सोच-विचार करके किया होता तो शायद वे भी कम्प्लीट हो जाते।

मेरा यह मानना है कि इस तरीके से नहीं होता, इसकी प्लानिंग के साथ होता है। पद सृजित होते हैं, जमीन दी जाती है, बिल्डिंग खड़ी होती है और उसके बाद ही इन चीजों का अनाउंसमेंट हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास इतना पैसा होता है।

इसी तरीके से, स्कूल के अन्दर इंटीग्रेशन के ऊपर, स्कूल के इंटीग्रेशंस के ऊपर प्रश्न उठे। तो यहां तो माननीय मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दे दिया है। अगर स्थिति ऐसी होती है कि जीरो बच्चों के 142 स्कूल्स के अन्दर 215

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या 62,902 अध्यापक 30 या 30 से कम छात्र वाले 31,024 विद्यालयों के अन्दर पढ़ा रहे हैं, तो क्या व्यवस्था को सुधारना नहीं चाहिए? ऐसी व्यवस्था को ऐसे ही चलने देंगे या कुछ सुधार लाने की कोशिश हम करेंगे? हम विद्यालय बन्द नहीं कर रहे हैं। इसको हमने बार-बार अपने बजट में भी बताया और मंत्री महोदय ने भी उसको बताया है। हम सिर्फ उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टीचर-स्टूडेंट के रेशो को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बन्द करने की बात आई भी कहां से, यह मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि 67 साल के अन्दर हम लोग बड़ी मुश्किल से एक-तिहाई ग्राम पंचायतों के अन्दर सीनियर सेकण्डरी विद्यालय खोल पाये हैं, सब लोग मिलकर के ओनली वन-थर्ड के अन्दर। हमारी सरकार ने तो यह कहलवाया है, अभी घोषणा की है कि बाकी जो 2/3 हैं, उसके अन्दर जो 5 हजार ग्राम पंचायतें हैं, उन सबके अन्दर हम सीनियर सेकण्डरी स्कूल खोलने जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड फैशन में। यह तो अच्छी बात है।

जहां तक नियुक्तियां और विशेषकर विद्यालयों की नियुक्तियों का प्रश्न है, यह तो पिछली कांग्रेस सरकार ने अच्छी तरह से उलझा कर रखा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि ये सब खोखली घोषणाएं थीं, इनको ले जाकर कोर्ट में फंसाने का काम अच्छी तरह से सोच-विचार करके किया गया है। मैं समझती हूं कि सभी मामले, ज्यादातर न्यायालय के अन्दर जाकर पड़े हुए हैं और इस उलझी हुई स्थिति को हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैंने यह कह दिया है, फिर विश्वास करिये कि न्यायालय के अन्दर जो भी रुकी हुई नियुक्तियां हैं, उनको हम अच्छी तरह से अटेंड करके सुलझाने का काम करेंगे ताकि इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर सुलझा कर, और हो सकता है कि दिवाली तक हम इस तोहफे को जनता के सामने लाने की कोशिश करेंगे। यह हमारा काम रहेगा, हमें कोशिश करने की जरूरत है।

डिलेज हुए हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि आर.टी.ई.टी. की परीक्षा के बारे में हमने सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर बहुत कुछ सुना था। यह तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियुक्ति दोहरी परीक्षा प्रणाली के अन्दर से निकलती थी। हम लोगों ने उसको खतम करते हुए एक ही परीक्षा आयोजित की, जिसको रीट बोलते हैं और वह निर्णय लेकर, हमने सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर जो वादा किया था, उसको पूरा करने का काम किया है। इसीलिए मैं कहती हूं कि जो वादा हम लोग करते हैं, उसको पूरा करते हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

एक बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने चालू की और वह यह थी कि शिक्षा के प्रति हम लोगों को बच्चों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। क्वालिटी एजुकेशन, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने यह कहा कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के अन्दर जो छात्रवृत्ति बच्चों को मिलती है, उसको मैच करते हुए हम भी अपनी छात्रवृत्ति देंगे। यह हमने अपनी घोषणा की है। इस प्रकार, हमने 9 से 11 की कक्षा के पश्चात् विद्यार्थियों हेतु विज्ञान और गणित के अन्दर राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करने की हमने घोषणा की है, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और मैं समझती हूं कि सरकार द्वारा इस दिशा में अगर निरन्तर प्रयास होंगे तो प्रदेश के बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है, वह ऊंचा उठेगा। यह बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए और फिर अगर यह होता है तो आगे चलकर रोजगार के भी रास्ते हमारे लिए खुल जायेंगे। यह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।

मैं पेट्रोलियम के ऊपर आना चाहती हूं। पूर्व मुख्य मंत्री ने बहुत सारे स्टेटमेंट आज दिये हैं और एक और स्टेटमेंट मेरे पास आया है। दो-दो स्टेटमेंट, कल का स्टेटमेंट और आज का भी एक स्टेटमेंट है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, उन्होंने यह कहा है कि नेगोशिएट ही करना था तो सरकार ने आठ माह इंतजार क्यों किया? मैं यह कहना चाहती हूं कि आठ माह हम लोगों ने इंतजार नहीं किया है। पहले तो हम यह समझ लें कि पिछले आठ महीनों से नहीं किया, हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग भी हो गई है सी एम डी, एच पी सी एल के साथ। हमारी टीम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, (फाइनेंस) की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (माइन्स) की बोम्बे भी होकर आई हैं। अण्डरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल है इसकी, क्योंकि इसकी फाइल ही नहीं है। यानी, आप यह समझिये कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उसके अच्छे तरीके से फाइलिंग करके पेपर्स मौजूद हों, परन्तु पेपर्स हम लोगों को दिख नहीं रहे हैं।

एच पी सी एल ने अपना एडवाइजर बनाया एस बी आई कैप्स को। जब भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसका एडवाइजर बनता है दोनों तरफ से। उन्होंने भी अपना एडवाइजर बनाया तो अपने को भी अपना एडवाइजर बनाने की जरूरत थी, पर हम लोगों ने अपना तो एडवाइजर बनाया नहीं। उनकी जो रिपोर्ट थी, नेचुरली वह उनके हिसाब से ही बनाई जायेगी। जो उनकी रिपोर्ट थी, उसको मैंने देखा। बस, जैसे चाहते थे, वैसे ही उसके ऊपर हम लोगों ने साइन कर दिया। हमने कोई चीज को क्वेश्चन नहीं किया है। अब इतना बड़ा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रोजेक्ट है, बिना क्वेश्चन किये, बिना एडवाइजर रखे हम लोगों ने हस्ताक्षर कर दिये। पूछने की जरूरत तो है ही, कि मुद्दा तेल का है और यह हम पूछना चाहते हैं कि जब तेल हमारा है, जमीन भी हमारी है, पैसा भी हमारा है तो शेयर हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं सही तरीके से? यह राज्य सरकार को सिर्फ 26 प्रतिशत शेयर क्यों मिले?

आज मैं यह कहना चाहती हूं, ये कह रहे हैं कि 55,000 करोड़ रुपये हम लोग उनको देने जा रहे हैं और एस बी आई कैप्स यह कहती है कि आने वाले 15 साल के बाद कैश सरप्लस होगा, 68,000 करोड़ रुपये हम लोगों को वापस मिलेंगे। उनका कैश सरप्लस होगा 68,000 करोड़ एच पी सी एल का, तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जब उनके होने वाले हैं तो 55,000 करोड़ रुपये हम दे क्यों रहे हैं? इतनी गरीब जनता है, can we afford it? I don’t think, we can.

इसलिए मेरा यह कहना है कि जहां आप लोग बात करते हो, तीन लाख नौकरी, मैं तो सुनकर हैरान हो गई हूं। आप तो सब रिफाइनरीज को देख लीजिये ना, उन सब रिफाइनरीज के अन्दर never more than a thousand to 12 hundred., वह भी टेक्नोलोजी में जानकार। इसका मतलब यह है कि कम से कम लोग राजस्थान से लिए जायेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नोलोजी के लोग होंगे, वे लोग लिए जायेंगे। हम तीन लाख तो होंगे ही नहीं। यह सपना आप छोड़ दीजिये। शायद जब आप लोगों की मीटिंग हुई होगी, आप लोगों को यह बताया ही नहीं गया कि यह रिफाइनरी जब आयेगी, तो इसका जो आप सोच रहे हो, वह असर नहीं होने वाला है। इसलिए जरूरी है कि हाबड़-ताबड़ में अपन लोगों को यह सब काम करना नहीं चाहिए।

मैं इसके ही ऊपर एक विषय आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि भई, इतनी इम्पोर्टेन्ट चीज है, मैं यह पता करना चाहती हूं कि जब हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में सोच-विचार करके निर्णय होते होंगे। प्रस्ताव की दिनांक 18 फरवरी, 2013; माइन्स सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, माइन्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर; एप्रूवल 19 फरवरी को, 22 फरवरी को आपने एप्रूवल दे दिया। क्या है! इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई सोचेगा, कोई उसका एनेलेसिस करेगा, कोई उसके बारे में पता करने की कोशिश करेगा, कि ऐसे ही लिख देगा? तो मैं तो समझती हूं कि इसके पीछे और कोई चीज थी कि इतना फ्रीली आपने हमारा सब कुछ दे दिया without even taking an

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

interest and saying what kind of...यानी, किस तरह का इन्वेस्टमेंट आपके सामने आ रहा है।

फिर यह भी आपको कहना चाहूंगी, यह जो रिपोर्टिंग हो रही है, यह रिपोर्टिंग एन सी ए ई आर की आपने अभी पढ़ी है, इसमें कितनी सत्यता है कि नहीं है, वह भी अपने को पता करने की जरूरत होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जो आपके सामने हमने रिफाइनरी की बातें लाई हैं, वे किसी से छिपी हुई नहीं हैं। वह सब दुनिया जानती है। बस, मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री सिर्फ बयानों में क्यों रहते हैं? यहां आ जाते, इस चीज के बारे में आर्ग्यू करते, हाउस में रहते। बाहर रहकर बयान देने का मतलब क्या है? और गुमराह करने से कोई मतलब नहीं है। मैं यह कहना चाहती हूं कि समय आ गया है, आप कुछ दिन तक गुमराह कर सकते हो लोगों को, पर आल-द-टाइम गुमराह नहीं कर सकते हो और लोग समझ गये हैं और समझने की वजह से ही आपकी यह दयनीय स्थिति हुई है, नहीं तो यह स्थिति होने की जरूरत ही नहीं थी।

अब यह आप आइये, वर्तमान सरकार ने पी पी पी आधार पर राजमार्गों और एम डी आर की 20,000 किलोमीटर लम्बाई की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके लिए हम लोगों ने राजस्थान स्टेट रोडवेज अथोरिटी को बनाया है। अगले पांच वर्षों में सभी सड़कों का हम विकास सुनिश्चित करेंगे। परन्तु बाड़मेर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा कि पी पी पी सड़कें बनाने पर बहुत चिंता है। पी पी पी में बनी सड़कों से क्या नुकसान होता है, मुझे यह पूछना है। हमने पी पी पी में पांच सड़क बनाई थीं, वे पी पी पी की सड़कें ही आज दिन तक भी जिंदा हैं। उसी पर आप लोग चलते हो, बड़े आराम से चलते हो। इसका फायदा आप सबको मिलता है और जनता को भी मिलता है। तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि इसकी चिंता क्यों हो रही है? हां, हो सकता है कि टोल की वजह से, यदि सड़कें बढ़िया बनेंगी और बढ़िया रहेंगी, जैसी वे सड़कें रही हैं; पी पी पी में चार मेगा हाईवे जो बने थे, उनका आपने कोई नुकसान तो देखा नहीं है; वह सब लाभ ही लाभ है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को, मैं तो समझती हूं कि आप रामजी की गोल से चलते-चलते फलौदी तक पहुंचे हो, उसका भी फायदा आपने देखा होगा। बस, यही काम है, यही फायदा हम जनता को दिलाना चाहते हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसलिए हम उसके ऊपर काम करने का, इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम अपने हाथ में लिया है।

फिर मेरे को और दो माननीय सदस्यों ने, बाड़ी वालों ने और टोडाभीम वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि सोने की गूरजा और मंडरायल के पुल का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ है? इसकी चिंता हमको भी है। क्योंकि जब हम भरतपुर गये थे तो हम लोगों ने जाकर, उसको हम देखकर भी आये थे और मैं यह कहना चाहती हूं कि इनकी घोषणा की क्रियान्विति करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। दोनों पुल, जैसा आप जानते हों, घड़ियाल की सैंक्चुअरी में होने के कारण, इनका अगर निर्माण हमको करना है तो केन्द्रीय वाइल्डलाइफ बोर्ड में अनुमोदन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वीकृति हमारे लिए आवश्यक है। यह हमको लेनी पड़ेगी। राज्य वाइल्डलाइफ बोर्ड द्वारा हमने बहुत ही जल्द करवा भी दी है, मीटिंग करवा दी है और उसका प्रस्ताव, केन्द्रीय वाइल्डलाइफ बोर्ड के पास अनुशंसा हमने कर दी है। केन्द्रीय वाइल्डलाइफ बोर्ड से शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमको परमिशन मिलेगी। मध्य प्रदेश की तरफ से भी कोशिश हो रही है, हमारी तरफ से भी कोशिश हो रही है। मुझे विश्वास है कि हम इस सड़क को बनाने में और उस पुल को बनाने में पूरी तरह से सफल होंगे।

फिर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने, किशनपोल से, नवलगढ़ से, टोडाभीम से, जैसलमेर से, पाली से, लक्ष्मणगढ़ से, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि चिकित्सालयों में डाक्टर्स के बहुत सारे पद रिक्त हैं। मैं भी मानती हूं कि हैं, रिक्त हैं। 6,000 पद की भर्ती का जो विज्ञापन किया गया था, सिर्फ 2,700 चिकित्सक उपलब्ध हो पाये थे और जैसा आपको मालूम है, करीबन 9,000 चिकित्सकों की कमी अभी भी चल रही है। इसको खतम करने के लिए हम लोगों ने, जयपुर में चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधीन एक मेडिकल कालेज इस वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगा, हमारे उसके अन्दर 100 छात्रों का प्रवेश होगा, पर मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया ने कई सीट्स को कैंसिल किया था, प्रयास करके हमने उन सीट्स को वापस ले लिया है और सात नये मेडिकल कालेज हम अब खोलने जा रहे हैं। इसी की चिंता से, हमने सोचा कि जरूरी है कि कालेजेज खुल जायें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पास-आउट हो सकें। इसके लिए अभी जमीन की आइडेंटिफिकेशन चल रही है, फिर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसके बाद बिल्डिंग तो बनेगी और टीचिंग फैकल्टी का रिक्रूटमेंट तुरन्त ही उसके बाद होगा और मैं समझती हूं कि इसका फायदा आगे चलकर, सीट बढ़ने का भी, आगे चलकर हम सबको फायदा होगा।

फिर हमने स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घोषणा की। इसी को सोचकर की है कि राज्य के 67 प्रतिशत लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। इस योजना के अन्तर्गत आम जनता को निजी चिकित्सालय के अन्दर भी इलाज कराने का मौका मिलेगा। एक वैकल्पिक व्यवस्था हमने उनके सामने खड़ी कर दी है और मैं समझती हूं कि इसका भी फायदा उनको मिलेगा। सरकारी अस्पताल भी और वैकल्पिक तरीके से प्राइवेट अस्पताल के अन्दर भी ये अपना इलाज करवा सकते हैं।

एनर्जी डिपार्टमेंट के बारे में मैं थोड़ा-सा आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहूंगी। पांच वर्ष के कार्यकाल के कुप्रबन्धन की वजह से वितरण तंत्र का रखरखाव पूरी तरह से खराब हो गया था; 33 के वी सब-स्टेशन आधे-अधूरे ही स्थापित किये गये थे, ढीले तार थे, टेढ़े पोल थे। मानकर चलिए, पूरी तरह से सुरक्षा के उपकरण स्थापित नहीं किये गये थे और इसी वजह से व्यवधान और दुर्घटनाएं हो रही थीं। हमारी सरकार ने आते ही इस 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स चालू किये हैं। सबसे पहले तो एक फीडर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है जिसके अन्दर 11 के.वी. के 16 हजार 390 फीडर्स, पांच लाख ढीले तारों को ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब समझो, कितना सारा, यानी, क्या परिस्थिति थी। तीन लाख टेढ़े पोल्स सीधे करने का काम हम लोगों ने हाथ में लिया है। 55 हजार किलोमीटर खराब हो गये; ए बी सी केबल्स को बदलना पड़ रहा है; तीन लाख थ्री फेज के, एक लाख सिंगल फेज के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर्स को सुधारना पड़ रहा है। 53 हजार सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर्स की क्षमता में आवश्यकता-अनुरूप वृद्धि करने की जरूरत है; एक लाख सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स को पुन: अर्थिंग कराने की जरूरत है। इतनी छोटी सी बात तक नहीं कर सके। 4 लाख लम्बे स्थानों के अन्दर पोल स्थापित करना और इसके लिए हमारी अनुमानित लागत है, 1,500 करोड़ रुपये का हमारा व्यय होगा। इसको हम पूरा करने की बात कर रहे हैं। सब-स्टेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत 33 के.वी. के 33 हजार 991 सब-स्टेशन खराब हैं; 679 रोस्टर स्विचेज को बदलना है, नहीं बदले; 2 हजार 22 सर्किट ब्रेकर को सुधारने का, परन्तु अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, न कोई नये खरीद के लाये हैं; 2 हजार 986 फीडर मीटर्स को बदलने का काम, सब-स्टेशन

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

की अर्थिंग को सुधारा जाना, वह भी नहीं। इसके अलावा, आधे-अधूरे स्थापित कर दिये गये 33 के.वी. सब-स्टेशन पर 10 हजार 102 नये रोस्टर स्विच, 6 हजार 843 सर्किट ब्रेकर्स, 4 हजार 672 फीडर मीटर्स स्थापित किये जाने हैं।

कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इन दोनों योजनाओं के अन्दर अभी बहुत सारा काम है। उसके बावजूद भी मार्च, 2015 तक हम इसको पूरा करेंगे और केन्द्र सरकार की भी उसमें आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी तो उनकी सहायता लेंगे।

विंड पालिसी और रिवाज्ड सोलर पालिसी बहुत जल्दी हम लोग इसको घोषित करेंगे। परन्तु यह सब चीजों को पूरा हम तब कर पाएंगे जब हम जमीन पर अपनी बिजली जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से हम ला पाएंगे।

अभी लीडर आफ दी अपोजिशन ने पेयजल के बारे में अपनी बातें रखीं। गत सरकार द्वारा 19 हजार 872 करोड़ की 46 वृहद् पेयजल योजनाएं स्वीकृत, पर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था ही नहीं। तो हवा में से तो होने वाले नहीं हैं ये। आफ्टर-आल कुछ तो अरेंजमेंट करने की जरूरत है। दिसम्बर, 2013 के अन्दर प्रगतिरत इन वृहद् पेयजल योजनाओं के लिए 15 हजार 430 करोड़ रुपये के विरूद्ध 6 हजार 746 करोड़ रुपये की लायबिलिटीज क्रीएट कर दी गई, जिसके लिए अभी हमने करीबन 3 हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है।

नागौर लिफ्ट परियोजना, नर्मदा की पांच परियोजनाएं, बीसलपुर-दूदू के अन्तर्गत ट्रांसमिशन मेन और क्लस्टर डिस्ट्रिब्यूशन का कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगेन पैसा नहीं था और जनता के शुद्ध पेयजल से लाभान्वित होने से हम लोग फिर वंचित रहे।

आपके क्षेत्र की जो बात आप कर रहे थे, उसको मैं अभी इसमें लेना चाहूंगी।

माही, जाखम, चम्बल, लासी, तकरीब, पीपलाज, गागरी, नर्मदा, बजट ही नहीं दिया। कैसे काम चालू होगा? सिंचित क्षेत्र का न तो सृजन हो पाया, न अंतिम छोर तक आप लोग पानी पहुंचा पाये। तो किसानों को मुसीबत होनी ही है। अप्रैल, 2010 और अप्रैल, 2012 तीस दिन की आपने दो बार नहर बंदी लीं और उसके बाद भी गंग नहर प्रणाली का इसलिए आधुनिकीकरण नहीं हो पाया क्योंकि समय पर बजट ही उपलब्ध नहीं हुआ।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

खाली सैंक्शन करने से काम नहीं होता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर के और इसीलिए तो लास्ट छह महीने के अन्दर आप लोगों ने यह सब काम किये। क्योंकि आपको मालूम था कि बजट नहीं होने वाला है, सैंक्शन कर दिया जाए; बाद में जो आता है उसको देखा जाए।

पिछले चार वर्ष में टूटे हुए, गरड़ा बांध बूंदी वाला है और जसवंत सागर बांध जो जोधपुर का है, मरम्मत नहीं हुआ। पांच वर्ष के लिए आवश्यक 240 करोड़ रुपये के बजट के विरुद्ध मात्र 104 करोड़ देना।

और इंदिरा गांधी नहर फीडर, मुख्य नहर, शाखा नहर और वितरिकाओं और माइनर, इनका डि-सिल्टिंग कार्य होगा तो कैसे होगा? अगेन टू सेम थिंग, पैसे नहीं। और आपका नारा था संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार। अब हम कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पूरे नहरी तंत्र का एक वृहद् योजना तैयार करके डि-सिल्टिंग का काम हम लोग कराएंगे। पहले भी किया और अब फिर करने का काम हम करने वाले हैं।

टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य की नेचुरल चिंता है, उन्होंने यह कहा कि मेरी चम्बल परियोजना नादौती-खण्डार-गंगापुर का बजट में कोई प्रावधान नहीं है, मेरा क्या होगा? तो हम तो आपको यह बताना चाहते हैं कि चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल योजना का कार्य प्रगतिरत है। इस परियोजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 51 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान है। जून, 2014 तक 12 करोड़ 79 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। इसको वैसे पूर्ण हो जाना चाहिए था, परन्तु नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि तीन साल इसकी इन्वायरनमेंट क्लीयरेंस नहीं थी, तीन साल उसने काम ही नहीं किया; जिसको कम्पनी दी थी, उसने काम नहीं किया। हम जब भरतपुर गये थे, इसमें फायदा हुआ। कभी-कभी इससे फायदा ही होता है। हम भरतपुर गये तब हम लोगों ने जाकर के उसका, क्या कहते हैं इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद ही उसका काम चालू हुआ है और अभी इंटेक वेल का काम चल रहा है। इंटेक वैल पहले नहीं बना था, पाइपलाइन डल गई थी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर काम बहुत ही स्लो था। इसलिए अब प्रोग्रेस चालू हो गयी है। मैं मानती हूं कि अगर आप लोग फील्ड में चले जाते, जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इधर-उधर देखते तो शायद ये सब चीजें अब तक पूर्ण हो जातीं। पर जैसा भी हो, 2015 तक हम इसको पूरा करेंगे। यह माननीय सदस्य टोडाभीम से आने वालों को बताना चाहती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बाड़मेर लिफ्ट योजना के लिए भी कोई बजट प्रावधान नहीं है। अब मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि जो पार्ट-ए है आपकी बाड़मेर परियोजना का, उसका 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है और पार्ट-बी का 17 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इनका भी काम चालू है और इसको भी पूर्ण करके ही हम छोड़ेंगे।

अब आप रोडवेज के ऊपर बहुत चिंता कर रहे थे, माननीय सदस्य। इसीलिए मैंने यह कहा कि थोड़ा सा इसका कम्पेरिजन मध्य प्रदेश के साथ किया जाए। अख़बार वालों ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में यह हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा है? तो मैं यह बताना चाहूंगी कि यह जो आशंकाएं आप सब लोगों ने व्यक्त की हैं कि राज्य सरकार आर एस आर टी सी को मध्य प्रदेश की तर्ज पर बंद करने के लिए निकली है और बस, टेम्पो निजी हाथों के अन्दर देने की कोशिश कर रही है, इसमें आपको कहना है कि दोनों ही आशंकाएं आपकी आधारहीन हैं। आर एस आर टी सी को बंद करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम तो आर एस आर टी सी को और स्ट्रोंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह आप मानकर के चलिए। मध्य प्रदेश के अन्दर कोई भी योजनाबद्ध नीति के अन्दर डि-नेशनलाइजेशन नहीं किया गया है। जब परिवहन निगम कोलेप्स होने के कगार पर आ गया, तब मजबूरन उनको डि-नेशनलाइजेशन करना पड़ा।

हम लोगों ने यह सुगम और सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए रिफार्म-लिंक्ड असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत डि-नेशनलाइजेशन किया है, बिना सोचे समझे नहीं किया है, बड़ा सोच करके किया है और राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज का कारपोरेशन, यह गठित किया है और मैं यह बताना चाहूंगी कि कारपोरेशन पब्लिक सेक्टर, यह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगा, इसके निजी हाथों में किसी को नहीं दिया जाएगा। इसकी आपरेशन परफोर्मेंस सुधार करने का उद्देश्य, हमारी बस-फ्लीट में वृद्धि भी हम आगे चलकर के कर सकेंगे और अपनी सेवाओं को काम्पीटिशन के माहौल में और बेटर करने की कोशिश करेंगे; स्ट्रोंग होकर के, सुदृढ़ होकर के अपने पैरों पर खड़े होंगे, यही हमारी आशा है।

फिर बस स्टैंड को पूर्ण सुविधाओं के साथ चलाने के लिए कोई सार्वजनिक क्षेत्र में ही गठित बस पोर्ट अथोरिटी की योजना भी नहीं बनायी मध्य प्रदेश ने।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हम लोगों ने यह कर दिया, आर एस आर टी सी को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए बस स्टैंड की भूमि की एवज में अतिरिक्त अंश पूंजी भी दे दी है। इस साल 307 करोड़ रुपये की अंश पूंजी देने का प्रावधान रखा है और रिफार्म-लिंक्ड असिसटेंस प्रोग्राम के अन्दर आपरेशन परफोर्मेंस और प्रोफिटेबिलिटी जो है, उसको सुधारने का काम हम करेंगे।

इस कार्य के क्रियान्वयन में आर एस आर टी सी के कर्मचारियों की जाब्स के ऊपर कोई शंका नहीं है। किसी के जाब्स के ऊपर कोई हाथ नहीं रखेगा, उनके जाब्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

राज्य सरकार ने आर एस आर टी सी को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए 10 करोड़ प्रति माह देने की हम लोगों ने घोषणा की है।

अब यह रिफार्म-लिंक्ड असिसटेंस प्रोग्राम कैसे फायदा देता है, यह फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आपके सामने मैं रखना चाहती हूं। 1.5 to 1.7. this load factor is achieved; 4.9 km. per litre to 5 km. in a litre, efficiency in fuel has been achieved; efficiency in use of tyres and other consumables has been achieved.

अब यह reform-linked-assistance is open to review, यह कोई शट केस नहीं है and it is subject to performance. परफोर्मेंस अच्छा होता है तो हम ध्यान देंगे। There is no ban on the purchase of buses, सिम्पली परमिशन गवर्नमेंट आफ राजस्थान की, उसकी जरूरत है। तो अगर आप लिंक करोगे परफोर्मेंस, आपकी परफोर्मेंस अच्छी होगी और आप गवर्नमेंट आफ राजस्थान के पास आओगे और और बसेज लेने की आपकी इच्छा है तो I am sure, Govt. of Rajasthan based, on the performance, will give those permissions. इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है।

तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, ये एक्चुअली सब जनता के लिए हैं और अच्छी सेवा जो भी प्रदान करेगा, जिसका वह दायित्व है, मैं समझती हूं कि हमारा प्रोग्राम इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है और मैं विश्वास करती हूं कि ये स्ट्रांग बन कर जनता को और लाभ देने का काम करेंगे।

अब मेट्रो पर आप लोग काफी बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि बैंगलोर और बाम्बे के मेट्रोज अभी बन रहे हैं। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपके सामने बात रखी कि इकोनोमिकली वायेबल नहीं था, ये सब लोग मानते हैं। अब बोम्बे और जयपुर में बहुत फर्क है, बैंगलोर और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जयपुर में बहुत फर्क है। अगर उनकी इकोनोमिक वायेबिलिटी अब आ रही है, तो हम किस इकोनोमिक वायेबिलिटी पर अपना ये बनाने जा रहे थे? और हमने आपको यह बताया कि इतना पैसा खर्च करने के बाद अब हमारे पास कोई आप्शन नहीं है, हमको आगे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इतना सारा पैसा वेस्ट जाएगा। इसलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। वैसे लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसको फिर भी रोक देना चाहिए, परन्तु मैं मानती हूं कि अपने को इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि नहीं तो it's a loss of revenue.

तो मेरा यह कहना है कि 3,400 करोड़ रुपये अगर हमने प्रदेश के अन्दर और लगा दिये होते तो फायदा हमको और बहुत कुछ मिल जाता। अभी भी हमको अगर चलाना है आने वाले समय में, तो एवरी यीअर 70 टू 80 करोड़ रुपया हम लोगों को अलग से रखना पड़ेगा। यह भी हमारे लिए एक संकट है।

पर अभी मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि बहुत जीता-जागता प्रमाण आपके सामने आ गया है आज के अख़बार के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि मेट्रो ट्रेन प्लेटफार्म से ही टकरा गयी है। यानी, किस तरीके से ये रखा गया है। (व्यवधान) नो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप समय देंगी?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मेट्रो के बारे में आपने जो कड़ी आलोचना की है, उसका हमने बहुत-बहुत स्वागत किया है। आपने कड़ी से कड़ी आलोचना कर दी। 9.7 किलोमीटर जो मेट्रो बन चुकी, उस तक रखिये और आगे इसको जयपुर शहर को चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक खोदने का, नीचे का भूमिगत, काम न करिये। हमने यह कहा था। आपको यदि बनाना है तो आप एलीवेटेड बनायें, न कि जयपुर शहर को खोदें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): ये एलीवेटेड नहीं हो सकता है। टूरिज्म का जो शहर है, अपनी जयपुर सिटी जो अन्दर की है, उसकी लैंड पूरी खराब हो जाएगी। उसको बिगाड़ अपन नहीं सकते। एलीवेटेड रोड अपन नहीं कर सकते।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तो हम तो ऐसी स्थिति में आ गये हैं जहां करें तो भी मुसीबत नहीं, करें तो भी मुसीबत। इतना सारा पैसा खर्च होने के बाद, उसको आगे ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं, पर किस तरीके से बनाया गया है, यह भी आप देख सकते हैं। इतने जल्दी में बनाया गया। वह तो बनाया इसलिए गया कि परिवार के जो नेता थे, वे आने वाले थे फीता काटने के लिए। इसलिए जरूरी था कि हम लोगों को जल्दी-जल्दी वह करा दिया जाए। पर सेफ्टी को ताक पर नहीं रखना चाहिए। आज आप देख लीजिये कि प्लेटफार्म से ही टकरा गई मेट्रो ट्रेन।

इसीलिए मेरे को तो इस चीज की चिन्ता हो रही है कि अगर यह क्वालिटी है और इसकी क्वालिटी के साथ अगर कोई प्रोब्लम हो रही है तो बाद में चल कर हम सब लोगों को प्रोब्लम होगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस परियोजना के ऊपर जो भी काम हुए हैं, उसका एक प्रतिष्ठित थर्ड पार्टी के द्वारा सेफ्टी आडिट कराना बहुत ही जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके उसकी सेफ्टी आडिट हो जाए, ताकि we should know कि हमारी स्थिति कहां तक है।

हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चिन्ता की रोजगार के बारे में। प्रश्न यह था कि पन्द्रह लाख युवाओं को रोजगार कैसे देंगे। ये टोडाभीम से आने वाले, पीलीबंगा से आने वाले, फलौदी से, सांचोर से, लक्ष्मणगढ़ से, बानसूर से, बाड़मेर वाले, सब लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने यह बात उठाई। तो मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहती हूं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि जो युवाओं की संख्या राजस्थान के अन्दर दो करोड़ है, जिनको रोजगार देने का काम हम लोगों के सिर पर है, उसमें से पन्द्रह लाख लोगों को, मैंने यह कहा, अगले पांच साल के अन्दर हम जरूर नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी की कुल संख्या लगभग आठ लाख है। सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र के अन्दर हमको पूरी तरह से और समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने की कोशिश करनी है और इसके लिए मैंने पैरा 89 और 98 में, अगर आपने देखा होगा, मैंने इसको स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है और इसी प्रकार से रोजगार और कौशल विकास के लिए एक रोडमैप बजट के पैरा 130 से लेकर 142 तक उसको स्पष्ट करने की मैंने कोशिश की है। एक आरमोल जो हमने पहले बनाया था, मिशन आन लाइवलीहुड, उसका फिर पुनर्गठन हम लोग कर रहे हैं।

मैं यह कोशिश कर रही हूं, कल जैसे आपने देखा कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के जैसे और कार्यक्रम करके, बहुत सारे लोगों को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सक्षम बनायें रोजगार के लिए। तो हमने क्या किया कल कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में हम लोगों ने एक बहुत बड़े महत्वाकांक्षी आजीविका प्रोजेक्ट का शुभारम्भ किया है। युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान करने का यह प्रयास है। प्रोजेक्ट के लिए 398 करोड़ रुपये का एक वित्तीय प्रावधान है। 34 हजार महिलाओं सहित एक लाख लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। पन्द्रह लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में यह एक पहला और ठोस कदम है। देश की बाइस एजेंसीज चेन्नई से, केरल से, बोम्बे से, अलग-अलग जगह से आईं और राज्य सरकार के साथ उन्होंने करार किया। बजट का बेसिक रोडमैप हमने उनको दिया है।

इसी क्रम में, हम लोग पी पी पी मोड पर एक स्किल यूनिवर्सिटी को बहुत ही जल्दी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और लोगों को हम इसमें जोड़ सकें।

इसको और सुगम बनाने के लिए लेबर एक्ट, फैक्टरीज एक्ट, अप्रेन्टिस एक्ट, बायलर एक्ट, इन सबके अन्दर हम लोगों ने संशोधन किया है ताकि रोजगार के नये अवसर और प्रदान हो सकें। इन सब चीजों के साथ-साथ, एम्प्लायेबिलिटी और एम्प्लायमेंट अपार्चुनिटीज को बढ़ावा देने का हम लोग काम कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ, हम लोगों ने यह भी कोशिश की है कि जल्दी भर्ती करने के लिए सबओर्डिनेट सर्विस कमीशन भी चालू किया जाए। हर विभाग को दो-तीन साल के अन्दर वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए रिक्वीजेशन करने का हम लोगों ने आदेश दे दिया है और मैं समझती हूं कि वैकेंसी होते ही उसे भर सकें, ऐसी स्थिति बन जाएगी। आजकल तो जो चल रहा है वह इतना स्लो है और फिर ज्यादातर कोर्टस में उलझा हुआ है।

फिर अकाल की आपको बहुत चिन्ता हुई कि अकाल होने वाला है, अकाल होगा, फिर यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह चिन्ता व्यक्त की कि अकाल की तैयारी के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है, बजट में कुछ दिखता नहीं है। तो चालू वित्तीय वर्ष में हमारे बजट में अकाल की स्थिति से निपटने के लिए यह सूखा सहायता, 718 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट प्रावधान है और बाढ़ और ओलावृष्टि, ऐसे में सहायता 704 करोड़ 76 लाख रुपये का

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रावधान है और मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बरसात की कमी से कृषि, रोजगार और मौसमी बीमारी और पीने के पानी, इन सबसे हम लोग अवगत हैं, उनकी चिन्ता भी हमको है और एस डी एम ए की बैठक भी हो चुकी है 7.7.14 को और सब सम्बन्धित विभागों को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है।

जहां तक कानून-व्यवस्था की जरूरत है, कानून-व्यवस्था की बात आप लोगों ने उठाई, मैं यह कहना चाहती हूं कि पुलिस द्वारा जो की गई कार्यवाही है उसके अब परिणाम सामने आने लगे हैं। गत वर्ष की तुलना में निम्न एक्ट्स में अधिक कार्यवाही हुई है और कोरेस्पोंडिंग पीरियड आफ लास्ट यीअर के अन्तर्गत अगर आप देखेंगे तो एक्साइज एक्ट के अन्तर्गत 31.59 परसेंट अधिक कार्यवाही हुई है; जुआ एक्ट के अन्दर 2.31 प्रतिशत; आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 21.30 प्रतिशत; एन डी पी एस एक्ट के अन्तर्गत 1.48 प्रतिशत; एक्सप्लोजिव एक्ट के अन्तर्गत 12.17 प्रतिशत; ई सी एक्ट के अन्तर्गत 25.33 प्रतिशत; अलवर के मेवात क्षेत्र में हथियार बेचने वालों के विरुद्ध 192 प्रकरण; महिला अत्याचार प्रकरण, 2013 के अन्दर, 3.96 प्रतिशत कम किया है; एस सी, एस टी एक्ट में 2013 की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति, उनके अत्याचार के अन्दर भी कमी आई है। वर्ष 2013 की तुलना में जो साम्प्रदायिक घटनाएं थीं उनमें भी कमी आई है।

(18.00 बजे)

मार्च 2014 में पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली। उन्होंने इंडियन मुजाहिद्दीन के अपराधियों को पकड़ा, पर्दाफाश करके उनको पकड़ा और जोधपुर, सीकर, जयपुर से आतंक का सफाया करने का काम किया।

मैं मानती हूं कि पुलिस अधिकारियों के पदस्थापन, स्थानान्तरण, वे मेरिट पर किये जा रहे हैं और बीट् सिस्टम व्यवस्था को सुदृढ किया जा रहा है।

मैं समझती हूं कि इसके साथ-साथ बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। यह घोषणा में आपको मालूम पड़ जाएगा। इससे पुलिस स्ट्रेंथन होगी और हमारे इस क्राइम लेवल को भी रोकने में वह पूरी तरह से सक्षम रहेगी।

कुछ नये अनाउंसमेंट्स मैं अभी करना चाहूंगी । सबसे पहले हमारी विगत सरकार ने राज्य में 25 जून, 1975 से मार्च 1977 के दौरान घोषित आपातकाल में राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा और डी आई आर के अन्तर्गत राज्य के कारागृहों में जो बंद राज्य के मूल निवासियों को पेंशन और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चिकित्सा भत्ता देने के लिए राजस्थान मीसा और डी आई आर बंदियों को पेंशन नियम, 2008 बनाया था, इससे सम्बन्धित अधिसूचना राज पत्र में दिनांक 17 सितम्बर 2008 को प्रकाशित की गई थी, परन्तु राजनैतिक दुराग्रह से गत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 19 जून, 2009 द्वारा इसे निरस्त कर दिया था। इन व्यक्तियों ने देश और राज में प्रजातंत्र और संवैधानिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अच्छा और अनूठा काम किया था। अत: हमारी सरकार ने इन व्यक्तियों को और इनमें से कोई दिवंगत व्यक्तियों के पति-पत्नियों को प्रति माह 12 हजार पेंशन, 12 सौ रुपये चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह सहायता दिनांक 1 जनवरी, 2014 से देय होगी।

राज्य के उद्योगों को विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में व्यापक सरलीकरण करने की आवश्यकता है। ई-बेस परियोजना के तहत कम्पोजिट एप्लिकेशन फार्म लागू कर, उद्योगों को त्वरित अनुमति मिलने और सरल कम्प्लायंस की व्यवस्था हम लोग करेंगे।

श्रम विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं, 16 प्रमुख श्रम कानून के अन्तर्गत अपेक्षित तमाम विधि प्रक्रिया को आनलाइन उपलब्ध करा दिया है। इसमें उद्यमी, निवेशक और आम आदमी को बार-बार कार्यालय में आने की परेशानी दूर हो जाएगी। इस आनलाइन व्यवस्था में किसी पत्रावली प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रत्येक चरण में हितधारी को एस एम एस के जरिये प्रगति की सूचना दी जाएगी।

सभी आवश्यक फीस का भुगतान भी आनलाइन होगा। सुशासन और रोजगार सृजन की दिशा में यह व्यवस्था जन हित के साथ, राजस्थान में ईज आफ डूईंग बिजनेस को अधिक सशक्त करेगा।

राज्य में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के इलाज के लिए 58 ट्रोमा सेंटर बनाये गये थे। जब मैं बीकानेर संभाग में दौरे पर थी तो मैंने देखा, सूरतगढ़ और रतनगढ में मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि स्टाफ की कमी के कारण, ट्रौमा सेंटर तो पूरे बने हुए हैं परन्तु उनका उपयोग नहीं हो रहा है। सूरतगढ़ में तो हमने देखा कि वहां पट्टी तो लगी हुई है, पट्टी लगाने के लिए किया है, पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, परन्तु उसके अन्दर न फर्नीचर है और न डाक्टर का इंतजाम है। जब रतनगढ़ गये, पट्टी वहां भी लगी थी, इसके अन्दर तो थोड़े से पलंग भी थे, उसमें थोड़ी व्यवस्था भी थी परन्तु कोई डाक्टर्स दिखाई नहीं दिये, तो इन सभी ट्रौमा सेंटर्स को बहुत जल्दी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आपरेशन लाइज करने की मैं घोषणा करती हूं। मैं समझती हूं कि उसको जितना जल्दी हो, सबसे ज्यादा लोगों को फायदा होगा।

देश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कुल उत्पादन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इस उद्योग को राज्य में आकर्षित करने के लिए नई निवेश नीति के तहत फार्मास्यूटिकल के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज का प्रावधान किया जाएगा।

राज्य के पिछड़े क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजगढ़ जिला चूरू, देवगढ़ जिला राजसमन्द, झाड़ोल जिला उदयपुर और बायतू जिला बाड़मेर के अन्दर नये महाविद्यालय खोलने की मैं घोषणा करती हूं।

राज्य में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के सतत् विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु 2014-15 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, 1981 का आनलाइन सब्मिशन और डिस्पोजल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यमियों को अपने आवेदन पत्र की ट्रैकिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

प्रोबेशनरी ट्रेनीज को दो वर्ष की अवधि तक रेमुनरेशन देय है और मेरी सरकार ने प्रोबेशनरी ट्रेनीज रेमुनरेशन वर्ष 2008 में तय किये थे। पिछली सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में इन प्रोबेशनरी ट्रेनीज के पारिश्रमिक में संशोधन नहीं किया और राज्य में लगभग एक लाख से ज्यादा कर्मचारी फिक्स-पे पर अभी कार्य कर रहे हैं। तो प्रोबेशनरी ट्रेनीज के फिक्स रेमुनरेशन में 1 सितम्बर, 2014 से 20 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा करती हूं।

राज्य में पर्यटन और यात्रियों की सुविधा के लिए चयनित किए गए पर्यटन स्थल और बस स्टैंड्स पर सुलभ काम्प्लेक्सों का निर्माण किया जाएगा।

राज्य के प्रत्येक जिले में किसान भवन स्थापित किये जा चुके थे। इन भवनों का मुख्य उद्देश्य किसानों का प्रशिक्षण करना था और उनमें जागरूकता के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, नये कार्यक्रम के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, उनके लिए यह भवन बनाया था। उनको कभी-कभी रात्रि विश्राम करने की जरूरत थी, जब वे क्लासेज चल रही थीं, तो उसके लिए भी इंतजाम किया गया था। हाल ही में, कुछ वर्षों में इनका प्रयोग उद्देश्यानुसार नहीं किया जा रहा है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इन भवनों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए हमने अपने किसान भाइयों के लिए बनवाया था।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मकान, संस्थान की छतों पर लगाये जा सकने वाले छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र पर, विद्युत तंत्र की तकनीकी क्षमता तक, रूफटाप नेट मीटरिंग स्कीम प्रायोगिक तौर पर लागू करने की घोषणा करती हूं। नेट मीटरिंग स्कीम लागू होने से अपनी स्वीकृत भार विद्युत क्षमता तक के छोटे और ऊर्जा संयंत्र छतों पर लगाकर, उससे उत्पन्न विद्युत को अपने उपयोग में लेने के साथ ही, उत्पन्न हुई अतिरिक्त और ऊर्जा को ग्रिड में प्रवाहित कर सकेंगे।

30 लाख से अधिक जनसंख्या के साथ जयपुर अब देश का 10वां सबसे बड़ा शहर है। इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई, सेफ्टी, ला एंड आर्डर, ये सब चैलेंज खड़े हो गये हैं। एक बार फिर इस बड़े शहर के चैलेंजेज को सम्भालना और शहर को सेफ और ग्रीन रखना, केवल सरकार का ही काम नहीं है, बल्कि हम सब नागरिकों का है। इसमें सरकार के अलावा, औद्योगिक संगठन, व्यापार संगठन, गैर-सरकारी, सामाजिक संस्थाएं, सबके सहयोग की आवश्यकता है। इन सबके सहयोग से जयपुर को सेफ एंड ग्रीन बनाने के लिए एक सोसाइटी या ट्रस्ट हम प्रस्तावित कर रहे हैं।

समय के साथ बदलाव आता है। इसके लिए टेक्नोलोजी का तीव्र बदलाव होना चाहिए। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों ने भी नई टेक्नोलोजी और नये तरीकों को अपनाया है। यह आवश्यक हो गया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का भी टेक्नोलोजिकल नवीनीकरण किया जाए और इनको विडियो डिवाइसेज, हैंड प्रिंटर्स जैसे यंत्र दिलवाए जाएं। इसके लिए भी आवश्यक बजट का प्रावधान मैं कर रही हूं। इस हेतु ब्यूरो की 8 रेंजेज, प्राथमिकी एवं शिकायत शाखा, विधि शाखा, अभियोजन शाखा, इंटेलीजेंस शाखा में 125 अधिकारी और पुलिस-कर्मियों के पद सृजित किए जाएंगे। गोपनीय सत्यापन और इंवेस्टिगेशन के लिए ब्यूरो को आडियो और विडियो डिवाइसेज, हैंड प्रिंटर्स और अन्य आधुनिक, रिप्लेसमेंट आफ ओल्ड-व्हिकल्स के लिए दो करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। साथ ही, ब्यूरो की पुरानी जिप्सियों के स्थान पर नये वाहन चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाये जाएंगे।

मैं इटावा और किशनगढ़ बास को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा करती हूं।

21वीं शताब्दी में शौच हेतु हमारे नागरिकों को टायलेट उपलब्ध नहीं हों, यह हम सबके लिए शर्म की बात है। राजस्थान में आज भी 1 करोड़ 15 लाख घरों में से 85 लाख घर ऐसे हैं जिनमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अविश्वसनीय सा लगता है कि 9,177 ग्राम पंचायतों में से 300 से ऊपर ही ओपन डिफेकेशन से फ्री हैं और 300 से ऊपर ओ डी एफ घोषित होने की स्थिति में हैं। यानी हमारा लक्ष्य साफ है, शेष करीब 8,500 ग्राम पंचायतों को भी ओ डी एफ करना है। मैं घोषणा करती हूं कि इस वर्ष में हजार और उसके पश्चात आने वाले तीन वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में 2,500 ग्राम पंचायतों को ओ डी एफ घोषित करने का लक्ष्य राज्य सरकार का रहेगा । मुझे आशा है कि सदन में उपस्थित सभी सदस्यों की मेरे को सहायता इसमें मिलेगी और इस पुण्य कार्य को वर्ष 2017-18 के अन्दर हम पूर्ण कर सकेंगे। हम लोग जब दौरों पर जाएंगे, अलग-अलग विभागों के अन्दर जब जाएंगे, तो हम लोग भी, और आप लोग भी जब दौरा करेंगे, उसमें हमको आप बताएंगे, हमारी मदद आप करेंगे। इस चीज के ऊपर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। मिलकर हम लोग यह देखें, कोशिश करें कि नागरिकों को यह व्यवस्था हर पंचायत के अन्दर मिले और ये 9,177 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से ओपन डिफेकेशन-फ्री हो जाएं, इस व्यवस्था की ओर हम बढ़ें।

अब टैक्सेशन रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। संशोधित बजट 2014-15 में की गई घोषणा के अनुसार तम्बाकू पर प्रवेश कर, वैट दर के बराबर 65 प्रतिशत किया गया है। राज्य में तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं पर इसके अत्यधिक भार को दृष्टिगत रखते हुए, दूसरे राज्यों को भी देखते हुए, राज्य में विनिर्माण हेतु उपयोग में लायी जाने वाली तम्बाकू पर प्रवेश कर की दरों में आंशिक छूट किया जाना प्रस्तावित है।

को-आपरेट या बड़े डीलर्स जिसके एक से अधिक व्यवसाय स्थल हैं, उनको आन-लाइन डिक्लेरेशन फार्म जारी करने हेतु मल्टी-यूजर सुविधा दी जानी प्रस्तावित है।

वाणिज्यिक कर विभाग में सभी महत्वपूर्ण कार्य व्यवहारियों द्वारा आन-लाइन किये जा रहे हैं, जिस हेतु व्यवहारियों को डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना वांछित है। अत: 75 लाख रूपये तक के टर्न-ओवर वाले व्यवहारियों को उक्त डिजिटल सिग्नेचर सरकारी खर्च पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में राज्य में आयात किये जाने वाले हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, अर्थ मूविंग एण्ड माइनिंग मशीनरी, मोबाइल क्रेन्स, हाइड्रोलिक डम्पर्स, आदि पर मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर तथा माल के प्रवेश पर कर के रूप में दोहरा करारोपण हो रहा है। अत: मोटर वाहनों पर देय प्रवेश कर से इन्हें मुक्त किए जाने की मैं घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राज्य में पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर वैट की दर कुछ राज्यों से अधिक होने के कारण अधिकांश माल का आयात होता है। इसके उत्पादन को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए इस पर वैट की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किए जाने की घोषणा करती हूं और साथ ही 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

यह स्पष्ट किए जाने हेतु कि टिश्यू पेपर पर 5 प्रतिशत और टायलेट टिश्यू पेपर पर 14 प्रतिशत की दर से वैट देय है, शिड्यूल-5 में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

स्टेनलेस स्टील वायर्स, स्टेनलेस स्टील वायर राड, टोनर तथा पावर टूल्स की शिड्यूल-4 की प्रविष्टियों को दिनांक 1.4.2006 से प्रभावित किया गया है। इसे स्पष्ट करते हुए, एस.एस. वायर, एस.एस. राड पर दिनांक 14.4.2011 तक कर दर 4 प्रतिशत और टोनर और पावर टूल्स पर दिनांक 8.3.2010 तक कर दर 4 प्रतिशत रखते हुए आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

तो मैं इन सब चीजों को आपके सामने रखते हुए, एक ही इश्यू और मैं इनका कहना चाहूंगी। अभी हमारे लीडर आफ द अपोजिशन ने इस बात को सबके सामने रखा कि आबकारी नीति के अन्तर्गत गांव-गांव में दुकानें बढ़ गई हैं। मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि प्लीज, आप यह ध्यान रखें कि पूरे राज्य में एक भी दुकान, एक भी दुकान नहीं बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 80 दुकानें कम हुई हैं। इस चीज को ध्यान रखें। मैं यह नोट करवाना चाहती हूं।

अब छोटी-छोटी बातें आप लोगों ने और भी की थीं। आपने यह भी कहा था कि Food Security Act is not reaching the people. पेंशंस, बी.पी.एल., यह सब जो हमारी 'भामाशाह' योजना है, उसके द्वारा जनता तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्राब्लम हमारी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने जो कार्डस, वगैरह बनाये हैं, उनके अन्दर कौन बी.पी.एल. है, कौन पेंशनर्स हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हमने जनता के बीच में जब यह बात रखी थी तो उन्होंने यह जरूर कहा हम लोगों को कि जिन लोगों को बी.पी.एल. नहीं होना चाहिए वे बी.पी.एल. हैं, जिनको राशन-कार्ड होल्डर्स नहीं होना चाहिए वे राशन-कार्ड होल्डर्स हैं, जिनको आपके बी.पी.एल. में नहीं होना चाहिए, वे बी.पी.एल. वाले हैं। हमने कहा कि इन सबको आप एक तरीके से बैठ कर सोर्ट-आउट कर दीजिए; जिनको होना चाहिए, उनको रखिए; नए तरीके से इनको बनाइए। हां, इसमें थोड़ी सी डिले हो

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रही है क्योंकि इसकी चैकिंग हम लोगों को करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जो do not deserve it, उनको निकालने की जरूरत है और हम करके जिन लोगों तक उसको पहुंचाना है, वह पहुंचाने का काम अवश्य करेंगे। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।

और, आपने यह कह दिया कि यहां क्यों नहीं बैठ कर आप लोग सरकार चला लेते हो? वहां जाने की जरूरत क्या है? इतना पैसा खर्च करते हो। यही आपकी एक पालिसी रही है, और मैं कहती हूं कि इसी वजह से आपकी यह स्थिति हो गई है क्योंकि आप देखते ही नहीं हो। कांग्रेस यही काम करती रही है। आप लोग कभी गांव में जाते नहीं हो। आप पता नहीं करते हो कि उनकी स्थिति क्या हो रही है और आज आप हमको यह कह रहे हो कि आप यहीं पर बैठे रहो, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। हम इन बातों में नहीं आएंगे। हमें मालूम है कि हमें जनता के बीच में जाने की जरूरत है। जनता ने विश्वास दिया है, उस जनता के विश्वास के ऊपर हम खरे उतरेंगे और उनका काम भी हम पूरा करके छोड़ेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कल हो जाएगा, परन्तु हां, अगले पांच साल के अन्दर उसको कराकर छोड़ेंगे।

और, आखिर में, मैं फिर यह कहना चाहती हूं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे अवरोधों का भी हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। कष्ट और पीड़ा को भी सहन करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। हमको बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ेंगी, उसको सुनने के लिए भी हम तैयार हैं। परन्तु हमारा पूरा विश्वास यह है कि सभी के सहयोग और प्रदेश-वासियों के आशीर्वाद के साथ यह विकास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। राजस्थान का नाम हम सब मिलकर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हम लोग लाने का काम करेंगे।

इस विश्वास के साथ, मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण डिबेट के अन्दर इतना अच्छा योगदान दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप सबके शानदार सहयोग के लिए जानदार धन्यवाद।

सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 19 जुलाई 2014 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.15 बजे शनिवार, दिनांक 19 जुलाई 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-78

(स्थगित)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण हेतु दी जाने वाली सहायता

79. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय रहित घरों में शौचालय निर्माण हेतु राशि प्रदान करने की योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो कब से व प्रत्येक शौचालय हेतु कितनी राशि दिये जाने का प्रावधान है? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इसी प्रकार की योजना शहरी क्षेत्रों में भी संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के सभी जिलों में शौचालय निर्माण हेतु कार्यक्रम वर्ष 2005 से संचालित किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय रहित घरों में सरकार की मदद से घरेलू शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थी को निर्मल भारत अभियान योजना के अन्तर्गत (4600 रुपये की प्रोत्साहन राशि एन बी ए से) एवं पात्र व्यक्तियों को अधिकतम 5400 रुपये तक मनरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। निर्मल भारत अभियान योजना के अन्तर्गत केवल ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाता है।

जोधपुर जिले में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना

80. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति व पंचायत समिति मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति

(श्री बाबू सिंह)

बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में विगत पांच वर्षों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां व क्रय-विक्रय सहकारी समिति बनाने के कितने प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालय ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित हैं अथवा अन्य पंचायतों के साथ जुड़े हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त वंचित पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पंचायत समिति शेरगढ़ मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बने होने व अन्य बैंकों से ऋण होने पर ऋण नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(7) क्या सरकार पूर्व की भांति किसान क्रेडिट कार्ड बने होने व अन्य बैंक से ऋण होने के पश्चात् भी केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रस्तावित नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं प्रस्तावित नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का आर्थिक सक्षमता बाबत सर्वे करवाया जा कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन किया जा सकेगा।

(2) जोधपुर जिले में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 49 प्रस्ताव प्राप्त हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इनमें से 47 प्रस्तावों को विभाग स्तर से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, शेष 2 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन हेतु दो

(सहकारिता राज्य मंत्री)

प्रस्ताव क्रमश: बाप एवं बावड़ी पंचायत समितियों के प्राप्त हुए हैं जिन पर स्वीकृति जारी की जा कर उक्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति का पंजीयन हो चुका हैं नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन बाबत वर्तमान में कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 56 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 28 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इन 28 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्रों में 44 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। 16 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पृथक से ग्राम सेवा समिति नहीं हैं। बालेसर कृषक सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में शेष 12 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। बालेसर कृषक सेवा सहकारी समिति अवसायनाधीन हैं जिसके अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में से 4 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोले जाने की स्वीकृति विभाग द्वारा दी जा चुकी है। शेष में निर्धारित मानदण्ड पूर्ण होने पर नई समितियों का गठन किया जा सकेगा। (एनेक्चर-2)

(4) जी हां। जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं, के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं गठन हेतु निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और सम्बन्धित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने के बाद नई ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु नियमानुसार स्वीकृति जारी की जाती है। शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित करने के प्राप्त 10 प्रस्तावों में से 8 प्रस्तावों बाबत स्वीकृति जारी की जा चुकी है और शेष 2 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

(5) जी नहीं। पंचायत समिति शेरगढ़ मुख्यालय पर नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन हेतु करवाये गये सर्वे में विभागीय मानदण्डों की पूर्ति नहीं होना पाये जाने के कारण नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन किया जाना सम्भव नहीं हैं।

(6) जी हां। जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा अन्य बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड बने होने पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। बैंक के संचालक मण्डल द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों में भूमि रहन रखकर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त करने को अनुदानित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने व बीमा सुविधा प्राप्त करने को नियमानुसार दुरुपयोग मानते हुए निर्णय लिया गया कि अन्य बैंकों में कृषि भूमि रहन रखकर

(सहकारिता राज्य मंत्री)

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों को अल्पकालीन साख सीमा स्वीकृत नहीं की जायेगी तथा ऐसे सदस्यों को सहकारी साख संरचना से जोड़े रखने हेतु अन्य वित्तीय संस्थाओं में भूमि रहन कर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने हेतु सम्बन्धित संस्था से नो-ड्यूज प्राप्त करने, भूमि रहन मुक्त करने हेतु तहसील द्वारा सम्बन्धित पटवारी को निर्देश दिये जाने पर ही साख सीमा बनाई जा सकेगी तथा ऋण अग्रिम से पूर्व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज की अनिवार्यता होगी ।

(7) नाबार्ड द्वारा दोहरा वित्त पोषण एवं किसानों को पात्रता से अधिक ऋण नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में सुझाव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं। यदि किसान द्वारा अन्य बैंकों से फसली ऋण प्राप्त करने के बावजूद उसकी पात्रता फसली ऋण प्राप्त करने हेतु बनती है तो ऐसे किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नियमानुसार फसली ऋण उपलब्ध कराने का विभाग विचार कर रहा है तथा शीघ्र इस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	**नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति जिनके प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किये गये**
1	**2**
1.	जाटीपुरा औसियां, पंचायत समिति-औसियां
2.	रामपुरा भाटियान, पंचायत समिति-औसियां
3.	बारनाऊ, पंचायत समिति-बालेसर
4.	चिरढाणी, पंचायत समिति-बिलाड़ा
5.	बेदू खुर्द, पंचायत समिति-औसियां
6.	जोड, पंचायत समिति-फलौदी
7.	ननेऊ, पंचायत समिति-बाप
8.	राणेरी, पंचायत समिति-बाप
9.	ढढू, पंचायत समिति-फलौदी
10.	कलाऊ, पंचायत समिति-शेरगढ़

1	2
11.	एकलखोरी, पंचायत समिति-औसियां
12.	श्रीकृष्णनगर, पंचायत समिति-फलौदी
13.	पल्ली, पंचायत समिति-औसियां
14.	बालरवा, पंचायत समिति-औसियां
15.	लोहावट जाटावास, पंचायत समिति-फलौदी
16.	जुड, पंचायत समिति-औसियां
17.	भीमसागर, पंचायत समिति-औसियां
18.	बेरड़ों का बास, पंचायत समिति-औसियां
19.	चाखू, पंचायत समिति-बाप
20.	बारां खुर्द, पंचायत समिति-बावड़ी
21.	घंटियाली, पंचायत समिति-बाप
22.	आमला, पंचायत समिति-फलौदी
23.	जालोड़ा, पंचायत समिति-फलौदी
24.	कोसाणा, पंचायत समिति-बिलाड़ा
25.	नोखड़ा भाटियान, पंचायत समिति-बाप
26.	सदरी, पंचायत समिति-फलौदी
27.	चारणाई, पंचायत समिति-बाप
28.	टेपू, पंचायत समिति-बाप
29.	बड़ला बासनी, पंचायत समिति-औसियां
30.	खारडा मेवासा, पंचायत समिति-औसियां
31.	सुरपुरा, पंचायत समिति-बाप
32.	सावरां गांव, पंचायत समिति-बाप
33.	दयाकौर, पंचायत समिति-फलौदी

1	2
34.	भैसेर कोतवाली, पंचायत समिति-औसियां
35.	देवातू, पंचायत समिति-बालेसर
36.	जम्भेश्वर नगर, पंचायत समिति-फलौदी
37.	केतुमदा, पंचायत समिति-बालेसर
38.	डांगियावास, पंचायत समिति-मण्डोर
39.	खेड़ापा, पंचायत समिति-बावड़ी
40.	फतेहसागर, पंचायत समिति-फलौदी
41.	गोपालसर, पंचायत समिति-बालेसर
42.	कुई इन्दा, पंचायत समिति-बालेसर
43.	बेलवा खत्रीयान, पंचायत समिति-बालेसर
44.	डेरिया, पंचायत समिति-बालेसर
45.	खुडियाला, पंचायत समिति-बालेसर
46.	बालेसर सत्ता, पंचायत समिति-बालेसर
47.	निम्बों का तालाब, पंचायत समिति-औसियां
48.	नांदिया खुर्द, पंचायत समिति-बावड़ी
49.	देदासरी, पंचायत समिति-बाप

उप रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, जोधपुर

एनेक्चर-2

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायतों की सूची जहां मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं हैं

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	विवरण
1.	दुगर	
2.	भाटेलाई पुरोहितान	
3.	भालू अनोपगढ़	
4.	ढाढणिया भायला	
5.	भोमसागर	
6.	पाबूसर	
7.	सिंहादा	
8.	तिबना	
9.	गडा	
10.	हिम्मतपुरा	
11.	साबरसर	
12.	गुमानसिंह पुरा	
13.	देवराजगढ़	
14.	चुतरपुरा	
15.	गोदेलाई	
16.	कनोडिया पुरोहितान	

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	विवरण
1.	गोपालसर	बालेसर सत्ता कृषक सेवा सहकारी समिति (अवसायनाधीन) के क्षेत्राधिकार में हैं।
2.	कुई इन्दा	
3.	बेलवा खत्रीयान	
4.	डेरिया	
5.	खुडियाला	
6.	बालेसर सत्ता	
7.	बेराई	
8.	उटांबर	
9.	दस्तावा	
10.	खारीबेरी	
11.	वेलवा राणाजी	
12.	बालेसर दुर्गावता	

नोट : -क्रम संख्या 1 से 4 तक उल्लेखित ग्राम पंचायतों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्वीकृति दी जा चुकी है।

उप रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियां, राज. जयपुर

बड़ी सादड़ी में पुराने राशन कार्डों पर सामग्री का वितरण

81. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या नवीन राशन कार्डों का वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नवीन राशन कार्डों का वितरण पूर्ण होने तक पुराने राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं को पुराने राशन कार्ड पर ही राशन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। राशन कार्ड बनाने हेतु कुल 67,357 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 35,201 राशन कार्ड बनाये जाकर माह जनवरी, 2014 में वितरित करवाये जा चुके हैं। शेष राशन कार्ड तैयार कर उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित फर्म को 30.09.2014 तक का समय दिया गया है।

(2) नवीन राशन कार्डों का वितरण माह जनवरी, 2014 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्व में जारी राशन कार्ड वर्ष 2001-2010 तक के लिए अधिकृत थे। परन्तु नये राशन कार्ड बनने में तकनीकी कारणों से समय लगने के कारण आदेश दिनांक 11.07.2012 एवं 15.04.2013 से नवीन राशन कार्ड जारी होने तक पुराने राशन कार्ड पर ही राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

परिशिष्ट-1/1

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक : एफ. 97 (6)खा.वि./सा.वि.प्र./2010-II जयपुर, दिनांक 11.7.2012

समस्त जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :—वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों की वैधता अवधि बढ़ाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय आदेश दिनांक 07.09.2000 के द्वारा सम्पूर्ण राज्य में वर्ष 2001-02 में 10 वर्ष की अवधि के लिए राशन कार्ड जारी किये गये थे। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 21.10.2011 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि "राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों की समयावधि समाप्त होने तथा राशन कार्डों में प्रविष्टियों का स्थान भर जाने के कारण खाद्यान्न वितरण में काफी कठिनाई आ रही है। विभाग द्वारा पूर्व में छपवाये गये राशन कार्ड जिलों में जिला रसद कार्यालयों में रखे हुए हैं। इन पूर्व में छपे हुए राशन कार्डों को अतिरिक्त पृष्ठों के रूप में मूल राशन कार्ड के साथ नत्थी कर काम में लिया जावे।"

उक्त निर्देशों की निरन्तरता में यह निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में नवीन राशन कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: पूर्व में वर्ष 2001-02 में जारी राशन कार्ड 31 मार्च, 2012 से 1 वर्ष अथवा नवीन राशन कार्ड जारी होने तक जो भी पहले हो, प्रचलन में रहेंगे।

प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट-1/2

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक : एफ. 97 (6)खा.वि./सा.वि.प्र./2010-II		जयपुर, दिनांक 15.04.2013

समस्त जिला रसद अधिकारी,

राजस्थान।

विषय :—वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों की वैधता अवधि बढ़ाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय आदेश दिनांक 07.09.2000 के द्वारा सम्पूर्ण राज्य में वर्ष 2001-02 में 10 वर्ष की अवधि के लिए राशन कार्ड जारी किये गये थे। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 21.10.2011 एवं 11.07.2012 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि "राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों की समयावधि समाप्त होने तथा राशन कार्डों में प्रविष्टियों का स्थान भर जाने के कारण खाद्यान्न वितरण में काफी कठिनाई आ रही है। विभाग द्वारा पूर्व में छपवाये गये राशन कार्ड जिलों में जिला रसद कार्यालयों में रखे हुए हैं। इन पूर्व में छपे हुए राशन कार्डों को अतिरिक्त पृष्ठों के रूप में मूल राशन कार्ड के साथ नत्थी कर काम में लिया जावे।"

उक्त निर्देशों की निरन्तरता में यह निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में नवीन राशन कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: पूर्व में वर्ष 2001-02 में जारी राशन कार्ड 31.03.2013 से नवीन राशन कार्ड जारी होने तक प्रचलन में रहेंगे।

प्रमुख शासन सचिव

अजमेर शहर के मूक-बधिर विद्यालय का नवीन भवन में स्थानान्तरण

83. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अजमेर शहर में मूक-बधिर व मानसिक विमंदितों की नि:शुल्क शिक्षा हेतु एक सम्भाग स्तरीय राजकीय मूक -बधिर आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य लगभग दो वर्ष पूर्व पूर्ण होने के उपरांत भी भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हस्तान्तरित नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसे अब कब तक हस्तान्तरित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त भवन में मूक-बधिर व विमंदित बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था इसी सत्र से प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर जिले में मूक-बधिर एवं नेत्रहीन बालकों की नि:शुल्क शिक्षा हेतु एक सम्भाग स्तरीय आवासीय विद्यालय का निर्माण प्रक्रियाधीन है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। इस भवन के अधूरे कार्यो का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधूरे कार्यों के लिए राशि 54.60 लाख की मांग की गई। उक्त राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा स्वीकृति क्रमांक 1009 दिनांक 06.05.2014 के द्वारा राशि रुपये 54.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर के पक्ष में जारी की जा चुकी है। विभाग द्वारा बताई गई कमियों की पूर्ति उपरान्त सार्वजनिक निर्माण विभाग से उक्त विद्यालय भवन का कब्जा ले लिया जायेगा।

(3) अजमेर जिले में संचालित होने वाले मूक बधिर एवं नेत्रहीन सम्भाग स्तरीय आवासीय विद्यालय के वर्ष 2014-15 में संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं। जिस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जा रही है।

परिशिष्ट-अ

मूकबधिर व नेत्रहीन विशेष योग्यजनों के लिये आवासीय शिक्षण संस्थान, अजमेर

माननीया मुख्य मंत्री महोदया की बजट भाषण वर्ष 2004-05 के बिन्दु नं. 32 पर मूकबधिर एवं नेत्रहीन बालकों के लिये एक आवासीय नि:शक्तजन शिक्षण संस्थान बनाने की घोषणा की गई। सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 24140 दिनांक 25.02.2005 से उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, अजमेर को आवासीय शिक्षण संस्थान हेतु 10,000 वर्ग मीटर भूमि पंचशील नगर, ए-ब्लाक, अजमेर में बताई गई। विशेष शासन सचिव, समाज कल्याण ने अपने पत्र क्रमांक 12924 दिनांक 18.03.2005 से नगर सुधार न्यास, अजमेर को 19.00 लाख के भुगतान की स्वीकृति जारी की गई। उप निदेशक समाज कल्याण ने फारकास्ट एस्टीमेट रुपये 31.00 लाख का बनाकर जयपुर भेजा गया। समाज कल्याण विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 18091 दिनांक 30.03.2005 के द्वारा अधिशासी अभियंता, अजमेर को 30.20 लाख रुपये की भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उप निदेशक समाज कल्याण विभाग, अजमेर ने उक्त भूमि के निरक्षण करने पर पाया गया कि आबंटित भूमि अन्य व्यक्तियों को भेज दी गई। इसके बाद उप निदेशक, समाज कल्याण, अजमेर ने पत्र क्रमांक 1746 दिनांक 13.09.2007 से आयुक्त, जयपुर को अवगत कराया कि आवासीय शिक्षण संस्थान हेतु कोटड़ा आवासीय योजना, अजमेर में भूमि होना अवगत कराया गया तथा उक्त भूमि के आबंटन हेतु सहमति चाही गई। नगर सुधार न्यास, अजमेर ने अपने आदेश संख्या न्यास/सम/2220-27 के द्वारा 9666.66 वर्ग गज भूमि आबंटित की गई। मई, 2008 में समाज कल्याण विभाग द्वारा भूमि का कब्जा लिया गया। भूमि का कब्जा लेने के लगभग 1 वर्ष बाद मई, 2009 में अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 1479 दिनांक 20.05.2009 से आवासीय शिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु कार्य का तकमीना राशि रुपये 315.00 लाख का आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर भिजवाया गया। आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ने पत्र क्रमांक एफ 16(1)(13)वि.अनु./भू.आबंटन/सान्याअवि/04/62420 दिनांक 04.11.2009 से आवासीय शिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु राशि 315.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते हुए वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में राशि रुपये 299.80 लाख तथा इस प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त वर्ष 2004-05 में राशि 30.20 लाख का भुगतान आवासीय शिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिटी डिवीजन, अजमेर को निम्नानुसार किया गया।

क्र. सं.	दिनांक	आदेश क्रमांक	आबंटित की गई राशि लाखों में
1	30.03.2005	18093	30.20
2	04.11.2009	62420	50.00
3	21.03.2011	23764	50.00
4	17.10.2011	79530	66.00
5	23.03.2012	1059	133.80
		कुल	**330.00**

परिशिष्ट-ब

मूक-बधिर व नेत्रहीन विशेष योग्यजनों के लिये आवासीय शिक्षण संस्थान, अजमेर

सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 5282 दिनांक 27.08.2012 के द्वारा भवन का कब्जा सुपुर्दगी हेतु निदेशालय को लिखा गया, जिसके संदर्भ में मुख्यालय, जयपुर के जिला परीविक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से उक्त भवन को कब्जे में लेने हेतु अजमेर भिजवाया गया। इनके द्वारा एवं उपनिदेशक, सान्याअवि, अजमेर के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें उक्त भवन में निम्नानुसार कमियां बताई गईं :—

1. कमरों में दीवारों में क्रेक्स आया हुआ है।
2. विद्यालय तक पहुंचने के लिये सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य बकाया है जिसके लिए PWD ने 19.00 लाख रुपये की मांग की है।
3. पीने के पानी के लिए भूमिगत टैंक का निर्माण कराया जाना है जिसके लिए 5.00 लाख रुपये की मांग की है।
4. विद्यालय के ग्राउण्ड लेवल का काम कराया जाना शेष है।
5. बिजली का कार्य पूर्ण कराया जाना है।

विभाग द्वारा कुल 315.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी जिसके फलस्वरूप PWD, अजमेर को कुल 330.00 लाख रुपये आबंटित किये गये थे। उक्त बजट के व्यय पश्चात् अधिशासी अभियंता, PWD, अजमेर के द्वारा पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाया गया। अधिशासी अभियंता, PWD, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 79 दिनांक 03.04.2013 के द्वारा 43.10 लाख रुपये की मांग की है। उप निदेशक, सान्याअवि, अजमेर ने उक्त भवन का दिनांक 25.04.2013 के द्वारा उक्त भवन का निरीक्षण कर चार कमियां और बताई गईं।

1. ग्राउण्ड का लेवल कार्य।
2. बिजली का कार्य बाकी।
3. बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ।
4. छत पर जाने के लिये रैम्प के दोनों ओर जालियां आदि।

अधिशासी अभियंता, PWD, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 7454 दिनांक 27.11.2013 के द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि राशि 326.50 लाख रुपये का कार्य करवाया गया है। लेकिन PWD द्वारा 315.00 लाख रुपये का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया गया है तथा विभाग द्वारा आबंटित अतिरिक्त 15.00 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं करवाया है तथा अतिरिक्त बजट 54.60 लाख रुपये की मांग की गई है। जिसमें से उपनिदेशक, सान्याअवि, अजमेर द्वारा बताये गई कमियों की पूर्ति के लिये 43.10 लाख रुपये का व्यय अनुमान का तकमीना भिजवाया है तथा 11.50 लाख रुपये बकाया देनदारियां बताई गई हैं। वर्ष 2014-15 के बजट में 54.60 लाख का प्रावधान किया जा चुका है। निदेशालय द्वारा स्वीकृति क्रमांक 1009 दिनांक 06.05.2014 के द्वारा राशि रु. 54.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में जारी की जा चुकी है।

उक्त भवन में विभाग द्वारा बजट घोषणा 2004-05 के अनुसार ही मूक-बधिर एवं नेत्रहीन आवासीय विद्यालय का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

जोधपुर जिले में मनरेगा योजना में स्थायी सम्पत्ति का निर्माण

84. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में महानरेगा योजना के अन्तर्गत स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो जिला जोधपुर में कितनी स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2008 से दिसम्बर 2013 तक निर्मित स्थायी सम्पत्तियों की ग्राम पंचायत कार्य एवं वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार महानरेगा योजना में व्यक्तिगत आवास बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री अर्जुन लाल)

(4) क्या सरकार महानरेगा में मिसिंग लिंक सडकों पर डब्ल्यू बी एम सड़कों का निर्माण करवा कर सांसद/विधायक कोष से डोवटेल कर डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जोधपुर में अब तक 8,765 सम्पत्तियों का निर्माण किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2013 तक निर्मित स्थायी सम्पत्तियों की सूची ग्राम पंचायतवार मय कार्य का नाम एवं वर्षवार परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में संशोधन कर "इन्दिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक" अनुमत किया है।

(4) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक का निर्माण नियमानुसार वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किए जाकर कराये जा सकते हैं। डामरीकरण का कार्य विशेष प्रकार का कार्य है जिसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता अधिक रहती है एवं ग्राम पंचायतें इतनी सक्षम नहीं हैं कि इस प्रकार के कार्य कराये जा सकें। सांसद/विधायक कोष से डामरीकरण का कार्य सम्बन्धित सांसद/विधायक की अनुशंसा पर ही नियमानुसार पृथक से कराया जा सकता है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

नाबार्ड एवं अपेक्स बैंक द्वारा नये किसानों को फसलीय ऋण हेतु आबंटित राशि

85. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 2013 एवं 2014 में प्रदेश में कितने किसानों ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसलीय ऋण हेतु आवेदन किया है तथा उनमें से कितने किसानों को फसलीय ऋण का वितरण कर दिया गया? यदि नहीं, तो किसानों को ऋण वितरण हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

(2) क्या नाबार्ड एवं अपेक्स बैंक द्वारा नये किसानों को फसलीय ऋण

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दिये जाने हेतु कोई राशि आबंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान में केन्द्रीय सहकारी बैंक नये किसानों की मांग के अनुरूप ऋण वितरण करने में सक्षम है? यदि नहीं, तो सरकार की किसानों को फसलीय ऋण दिये जाने हेतु क्या कार्ययोजना है?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2012-13 में 29,29,101 एवं वर्ष 2013-14 में 33,33,049 किसानों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण हेतु आवेदन किया गया, जिनमें से क्रमश: 26,53,559 एवं 31,61,924 किसानों को समितियों द्वारा ऋण वितरण किया गया। बैंक-वार किसानों की संख्या तथा वितरित ऋणों का विवरण परिशिष्ट-1 (अ) तथा 1 (ब) पर उपलब्ध है।

अल्पकालीन फसली ऋण हेतु प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध सभी आवेदकों को ऋण उपलब्ध नहीं करवाये जाने का मुख्य कारण केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पास मांग के अनुपात में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होना रहा है। नाबार्ड द्वारा राज्य के किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाने हेतु 50 प्रतिशत पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के स्तर से नाबार्ड को पुनर्वित्त की अधिक सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया है। नाबार्ड द्वारा अधिक पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान किये जाने की स्थिति में ही किसानों को मांग के अनुरूप फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा क्रमश: 5,21,832 नये कृषकों को 1,30,531.44 लाख एवं 2,99,623 नये कृषकों को 1,06,878.99 लाख रुपये का अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 2014-15 में ऋण वितरण का कार्य प्रगति पर है तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप अधिकाधिक संख्या में नवीन कृषकों को ऋण देने का प्रयास किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1(अ)

दि राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

वर्ष 2012-13 में किसानों द्वारा ग्राम सहकारी समिति के माध्यम से अल्पकालीन फसलीय ऋण हेतु आवेदन एवं अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की विगत

क्र. सं.	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	वर्ष 2012-13 में कृषकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण हेतु प्राप्त आवेदन	वर्ष 2012-13 में प्राप्त आवेदन के विरुद्ध लाभान्वित कृषक	वर्ष 2012-13 में लाभान्वित कृषकों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अजमेर	101701	83279	31719.91
2	अलवर	102737	102737	40581.03
3	बांसवाड़ा	63800	63800	21373.48
4	बारां	39907	38151	22786.40
5	बाड़मेर	245094	165158	67605.05
6	भरतपुर	232901	182432	33855.50
7	भीलवाड़ा	83589	83589	45340.21
8	बीकानेर	55000	46316	22477.40
9	बूंदी	60094	58954	25811.60
10	चित्तौड़गढ़	141930	141930	47784.42
11	चूरू	123463	69111	31224.18
12	दौसा	105862	101248	23144.62
13	डूंगरपुर	50736	50736	13739.80
14	हनुमानगढ़	91540	88295	69547.00
15	जयपुर	198862	179043	56759.00

1	2	3	4	5
16	जैसलमेर	62169	42534	14848.30
17	जालौर	111515	111515	52569.05
18	झालावाड़	85115	85115	39934.30
19	झुंझुनूं	121099	77245	34524.91
20	जोधपुर	N.A.	120578	61879.08
21	कोटा	67215	50318	38020.41
22	नागौर	180957	128407	26896.93
23	पाली	96827	96827	64860.99
24	सवाई माधोपुर	102071	102071	33901.09
25	सीकर	112437	100479	59116.70
26	सिरोही	44811	44811	17847.09
27	श्रीगंगानगर	117000	108211	85289.70
28	टोंक	28570	28570	8920.19
29	उदयपुर	102099	102099	29232.86
	योग	**2929101**	**2653559**	**1121591.20**

उप रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियां, राज.
जयपुर

परिशिष्ट-1(ब)

दि राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

वर्ष 2013-14 में किसानों द्वारा ग्राम सहकारी समिति के माध्यम से अल्पकालीन फसलीय ऋण हेतु आवेदन एवं अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की विगत

क्र. सं.	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	वर्ष 2013-14 में कृषकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण हेतु प्राप्त आवेदन	वर्ष 2013-14 में प्राप्त आवेदन के विरुद्ध लाभान्वित कृषक	वर्ष 2013-14 में लाभान्वित कृषकों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अजमेर	142000	140289	47021.33
2	अलवर	104859	104859	55622.49
3	बांसवाड़ा	88535	88535	33411.91
4	बारां	40066	38886	34064.4
5	बाड़मेर	245094	166806	94108.91
6	भरतपुर	237063	226735	51470.79
7	भीलवाड़ा	103261	103261	69445.01
8	बीकानेर	52000	42805	38435.2
9	बूंदी	60094	57852	39525.5
10	चित्तौड़गढ़	146878	145649	78148.31
11	चूरू	123463	78695	42120.29
12	दौसा	140114	118661	35479.19
13	डूंगरपुर	55681	55681	21431.56
14	हनुमानगढ़	114671	97222	118754.04
15	जयपुर	217055	214275	85319.48

1	2	3	4	5
16	जैसलमेर	76129	61747	30134.1
17	जालौर	117932	117932	68510.92
18	झालावाड़	111108	111108	65097.77
19	झुंझुनूं	135209	85877	56255.92
20	जोधपुर	N.A.	135419	80712.16
21	कोटा	77273	76783	58972.29
22	नागौर	192212	164120	43946.65
23	पाली	114725	114725	100419.84
24	सवाई माधोपुर	104462	104462	49366.03
25	सीकर	120418	106870	81134.68
26	सिरोही	54179	54179	30343.86
27	श्रीगंगानगर	120000	109923	115234.46
28	टोंक	82898	82898	15422.78
29	उदयपुर	155670	155670	43144.28
	योग	**3333049**	**3161924**	**1683054.08**

उप रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियां, राज.
जयपुर

जोधपुर जिले में केरोसीन कालाबाजारी के दर्ज मुकदमे

86. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में कुल कितने केरोसीन तेल के उपभोक्ता हैं और उन्हें एक महीने में प्रति उपभोक्ता कितना केरोसीन उपलब्ध करवाया जा रहा है? क्या केरोसीन उपभोक्ता के चयन के लिए सरकार ने कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा केरोसीन की कालाबाजारी को

(श्री जोगाराम पटेल)

रोकने के लिये विशेष किस्म के कूपन छपवाये गये थे? यदि हां, तो क्या उन्हें वितरित कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? गत 5 वर्षों में जोधपुर जिले में केरोसिन कालाबाजारी के कुल कितने मुकदमे बनाये गये और उनके क्या परिणाम रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में कुल 6,90,506 केरोसीन तेल के उपभोक्ता हैं और उन्हें एक महीने में प्रति उपभोक्ता 03 लीटर केरोसीन प्रति माह उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिना गैस कनेक्शनधारी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर केरोसीन तेल का वितरण किया जाता है। इस सम्बन्ध में जारी निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। केरोसीन की कालाबाजारी रोकने एवं सही उपभोक्ता तक अनुदानित केरोसीन पहुंचने की दृष्टि से केरोसीन राशन टिकट कूपन छपवाये गये हैं, परन्तु वितरित नहीं किये गये क्योंकि इन कूपनों को नये राशन कार्डो से साथ वितरित किया जाना था। नये राशन कार्ड का कार्य अभी जैरकार है। गत पांच वर्षों में जोधपुर जिले में केरोसीन कालाबाजारी के बनाये गये मुकदमों एवं उनके परिणामों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 30(1) खा.वि./केरो./आवं./2013 जयपुर, दिनांक 28.01.2013

समस्त जिला रसद अधिकारी,

राजस्थान

विषय :— 01.03.2013 से एस.बी.सी. गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरोसीन नहीं देने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पारित निर्णयानुसार दिनांक 01.03.2013 से एस.बी.सी. गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरोसीन नहीं दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कृपया निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :—

1. अपने जिले में स्थित सभी गैस एजेन्सियों को निर्देश जारी करें कि जो भी उपभोक्ता एस.बी.सी. गैस कनेक्शन को डी.बी.सी. गैस कनेक्शन में परिवर्तन करने के लिये आवेदन करता है तो उसे शीघ्र ही डी.बी.सी. गैस कनेक्शन में परिवर्तित करें, यदि किसी उपभोक्ता से यह शिकायत प्राप्त होती है कि एजेन्सी द्वारा उसके एस.बी.सी. गैस कनेक्शन को डी.बी.सी. गैस कनेक्शन में परिवर्तित करने में आनाकानी/दुर्व्यवहार किया जा रहा है अथवा गैस कनेक्शन के साथ अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री लिये जाने हेतु बाध्य किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में जिला रसद अधिकारी एजेन्सी के विरुद्ध तुरन्त नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे।
2. प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को निर्देशित करें कि वह दुकान के सूचनापट्ट (नोटिस बोर्ड) पर आवश्यक रूप से यह सूचना माह जनवरी, 2013 से ही अंकित करें कि "सभी एस.बी.सी. गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.03.2013 से उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरोसीन नहीं दिया जायेगा। अत: ऐसे सभी उपभोक्ता अपने से सम्बन्धित गैस एजेन्सी पर एस.बी.सी. से डी.बी.सी. गैस कनेक्शन में परिवर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर माह मार्च, 2013 से पूर्व डी.बी.सी. गैस कनेक्शन में परिवर्तित करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से करने का श्रम करें।"
3. प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को निर्देशित करें कि वह एक मोहर बनवायें जिस पर यह अंकित होगा कि "एस.बी.सी. गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को दिनांक 01.03.2013 से केरोसीन देय नहीं होगा।" यह मोहर प्रत्येक एस.बी.सी. गैस कनेक्शनधारी केरोसीन उपभोक्ता के राशन कार्ड पर माह जनवरी तथा फरवरी, 2013 का केरोसीन वितरित करते समय आवश्यक रूप से लगाना सुनिश्चित करे।
4. दिनांक 01.03.2013 से केवल बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं (शहरी/ग्रामीण) को समान मात्रा में 3 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह दिया जायेगा एस.बी.सी. एवं डी.बी.सी. गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन देय नहीं होगा।
5. कृपया अपने जिले में समाचार पत्र के माध्यम से यह प्रचारित/सूचित करने की व्यवस्था करें कि एस.बी.सी. गैस कनेक्शनधारी सभी उपभोक्ता अपने से सम्बन्धित गैस एजेन्सी पर डी.बी.सी. गैस कनेक्शनधारी में परिवर्तित कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर माह मार्च, 2013 से पूर्व डी.बी.सी. गैस

कनेक्शन में परिवर्तन करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से करने का श्रम करें। यदि गैस एजेन्सी द्वारा डी.बी.सी. गैस कनेक्शन में परिवर्तित करने में आनाकानी की जाये अथवा अन्य कोई सामान लेने के लिये बाध्य किया जाये तो तुरन्त जिला रसद अधिकारी को सूचित करें।

भवदीय,

ह./-

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

परिशिष्ट-2

क्र. सं.	विभागीय प्रकरण संख्या	नाम उचित मूल्य दुकान	परिणाम
1	**2**	**3**	**4**
01	70/2009	राजेश पुत्र श्री रामलाल चानणा, भाखर, जोधपुर	6ए में प्रकरण दर्ज
02	71/2009	सुरेश जोशी, झालामण्ड, जोधपुर	6ए में प्रकरण दर्ज
03	123/2010	कैलाश चन्द पुत्र श्री कन्हैयालाल, बागरचौक, जोधपुर	6ए में प्रकरण दर्ज
04	37/2011	पूनमचन्द पुत्र श्री श्रीकिशन, मंडोर, जोधपुर	6ए में प्रकरण दर्ज
05	39/2011	रामनारायण पुत्र श्री राधाकिशन, चांदपोल, जोधपुर	6ए में प्रकरण दर्ज
06	14/2012	श्री थानाराम पुत्र श्री शेराराम, बासनी	6ए में प्रकरण दर्ज
07	15/2012	श्री सामानारायण पुत्र श्री राजूराम, केलावा	6ए में प्रकरण दर्ज
08	16/2012	मैसर्स ज्योति फूड प्रोडक्टस, बागरचौक, जोधपुर	6ए में प्रकरण दर्ज
09	29/2013	राजपुरोहित पुत्र श्री रामराम मसूरिया, जोधपुर	6ए में प्रकरण दर्ज

1	2	3	4
10	30/2013	जेठमल पुत्र श्री रामचन्द्र, देचू	6ए में प्रकरण दर्ज
11	34/2013	गौरव अरोड़ा पुत्र श्री महेन्द्र, जेएनवीयू पुराना परिसर, जोधपुर	6ए में प्रकरण दर्ज
12	70/2013	राजू भाटी पुत्र श्री गौरूराम, सरदारपुरा, जोधपुर	6ए में प्रकरण दर्ज
13	80/2013	खुमाराम पुत्र श्री गिरधारी, चांदरख	6ए में प्रकरण दर्ज
14	85/2013	तेजाराम पुत्र श्री चतुराम, बासनी, जोधपुर	6ए में प्रकरण दर्ज
15	90/2014	सायरी महिला सहकारी समिति, बुडकिया, तहसील भोपालगढ़	50 लीटर केरोसीन जब्त
16	92/2014	कानाराम मंथानिया, तहसील तिवरी	605 लीटर केरोसीन जब्त
17	52/2014	राणीदान चाबा, तहसील शेरगढ़	एफआईआर दर्ज

प्रदेश में राजकीय/निजी महाविद्यालयों की स्थापना के मानदण्ड

87. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में विगत 5 वर्षों में कितने राजकीय एवं निजी महाविद्यालय खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2013 में कितने राजकीय/निजी महाविद्यालय खोले गये? उक्त महाविद्यालयों के लिए कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निजी महाविद्यालय खोले जाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत 5 वर्षों में 650 निजी महाविद्यालय एवं 29 राजकीय महाविद्यालय निम्नानुसार खोले गये हैं:-

(उच्च शिक्षा मंत्री)

वर्ष	**खोले गये निजी महाविद्यालयों की संख्या**	**खोले गये राजकीय महाविद्यालयों की संख्या**
2009	80	0
2010	213	0
2011	140	0
2012	101	2
2013	116	27
कुल	**650**	**29**

निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) से जे.आर. महिला महाविद्यालय, प्रतापगढ़ खोला गया है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2013 में 27 राजकीय एवं 116 निजी महाविद्यालय खोले गये, जिनमें से राजकीय महाविद्यालय, जयपुर, जोधपुर एवं कन्या महाविद्यालय, सीकर को वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्रमश: 116.97, 90.00 एवं 4.02 लाख रुपये, कुल 210.99 लाख रुपये की बजट राशि आबंटित की गई है।

निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) से खोले गये जे.आर.महिला महाविद्यालय, प्रतापगढ़ को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 18.00 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

निजी महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा कोई राशि आबंटित नहीं की जाती है।

(3) सत्र 2014-15 की निजी महाविद्यालय पालिसी गाइडलाइन परिशिष्ट -2 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम की रोजगारपरक प्रशिक्षण योजना में अनियमितता

88. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाया जाता है? यदि हां, तो विगत तीन वर्ष में कितने छात्रों को किस-किस कार्य का प्रशिक्षण दिलाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(2) क्या यह भी सही है कि छात्रों को प्रशिक्षण दिलाये जाने का कार्य किसी निजी कम्पनी को दिया गया है? यदि हां, तो किस कम्पनी को एवं अब तक कितनी राशि का भुगतान उक्त कम्पनी को किया गया? अनुबंध पत्र शर्तों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निगम द्वारा उक्त कम्पनी के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त कम्पनी की जांच करवाई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति एवं जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (RSCSTFDC Ltd.) द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाया जाता है। पिछले 3 वर्षों में ट्रेडवार एवं जिलेवार प्रशिक्षण दिलाये गये व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित किये गये छात्रों की संख्या	प्रशिक्षण कार्य का जिलेवार एवं ट्रेडवार विवरण निम्नानुसार वर्णित परिशिष्ट अनुसार संलग्न है
1.	2011-12	11,585	परिशिष्ट 1
2.	2012-13	3,151	परिशिष्ट 2
3.	2013-14	270	परिशिष्ट 3

(2) जी हां। वर्ष 2011-12 में निजी कम्पनी टेलीसोल्यूशन प्राइवेट लि. के माध्यम से व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है। इस प्रशिक्षण हेतु अब तक टेलीसोल्यूशन प्राइवेट लि. को रुपये 5,71,21,500 की राशि का भुगतान राज्य निगम द्वारा किया गया है। निगम एवं टेलीसोल्यूशन प्रा.लि. के बीच किया गया अनुबन्ध पत्र मय शर्तों की प्रति परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

(3) जी हां। सुरेन्द्र नाथ शर्मा, आर ए एस, तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक, अनुजा प्रकोष्ठ जिला कार्यालय जयपुर द्वारा दिनांक 31.12.2012 को श्री गोविन्द शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग को अपने स्तर पर टेलीसोल्यूशन प्राइवेट लि. के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया था। प्रति परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

दिनांक 25.12.2013 को राज्य के दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका (संलग्न परिशिष्ट 6) में वर्ष 2011-12 में प्रशिक्षण देने वाली संस्था टेलीसोल्यूशन प्राइवेट लि. के विरुद्ध अनियमितता के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित होने के उपरान्त राज्य सरकार के वित्त विभाग के अंकेक्षण अनुभाग द्वारा जरिये आदेश दिनांक 8.3.2013 विशेष जांच दल गठित किया जाकर निदेशालय, अंकेक्षण विभाग के माध्यम से विशेष जांच कर एक माह की अवधि में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर को निर्देशित किया। वित्त विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.01.2014 को अनुजा निगम को वांछित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 7 पर संलग्न है। निगम द्वारा दिनांक 12.05.2014 को विशेष जांच रिपोर्ट की प्रथम अनुपालना प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को प्रेषित की गई है। अनुपालना रिपोर्ट परिशिष्ट 8 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर जिले के अभावग्रस्त गांवों में पशु शिविरों का संचालन

89. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में वर्तमान में कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले के अभावग्रस्त गांवों में भयंकर गर्मियों को देखते हुए पशु शिविर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा गांवों में पशु शिविर खोलने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या सरकार द्वारा पशु शिविरों का संचालन किया जायेगा या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्रवार अभावगस्त घोषित 1,507 ग्रामों की सूची निम्नानुसार है:-

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

क.सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	ग्रामों की संख्या
1	बाड़मेर	83
2	बायतू	434
3	गुढामालानी	473
4	शिव	120
5	पचपदरा	190
6	सिवाना	207

(2) जी हां। जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार 92 पशु शिविरों की स्वीकृति जारी कर संचालन किया जा रहा है।

(3) पशु शिविर खोलने के भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जारी दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/अवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविरों का राजकीय संस्थाएं, पंचायत राज संस्था या स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालन किया जा रहा है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जायल में सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पद

90. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जायल की अधिकांश ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित नहीं हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जायल तहसील में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की उचित मूल्य की कितनी दुकानें स्वीकृत हैं एवं कितनी दुकानें वर्तमान में संचालित हो रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तहसील में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के कितने पद सृजित हैं तथा उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल की 54 ग्राम पंचायतों में से 11 ग्राम

(सहकारिता राज्य मंत्री)

पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं, किन्तु उक्त ग्राम पंयायतें नजदीकी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं। उक्त 11 ग्राम पंचायतों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम सम्बन्धित पैक्स	नाम पंचायत समिति
1	सरासनी	भदाणा	नागौर
2	खेराट	कमेडिया	जायल
3	तवरा	छापड़ा	जायल
4	टागला	बुगरढा	जायल
5	डेहरी	बरसुणा	जायल
6	सांडीला	रोहिणा	जायल
7	रूपाथल	बोडवा	जायल
8	पीण्डिया	दोतिणा	जायल
9	जालनियासर	आवलियासर	जायल
10	लूणसरा	अडवड	जायल
11	भावला	गैलोली	जायल

(2) जायल तहसील में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की उचित मूल्य की 6 दुकानें स्वीकृत हैं जो सभी संचालित हैं, वे निम्न हैं :- 1 जायल, 2 दुगस्ताउ, 3 रोहिणा, 4 दोतिणा, 5 डिडीया खुर्द 6 सोमणा ।

(3) जायल तहसील में 36 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के 36 पद सृजित हैं जिनमें से 6 पद निम्नानुसार रिक्त हैं जिनका चार्ज अन्य समिति व्यवस्थापकों को दिया गया है। विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्र.सं.	नाम समिति	दिनांक जब से पद रिक्त हैं
1	छापड़ा	31.03.2010
2	गोराउ	30.06.2014
3	रोल	31.05.2013
4	सोनेली	28.02.2013
5	मांगलोद	30.11.2013
6	आंवलियासर	30.11.2008

जी हां। रिक्त पदों को स्क्रीनिंग के माध्यम से भरने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत राशन कार्ड का वितरण

91. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) व **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नये कम्प्यूटरीकृत राशन कार्ड बनवाये गये हैं? यदि हां, तो किस किस-जिले में कितने-कितने तथा इनको कब तक वितरित किया जाना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक प्रदेश के अनेक जिलों में राशन कार्ड का वितरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में अब तक किस-किस जिले में कितने-कितने परिवारों को नये राशन कार्ड वितरित किये जा चुके हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाये गये राशन कार्डो का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

चयनित फर्मों द्वारा राज्य के समस्त जिलों के लिए अनुबन्ध की तिथि से चार माह में (फरवरी, 2013 तक) राशन कार्ड कार्य पूर्ण कर वितरित किये जाने थे। राशन कार्ड कार्य की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल समिति में दिनांक 03.03.2014 को लिये गये निर्णय अनुसार राशन कार्ड कार्य की अवधि माह सितम्बर, 2014 तक बढ़ा दी गई है। राशन कार्ड के वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। यह सही है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में नवीन राशन कार्ड वितरण का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। सम्पूर्ण प्रदेश में राशन कार्ड तैयार कर वितरण किये जाने का कार्य किया जा रहा है। जिला सीकर, हनुमानगढ़, झुन्झुनूं, राजसमन्द एवं सिरोही में शत-प्रतिशत वितरण किया जा चुका है। जिला धौलपुर, गंगानगर, उदयपुर एवं जयपुर शहर में 22 से 41 प्रतिशत तथा शेष सभी जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक राशन कार्ड उपभोक्ताओं को वितरित कर दिये गये हैं। राशन कार्ड वितरण करने की अवधि 30 सितम्बर,2014 है। अत: किसी अधिकारी को विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

(3) प्रदेश में अब तक वितरित किये गये राशन कार्डों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

जिलों में तैयार किये गये नवीन राशन कार्डों का जिलेवार विवरण

क्रम सं.	जिला	तैयार राशन कार्ड
1	**2**	**3**
1	Hanumangarh	100% (477907)
2	Jhunjhunun	100% (589486)
3	Sikar	100% (707813)
4	Sirohi	100% (267218)
5	Rajsamand	100% (325563)
6	Kota	99% (528887)
7	Nagaur	97% (875829)
8	Jalor	95% (463915)
9	Sawai Madhopur	94% (335596)
10	Jaisalmer	94% (154815)
11	Dausa	89% (382230)
12	Banswara	89% (376326)
13	Baran	88% (304178)
14	Dungarpur	88% (270461)
15	Churu	86% (445075)
16	Ajmer	85% (523714)
17	Bhilwara	83% (629862)
18	Jaipur (Rural)	83% (199423)
19	Pratapgarh	81% (787018)
20	Karauli	79% (292371)
21	Bikaner	79% (474083)
22	Tonk	78% (301987)
23	Bundi	76% (238692)
24	Chittaurgarh	75% (180797)
25	Alwar	72% (319770)
26	Pali	68% (588706)
27	Dhaulpur	65% (597316)

1	2	3
28	Bharatpur	61% (391980)
29	Jhalawar	58% (342679)
30	Jodhpur	57% (226545)
31	Barmer	54% (340959)
32	Udaipur	46% (337627)
33	Sri Ganganagar	40% (212488)
34	Jaipur	24% (211719)
Total		76% (13703035)

परिशिष्ट-2

जिलों में वितरित किये गये नवीन राशन कार्डों का जिलेवार विवरण

क्रं. सं.	जिला	वितरित राशन कार्ड
1	**2**	**3**
1	Hanumangarh	93% (445777)
2	Jhunjhunun	100% (589486)
3	Sikar	100% (707813)
4	Sirohi	100% (267218)
5	Rajsamand	100% (325563)
6	Kota	91% (490325)
7	Nagaur	97% (875829)
8	Jalor	90% (439554)
9	Sawai Madhopur	81% (290581)
10	Jaisalmer	94% (154815)
11	Dausa	84% (357172)
12	Banswara	81% (342783)
13	Baran	86% (295599)
14	Dungarpur	73% (222951)
15	Churu	86% (445075)
16	Ajmer	85% (523714)

1	2	3
17	Bhilwara	78% (595194)
18	Jaipur (Rural)	72% (174129)
19	Pratapgarh	81% (787018)
20	Karauli	79% (292371)
21	Bikaner	76% (454605)
22	Tonk	78% (301987)
23	Bundi	73% (231353)
24	Chittaurgarh	45% (108297)
25	Alwar	72% (319770)
26	Pali	52% (449542)
27	Dhaulpur	65% (597316)
28	Bharatpur	57% (371117)
29	Jhalawar	56% (330511)
30	Jodhpur	51% (202565)
31	Barmer	54% (340959)
32	Udaipur	46% (337627)
33	Sri Ganganagar	39% (208352)
34	Jaipur	23% (207175)
Total		73% (13084143)

प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

92. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों के किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु क्या प्रयास कर रही है और अब कब तक रिक्त पदों को भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधवाओं व अनाथ बालिकाओं को राजकीय विद्यालयों में शिक्षिका के पद पर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितने पदों पर व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'क-1' पर एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'क-2' पर संलग्न है।

(2) जी हां। शिक्षकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती एवं डी.पी.सी. के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। राजकीय विद्यालयों में सीधी भर्ती के समय विज्ञापित पदों में से 8 प्रतिशत पद विधवा महिला एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता महिला आशार्थियों हेतु क्षैतिजरूप से आरक्षित रखे जाते हैं। अनाथ बालिकाओं को राजकीय विद्यालयों में शिक्षिका के पद पर नियुक्ति देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट "क-1"

राजकीय मावि व उमावि में शिक्षकों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिला	प्रधानाचार्य	प्रधानाध्यापक	व्याख्याता	शा.शि. ग्रेड-I	वरिष्ठ अध्यापक	शा.शि. ग्रेड-II	अध्यापक ग्रेड-III	शा.शि. ग्रेड-III
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	बांसवाड़ा	43	165	374	0	718	13	168	1
2	चित्तौड़गढ़	78	142	619	1	736	5	184	0
3	डूंगरपुर	41	101	452	2	448	5	186	1
4	प्रतापगढ़	43	21	267	0	429	10	76	2
5	राजसमन्द	54	10	537	1	577	6	175	0
6	उदयपुर	69	207	774	3	987	12	617	158
7	अजमेर	67	101	707	11	708	18	171	0
8	भीलवाड़ा	64	158	787	1	997	22	257	17
9	नागौर	129	259	920	4	926	32	304	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	टोंक	46	83	396	3	400	2	125	10
11	पाली	76	106	754	4	575	5	261	7
12	सिरोही	29	60	385	2	295	5	110	0
13	जालौर	71	62	430	0	622	12	145	0
14	जोधपुर	90	160	522	6	454	7	196	4
15	जैसलमेर	27	45	171	0	284	4	49	1
16	बाड़मेर	98	91	365	2	942	16	223	5
17	जयपुर	56	169	946	5	849	16	367	14
18	अलवर	66	187	791	8	1024	18	379	13
19	दौसा	17	124	394	0	495	10	179	1
20	कोटा	45	58	459	5	377	2	153	0
21	बारां	48	112	367	1	512	7	154	4
22	बूंदी	31	76	378	1	368	4	124	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	झालावाड़	59	82	533	4	680	10	218	0
24	बीकानेर	64	25	485	7	720	11	139	7
25	हनुमानगढ़	52	106	366	5	350	17	154	12
26	गंगानगर	64	197	458	1	723	12	167	7
27	चूरू	81	167	718	2	683	24	237	1
28	झुंझुनूं	58	19	658	0	295	11	134	7
29	सीकर	64	116	721	4	609	1	254	8
30	भरतपुर	70	172	646	1	878	21	229	16
31	धौलपुर	31	102	317	0	477	6	122	4
32	करौली	23	86	321	1	458	9	154	6
33	सवाई माधोपुर	24	68	345	1	375	9	142	8
	योग	**1878**	**3637**	**17633**	**86**	**19971**	**362**	**6553**	**330**

परिशिष्ट "क-2"

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	रिक्त पद		
		वरिष्ठ अध्यापक (प्र.अ.)	तृतीय श्रेणी अध्यापक	शारीरिक शिक्षक
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अजमेर	361	821	29
2	टोंक	198	756	7
3	भीलवाडा	472	1525	6
4	नागौर	748	2354	136
5	कोटा	207	318	29
6	बारां	113	895	13
7	बूंदी	183	512	3
8	झालावाड़	346	727	34
9	जयपुर	548	2226	3
10	सीकर	376	1083	17
11	दौसा	306	641	20
12	अलवर	445	1153	21
13	भरतपुर	583	1203	107
14	धौलपुर	247	1211	0
15	करौली	213	634	10
16	सवाईमाधोपुर	248	592	40
17	बीकानेर	372	1267	62
18	चूरू	293	757	78

1	2	3	4	5
19	झुन्झुनूं	289	728	15
20	गंगानगर	344	1153	84
21	हनुमानगढ़	221	666	22
22	जोधपुर	693	2243	62
23	पाली	424	859	14
24	बाड़मेर	615	3005	42
25	जैसलमेर	168	1192	18
26	जालोर	289	1792	29
27	सिरोही	131	605	29
28	उदयपुर	614	3228	35
29	राजसमन्द	132	502	21
30	चित्तौड़गढ़	399	1142	11
31	प्रतापगढ़	268	1219	27
32	डूंगरपुर	274	1300	11
33	बांसवाड़ा	372	1409	28
	योग	**11492**	**39718**	**1017**

प्रश्न संख्या-93

(स्थगित)

फलौदी में राजीव गांधी तकनीकी सेवा केन्द्रों का निर्माण

94. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलौदी में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर कहां-कहां एवं कितने राजीव गांधी तकनीकी सेवा केन्द्रों का निर्माण किया गया है? उसमें से कितने केन्द्र वर्तमान में बन्द एवं कितने कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों के माध्यम से किन-किन कार्यों का निष्पादन किया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों के संचालन हेतु किस स्तर के कार्मिकों को नियुक्त किया गया है एवं उनका कार्य समय क्या निर्धारित है?

(4) उक्त केन्द्रों के संचालन हेतु कितना फर्नीचर एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाये गये हैं?

(5) उक्त केन्द्रों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है?

(6) क्या सरकार उक्त केन्द्रों की सुरक्षा हेतु संविदा पर गार्ड तैनात करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में ग्राम पंचायत स्तरीय 43 तथा पंचायत समिति स्तरीय 2 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में समस्त राजीव गांधी सेवा केन्द्र कार्यरत हैं। केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति फलौदी पर निर्मित सेवा केन्द्र पर ई-मित्र सुविधा तथा नरेगा कार्यालय कार्यरत है। पंचायत समिति बाप तथा अन्य सभी ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्रों पर महात्मा गांधी नरेगा योजना का कार्यालय संचालित है एवं योजना से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

(3) उक्त केन्द्र मुख्य रूप से नरेगा कार्यालय के रूप में संचालित हैं

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

एवं नरेगा योजना से सम्बन्धित कार्मिक इन केन्द्रों पर कार्यरत हैं। इन केन्द्रों के संचालन हेतु पृथक से कार्मिक नियुक्त नहीं किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्य समय ही इन केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों के लिए भी लागू है।

(4) उक्त केन्द्रों के संचालन हेतु कार्मिकों की संख्या के अनुरूप आवश्यक फर्नीचर एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं।

(5) उक्त केन्द्रों की सुरक्षा हेतु जाब आउट-सोर्सिंग के आधार पर सुरक्षाकर्मी की सेवाएं राज्य/केन्द्रीय राजकीय सेवा, भारतीय सेना, राष्ट्रीयकृत बैंक, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों के सेवानिवृत कार्मिक एवं ग्राम पंचायतों के चुंगी अधिशेष व अंशकालिक सफाई कार्मिकों से विभाग द्वारा तय की गई शर्तों के अनुसार सेवाएं लिये जाने की व्यवस्था की गई है।

(6) जी हां। सरकार द्वारा संविदा पर जाब आउट-सोर्सिंग के आधार पर गार्ड लगाए जाने हेतु दिनांक 12.11.2012 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं एवं उक्त सेवा केन्द्रों पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती की स्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

फलौदी विधान सभा क्षेत्र में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण की स्थिति

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	सुरक्षा गार्ड की स्थिति
1	**2**	**3**	**4**
पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्र			
1	फलौदी		नियुक्त नहीं है
2	बाप		नियुक्त है
ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्र			
1	बाप	घंटयाली	नियुक्त है
2	बाप	घंटोर	नियुक्त है
3	बाप	बारू	नियुक्त है

1	2	3	4
4	बाप	बाप	नियुक्त है
5	बाप	बावरी कलां	नियुक्त है
6	बाप	बड़ी सीड	नियुक्त है
7	बाप	बुगड़ी	नियुक्त है
8	बाप	कानसिंह सिड	नियुक्त है
9	बाप	कानासर	नियुक्त है
10	बाप	केलनसर	नियुक्त है
11	बाप	कल्याणसिंह सिड	नियुक्त है
12	बाप	मोटाई	नियुक्त है
13	बाप	मलार	नियुक्त है
14	बाप	चिमाना	नियुक्त है
15	बाप	राणेरी	नियुक्त है
16	बाप	रोहिना	नियुक्त है
17	बाप	शेखासर	नियुक्त है
18	बाप	सांवरागांव	नियुक्त है
19	बाप	सुरपुरा	रिक्त
20	बाप	देदासरी	नियुक्त है
21	बाप	चाखू	नियुक्त है
22	बाप	चापासर	नियुक्त है
23	बाप	चारणाई	नियुक्त है
24	बाप	जाम्बा	नियुक्त है
25	बाप	जोड	नियुक्त है
26	बाप	जैसला	नियुक्त है

1	2	3	4
27	बाप	नोखडा भाटियान	नियुक्त है
28	बाप	ननेऊ	नियुक्त है
29	बाप	नूरे की भुर्ज	नियुक्त है
30	बाप	टेंकरा	नियुक्त है
31	बाप	टेपू	नियुक्त है
32	बाप	लूणा	नियुक्त है
33	फलौदी	खींचन	नियुक्त है
34	फलौदी	खारा	नियुक्त है
35	फलौदी	ढण्ढू	नियुक्त है
36	फलौदी	बेंगटी कलां	नियुक्त है
37	फलौदी	मोखेरी	नियुक्त है
38	फलौदी	होपारडी	नियुक्त है
39	फलौदी	लोर्डिया	नियुक्त है
40	फलौदी	सावरीज	नियुक्त है
41	फलौदी	भीयासर	नियुक्त है
42	फलौदी	भोजासर	नियुक्त है
43	फलौदी	पडियाल	नियुक्त है

क्रय-विक्रय सहकारी समिति सीमलवाड़ा की चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता

95. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2010 से 2012 में डूंगरपुर जिले में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव हुए हैं।

(2) क्या क्रय-विक्रय सहकारी समिति सीमलवाड़ा में भी समिति अध्यक्ष पद के चुनावों की प्रक्रिया संचालित की गई थी? यदि हां, तो अध्यक्ष पद हेतु किस-किस प्रत्याक्षी द्वारा नामांकन भरे गये व निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसका नामांकन रदद् किया गया व क्यों? निर्वाचन प्रक्रिया की पूर्ण कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नामांकन निरस्त करने में अनियमितता की गई है? यदि हां, तो सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर सम्बन्धित आवेदनकर्ता को न्याय दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अध्यक्ष पद हेतु श्री धर्मेन्द्र भगोरा पुत्र श्री ताराचन्द भगोरा, निवासी रतनपुरा, तहसील सीमलवाड़ा एवं श्री किरण कुमार पुत्र श्री कचरू भाई पटेल, गांव माण्डली, तहसील सीमलवाड़ा द्वारा नामांकन पत्र भरे गये थे। निर्वाचन अधिकारी द्वारा श्री किरण कुमार पुत्र श्री कचरू भाई पटेल के अध्यक्ष पद हेतु भरे गये नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में श्री रामलाल रोत द्वारा किये गये हस्ताक्षरों को फर्जी मानते हुए नामांकन पत्र को रद्द किया गया।

(3) राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 45(7)(i) (ख) के प्रावधानानुसार किसी सहकारी सोसायटी के निर्वाचन हेतु प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की जांच कर उन्हें मंजूर अथवा नामंजूर करने का विनिश्चय करने की शक्ति अधिनियम अन्तर्गत निर्वाचन अधिकारी को प्रदत्त है तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त प्रावधानान्तर्गत ही कार्यवाही की गई है। जहां

(सहकारिता राज्य मंत्री)

तक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सहकारिता अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार किसी सहकारी सोसायटी के सम्पन्न हुए निर्वाचनों के सम्बन्ध में कोई पक्षकार राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 58 के तहत सक्षम अधिकारी के समक्ष वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। सीमलवाड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तुत किये गये नाम निर्देशन पत्र को नामंजूर किये जाने के विरुद्ध श्री किरण कुमार पुत्र श्री कचरू भाई पटेल द्वारा उक्त धारा 58 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया, किन्तु उनके द्वारा निर्धारित वाद शुल्क जमा नहीं करवाये जाने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

(4) किसी सहकारी सोसायटी के सम्पन्न हुए निर्वाचनों के सम्बन्ध में कोई पक्षकार राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 58 के तहत सक्षम अधिकारी के समक्ष वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। सीमलवाड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तुत किये गये नाम निर्देशन पत्र को नामंजूर किये जाने के विरुद्ध श्री किरण कुमार पुत्र श्री कचरू भाई पटेल द्वारा उक्त धारा 58 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया, किन्तु उनके द्वारा निर्धारित वाद शुल्क जमा नहीं करवाये जाने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। अतः श्री किरण कुमार अब सहायक पंजीयक, डूंगरपुर के समक्ष राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 59(3) के अन्तर्गत परिसीमा में छूट देने का आवेदन प्रस्तुत करके, निर्धारित वाद शुल्क जमा करवाकर, अधिनियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन कर सकते हैं तथा धारा 58 के प्रावधानान्तर्गत निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता का परीक्षण किया जा सकता है, जिसके आधार पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा।

गोगुन्दा में राशन डीलरों के स्थान पर एजेंटों द्वारा सामग्री का वितरण

96. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) **:** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **:–**

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाये जाने की योजना है?

(श्री प्रताप लाल भील)

(2) नये राशन कार्ड कब तक वितरित करवा दिये जावेंगे?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में अधिकृत राशन डीलर के स्थान पर एजेन्टों द्वारा राशन सामग्री वितरित की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में नवीन डिजिटाइज्ड एवं कम्प्यूटरीकृत राशन कार्ड बनाकर वितरित किये जाने की योजना है।

(2) मंत्रिमण्डलीय समिति में दिनांक 03.03.2014 को लिये गये निर्णयानुसार समस्त जिला कलक्टर्स को माह सितम्बर, 2014 तक नये राशन कार्ड बनाकर वितरित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जारी निर्देश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राशन सामग्री का वितरण उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किया जाता है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक : एफ.97(6)खा.वि./सा.वि.प्र.2010-II जयपुर, दिनांक 27.3.2014

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान।

विषय :- राशन कार्ड कार्य की अवधि विस्तार करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड कार्य हेतु जिले के लिए चयनित फर्मों को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.09.2012 के द्वारा कार्यादेश जारी कर जिला कलक्टर एवं सम्बन्धित फर्म के प्रोपराइटर के मध्य निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध (एमओयू) निष्पादित किए जाने के सम्बन्ध में कार्यादेश दिये गये थे। फर्म द्वारा निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन की तिथि से 4 माह एवं विशेष परिस्थितियों में आपसी सहमति के आधार पर 2 माह की और वृद्धि की जाकर राशन कार्ड कार्य पूर्ण किया जाना था। चूंकि अधिकांश जिलों में फर्मों द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के फलस्वरूप जिला

कलक्टर्स से फर्म द्वारा किये जा रहे राशन कार्ड कार्य की समयावधि बढ़ाये जाने के प्राप्त प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 58(1) के अन्तर्गत छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रकरण मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रेषित किया गया।

राशन कार्ड कार्य की अवधि विस्तार करने हेतु गठित मंत्रिमण्डल की समिति द्वारा दिनांक 03.03.2014 को विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय के अनुमोदन पश्चात् सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 58(1) के अन्तर्गत राशन कार्ड कार्य की अवधि विस्तार माह सितम्बर, 2014 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।

इस प्रकार मंत्रिमण्डल की समिति में लिए गए निर्णय अनुसार समस्त जिला कलक्टर्स एवं सम्बन्धित फर्मों के मध्य जारी कार्यादेश दिनांक 26.09.2012 में वर्णित अनुसार पूर्व में किये गये अनुबन्ध की पूर्ववर्ती शर्तों के अनुरूप ही राशन कार्ड कार्य की कार्यावधि माह सितम्बर, 2014 तक बढ़ाई जाती है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि जिले की सम्बन्धित फर्म से अविलम्ब राशन कार्ड कार्य पूर्ण कराया जाय तथा त्रुटियुक्त राशन कार्डों की पूर्ति कराकर उपभोक्ताओं को वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

ह./-

(डा. अशोक सिंघवी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

करौली जिले में नवीन राशन कार्डों का वितरण

79. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी? यदि हां, तो क्या राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या जिला करौली में भी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो कुल कितने राशन कार्ड बनाये गये एवं नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जिला करौली में नवीन राशन कार्ड वितरण का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति का और नहीं, तो क्यों? सरकार अब कब तक सभी नवीन राशन कार्डों का वितरण करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि वितरित किये गये नवीन राशन कार्डों में भारी अशुद्धियां पाई गई हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला करौली में पुराने एवं नवीन राशन कार्डों की संख्या कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा राशन कार्ड अभियान 2012 के तहत प्रदेश में नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया दिनांक 01.06.2012 से प्रारम्भ की गई थी। उक्त प्रक्रिया के अधीन उपभोक्ताओं के आवेदन पत्रों की जांच, आवेदन पत्र में वर्णित विवरणों की कम्प्यूटर में प्रविष्टि, निर्धारित डाटाबेस में संधारण, प्रविष्टियों की चैकिंग, प्रूफ रीडिंग तथा डाटा में शुद्धिकरण इत्यादि का कार्य सम्बन्धित जिला रसद अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया जाकर तैयार नवीन राशन कार्ड उपभोक्ताओं को निरन्तर वितरित किये जा रहे हैं।

(2) जिला करौली में नवीन राशन कार्ड बनाने हेतु कुल 3,66,632 आवेदन फार्म प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2,92,371 राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं। शेष राशन कार्ड प्रक्रियाधीन हैं।

(3) जिला करौली में नवीन राशन कार्ड बनाने हेतु कुल 3,66,632

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

आवेदन फार्म प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2,92,371 राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं। शेष राशन कार्ड प्रक्रियाधीन हैं। पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम प्राधिकृत अधिकारी क्षेत्रवार / पंचायत समितिवार	स्केन आवेदन फार्म	बनाये गये राशन कार्ड
1	जिला रसद अधिकारी	21846	19291
2	आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौन	24885	21186
3	अधिशासी अधिकारी, टोडाभीम	5837	5618
4	विकास अधिकारी, करौली	69946	65877
5	विकास अधिकारी, हिण्डौन	72260	25460
6	विकास अधिकारी, सपोटरा	77701	70832
7	विकास अधिकारी, नांदौती	38648	35900
8	विकास अधिकारी, टोडाभीम	55509	48207
	कुल	**366632**	**292371**

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा चयनित फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे तैयार राशन कार्ड में मुख्य रूप से नाम, आयु, सम्बन्ध, श्रेणी इत्यादि की त्रुटियां पाई गई हैं। इस त्रुटियों को सम्बन्धित फर्म से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अविलम्ब दुरुस्त कराकर सम्बन्धित उपभोक्ता को पुन: राशन कार्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जिला रसद अधिकारियों को दिनांक 17.09.2013, 13.01.2014 एवं 27.03.2014 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) जिला करौली में पुराने राशन कार्डों की संख्या 3,37,245 है। नवीन राशन कार्ड बनाने के लिए 3,66,812 आवेदन प्राप्त हुए थे, जांच के पश्चात 3,66,632 सही पाये गये।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर अंकुश की कार्य-योजना

80. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(1) प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से अब तक किस-किस जिले में कितने-कितने छापे किस-किस स्थान पर कब-कब डाले गये एवं उन छापों में कितनी मात्रा में क्या-क्या खाद्य वस्तुएं पाई गईं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के कारण महंगाई में बढ़ोत्तरी हो रही है? यदि हां, तो सरकार प्रदेश में महंगाई रोकने हेतु क्या नीति कब तक लागू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से अब तक डाले गये छापों एवं जब्त की गई सामग्री का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य में महंगाई रोके जाने हेतु नीति निर्धारण के लिए राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तरीय अधिकारियों के समूह का गठन किया है। सचिव स्तरीय समूह आवश्यक खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, खपत एवं आवक के पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने सुझाव एवं कन्टीजेन्सी प्लान प्रस्तुत करेगा। इस सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 17(3)खवि./न्याय/1994-पार्ट 2 दिनांक 08.07.2014 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	नाम जिला	मारे गये छापों की संख्या	विवरण	जब्त की गई सामग्री
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अजमेर	0	—	—
2	अलवर	2	दिनांक 21.02.2014-राजगढ़	गेहूं 268 किग्रा. 5 कट्टे मय बारदाना
			दिनांक 21.02.2014-रैणी	गेहूं 769 किग्रा. 15 कट्टे मय बारदाना

1	2	3	4	5
3	बांसवाड़ा	0	—	—
4	बारां	0	—	—
5	बाड़मेर	0	—	—
6	भरतपुर	0	—	—
7	भीलवाड़ा	0	—	—
8	बीकानेर	0	—	—
9	बूंदी	0	—	—
10	चित्तौड़गढ़	0	—	—
11	चूरू	0	—	—
12	दौसा	0	—	—
13	धौलपुर	2	दिनांक 07.01.2014-धौलपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि., धौलपुर वार्ड संख्या 25, 31 शहर धौलपुर	51.50 क्विंटल गेहूं
			दिनांक 24.06.2014-रामसिंह एफ.पी.एस. डीलर, गढ़ी सुक्खा	24.50 क्विंटल गेहूं
14	डूंगरपुर	0	—	—
15	गंगानगर	2	अशोक कुमार/संजयकुमार, वार्ड नं 23 श्रीगंगानगर एवं किशन/ हरीचन्द ब्राहमण, वार्ड लं. 18, श्रीगंगानगर	2.914 क्विंटल गेहूं
			शिवचन्द विश्नोई, निवासी 3 टीके, रायसिंह नगर एवं ज्ञानसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह, निवासी 22 आरबी, ग्राम पंचायत संगराना, तहसील रायसिंहनगर	126 क्विंटल गेहूं
16	हनुमानगढ़	6	दिनांक 22.01.2014-डबलीमिढारोही, तह. हनुमानगढ़	60.25 क्विंटल गेहूं
			दिनांक 25.06.2014-सूरावाली तहसील पीलीबंगा	2.75 क्विंटल गेहूं एवं 27 किलो चीनी

1	2	3	4	5
			दिनांक 26.06.2014-29 डीडब्ल्यूडी, तह. रावतसर	3.99 क्विंटल गेहूं
			दिनांक 22.06.2014-रामगढिया, तह. रावतसर	6.10 क्विंटल गेहूं
			दिनांक 24.06.2014-शेरेका, तह. टिब्बी	90 किलो गेहूं एवं 4.50 किलो चीनी
			दिनांक 26.06.2014-वार्ड नं. 3 रावतसर, तह. रावतसर	24.60 क्विंटल गेहूं
17	जयपुर	0	—	—
18	जैसलमेर	0	—	—
19	जालौर	0	—	—
20	झालावाड़	0	—	—
21	झुन्झुनूं	0	—	—
22	जोधपुर	1	दिनांक 22.04.2014-तहसील पीपाड़सिटी	67.50 क्विंटल गेहूं
23	करौली	5	दिनांक 24.02.2014-नांगललाट, तहसील टोडाभीम	11.67 क्विंटल गेहूं
			दिनांक 25.02.2014-जटवाडा, तहसील हिण्डौन	1400 लीटर केरोसीन
			दिनांक 31.03.2014-कैलादेवी, तहसील करौली	दो कामर्शियल सिलेण्डर तथा तीन पैट्रोमैक्स
			दिनांक 15.05.2014-कृषि उपज मण्डी, तह. हिण्डौनसिटी	198 कट्टे 99 क्विंटल गेहूं

1	2	3	4	5
			दिनांक 10.07.2014-चाय टी स्टाल, बजाजा बाजार, तहसील करौली	3 घरेलू सिलेण्डर
24	कोटा	0	—	—
25	नागौर	1	दिनांक 31.01.2014-श्री राकेश डारा पुत्र श्री रामस्वरूप डारा, निवासी पालोट, तहसील डीडवाना	14 कट्टे 7 क्विंटल गेहूं
26	पाली	0	—	—
27	प्रतापगढ़	0	—	—
28	राजसमन्द	1	ग्राम सेवन्त्री	01 क्विंटल गेहूं
29	सीकर	0	—	—
30	सिरोही	2	—	1.50 क्विंटल एवं 1.92 क्विंटल गेहूं
31	सवाई माधोपुर	0	—	—
32	टोंक	4	1. श्री श्योराम मीणा, उ.मू.दु., उखलाना	20.39 क्विंटल गेहूं
			2. श्री हेमन्त कासलीराम, उ.मू.दु., उनियारा	
			3. श्री नवरत्न विजय, उ.मू.दु. मेहन्दवास	
			4. महिला सहकारिता समिति, मेहन्दवास	
33	उदयपुर	0	—	—
	कुल छापे मारे	**26**		

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ.17(3)खा.वि./न्याय/1994-II पार्ट फाईल　　जयपुर, दिनांक 08.7.2014

आदेश

आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण के उपायों पर विचार-विमर्श हेतु आयोजित बैठक दिनांक 07.07.2014 में माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एक सचिव स्तरीय समूह का गठन किया जाता है:—

1. श्री अशोक सम्पतराम, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राज. जयपुर — अध्यक्ष
2. श्री राजहंस उपाध्याय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, राज. जयपुर — सदस्य
3. श्री ललित मेहरा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
4. डा. सुबोध अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राज. जयपुर — सदस्य

उक्त समूह राज्य में गत तीन वर्षों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, खपत एवं आवक के पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए, भावों में बढ़ोत्तरी के मध्यनजर, राज्य सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों पर विचार-विमर्श कर एक सप्ताह में अपने सुझाव एवं कन्टीजेन्सी प्लान प्रस्तुत करेगा।

Sd/-
(डा. सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव, खाद्य

उचित मूल्य की दुकानों की कार्यपद्धति

81. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उचित मूल्यों की दुकान के खुलने एवं बंद होने के समय एवं साप्ताहिक अवकाश के सम्बन्ध में क्या नीति है?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) उचित मूल्य की दुकानें विहित समय में खुली रहें, यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?

(3) राजसमन्द जिले में विगत एक वर्ष में उचित मूल्य दुकानों के खुलने, बंद रहने, राशन वितरण में पारदर्शिता एवं नियमितता, कालाबाजारी पर पूर्ण रोक आदि के लिए कितनी बार निरीक्षण किया गया? अनियमितता मिलने पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) उचित मूल्य की दुकानों की कार्यपद्धति के सम्बन्ध में जनता से सीधी सूचनाएं प्राप्त करने एवं उन पर कार्यवाही की क्या व्यवस्था है?

उत्तर

(1) उपभोक्ता पखवाड़ा प्रत्येक माह की 16 तारीख से माह की अंतिम तारीख तक रहता है। उचित मूल्य की दुकान खुलने एवं बन्द होने का समय निम्नानुसार है :-

अवधि	समय
1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	प्रात: 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक (अपरान्ह 1.00 बजे से 2.00 बजे तक भोजन अवकाश)
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रात: 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिए पत्र दिनांक 09.07.2013 द्वारा जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है।	

(2) उचित मूल्य दुकानें विहित समय में खुली रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए जारी निर्देश दिनांक 09.07.2013 एवं 03.01.2014 की प्रति परिशिष्ट-**1** पर संलग्न है।

(3) राजसमन्द जिले में विगत एक वर्ष में उचित मूल्य दुकानों के खुलने, बन्द रहने, राशन वितरण में पारदर्शिता एवं नियमितता, कालाबाजारी पर पूर्ण रोक आदि के लिए 526 निरीक्षण किये जाकर अनियमितताएं मिलने पर 46 उचित मूल्य दुकानदारों से जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराई गई तथा 9 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये।

(4) उचित मूल्य की दुकानों की कार्यपद्धति के सम्बन्ध में जनता से सीधी सूचनाएं प्राप्त करने हेतु प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर जिला कलक्टर कार्यालय के दूरभाष नम्बर तथा जिला रसद अधिकारी एवं स्थानीय प्रवर्तन निरीक्षक के मोबाइल नम्बर अंकित हैं। इसके अतिरिक्त, सुगम समस्या समाधान पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

साथ ही विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों को प्रति माह आबंटित की जाने वाली समस्त सामग्री को जिले की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 22.05.2014 द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया हुआ है। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1 ई-मेल

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 17(12)खा.वि./विधि/2009　　　　जयपुर, दिनांक 09.07.2013

जिला रसद अधिकारी,

समस्त, राजस्थान।

विषय :— राशन सामग्री का वितरण करने के सम्बन्ध में।

विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.03.2011 एवं 08.04.2011 के क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप उचित मूल्य दुकानें पूरे माह खुली रहेंगी तथा नान पीडीएस उपभोक्ता सामग्री का वितरण पूरे माह ही किया जायेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में मिलों द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर आटा वितरण प्राय: 15 तारीख के बाद ही शुरू होता है।

उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु तथा उपभोक्ता सामग्री की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से पूरे राज्य में राशन सामग्री का वितरण एक ही दिवस यथा प्रत्येक माह की 24 तारीख से प्रारम्भ किया जाता है, इससे राज्य के उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त हो रहा है। उपभोक्ता सप्ताह में अधिकांश उपभोक्ता सामग्री का वितरण प्राय: पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई उपभोक्ता सप्ताह में सामग्री नहीं ले पाता है तथा उचित मूल्य दुकानदार के पास राशन सामग्री वितरण से शेष हो, तो आगामी दिवसों में भी सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

राज्य में उचित मूल्य दुकान खुलने का समय इस प्रकार रहेगा, कि :—

उपभोक्ता सप्ताह प्रत्येक माह की 24 तारीख से माह की अंतिम तारीख तक	प्रात 9 बजे से सायं 5 बजे तक (अपरान्ह 1 से 2 बजे तक भोजन अवकाश)
1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	प्रात: 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक

1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक
साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिये जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है। उपभोक्ता सप्ताह की अवधि में कोई अवकाश नहीं रहेगा	

अत: उपभोक्ता सप्ताह में यदि पीडीएस सामग्री, चीनी, केरोसीन, गेहूं एवं आटा वितरण होने से शेष बचता है और कोई उपभोक्ता वंचित रहता है, तो उसे आगामी माह की 07 (सात) तारीख तक उपभोक्ता को विक्रय कराया जाये। यह ज्ञातव्य रहे कि जिस माह की पीडीएस सामग्री है, उसी माह के लिये उसका इन्द्राज किया जाये।

Sd/-
प्रमुख शासन सचिव, खाद्य

परिशिष्ट-1/2

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी,

क्रमांक एफ 17(12)खा.वि./विधि/2009 जयपुर, दिनांक 3.1.2014

समस्त, राजस्थान।

विषय :— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उचित मूल्य की दुकानों पर प्रत्येक माह दिनांक 16 से माह के अन्त तक उपभोक्ता पखवाड़ा के दौरान खाद्य सामग्री का वितरण करने बाबत।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19.07.2011 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में उचित मूल्य की दुकान पूरे माह खुले रखने तथा सरकारी कर्मचारी की मौजूदगी में, प्रत्येक माह दिनांक 20 से माह की अंतिम तारीख तक उपभोक्ता पखवाड़ा में राशन सामग्री का वितरण किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

इस सम्बन्ध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.09.2013 द्वारा जारी किये गये निर्देशों के क्रम में अब उचित मूल्य की दुकानों पर शत-प्रतिशत राशन सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से प्रत्येक माह संशोधित उपभोक्ता पखवाड़ा हेतु दिनांक 20 से माह की अंतिम तारीख के बजाय प्रत्येक माह की दिनांक 16 से माह की अन्तिम तारीख तक की अवधि निर्धारित की जाती है।

अब सम्पूर्ण राज्य में उपभोक्ता पखवाड़ा माह जनवरी, 2014 से प्रत्येक माह की दिनांक 16 से माह की अन्तिम तारीख तक की अवधि में लागू किया जाता है, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में उचित मूल्य दुकानें पूरे माह खुली रहेंगी तथा राशन सामग्री का वितरण किया जावेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में शेष राशन सामग्री का सत्यापन आगामी माह की 05 तारीख तक सरपंच, ग्राम पंचायत से कराया जाकर वितरण किया जावेगा। विभाग का यह प्रयास रहेगा, कि सम्पूर्ण राशन सामग्री का उठाव 15 तारीख से पूर्व किया जाकर राशन की दुकानों पर पहुंच सुनिश्चित की जावे।

संशोधित उपभोक्ता पखवाड़ा का व्यापक प्रचार-प्रसार जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं पंचायतीराज संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाया जावे। इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन एवं समाचार प्रकाशित कराया जावे। उपभोक्ताओं को व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए जागृत किया जाकर दिनांक 16 से माह की अन्तिम तारीख के मध्य उपभोक्ता पखवाड़ा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रेरित किया जावे।

Sd/-
(अशोक शेखर)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य)

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 17(11)खा.वि./विधि/बीकानेर/2012　　　　जयपुर, दिनांक 22.05.2014

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :— सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकरण द्वारा आनलाइन सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कृपया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों को प्रतिमाह आबंटित किये जाने वाली समस्त सामग्री को जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,
Sd/-
(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

बाड़मेर जिले में शिक्षकों के रिक्त पद

82. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में शिक्षकों के काफी पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बाड़मेर जिले में एकीकरण के नाम पर बंद विद्यालय

83. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े एवं सीमावर्ती जिले बाड़मेर में एकीकरण के नाम पर स्वीकृत विद्यालयों को बन्द किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जो एकीकरण के बाद बन्द किये जायेंगे? ब्लाकवार मय विद्यालय के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बाड़मेर जिले में स्थित विद्यालय को बंद नहीं कर उनमें अध्यापक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

मालपुरा में वरिष्ठ अध्यापकों का पदोन्नति प्रकरण

84. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा-टोडारायसिंह के राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों

(श्री कन्हैयालाल)

के पदों की डी पी सी कर पदोन्नति द्वारा भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों के लिए अजमेर सम्भाग में सत्र 2012-13, 2013-14 की डी.पी.सी. नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक डी पी सी कर पदोन्नति कर दी जायेगी?

(3) क्या सरकार प्रतिबंधित जिलों से अध्यापकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रबोधक भर्ती 2008 के शेष रहे राजीव गांधी शिक्षा सहयोगी, पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश कर्मी एवं निजी विद्यालयों में कार्यरत शेष रहे शिक्षकों को प्रबोधक पद पर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वरिष्ठ अध्यापकों के विभिन्न विषयों के रिक्त पदों की वर्ष 2012-13 तक समस्त विषयों की विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित कर पदस्थापन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2013-14 व 2014-15 की डी.पी.सी. आयोजन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2012-13 की डी.पी.सी. आयोजित की जाकर पदस्थापन किया जा चुका है। अपितु वर्ष 2013-14 व 2014-15 की समस्त विषयों की डी.पी.सी. हेतु पात्रता सूची जारी कर, आपत्तियां आमन्त्रित की गई हैं। आपत्तियां प्राप्त होने पर परिवेदनाओं का निस्तारण कर शीघ्र ही विभागीय चयन समिति की बैठक कर पदोन्नतियां की जा सकेंगी।

(3) जी नहीं । प्रतिबंधित जिलों में अध्यापकों के पद अधिक रिक्त होने के कारण जिलों को प्रतिबन्धित किया गया । प्रतिबन्धित जिलों से स्थानान्तरण हेतु, स्थानान्तरण प्रतिबन्ध हटाये जाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं । राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के प्रावधानानुसार प्रबोधक भर्ती 2008 में चयनित समस्त पात्र आशार्थी जो वरीयता में स्थान रखते हैं, उन्हें प्रबोधक पद पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। प्रबोधक भर्ती के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जमवारामगढ़ में क्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

85. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत पांच वर्षों में कौन-कौनसे राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने-कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत पांच वर्षों में रा प्रा वि से रा उ प्रा वि स्तर पर क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

गत पांच वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में से रा उ प्रा वि स्तर से रा मा वि में तथा रा मा वि स्तर से रा उ मा वि स्तर पर क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "ख" में सम्मिलित है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत पांच वर्षों में रा उ प्रा वि स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत नव क्रमोन्नत विद्यालयों में वर्तमान में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) तृतीय श्रेणी अध्यापक के रिक्त पद पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्ति किये जाने पर ही भरे जा सकेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर नियुक्तियां

86. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों पर नई नियुक्तियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नई नियुक्तियां करने के वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों को मध्यनजर रखते हुए आवश्यकतानुसार पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नई नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न संख्या-87

(स्थगित)

प्रदेश में निजी औद्योगिक संस्थानों में प्रवेश हेतु फीस का निर्धारण

88. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु फीस निर्धारित नहीं है? यदि हां, तो इन संस्थानों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों से कितनी फीस ली जा रही है एवं किन नियमों के अन्तर्गत? क्या इन संस्थानों की फीस निर्धारण हेतु सरकार द्वारा कोई समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो समिति के सदस्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रति वर्ष लगभग 15,000 सीटें रिक्त रह जाती हैं? यदि हां, तो सरकार आर.पी.ई.टी. परीक्षा आयोजित किये जाने के औचित्य की समीक्षा करेगी?

(3) वर्ष 2014 में कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है? इस हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं? वर्तमान में प्रदेश में कितने निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं? प्रदेश में कुल सीटों की संख्या कितनी है? परीक्षा के मद में परीक्षार्थियों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई एवं धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश के पालीटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 1-9-2010 के पश्चात् से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं चयनित वेतन श्रृंखला का परिलाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो किस नियम के अन्तर्गत?

(5) क्या सरकार प्रदेश के पालीटेक्निक शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं चयनित वेतन श्रृंखला के परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित महिला पालीटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों को ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो इन शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना का परिलाभ किस कारण से नहीं दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की फीस निर्धारण हेतु किसी प्रकार के नियम/समिति निर्धारित नहीं हैं। अत: निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा स्वयं के स्तर पर पृथक-पृथक रूप से फीस ली जा रही है।

(2) 15,000 से अधिक सीटें खाली रहती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है।

(3) वर्ष 2014 में कुल 50,700 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया एवं इस हेतु कुल 56,044 आवेदन प्राप्त हुए।

वर्तमान में राज्य में 123 निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं तथा प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 65,006 है।

आर पी ई टी परीक्षा के मद में परीक्षार्थियों से कुल धनराशि रुपये 4,48,35,200 प्राप्त हुई। प्रावधान की सीमा में आवश्यकतानुसार व्यय किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। "AICTE पांचवें वेतनमान के सी.ए.एस. का लाभ पांचवें के नियम 01.09.2010 के अनुसार छठे वेतनमान के नोटिफिकेशन की दिनांक 05.03.2010 के ठीक पूर्व तक ही देय है।"

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(5) पालीटेक्निक महाविद्यालयों के तकनीकी शिक्षकों को ए आई सी टी ई वेतनमान एवं कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ दिया जा रहा है।

(6) महिला पालीटेक्निक महाविद्यालयों के तकनीकी शिक्षकों को ए आई सी टी ई वेतनमान एवं केरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ दिया जा रहा है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के उत्तर-मैट्रिक छात्रों को देय छात्रवृत्ति

89. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रदेश में विगत पांच वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के उत्तर-मैट्रिक छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई? उक्त छात्रवृत्ति के मद में कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

प्रदेश में विगत पांच वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग की उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र-छात्राओं को स्वीकृत एवं उक्त छात्रवृत्ति मद में विगत पांच वर्षों में प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

प्रदेश में विगत पांच वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि एवं उक्त मद में प्राप्त राशि का विवरण

(राशि करोड़ों में)

क्र. सं.	नाम योजना	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		स्वीकृत छात्रवृति की राशि	प्राप्त राशि	स्वीकृत छात्रवृति की राशि	प्राप्त राशि	स्वीकृत छात्रवृति की राशि	प्राप्त राशि	स्वीकृत छात्रवृति की राशि	प्राप्त राशि	स्वीकृत छात्रवृति की राशि	प्राप्त राशि
1.	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	90.39	134.33	110.20	123.36	141.04	165.29	179.81	201.34	198.56	201.84
2.	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	94.78	105.96	73.29	74.25	142.40	192.11	144.81	180.03	133.09	154.69
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	9.77	10.14	18.51	21.65	28.28	36.89	64.66	68.70	142.69	148.43

प्रदेश के जिलों में किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज प्रकरण

90. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड में विगत पांच वर्षों में कितने मामले दर्ज किये गये? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि के दौरान दर्ज प्रकरणों में से लम्बित प्रकरणों की समय अवधि के साथ जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के समस्त जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड में कितने प्रकरण पांच वर्ष से अधिक की अवधि के हैं, जो लम्बित चल रहे हैं? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत राज्य में जिला स्तर पर गठित किशोर न्याय बोर्डों में विगत पांच वर्षों में 15,409 मामले दर्ज किये गये। जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अवधि में दर्ज प्रकरणों में से लम्बित प्रकरणों का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में जिला स्तर पर गठित किशोर न्याय बोर्डों में पांच वर्ष से अधिक अवधि के 5,905 प्रकरण लम्बित हैं। जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान

91. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कुछ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्गवार, योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन राठौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में कुछ आवेदकों को छात्रवृत्ति अब तक नहीं दी जा सकी है? यदि हां, तो कितनों को व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि एकाधिक बार उत्तीर्ण अभ्यार्थी को भी इसी प्रकार छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों का विवरण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले राजस्थान मूल के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के बी पी एल एवं सामान्य वर्ग के बी पी एल श्रेणी के युवाओं को विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजना का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। केवल वर्ष 2013-14 में प्राप्त आवेदनों में से 31 आवेदनों में आक्षेप होने के कारण स्वीकृत नहीं किये जा सके। इससे पूर्व के वर्षों की नियमानुसार पात्र आवेदकों की प्रोत्साहन राशि बकाया नहीं है।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय बार सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि की 100 प्रतिशत एवं तृतीय बार 50 प्रतिशत राशि देय होती है। उसके बाद कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं है। विगत पांच वर्षों में एकाधिक बार प्रोत्साहन राशि लेने वाले अभ्यार्थियों का नामवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-92

(स्थगित)

फुलेरा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन कार्यालय में स्वीकृत पद

93. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन किस-किस स्तर के कार्यालय कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) उक्त कार्यालयों में वर्तमान में किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से किस-किस स्तर के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(3) जनवरी, 2014 से जून, 2014 तक उक्त कार्यालयों में कितने परिवाद, प्रार्थना पत्र कब-कब प्राप्त हुए और उन पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? परिवाद/प्रार्थना पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में इस विभाग के निम्नानुसार छात्रावास स्थापित हैं :

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	स्थापित वर्ष	वि.वि.
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फुलेरा	1995	
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांभरलेक	1972	

(2) उक्त छात्रावासों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत	रिक्त	वि.वि.
1.	छात्रावास अधीक्षक	2	-	-
2.	रसोइया/चौकीदार	5	1	एक पद 1996 से रिक्त है।

इनके अतिरिक्त, विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की पंचायत समिति, सांभरलेक में विभागीय आदेश क्रमांक 25593 दिनांक 3.5.2012 के द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं आदेश क्रमांक 40913 दिनांक 19.10.2012 द्वारा एक कनिष्ठ लेखाकार के पद स्वीकृत हैं, जो रिक्त हैं।

(3) जनवरी, 2014 से जून, 2014 तक कार्यालय में कोई परिवाद, प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का वितरण

94. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डा. किरोडी लाल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2013-14 में वृद्धावस्था पेंशन लागू किये जाने की घोषणा की गई थी?

(2) उक्त घोषणा के उपरान्त कितने वृद्धजनों को पेंशन वितरण किये जाने हेतु पी.पी.ओ. नम्बर जारी किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जारी पी.पी.ओ. संख्या में से कितने वृद्धजन को पेंशन वितरित की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2013-14 में दिनांक 1.4.2013 से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 लागू किये गये हैं।

(2) उक्त नियम लागू किये जाने के पश्चात् वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन वितरण हेतु जारी किये गये कुल पी पी ओ की संख्या 36,02,081 है जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) पेंशन का वितरण बैंक/पोस्ट आफिस खातों एवं मनीआर्डर के माध्यम से किया जाता है। सरकार द्वारा जारी किये गये पी पी ओ में से जिला कोषाधिकारियों के द्वारा माह मई, 2014 में की गई भुगतान प्रक्रिया का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

National and State Oldage Pensioners

S. No.	Name	Sanctioned Pensioners during 1.4.2013 to 16.7.2014	Payment Processed up to May. 2014
1	2	3	4
1	AJMER	124856	122206
2	ALWAR	211834	207987
3	BANSWARA	78914	76214
4	BARAN	38055	29207
5	BARMER	122473	106064

1	2	3	4
6	BHARATPUR	129726	118634
7	BHILWARA	174344	156765
8	BIKANER	101347	95858
9	BUNDI	60050	57616
10	CHITTORGARH	118257	115516
11	CHURU	118560	115758
12	DAUSA	86576	83634
13	DHOLPUR	64977	61961
14	DUNGARPUR	60813	57239
15	GANGANAGAR	60960	58776
16	HANUMANGARH	92968	86546
17	JAIPUR	293423	205141
18	JAISALMER	28508	27060
19	JALORE	106812	102019
20	JHALAWAR	80556	77728
21	JHUNJHUNU	146343	143154
22	JODHPUR	151092	145499
23	KAROULI	77230	74816
24	KOTA	65576	57206
25	NAGAUR	205659	198962
26	PALI	143622	139036
27	PRATAPGARH	39707	35830
28	RAJSAMAND	77840	76512
29	SAWAI MADHOPUR	64761	62197
30	SIKAR	166501	90939
31	SIROHI	50587	28612
32	TONK	96933	94485
33	UDAIPUR	162221	156907

प्रदेश में कृषि कार्य हेतु आबंटित ऋण के मानदण्ड

95. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रदेश से नहरी व बारानी भूमि-धारी किसानों को कृषि कार्य हेतु दिये जाने वाले ऋण व अन्य सुविधाओं का आकलन करने के लिए क्या कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रदेश में नहरी और बारानी भूमिधारक किसानों को कृषि कार्य एवं अन्य सुविधाओं हेतु अल्पकालीन सहकारी साख संरचनाओं द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण काश्तकारों को उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर गठित जिला स्तरीय तकनीकी समितियों द्वारा प्रत्येक वर्ष फसल उत्पादन लागत का निर्धारण तत्समय प्रचलित फसल लागत की समीक्षा की जाकर फसलवार मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं। इस प्रकार काश्तकार को बिना भूमि रहन किये अधिकतम रुपये 1.50 लाख की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। फसली उत्पादन हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकवार फसलवार फसली ऋण के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। फसली ऋण के अतिरिक्त कृषि से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध करवाये जाने सम्बन्धी मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा दुधारू पशु/भेड़ पालन/भारवाहक पशु एवं पशु चलित गाड़ियां/थ्रेसर/सूअरपालन/फार्म पोण्ड/कटीले तारों की फेन्सिंग एवं अन्य विविध प्रकार की योजनाओं के भूमि मूल्यांकन मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध करवाने हेतु भूमि मूल्यांकन के मानदण्ड परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा विविधीकृत उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए भूमि मूल्यांकन मानदण्ड परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

प्रश्न संख्या-96

(स्थगित)

मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की आवासीय योजना

97. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 में मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर द्वारा सहकारिता विभाग राजस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय योजना निकाली गई थी? यदि हां, तो किस वर्ग के, कितने भूखण्ड तथा उन भूखण्डों की क्या दर निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2003-04 में समिति द्वारा उक्त भूखण्डों की सम्पूर्ण राशि जमा करवाने के बावजूद आवेदकों को भूखण्डों का आबंटन नहीं किया गया? यदि हां, तो किन-किन को व जिन आवेदकों को भूखण्डों का आबंटन कर उन्हें कब्जा जारी कर दिया गया? यदि नहीं, तो किन-किन को व इसके क्या कारण रहे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक नहीं की गई? यदि हां, तो क्या सरकार इनका नियमन करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में भूखण्ड संख्या 809 का आबंटन बदल कर 3065 में परिवर्तित किया गया? यदि हां, तो परिवर्तित करने के क्या कारण रहे तथा वर्तमान में भूखण्ड सं. 809 व 3065 धारक के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार को उक्त योजना में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई तथा कौन दोषी पाये गये व दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रशासक, मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर द्वारा सहकारी विभाग, राजस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिजनों एवं परिचितों को इस समिति की योजना सचिवालय नगर में 400 वर्गगज के 9 भूखण्ड, 300 वर्गगज के 166 भूखण्ड, 200 वर्गगज के 111 भूखण्ड, 138.88 वर्गगज के 90 भूखण्ड एवं 100 वर्गगज के 27 आवासीय भूखण्डों के अधिकार पत्र वर्ष 2005 में 560.00/-

(सहकारिता राज्य मंत्री)

रु. प्रति वर्ग गज एवं 575.00/- रु. प्रति वर्ग गज की दर से आबंटित किये गये।

(2) जी नहीं। प्रशासक, मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर द्वारा आवेदकों को भूखण्डों के अधिकार पत्र जारी किये गये हैं, किन्तु अधिकांश आवेदकों/भूखण्डधारियों को भूखण्डों का कब्जा इस कारण से नहीं दिया जा सका है, क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना के प्रस्तुत मानचित्र के अनुमोदन के उपरांत अभी तक मानचित्र जारी नहीं किया गया है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही अभी तक नहीं किए जाने के सम्बन्ध में कथन किया गया है कि समिति के समापक द्वारा योजना के सभी भूखण्डधारियों को मौके पर कब्जा नहीं दिए जाने के कारण इस भाग के नियमन की कार्यवाही नहीं की गई है। समिति/समापक द्वारा मौके पर डिमार्केशन करवाकर सभी भूखण्डधारियों को कब्जा देने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

(4) जी नहीं। समिति के पूर्व समापक से योजना सचिवालय नगर के प्राप्त रिकार्ड (भूखण्डधारियों की सूची प्रोविजनल) के अनुसार वर्तमान में भूखण्ड संख्या-809 धारक का नाम श्री प्रेमप्रकाश मण्डोर/श्री शान्ति लाल मण्डोर एवं भूखण्ड संख्या-3065 धारक का नाम श्रीमती गुनीता आशिया/श्री एस.के. गाधवी है। परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(5) जी हां। मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की सचिवालय नगर योजना के सम्बन्ध में कतिपय अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-55 के तहत जांच आदेश जारी किए गए हैं। पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा दोषी पाये जाने पर अधिनियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की सचिवालय नगर आवासीय योजना, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर के तत्कालीन प्रशासक/समापक, श्री सुनील कुमार चौधरी, उप रजिस्ट्रार (निलम्बित), सहकारी समितियां द्वारा की गई गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर श्री सुनील कुमार चौधरी उप रजिस्ट्रार को कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प.1(178)कार्मिक/क-3/2012 दिनांक 29.08.2012 के द्वारा निलम्बित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्वीकृति

98. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार दौसा जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किन मानदण्डों के तहत एवं नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार दौसा जिले के पिछड़े क्षेत्रों में हिस्सा पूंजी व जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए मानदण्डों में शिथिलता देकर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि दौसा जिले की कई ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति संचालित नहीं हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि दौसा जिले में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वीकृत होने से वंचित रही व प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में शीघ्र नवीन समितियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु प्रस्ताव निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन सम्बन्धी मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। दौसा जिले के पिछड़े क्षेत्रों में हिस्सा पूंजी व जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन के मानदण्डों में शिथिलता दिये जाने बाबत कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। दौसा जिले की कुल 225 ग्राम पंचायतों में से 60 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित नहीं हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। दौसा जिले में 6 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(5) जिन ग्राम पंचायतों पर प्रस्तावित नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करती हैं, उन ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है तथा जिन ग्राम पंचायतों पर वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित नहीं हैं, इस बाबत प्रस्तावित नवीन समिति के द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण होने पर नियमानुसार स्वीकृति जारी की जाती है।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

प्रश्न संख्या-99

(स्थगित)

भटेवर ग्राम (वल्लभनगर) में नियम विरुद्ध आवासीय पट्टों का विक्रय

100. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वल्लभनगर तहसील के भटेवर गांव में पंचायत ने नि:शुल्क आवासीय पट्टे दिये थे, जो कि बेचे नहीं जा सकते हैं? यदि हां, तो कितने आवासीय पट्टों का विक्रय (बेचान) किया गया? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नियम विरुद्ध बेचान किये गये नि:शुल्क पट्टों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। एक पट्टा श्री हीरालाल/देवीलाल सालवी द्वारा बेचान किया गया है।

(2) जी हां। श्री हीरालाल/देवीलाल सालवी को विकास अधिकारी, पंचायत समिति भीण्डर के पत्रांक 572 दिनांक 07.07.2014 के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। पट्टे को निरस्त कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सिकराय में प्रतिनियुक्त अध्यापक

101. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कितने ग्राम सेवक पदेन सचिव,

(श्रीमती गीता वर्मा)

रोजगार सहायक, प्रेरक के पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सिकराय क्षेत्र की पंचायत समिति सिकराय, दौसा में सम्पूर्ण पंचायत राज की आम जनता को लाभान्वित करने के लिए विकास कार्य करवाने की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं तथा किन योजनाओं से आम जनता लाभान्वित हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार विकासशील योजनाओं से आम जनता को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सिकराय क्षेत्र के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्थार्थ कार्य हेतु व अन्य कार्यालयों में कार्य हेतु अध्यापक की प्रतिनियुक्ति करने का अधिकृत अधिकारी कौन होता है? आदेश, नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या सरकार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भविष्य में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति हेतु माननीय विधायक-गणों की अभिशंसा से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में ग्राम सेवक पदेन सचिव, रोजगार सहायक एवं प्रेरक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	ग्राम सेवक पदेन सचिव	54	41	13
2	रोजगार सहायक	54	12	42
3	प्रेरक	108	103	05

(2) सिकराय क्षेत्र की पंचायत समिति सिकराय, दौसा में आम जनता को लाभान्वित करने के लिए विकास कार्य करवाने की संचालित योजनाओं का नाम निम्नानुसार है :-

1. विधवा/वृद्धावस्था/विकलांग पेंशन योजना
2. सहयोग योजना

(पंचायती राज मंत्री)

3. पालनहार योजना
4. पन्नाधाय छात्रवृत्ति/दावा क्लेम
5. संबल योजना
6. खाद्य सुरक्षा योजना
7. इंदिरा आवास योजना
8. एससी पोप/कृषि यंत्र वितरण योजना
9. टीएफसी/एसएफसी
10. निर्बन्ध राशि योजना
11. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
12. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
13. निर्मल भारत अभियान
14. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
15. ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना
16. स्वविवेक जिला विकास योजना
17. मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना

उक्त योजनाओं के साथ ही सिकराय क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों पर स्थित लोक शिक्षा केन्द्रों में महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय व साक्षरता केन्द्र संचालित हैं जिससे आम जनता लाभान्वित हो रही है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के मानदण्डानुसार अधिशेष अध्यापकों में से आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाने हेतु जिला परिषद की स्थाई समिति से अनुमोदनोपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा सक्षम हैं।

शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के अनुसार 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कार्यो, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकाय, विधान मण्डलों, विधान सभा और संसदीय कार्यों से जुडे कार्यो के लिये भी लगाया जा सकता है। राज्य सरकार के आदेश परिपत्र क्रमांक प.2(7)शिक्षा-2/डाईट/2011 दिनांक 20.5.2014 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.2(7)शिक्षा-2/डाईट/2011   जयपुर, दिनांक : 20.05.2014

परिपत्र

प्राय: यह देखा गया है कि जिला कलक्टर द्वारा मतदान एवं अन्य कार्यों के लिये शिक्षा विभाग के शिक्षकों की सेवाएं ली जाती हैं। जबकि इससे शिक्षकों का अध्यापन का मूल कार्य प्रत्यक्षत: प्रभावित होता है। शिक्षकों को चुनाव सम्बन्धी एवं अन्य कार्यों हेतु कार्यालयों में कार्य-व्यवस्थार्थ नहीं लगाये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.08.2009, 16.06.2010, 20.09.2010, 30.10.2011, 16.08.2012, 19.07.2012, 27.09.2012, 19.11.2012 एवं 16.01.2014 द्वारा समय-समय पर निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी शिक्षकों को निर्वाचन सम्बन्धी एवं अन्य कार्यों में नियोजित किया जाता रहा है, जो शासन के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अत: इस सम्बन्ध में पुन: निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे तथा किसी भी शिक्षक को निर्वाचन सम्बन्धी एवं अन्य कार्यों हेतु कार्यालयों में नियोजित नहीं किया जावे। जिन कार्यालयों में वर्तमान में शिक्षक नियोजित हैं, उन्हें तत्काल उनके मूल पदस्थापित स्थान पर कार्य किये जाने हेतु कार्यमुक्त करें।

ह./-
शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग

नागौर जिले में ग्राम पंचायतों/सरपंचों के विचाराधीन प्रकरण

102. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है जिला नागौर की पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा के विभिन्न सरपंचों/ग्राम पंचायतों के विरुद्ध वर्तमान में कोई जांच

(श्री हनुमान बेनीवाल)

विचाराधीन है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत/सरपंच के विरुद्ध किन-किन प्रकरणों में तथा किस के आदेश से? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार राजनैतिक द्वेष के कारण पंचायतों/सरपंचों द्वारा कराये गये कार्यों की जांच करवा रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच बंद कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला नागौर की पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा के विभिन्न सरपंचों/ग्राम पंचायतों के विरुद्ध वर्तमान में प्राथमिक तथा विस्तृत जांच के विवरण की सूची परिशिष्ट-1 पर मय आदेश सहित संलग्न है।

(2) जी नहीं। सरपंचों/ग्राम पंचायतों के विरुद्ध शिकायत या परिवाद प्राप्त होने पर जांच की जाती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति

103. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में हाल ही में रबी की फसल के दौरान ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो किस-किस तहसील में कितना-कितना नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्र की खसरा गिरदावरी करवाई गई? यदि हां, तो तहसीलवार खसरा गिरदावरी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो गेहूं, चना एवं सरसों के लिए प्रति बीघा कितना मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, 50 एवं 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान का विवरण निम्नानुसार है:-

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

क्र.सं.	तहसील का नाम	खराबा (हेक्ट.)
1	अलवर	4982
2	किशनगढ़	522
3	रामगढ	8897
4	कोटकासिम	995
5	बानसूर	5479
6	मुण्डावर	301
7	थानागाजी	2299
8	तिजारा	629
	योग	**24104**

(2) जी हां। तहसीलवार सर्वे रिपोर्ट परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) असिंचित क्षेत्र के लिए 4500 रु. प्रति हैक्ट., बिजली से सिंचित क्षेत्र के लिए 9000 रु. प्रति हैक्ट. एवं डीजल से सिंचित क्षेत्र के लिए 12000 रु. प्रति हेक्ट. कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

EXTENT OF DAMAGE
YEAR 2014
NAME OF DISTRICT:- ALWAR
Rabi & 2014 Hail Storm

S. No.	Name of Tehsil	Total/ Name of villages	No. of Affected Villages	Population of Affected Villages	Total Geographical Area (Haq.)	Area of Affectet Villages			Affected Villages			Production in MT.	Value of Damage Crop (Lacs)	Land Revenue of Affected Villages (Rs.)	Likely suspen. Of Land Revenue (Rs.)	Total Cattle Population (Lac)	No. of Affected Cattle (lacs)
						Cultivated Area (Haq.)	Sown Area (Haq.)	Area of Damaged Crop (Haq.)	50-74 (%)	75-100 (%)	Less than 50 (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Alwar	136	15	32855	3176	4990	4990	4982	0	15	0	18003	42268	33309	33309	12998	12998
2.	Bansur	148	11	42143	13869	9617	8984	5939	0	11	0	15948	2600	71729	71729	30642	30642
3.	Kotkasim	117	19	5504	1683	1568	1480	995	5	4	0	2238	365	10592	10592	2033	2033
4.	Mundawar	142	2	1845	1395	342	342	301	0	2	0	852	26	2804	2804	2289	2289
5.	Ramgarh	178	40	47154	12197	10517	10537	8897	0	40	0	22219	2142	99812	99812	29742	29742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	Thanagaji	161	12	33273	8974	3532	3830	2299	9	36	0	6159	1250	16735	16735	16421	15396
7	Kishangarh Bas	115	96	7299	1427	1280	1021	522	0	6	0	1518	399	3831	3831	4762	4762
8.	Tijara	217	5	14522	4267	2718	1218	629	5	0	0	397	401	5479	5479	13327	5759
	Total	**1214**	**100**	**185095**	**46988**	**34584**	**32402**	**24104**	**19**	**81**	**0**	**67334**	**49451**	**244291**	**245291**	**112214**	**103621**

मूंडिया रामसर ग्राम पंचायत (झोटवाड़ा-जयपुर) में आवासीय भूखण्डों के आबंटित पट्टे

104. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मूंडिया रामसर (पंचायत समिति झोटवाड़ा) जिला जयपुर द्वारा वर्ष 1983 एवं 1984 में आवासीय भूखण्डों के पट्टे जारी किये जाने के उपरांत अब तक भी भूखण्डधारकों को वास्तविक रूप से मौके पर कब्जा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन भूखण्डधारियों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत मूंडिया रामसर के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक आदि के विरुद्ध जांच में कतिपय लोकसेवकों को दोषी माना गया है? यदि हां, तो उक्त जांच कब व किसके द्वारा की गई तथा किन-किन लोकसेवकों को दोषी पाया गया? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने एवं पीड़ित भूखण्डधारकों को भूखण्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मूंडिया रामसर (पंचायत समिति झोटवाड़ा) जिला जयुपर द्वारा वर्ष 1983 एवं 1984 में जारी किए गये आवासीय भूखण्ड जो चरागाह भूमि में जारी किए गए थे को जिला कलक्टर द्वारा उच्च स्तरीय जांच के बाद निरस्त किये जा चुके हैं तथा अब यह भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन है। इस कारण आवासीय भूखण्डों का कब्जा सम्भलाया जाना अपेक्षित नहीं है।

(2) ग्राम पंचायत मूंडिया रामसर के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक के विरुद्ध जांच किए जाने से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज ग्राम पंचायत व पंचायत समिति में उपलब्ध नहीं है। परन्तु तत्कालीन सरपंच श्री इन्द्र सिंह बारेट व सचिव श्री रामपाल चौधरी ने चरागाह भूमि में जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टों के विरुद्ध एफ.आई.आर. नम्बर 176/14 दिनांक 20.05.2014 को दर्ज करवा दी गई है जिसकी प्रति संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में तत्कालीन सरपंच श्री इन्द्र सिंह बारेट व सचिव श्री रामपाल चौधरी के द्वारा चरागाह भूमि में जारी किये गये आवासीय भूमि के

(पंचायती राज मंत्री)

पट्टों के विरुद्ध एफ.आई.आर. नम्बर 176/14 दिनांक 20.05.2014 को दर्ज करवा दी गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में होने के कारण प्रभावित पक्षकारों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में विश्वविद्यालय द्वारा शोध प्रवेश परीक्षा

105. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों में से किस-किस विश्वविद्यालय द्वारा गत तीन सत्रों में शोध हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई? सत्रवार, विश्वविद्यालयवार एवं विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त परीक्षा आयोजित नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? सत्रवार, विश्वविद्यालयवार एवं विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विश्वविद्यालयों से गत तीन सत्रों में कितने शोधार्थी शोध पूर्ण करने के उपरान्त उत्तीर्ण घोषित किये गये? सत्रवार, विश्वविद्यालयवार एवं विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में स्थित राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों द्वारा गत तीन सत्रों में शोध हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

(3) उक्त प्रश्न का उत्तर बिन्दु संख्या 1 के उत्तर (परिशिष्टों) में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी (धौलपुर) में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय

106. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़ी जिला धौलपुर में राजकीय महाविद्यालय वर्ष 2013 से स्वीकृत है? यदि हां, तो अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं हो पाया?

(श्री गिर्राज सिंह)

(2) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बिन्दु संख्या 1 व 2 का उत्तर

(2) जी हां। बाड़ी जिला धौलपुर में शिक्षा सत्र 2014-15 से प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रदेश में मनरेगा योजनान्तर्गत कृषि कार्य

107. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मनरेगा योजना में रोजगार पाने वाले कृषक परिवारों से अस्थायी कच्चे कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो इसमें क्या-क्या कार्य सम्मिलित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मनरेगा योजना में रोजगार पाने वाले कृषक परिवारों का चयन कर उन्हें कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराकर कृषि कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजना में कोई भी जाबकार्डधारी ग्रामीण परिवार जो योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिक का कार्य करने को तैयार है, से योजनान्तर्गत अनुमत कार्य करवाये जाते हैं। अनुमत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजनान्तर्गत, महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची 1 में वर्णित परिवार (संलग्न परिशिष्ट-1 के नोट में वर्णित) की निजी भूमि पर अनुमत कार्यों की सूची के प्रवर्ग "आ" के अनुरूप कृषि कार्य कराये जा सकते हैं। उक्त प्रावधान के अनुरूप ग्राम सभा द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित परिवारों की भूमि पर आवश्यकतानुसार उक्त कार्य कराये जा रहे हैं।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम में कृषक परिवारों को कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-73 की प्रति)

परिशिष्ट-अ

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम-2012

नियम 4. छात्रावास की स्थापना के लिये प्रतिमान :

1. छात्रावास कक्षा 6 से 10+2 व स्नातक/स्नातकोत्तर (अकादमिक/व्यवसायिक) पाठ्यक्रमों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के प्रयोजनार्थ ही स्थापित किये जा सकेंगे।
2. विद्यालय स्तर के नवीन छात्रावास कम से कम 50 की क्षमता के होंगे तथा महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास 75 की क्षमता के होंगे। किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा 75 से कम क्षमता के महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास स्थापित किये जा सकेंगे।
3. छात्रावास खोले जाने का प्रस्ताव जिला अधिकारी के माध्यम से निदेशक/आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा तथा उनके माध्यम से परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
4. तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय से नीचे के स्तर पर कोई छात्रावास नहीं खोला जायेगा। उसके पश्चात् 20,000 की जनसंख्या तथा ऐसे मुख्यालय जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित हो, पर छात्रावास स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त ऐसी ग्राम पंचायत मुख्यालय जिसके आसपास कम से कम 5 माध्यमिक स्तर के विद्यालय हों, पर भी छात्रावास की आवश्यकतानुसार स्थापना की जा सकेगी।
5. नवीन छात्रावास के खोले जाने के प्रस्ताव कभी भी प्राप्त किये जा सकते हैं परन्तु इन प्रस्तावों के स्वीकृत होने पर स्वीकृति की तिथि के पश्चात आने वाले जुलाई माह से ही छात्रावास को प्रारम्भ किया जा सकेगा। नवीन छात्रावास भवन का संचालन राजकीय भवन निर्माण के उपरांत ही किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की सहमति के उपरांत किराये के भवन में अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिये किराये के उपयुक्त भवन में केवल विद्यालय स्तरीय छात्रावास ही संचालित किये जा सकेंगे।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-75 का विवरण)

परिशिष्ट-1

(राशि लाखों में)

क्र. सं	सहकारी भूमि विकास बैंक राजसमन्द	लाभान्वितों का वर्षवार विवरण									
	ऋण योजना	वर्ष 09-10		वर्ष 10-11		वर्ष 11-12		वर्ष 12-13		वर्ष 13-14	
		स.स.	राशि	स.स.	राशि	स.स.	राशि	स.स.	राशि	स.स.	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	सहकार स्वरोजगार योजना	21	10.40	20	10.00	28	13.55	25	12.30	54	26.80
2	जनमंगल आवास ऋण योजना (ग्रामीण आवास योजना)	3	4.00	4	4.30	6	14.35	2	6.10	19	72.78
3	महिला विकास ऋण योजना	0	0.00	2	1.00	4	1.77	2	1.00	1	0.50
4	ज्ञान सागर ऋण योजना	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केन्द्रीय सहकारी बैंक, उदयपुर											
1	सहकार स्वरोजगार योजना	2	0.75	5	1.50	25	4.60	14	3.50	32	10.50
2	जनमंगल आवास ऋण योजना	—	—	—	—	1	3.50	—	—	—	—
3	महिला विकास ऋण योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	ज्ञान सागर ऋण योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	**26**	**15.15**	**31**	**16.80**	**64**	**37.77**	**43**	**22.90**	**106**	**110.58**

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-77 की सूची)

परिशिष्ट-1

नगर (जिला भरतपुर) में स्थित निजी महाविद्यालयों की सूची :

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम व स्थान	स्थापना वर्ष	विद्यार्थी नामांकन
1.	श्री राधे पटेल डिग्री कालेज, सिकरी रोड, नगर	2009	276
2.	बाल भारती महिला महाविद्यालय, पुराना बाइपास रोड, नगर	2011	208
3.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, नगर	2003	450
4.	श्री बांके बिहारी महाविद्यालय, नगर	2008	653
5.	राधा स्वामी महिला महाविद्यालय, खेरली रोड, नगर	1999	760